खण्ड-320, अंक-5
शुक्रवार, 6 चैत्र, शक संवत् 1898
(26 मार्च, 1976 ई0)

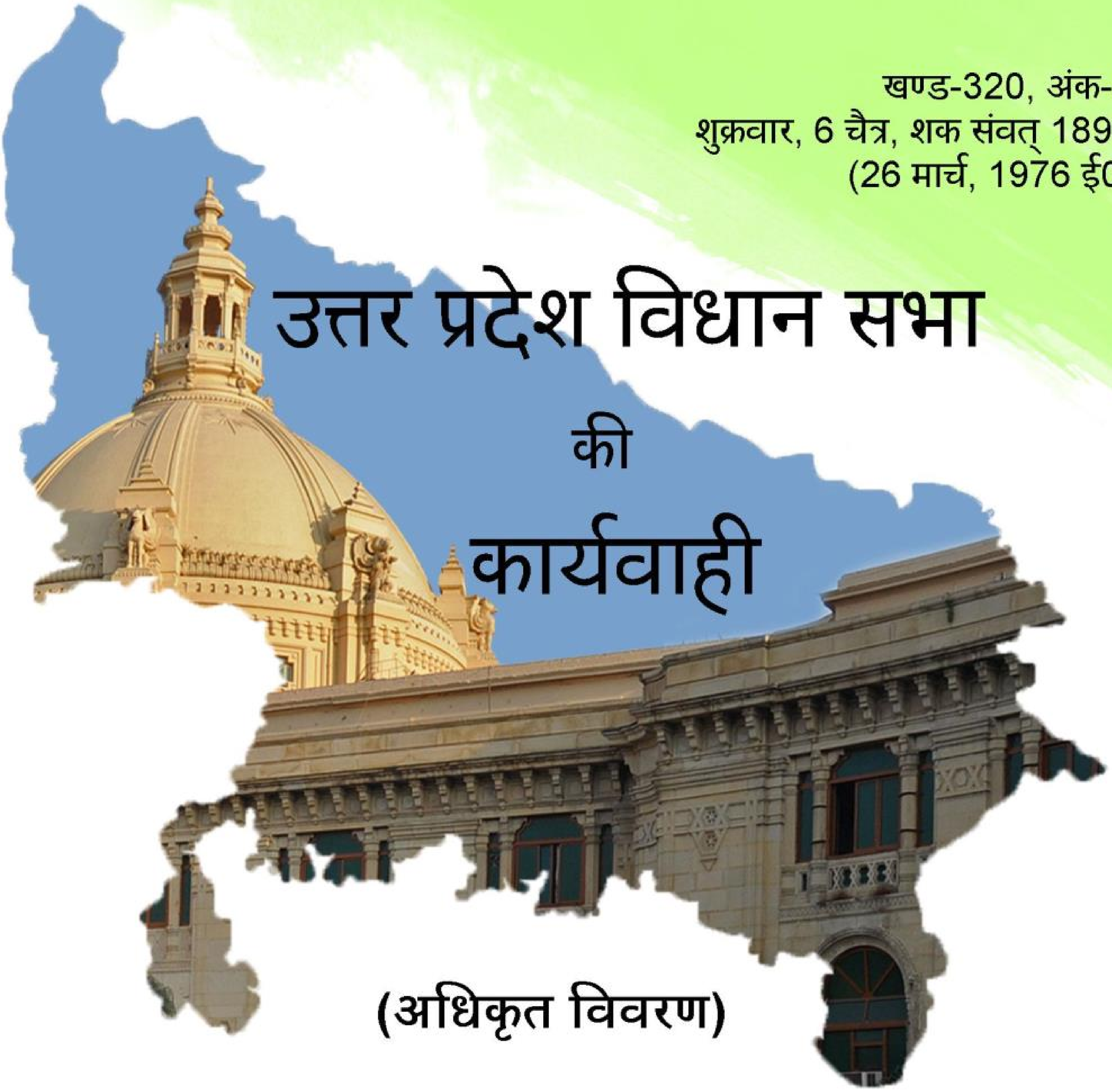

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 320 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	395-398
प्रश्नोत्तर	399-440
नेता विरोधी दल के भाषण को समाचार पत्रों द्वारा न छापे जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	440-441
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976 (पुरःस्थापित किया गया)	441
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1976 (पुरःस्थापित किया गया)	442
श्री शिव प्रसाद, सदस्य विधान सभा की पुनः गिरफ्तारी की सूचना न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	442-443
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	443
श्री शिव प्रसाद, सदस्य विधान सभा की पुनः गिरफ्तारी की सूचना न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	444
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव	444-488
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	488-489
बजट साहित्य के वितरण सम्बन्धी व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना ..	489
1976-77 का आय व्ययक (प्रस्तुत किया गया)	489-517
1976-77 के एक भाग के लिए लेखानुदान (प्रस्तुत किया गया) ..	517
नत्थियां	518-550

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 26 मार्च, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासु देव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--330

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैजशाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुलवहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवेद्य नाथ, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह; श्री
उदय नाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकास गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया; श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा प्रसाद लोधी, श्री
गंगा स्वरूप , श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (ऐडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड

चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (मेहनगर,जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम,श्री
जागेश्वर, श्री
जुगल किशोर यादव, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप , श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दवीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दल सिंह यादव, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नारायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
बंशीधर, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ यादव, श्री

भगवत दयाल, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मिस्रयार खां, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद,श्री
मोहम्मद हयात, हाजी
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी,श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
राम गरीब, कैप्टन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्दु श्री, एडवोकेट
रामरती देवी, श्रीमती
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री

राम समुझ तिवारी, श्री
रामसुन्दर पान्डेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उप नाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालू राम, श्री
लोकपति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्त प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्य ाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह य दव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तानसिंह यादव, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सोहन लाल लाठ, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोटः—राज्य स्वायत्त शासन मंत्री, श्री श्रीकृष्ण गोयल तथा ग्राम्य विकास राज्य मंत्री, श्री हबीबुर्रहमान नोमानी भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 26 मार्च, 1976

तारांकित प्रश्न

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, उधर के लोग वायकाट कर गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आपको क्या चिन्ता है कि कोई है या नहीं ? इस सदन की सदस्यता स्वैच्छिक है और इसमें जो हमारी मौजूदगी है, वह भी हमारी इच्छा पर है । बार बार कहते हैं और फिर अखबार के लिये और स्पीकर के लिये कठिनाई पैदा करते हैं अपनी विद्वता की प्रतिबिम्बता पर रोकथाम करें ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

वाराणसी जिले में ग्राम डूंही सुंही के हरिजनों को आवास हेतु भूमि

*1—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव डूंही सुंही, तहसील चकिया, जिला वाराणसी के हरिजनों को आबादी हेतु जमीन देने के लिये प्रश्नकर्ता ने एक पत्र 25 सितम्बर, 1974 को दिया था और उसमें तहसीलदार, चकिया एवं एस0 डी0 एम0, चकिया की रिपोर्ट का भी हवाला दिया था जिसमें लिखा गया है कि सपही जंगल तथा लोना बन में इन हरिजनों को बसाने हेतु जमीन दी जाय ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

इस आशय का दिनांक 23 सितम्बर, 1974 का एक पत्र प्राप्त हुआ था । मामले में छानबीन के उपरान्त ज्ञात हुआ है कि ग्राम डूंही सूंही के भूमिहीन हरिजनों को बसाने एवं कृषि हेतु देने के लिये वन भूमि उपलब्ध नहीं है । ऐसी स्थिति में अरण्यपाल को आदेश दिया गया है कि कथित हरिजनों को 100 एकड़ भूमि टौंगिया पद्धति पर देने के प्रश्न पर कार्यवाही की जाय ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहना और जानना चहता हूं कि 25 सितम्बर, 1974 को सरकार ने इस मामले की जांच करायी थी । एस0 डी0 एम0 और तहसील से डिटेल्स वर्क-आउट कराया था तो 95 प्रतिशत आबादी है । एस0 डी0 एम0 ने कलेक्टर को जो रिपोर्ट भेजा, उसमें एक एकड़ के जहां तक पेड़ नहीं हैं, बसने के लिये हमने जो पत्र लिखा था उसमें लिखा था कि बड़ी तंगिस है । तो क्या मंत्री जी इस पर विचार कर भूमि देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

इस मसले को फिर से हम जांच करा लेंगे और यदि आबादी ज्यादा है और भूमि उपलब्ध है, तो टांगिया पर दे देंगे ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, दूसरा प्रश्न यह है कि 100 एकड़ का जिक्र मंत्री जी ने किया । यह मामला डेढ़ साल से है, बहुगुणा जी के सामने आया था । उन्होंने आदेश दिया था । वन सचिव ने कंजरवेटर को पत्र लिखा उसमें 200 एकड़ देने को कहा था । तो क्या मंत्री जी उसको फिर से देने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मान्यवर, जैसा हमने कहा कि यदि भूमि उपलब्ध होगी तो 200 एकड़ तक टौंगिया पद्धति की फार्मिंग के लिये दे देंगे ।

पडरौना तथा बिशुनपुरा विकास खंड के अन्तर्गत उपलवृष्टि से क्षति

*2—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित), श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित) तथा श्री बांके लाल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1974 क पांचवें शुक्रवार क तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्वमंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पडरौना तथा विशुनपुरा विकास खंड के गांवों में 25 मार्च, 1974 तथा 4 अप्रैल, 1974 को हुयी उपल वृष्टि के कारण 30723 एकड़ फसल को 50 प्रतिशत या उससे अधिक क्षति हुयी फिर मालगुजारी तथा विकास कर मे बिना छूट दिये वसूलियां जबरन की जा रही हैं । यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

25 मार्च, 1974 तथा 4 अप्रैल, 1974 को हुई उपलवृष्टि से पडरौना तथा विशुनपुरा विकास खंडों के 293 ग्रामों की फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई थी । इनमें से किसी ग्राम म भी मालगुजारी तथा सरकारी देयों में बिना छूट दिये जबरन वसूली नहीं की गयी । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

*3–4—डाक्टर मलखान सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

*5–6—डाक्टर मलखान सिंह—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

ग्राम पिपराकलां, तहसील बलिया के हरिजनों को आवास स्थल का आवंटन

*7—श्री रघुनाथ (जिला बलिया)—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि जनपद बलिया व तहसील बलिया के पीपशार कला ग्राम के भूमिहीन हरिजनों को आवास हेतु 1974 में कितनी भूमि आबंटित की गयी है तथा कितनों को उस पर कब्जा दिलाया गया ह ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

ग्राम पीपशार कलां नाम का कोई ग्राम तहसील बलिया, जनपद बलिया में नहीं है ।

श्री रघुनाथ—

माननीय मंत्री जी क्या बताने की कृपा करेंगे कि जो उत्तर में लिखा गया है कि ग्राम पीपशार कलां ग्राम बलिया जनपद में नहीं है । जो मैंने लिख कर सवाल किया था तो उसको मंगाने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

वह क्यों मंगायेंगे ?

श्री रघुनाथ—

यह नाम पिपशार नहीं है । पिपरा कलां है ।

श्री अध्यक्ष—

यह हमारे और आपके बीच का मामला है ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

पिपरा कलां के नाम से ही प्रश्न कर लें । मैं तैयार हूं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि ग्राम पिपरा कलां में कितने हरिजनों को भूमि आबंटित की गयी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

पिपरा कलां नाम का तहसील बलिया में दो ग्राम हैं एक परगना कोपाचीट पूर्वी में, दूसरा परगना गड़हा में। किस ग्राम को चाहते हैं?

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

दोनों को अलग-अलग बतला दें।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

ग्राम पिपरा कलां, परगना कोपचीट पूर्बी में हरिजनों आदि के परिवारों को आवास की कोई समस्या नहीं थीं। ऐसी दशा में इस ग्राम में आवास हेतु कोई भूमि आबंटित नहीं की गयी है। ग्राम पीपरा कलां, परगना गडहा में हरिजनों आदि के परिवारों के कुल 89 परिवारों को 3.50 एकड़ भूमि आवास हेतु आबंटित की गयी है। इनमें से 74 परिवारों के लिये आबंटित भूमि का सीमांकन करके सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को कब्जा दिया गया है। शेष 15 परिवारों केलिये आबंटित भूमि पर अन्य ब्यक्तियों का अवैध रूप से कब्जा है, जिसकी बेदखली के लिये उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि ब्यवस्था नियमावली की धारा 115–सी के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है। बेदखली के पश्चात् इन 15 परिवारों को कब्जा दिला दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

अब जो स्थित है वह यह है कि मैंने रिकार्ड को मंगाकर देखा। आपने अपने प्रश्न में पिपशार ही लिखा है। हमारे विभाग की कोई गल्ती नहीं है। ऐसा मुझे लगा कि विभाग ने शायद भूल की हो लेकिन यह माननीय सदस्य की भूल है।

श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

मान्यवर, हरिजनों को पट्टों की समस्या सारे प्रदेश की है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बहुत से जिलाधिकारियों ने रिपर्टि दे दी कि कब्जा दे दिया लेकिन वास्तव में दिया नहीं गया। क्या शासन की ओर से कोई व्यवस्था होगी जिससे वह निश्चित किया जा सके कि लोगों को कब्जा मिला या नहीं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, कब्जा दिलाने के लिये बराबर आदेश है। यह तो नहीं कहा जा सकता कि सेन्ट परसेन्ट कब्जे मिल गये होंगे। हां, जहां से कोई शिकायत आती है तो उसकी रोशनी में कार्यवाही की जाती है। जो कब्जा दिला दिया जाता है, वही पूर्ण माना जाता है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

जिन हरिजनों को यह भूमि आवंटित की गयी और जिनके ऊपर नाजायज कब्जे हैं उनकी सूचना सरकार को कब मिली और उनको बेदखल करने में क्या कठिनाई हो रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

हरिजनों ने भूमि पर अपने आवास नहीं बनाये और इसी बीच अवैध कब्जे हो गये। उनके विरुद्ध 115–सी की कार्यवाही की जा रही है। किस तारीख को यह हुए, इसकी सूचना नहीं है।

श्री देव कुमार यादव—

शासन की ओर से एक समाचार प्रसारित हुआ था जिसका जनता ने स्वागत किया। उसमें यह था कि कुछ-कुछ जिले कैबिनट मिनिस्टर्स के जिम्मे कर दिये हैं.....

श्री अध्यक्ष—

यह इससे सम्बन्धित नहीं है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

यह प्रश्न 14-3-75 को हुआ था और साल भर हो गया। मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि साल भर के समय के बाद भी यह नाजायज कब्जे क्यों नहीं हट पाये ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, अभी उसकी सूचना नहीं है।

ग्राम सभा जुरौडा, जिला बाराबंकी की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*8—श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

क्या शासन को ज्ञात है कि ग्राम सभा जुडौरा, परगना रामनगर, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी में प्रधान के अवैध रूप से ग्राम समाज की जमीन उठाने व फायदा लेने के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र गांव के निवासियों के साथ प्रश्नकर्ता के संलग्न पत्र के साथ जिलाधिकारी, बाराबंकी को 1 मार्च, 1975 को दिया गया ? यदि हां, तो उसमें क्या आरोप है और उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

दिनांक 1-3-75 को नहीं वरन् 28 फरवरी, 1975 को जिला कार्यालय में एक शिकायती पत्र श्री जगतराज सिंह तथा अन्य निवासीगण, ग्राम जुरौडा, परगना रामनगर, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी का प्राप्त हुआ था जिसमें यह शिकायत की गयी थी कि प्रधान ने गांव सभा भूमि मनचाहे काश्तकारों द्वारा जुतवा ली है, हरिजनों को नही दी है, बिना गांव सभा प्रस्ताव के ही इन काश्तकारों को भूमि पट्टे पर देने का वादा रिश्वत लेकर कर दिया है एवं भ्रष्टाचार किया है।

इस शिकायत पर जांच की गयी और गांव सभा भूमि पर कुछ लोगों को अवैधानिक कब्जे पाये गये तथा प्रधान को इसकी सूचना न देने का दोषी पाया गया।

अतः अवैध कब्जादारों के विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही एवं प्रधान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गयी है।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह—

मान्यवर, यह शिकायत है कि 28 फरवरी, 1975 और आज जो उत्तर दिये जा रहे हैं, उस बारे में मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं जब कि भूमि आवंटन का मामला बड़ी तेजी से चल रहा है, प्रधान दोषी पाया गया है, कब्जा देने का ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि अभी तक यह कब्जा क्यों नहीं हटाया गया और तत्काल ही भूमि प्रबंधक समिति क्यों नहीं सस्पेंड कर दी गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य को यह तो ज्ञात ही होगा कि प्रधान जो कि चुना हुआ होता है, उससे खाता रखवाने में क्या-क्या कार्यवाही होती ह। लेकिन इस विषय में कार्यवाही चल रही है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मंत्री जी कहते हैं कि बस्ता रखवाने में बड़ी कार्यवाही करनी पड़ती है। साल भर तो हो गया है। 20 सूत्री कार्यक्रम चल रहा है और इतने विलम्ब का कारण कुछ समझ में नहीं आता है। क्या-क्या कार्यवाहियां की जाती हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय सदस्य स्वयं ही उसकी जानकारी कर सकते हैं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

आप कृपया उन कार्यवाहियों को गिना दें कि क्या-क्या कार्यवाहियां करनी पड़ती हैं। साल भर तो हो गया है और कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

माननीय सदस्य ऐक्ट को पढ़ लें जिसमें सारा हवाला दिया हुआ है।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)--

जमींदारी उन्मूलन के सम्बन्ध में आपने पिछले सत्र में संशोधन करवाया था कि जो ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा पाया जायगा उसको बल पूर्वक हटा दिया जायगा। इसमें कौन सा बल प्रयोग करवाया गया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

इसके लिये शासन से बराबर आदेश जा रहे हैं कि जो इस प्रकार का अवैध कब्जा है या कब्जे को जो प्रश्रय देता है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय। इस केस का पूरा विवरण मैं मांग लूंगा और उसका पूरा विवरण यहां उपलब्ध नहीं है।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हाकिम तहसील से लेकर लेखपाल तक जो रेवेन्यू का स्टाफ है जिसकी पूरी जिम्मेदारी है, तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

प्रश्न तो यह था कि प्रधान के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई और लेखपाल के खिलाफ के बारे में नहीं था और उसकी सूचना भी नहीं है।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

डर तो यह है कि पूरे हाकिम तहसील से लेकर रेवेन्यू स्टाफ के तहसीलदार और लेखपाल तक सारे मामले की जांच करते हैं और उन्ही की वजह से कब्जा कायम होता है। सारे स्टाफ का इसमें हाथ है। ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ पूरी जांच करने और भूमि प्रबन्धक समिति को भंग करने के लिये मंत्री जी क्या आदेश देंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

इसके आदेश आज ही भिजवा दूंगा और अगर गलत पाया जायगा तो दोनों के खिलाफ ऐक्शन लिया जायगा।

*9--श्री हरीशचन्द्र खंडेलवाल--

[2रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 पर स्थानान्तरित।]

बाराबंकी जिले की माल की अदालत में अनिस्तारित मुकदमें

*10--श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

क्या शासन को ज्ञात है कि बाराबंकी जनपद में 4 परगनाधीशों की माल की अदालत में माल के हजारों मुकदमें 10-10 साल पुराने पड़े हैं जिसके कारण जनता में व्यापक असंतोष है ? यदि हां, तो शासन इनका जल्द निर्णय कराने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जनपद बराबंकी के किसी परगनाधीश के माल अदालत में 10 वर्ष या उससे अधिक समय का कोई वाद अनिस्तारित नहीं है।

शेष प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह--

बाराबंकी के परगनाधीशों के पास माल के कुल कितने मुकदमें पेंडिंग हैं और सबसे पुराने कितने वर्षों के हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

इस जनपद में चार परगनाधीश हैं। कुल 1171 मुकदमें ऐसे पड़े हैं जिनका निस्तारण नहीं हुआ है। उनमें से 6 मास के 365, एक साल से ऊपर के 35 और तीन साल के ऊपर 3 हैं और 8 साल के अन्दर के केसेज 6 हैं और कोई भी मुकदमा 10 साल के ऊपर का नहीं है।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

आम तौर से होता यह है कि केसेज का नम्बर बदलने के लिये डिसमिसल तथा डिफाल्ट की कार्यवाही करके कोर्ट में नया नम्बर डाल देती हैं। इस तरह से 1 हजार मुकदमें माल के पड़े रहना कोई मामूली बात नहीं है। सारे परगनाधिकारी सेविंग्स स्कीम्स, परिवार नियोजन, भूमि आवंटन में लगे हुए हैं। तो क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था करेगी जिससे माल के मुकदमें जल्दी से जल्दी निबटाये जा सकें ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

6 महीने के केसेज सबसे ज्यादा हैं। अगर कोई परगनाधिकारी नम्बर बदल दिया करते हैं और माननीय सदस्य लिख कर देंगे, तो मैं उसे देखूंगा। 8 साल तक के कुल केसेज 4, 5 हैं। हो सकता है, कोई रिमांड केस हुआ हो, जिसका विवरण मेरे पास नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

जो परगनाधिकारी हैं, उनके ऊपर ज्यादा भार परिवार नियोजन तथा स्माल सेविंग्स का है और जुडीशियल आफिसर्स रेवेन्यू के केसेज का काम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे माल के मुकदमें बढ़ते जा रहे हैं। इनको निबटाने के लिये सरकार क्या कर रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

ऐसी कोई सूचना मेरे पास नहीं है। माल का काम हो रहा है और न उन पर कोई ऐसा बर्डन है।

तहसील चकराता, जिला देहरादून के अन्तर्गत ग्रामीण जंगल एवं हरिजनों की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*11--श्री सत्यपाल मलिक (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देहरादून जिले की चकराता तहसील के अन्तर्गत कुछ व्यक्तियों द्वारा ग्रामीण जंगल की भूमि तथा हरिजनों की भूमि पर नाजायज कब्जा करने के सम्बन्ध में वहां के एस0 डी0 एम0 ने कोई रिपोर्ट अभी हाल में दी है ? यदि हां, तो क्या, और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या पहले एस0 डी0 एम0 ने भी कोई रिपोर्ट दी थी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जी हां, चकराता के परगनाधिकारी ने इस सम्बन्ध में जांच करके एक रिपोर्ट दिनांक 6-2-1975 जिलाधिकारी, देहरादून को दी थी। इसके पूर्व भी इस विषय पर एक रिपोर्ट दिनांक 9-9-74 को चकराता के तत्कालीन परगनाधिकारी द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून को दी गयी थी। एस0 डी0 एम0 की पहली रिपोर्ट में शिकायतें पूर्ण रूप से सही नहीं पायी गयी थी। इस संबंध में और जांच कराने के आदेश दिये गये हैं।

कासगंज व अलीगंज, एटा में ओला से पीड़ितों को दी गयी सहायता

*12--श्री प्यारे लाल वर्मा (जिला एटा)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में तहसील कासगंज तथा तहसील अलीगंज में एक-एक किलों का ओला पड़ा है और रबी की फसल मटर, गेहूं, चना, सरसों, तम्बाकू आदि का 70 प्रतिशत नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो वहां के किसानों को सरकार क्या सुविधा देने जा रही है ? क्या जिलाधिकारी ने ऐसी कोई रिपोर्ट दी है जिससे सरकार को जानकारी हो गयी कि कितने ग्रामों में कितना-कितना नुकसान हुआ है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

माह फरवरी तथा मार्च, 1975 में जनपद एटा की तहसील कासगंज में लगभग 15-15 ग्राम तक के वजन के तथा तहसील अलीगंज में लगभग 100-100 ग्राम तक के वजन के ओले पड़े थे जिसके फलस्वरूप तहसील कासगंज के 166 ग्राम तथा तहसील अलीगंज के 162 ग्राम प्रभावित हुए थे।

तहसील कासगंज में रबी की फसलों को 50 प्रतिशत से कम हानि हुई थी व तहसील अलीगंज के कुल 68 ग्रामों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुंची थी।

ओला पीड़ितों को राहत देने के लिये तहसील अलीगंज में 50,000 रु0 निःशुल्क सहायता तथा 3,18,575 रु0 आपदा तकावी के रूप में वितरित किया गया। पीड़ित कृषकों को जायद की बुवाई हेतु बीज का भी वितरण किया गया।

रबी की फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुंचने वाले ग्रामों में राजस्व देयों की वसूली स्थगित की गई तथा गल्ला लेवी में छूट दे दी गई।

उक्त ओलावृष्टि से हुई हानि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, एटा ने अपने रेडियोग्राम दिनांक 8-3-75 द्वारा शासन को सूचना भेजी थी।

श्री प्यारे लाल वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जब ओले पड़े तो उसके कितने दिनों के बाद डी0 एम0 ने उन ओलों को तौला? कितने दिनों के बाद डी0एम0 को सूचना मिली?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, 8 मार्च, 1975 को जिलाधिकारी को रेडियोग्राम द्वारा सूचना दी गई थी। जब तौले गये तो पता चला 15 ग्राम से 100 ग्राम के ओले पड़े हैं।

श्री प्यारे लाल वर्मा--

मान्यवर, यह ओला पानी का पत्थर होता है और इनको जो सूचना मिली वह दूसरे या तीसरे दिन मिली जब कि इनका वजन कम हो जाता है। मान्यवर, यह पानी का बबूला होता है, जो चू-चू कर थोड़ा रह जाता है। आप यह बता दें कि कितने ग्रामों में ओले पड़े?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

श्रीमन्, यह तो उत्तर में ही लिखा हुआ है कि 15 से लेकर 100 ग्राम तक के ओले पड़े हैं। शासन के लोग वहां पर थे। उन्होंने रिपोर्ट दी है.....

श्री प्यारे लाल वर्मा--

कितने ग्रामों में ओले पड़े हैं?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, तहसील कासगंज में 166 गांव और अलीगंज में 162 गांव प्रभावित हुये।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

माननीय मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में कहा है कि इस तहसील में इतने गांवों की 50 प्रतिशत से अधिक फसल की क्षति हुई है और लगान स्थगित कर दिया गया था तो क्या आप इन गांवों में जहां की 50 प्रतिशत से अधिक फसल नष्ट हुई है उनको लगान से मुक्त करेंगे?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

इसका विचार नहीं, स्थगित किया गया है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मालूम होता है कि अलीगंज तहसील में काफी ओला पड़ा और कासगंज में नहीं पड़ा। मुझे लगता है कि यह रिपोर्ट गलत है कि 166 गांव यहां और 162 गांव वहां प्रभावित हुये हैं। तो क्या मंत्री जी पुनः इसकी इन्क्वायरी करायेंगे और उनको राहत दिलायेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

कोई जांच की आवश्यकता नहीं है।

पीलीभीत जिले के ग्राम लग्गा भग्गा और भूरा गोरखडिब्बी में वन विभाग की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*14—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पीलीभीत के पूरनपुर तहसील के ग्राम लगभगा और गोरख डिब्बी में वन विभाग है उस पर कितने लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है और इस भूमि को खाली कराने की क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या कुछ भूमि शारदा नदी के घेरे में भी है जिस पर अनधिकृत कब्जा हो गया है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जिला पीलीभीत के पूरनपुर तहसील के ग्राम लग्गा भग्गा और भूरा गोरखडिब्बी (न कि गोरखडिब्बों) म वन विभाग की कुल 2539 हेक्टर भूमि है। कुछ लोगों द्वारा उक्त भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास किया गया था परन्तु पुलिस की सहायता से उसे हटा दिया गया।

जी नहीं।

श्री श्रीनारायण—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न फिर से करें।

श्री श्रीनारायण—

मैंने पूछा था कि कितने लोगों का अवैध कब्जा है, उसे बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आपने पूछा है कि ग्राम लगभगा और गोरख डिब्बी में वन विभाग है, उस पर कितने लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है ?

श्री श्रीनारायण—

कितने लोगों का कितने दिनों से कब्जा था ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जो वहां पर कब्जा हुआ उसमें बाहर से लोगों को लाकर बसा दिया करते थे, उनके नाम तो नहीं हैं लेकिन एक व्यक्ति जो, श्री विनोदानंद थे वह लोगों को लाकर बसा देते थे। इसलिये कुछ लोग आकर वहां बस गये जिनको हटा दिया जाता था। इस तरह से दो तीन लोग बाहर से आकर बस गये उनको हटा दिया गया। अब वहां पर कोई आबादी नहीं है और नही कोई बसा है।

श्री श्रीनारायण—

आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कितने दफे उनका कब्जा हुआ ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

दो दफ ऐसा हुआ एक तो जून में और एक दफा उसके कुछ महीने पहले। लेकिन जनवरी, 1976 में वह लोग हटा दिये गये। बीच-बीच में वह आते रहे और हटाये जाते रहे।

श्री श्रीनारायण—

मान्यवर, मुझको जो सूचना मिली है, उसमें गरीब लोग और बनवासी लोग थे; जिनका जमींदारी एबोलीशन से पहले का कब्जा था, इधर आपात्स्थिति के कारण पुलिस के द्वारा उन लोगों को भगा दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

यह आपको सूचना है, हो सकता है सरकार के पास यह सूचना न हो।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, वह जो कह रहे हैं कि उनके पास जानकारी है, कुछ लोग वहां पर बसें हों और उनको हटा दिया गया हो, क्योंकि आपातस्थिति के कारण वह कुछ नहीं कर पाये। क्या वह बता सकते हैं उनके राइट वहां इस्टैब्लिश थे या नहीं, कब से वह रहते थे? वह छोटी-छोटी जाति के लोग थे, एक दम से उनको हटा दिया गया। तो मैं मंत्री जी से पूछन चाहता हूं कि अगर उनके राइट इस्टैब्लिश हो गये थे तो कम से कम उनको रहने के लिये वन विभाग की ओर से जमीन मिलनी चाहिये थी इसलिये मैं मंत्री जी से कहना चाहत हूं.....।

श्री अध्यक्ष—

कहने के लिये नहीं, आप सवाल करें।

श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या वह इस बात को देखेंगे कि अगर वे वहां इस्टैब्लिश हुए थे, तो कैसे उनको उजाड़ा गया?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

वहां पर इस्टैब्लिश कोई नहीं थे। बाहर के लोग थे, उनकी सूची मेरे पास नहीं है।

श्री श्रीनारायण—

क्या शारदा नहर के घेरे में भी कोई भूमि है?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी नहीं।

लखीमपुर खीरी जिले में श्री टी० पी० मल्ला के कृष्णा नगर फार्म की अतिरिक्त भूमि का वन विभाग को स्थनान्तरण

*14—श्री राम सजीवन (जिला बांदा) तथा श्री ऊदल—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखीमपुर खीरी जिले में टी0 पी0 मल्ला के कृष्णनगर फार्म की 446.94 एकड़ भूमि जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत नियत अधिकारी द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 1963 को अतिरिक्त भूमि घोषित कर दी गयी थी? भूमिहीनों में न वितरित करके शासनादेश, दिनांक 6 मई 1968 के अनुसार वन विभाग को दे दी गयी थी? यदि हां, तो क्या इस भूमि पर वन विभाग ने पूर्ण रूपेण कब्जा कर लिया था? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

लखीमपुर खीरी जिले में श्री टी0पी0 मल्ला के कृष्णनगर फार्म की 446.94 एकड़ भूमि अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत 27-4-63 को अतिरिक्त भूमि घोषित कर दी गई थी तथा शासनादेश दिनांक 6-5-68 के अनुसार उक्त भूमि के वन

विभाग को हस्तांतरण करने के आदेश हुए। तद्परान्त भूमि विभाग को सौंप दी गयी और उसके कब्जे में है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

वन विभाग ने जिस पर कब्जा किया उसमें कोई वन भी लगाये है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं देता। आप मेरी तरफ भी देखने की कृपा करें।

श्री ऊदल—

मान्यवर, यह सवाल माल मन्त्री जी का था और वन मन्त्री जवाब दे रहे हैं। इसको 1968 में वन विभाग को हस्तान्तरण के आदेश हुए और पिछले साल 1975 तक यह हस्तांरित नहीं हुई, कागज में तो हो गई, लेकिन जमीन तो भल्ला के ही कब्जे में रही, क्या यह बात सही है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जी हां, यह सही है।

श्री ऊदल—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सन् 1966 का भी सीलिंग ऐक्ट था, जिसके अनुसार कितनी भूमि अतिरिक्त घोषित की गई ? और बाद में सन् 1973 में सीलिंग ऐक्ट में संशोधन किया गया, उसके अनुसार उसके अलावा कितनी भूमि अतिरिक्त घोषित हुई है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

जैसा कि मैंने उत्तर में बताया हमारे पास 446.94 एकड़ भूमि है, इतनी भूमि सिर्फ राजस्व विभाग से हस्तान्तरित हुई। अब यह कब हुई और कितनी हुई, इसकी जानकारी आप राजस्व विभाग से कर लें, तो पूरा डिटेल मालूम हो जाएगा।

श्री ऊदल—

मेरा प्रश्न मन्त्री जी समझे नहीं। वह तो माल विभाग सन् 1968 के आदेश के बाद हस्तान्तरित हो गई तो सन् 1975 तक भल्ला जी ने जो नाजायज तरीके से उस जमीन पर कब्जा रखा था और उस जमीन पर आधुनिक तरीके से खेती करके लाखों मन अनाज पैदा किया, उसके खिलाफ और क्या कार्यवाही की गई ? उसके ऊपर क्या-क्या दण्ड और जुर्माना किया गया ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मैंने ऐसी 446 एकड़ जमीन बताया, इसमें 95.50 एकड़ ऐसी जमीन थी, जिसमें बाद तक कब्जा था। लेकिन अब उसकी भी खाली करा लिया गया है, इस समय केवल 23.50 एकड़ ऐसी जमीन है, जिसमें कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। अब उसको भी खाली कराने का प्रयास हो रहा है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

सन् 1968 में यह हस्तान्तरित हो गई थी वन विभाग को, फिर भी इतने दिनों सन् 1975 तक इस पर जो अनधिकृत कब्जा रहा और उस पर जो उन्होंने कमाई की उसकी वसूली के लिए वन विभाग ने कोई प्रयास किया ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

वह तो उस समय का करेगी जब हस्तान्तरित होगी, पहले का नहीं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी —

जब आपको हस्तान्तरित हो गया, उसके बाद वसूली के बारे में क्या कार्यवाही की गई ?

(व्यवधान)

श्री अजीत प्रताप सिंह--

श्रीमन्, यह जो भूमि हस्तान्तरित हुई, दिनांक 8 दिसम्बर, 1974 तक हमको हुई थी। उसके बाद से तो केवल राजस्व विभाग से लिखा-पढ़ी हम करते रहे। इसका डिमारकेशन नहीं हो पाया था, जो बहुत देर में हुआ है? जब डिमारकेशन हो गया तो पता चला कि यह जमीन वन विभाग की है। हम सेक्शन 6 चला रहे हैं, क्योंकि अब भी पूरी तरह से यह जमीन हमारे कब्जे में नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

इस सिलसिले में मुझे यह कहना है कि मन्त्रि-परिषद् की संयुक्त जिम्मेदारी होती है, आपको सूचना मंगा लेनी चाहिए थी, नहीं तो मैं इस सवाल को स्थगित करता हूं, अब माल मन्त्री जी इसका जवाब देंगे।

(व्यवधान)

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

मन्त्री जी ने यह भी बताया कि जब कब्जे में ली गई या जब वन विभाग को भूमि दे दी गयी तो उन्होंने कब्जा रखने के लिए किन-किन भूमियों पर क्या कार्यवाही की। पेड़ लगाए, कुछ किया या नहीं किया?

श्री अध्यक्ष--

अब तो इसको स्थगित कर दिया। अब क्या कह रहे हैं। यह अगले सप्ताह में आज के दिन आएगा और माननीय राजस्व मन्त्री जी जवाब देंगे।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मैं डिटेल दूंगा। माननीय सदस्य को सन्तुष्ट कर दूंगा।

गोरखपुर जिले के ग्राम बेइली के हरिजनों की भूमि पर नेशनल इन्टर कालेज द्वारा अनधिकृत कब्जा

*15--श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़) तथा श्री जंगबहादुर (जिला आजमगढ़)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गोरखपुर, तहसील बांसगांव, परगना चिल्लूपार के अन्तर्गत ग्राम बेइली के हरिजनों ने अपने उक्त मौजा में स्थित आराजी नं 0162, 163/1 व 163/2 आदि को नेशनल इन्टर कालेज व डिग्री कालेज बाहलगंज, गोरखपुर द्वारा हड़पे जाने के सम्बन्ध में दिनांक 22 नवम्बर, 1974 को प्रार्थना-पत्र दिया था? यदि हां, तो हरिजनों के भूमि के रक्षार्थ अब तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

जिलाधिकारी से सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अध्यक्ष--

कितने साल में देगा, जिलाधिकारी? दिनांक 21 मार्च, 1975 का सवाल है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

कई बार लिखा गया है और फिर जिलाधिकारी को लिखूंगा।

श्री अध्यक्ष--

स्थगित अगले सप्ताह के लिए।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

मान्यवर, इसको स्थगित न करें। यह हमारे जिले का मामला है। जितने बड़े-बड़े लोगों की जमीनें थीं वह छुड़ा ली गयीं हैं। हरिजनों की जमीनें फंस गयी हैं। दूसरे जिले के सदस्य ने प्रश्न दे दिया, अभी तक जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष—

एक मौका मैं देता हूं।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—

सख्ती से कहिए कि जवाब दें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कह दिया कि जवाब दें। तो इसमें सारी बातें हैं।

शाहजहांपुर जिले के वासिल बाकी नवीसों की सत्यनिष्ठा प्रमाणित न होना

*16—श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री रामेश्वर नाथ चौबे (जिला बरेली)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहांपुर जिले के कितने और कौन-कौन बासिल बाकी नवीस और क्लर्क ऐसे थे जिनकी इन्टेग्रिटी सर्टीफिकेट 1966–67 में नहीं दिया गया था तथा इन्क्रीमेन्ट भी रोक दिए गए थे और डिपार्टमेन्ट की जांच भी करायी गयी थी? क्या वह जांच खत्म हुई या नहीं? अगर नहीं, तो इन जांचों की रिपोर्ट्स अभी तक न आने से इन कर्मचारियों की तनख्वाहों और पेन्शन पर जो असर पड़ा उसका जिम्मेदार कौन है? और सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

शाहजहांपुर जिले के दो कर्मचारी सर्वश्री रामेश्वर प्रसाद भटनागर तथा मोहम्मद जलील खां, वासिल बाकी नवीस की वर्ष 1966–67 में सत्य निष्ठा प्रमाणित नहीं की गई थी और फलस्वरूप उनको वार्षिक वेतन वृद्धि भी नहीं दी गई। इनके विरुद्ध कतिपय आरोपों पर विभागीय जांच करायी गई थी। श्री रामेश्वर प्रसाद भटनागर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही समाप्त हो चुकी है और उनके वेतन तथा पेन्शन पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ा है। श्री मोहम्मद जलील खां के विरुद्ध विभागीय जांच की रिपोर्ट प्राप्त होने में विलम्ब हुआ है। इस विलम्ब के कारणों तथा जिम्मेदार व्यक्तियों के सम्बन्ध में जांच की जायगी।

श्री मोहम्मद रफी खां—

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जलील खां को इसी इन्ट्री के कारण कम्पलसरी रिटायर कर दिया गया? क्या इस पर सरकार फिर से विचार करेगी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

उसका रूल अलग है। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं, तो मैं उसको दुबारा देख लूंगा, लेकिन कोई अवैधानिक तरीके से नहीं हुआ है। उसकी विभाग में आवश्यकता नहीं है।

श्री मोहम्मद रफी खां—

इसी इन्ट्री के कारण रिटायर किया गया है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

उनकी इन्ट्रीग्रिटी नहीं प्रमाणित है और तमाम कारण हैं। मैं आपको सन्तुष्ट कर दूंगा।

*17—सरदार कुलतार सिंह—

[मंत्रिपरिषद् में सम्मिलित होने के कारण निरस्त।]

देवरिया जिले में भूख से कथित मृत्यु

*18—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि देवरिया जनपद में नवम्बर, 1974 से 20 मार्च, 1975 तक भूख से कुल कितने लोग मरे हैं तथा सरकार ने ग्रामीण अंचलों में राशन की क्या व्यवस्था की है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

किसी भी व्यक्ति की भूख से मरने की सूचना नहीं है। जिन गांवों में फसल को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई थी, वहां सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से मोटे अनाज के वितरण की व्यवस्था की गई।

मिर्जापुर जिले के ग्राम मगरहा के चकरोडों तथा प्रश्नकर्ता के खेतों पर अनधिकृत कब्जा

*19—श्री ओम प्रकाश सिंह (जिला मिर्जापुर) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री बतायेंगे कि चुनार तहसील (मिर्जापुर) के तहसीलदार को वर्ष 1974 में प्रश्नकर्ता एवं अन्य लोगों की ग्राम मगरहा में चक रोडों के अतिक्रमण व स्थान निर्धारण तथा प्रश्नकर्ता के खेतों पर अतिक्रमण सम्बन्धी कितनी शिकायतें प्राप्त हुयीं ? इस सम्बन्ध में अधिकारियों ने क्या रिपोर्ट दी और अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या प्रश्नकर्ता की शिकायत सम्बन्धी अधिकारी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इस सम्बन्ध में 2 शिकायतें प्राप्त हुयी थीं।

श्री ओम प्रकाश सिंह, विधायक ने वर्ष 1974 में चकरोडों के अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में श्री बुधराम पुत्र महंगू हरिजन की शिकायत की थी। जांच से पता चला कि हरिजनों ने बाढ़ से अपनी आबादी की सुरक्षा हेतु बहुत पहले से ही अपने दरवाजे पर मिट्टी पाट कर ऊंचा किया था और कोई ऐसा निर्माण नहीं किया था जिससे रास्ता अवरुद्ध हो जाय।

मगरहा से सटा मौजा चचलिया में अपने खेतों पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में विधायक ने दूसरा शिकायती-पत्र दिया था। विवादित भूखंड का रकबा (भू-चित्र) नक्शे में 1 बीघा 18 विस्वा 9 धुर है तथा खतौनी के अनुसार उसका रकबा 2 बीघा 13 धुर है। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि का रकबा नक्शे में 2 विस्वा 4 धुर कम है। नक्शा दुरुस्त कराने के पश्चात् कथित अतिक्रमण की गई भूमि वापस कराई जा सकती है। विधायक को तहसीलदार, चुनार के न्यायालय में अवगत करा दिया गया था।

वन विभाग द्वारा डाक्यूमेन्ट्री व वन शोभा की सिनेमा फिल्में बनाने हेतु क्रय किये गये संयंत्र

*20—श्री इन्द्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके विभाग में कई लाख रुपए के खरीदे हुए ऐसे संयन्त्र बेकार पड़े हैं जिनकी खरीद डाक्यूमेन्टरी तथा अन्य वन शोभा की सिनेमा फिल्में बनाने के लिये की गयी थी ? यदि हां, तो इन संयन्त्रों का सदुपयोग न होने का क्या कारण है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

यह कहना सही नहीं है कि वन विभाग में कई लाख रुपए के खरीदे हुए ऐसे संयन्त्र, जिनकी खरीद डाक्यूमेन्टरी तथा वन शोभा की सिनेमा फिल्में बनाने के लिए की गई थी, बेकार बिना किसी प्रयोजन के पड़े हुए हैं। वन विभाग में सिनेमा फिल्में बनाने के लिए निम्नलिखित संयन्त्र हैं :—

(1)	पैलार्ड बोलक्स कैमरा 16 मि0मि0	.. एक
(2)	16 मि0 मि0 फिल्म एडीटर	.. एक
(3)	सिने कैमरा 16 मि0 मि0	.. दो
(4)	सिनेकोडक कैमरा 8 मि0 मि0	.. एक

उपरोक्त संयन्त्रों में से क्रम संख्या 1, 2 तथा 3 पर उल्लिखित संयत्र प्रयोग में आ रहे हैं। क्रम संख्या 4 पर दिए गए सिनेकोडक 8 मि0 मि0 कैमरे का प्रयोग इसका प्रोजेक्टर उपलब्ध न होने के कारण नहीं हो पा रहा है।

परगना खेड़ा-बझेड़ा, जिला शाहजहांपुर के कतिपय ग्रामों की हदबन्दी व सर्वेक्षण

*21—श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला शाहजहांपुर, परगना खेड़ा-बझेड़ा में रामगंगा के किनारे के ग्रामों डमौरा, सरसवां, लोहरगड़ी (गैर आबाद) नगरा देहा एतमाली की काश्त जो दरिया बुर्द पड़ी है उसकी हदबन्दी तथा पैमाइश की कार्यवाही चल रही है तथा कब से ? और कब तक इस पैमाइश के पूरी हो जाने की सम्भावना है ? क्या सरकार शीघ्र इस कार्य को पूरा कराने के निश्चित आदेश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

ग्राम सरसवां, लोहरगड़ी व नगरा देहा एतमाली में सीमा विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण अब यह निर्णय लिया गया है कि विवाद के निपटारे हेतु सर्वेक्षण तथा अभिलेख क्रियाएं करायी जायं। यह कार्य आगामी वित्तीय वर्ष 1976-77 में किया जाना प्रस्तावित है। ग्राम डमोरा के सम्बन्ध में ऐसी कोई कार्यवाही नहीं चल रही है।

*22—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[2रे मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

लखीमपुर जिले में सीलिंग से निकली जमीन पर अनधिकृत कब्जा हटाने की कार्यवाही

*23—श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 मार्च, 1975 को जिला लखीमपुर में सीलिंग से निकली जमीन अलग-अलग तहसीलों में कितनी है ? क्या यह भी सही है कि निघासन तहसील में लगभग 20 हजार एकड़ सरकारी जमीन पर अवैधानिक कब्जा है ? यदि हां, तो सरकार ने उनको हटाने की क्या व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिला लखीमपुर में दिनांक 1 मार्च, 1975 को सीलिंग से निकली जमीन अलग-अलग तहसीलों में निम्न प्रकार थी :—

नाम तहसील		पुरानी सीलिंग एकड़	नयी सीलिंग एकड़
लखीमपुर	..	10,161.62	4,759.630
मोहमदी	..	1,802.76	2,321.537
निघासन	..	30,108.45	7,278.872

निघासन तहसील में लगभग 16,331 एकड़ भूमि पर अवैधानिक कब्जा था इसमें 12,384 एकड़ भूमि पुरानी सीलिंग की थी एवं 3,947 एकड़ भूमि गांव सभा की थी।

अवैधानिक कब्जों को हटाने हेतु सक्षम न्यायालयों में बेदखली की वैधानिक कार्यवाही की गयी थी अब उपरोक्त अवैधानिक कब्जे हटा दिए गए हैं।

श्री मंजूर अहमद—

जिन लोगों ने नाजायज कब्जे कर रखे हैं उनके नाम क्या-क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह ब्यौरे का प्रश्न है।

श्री मंजूर अहमद—

मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ऐसे कब्जे कर रखे हैं, उनके खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

बेदखली दायर कर दी गई है। जो लिस्ट है वह बहुत लम्बी है, जिसे माननीय सदस्य भी नहीं पढ़ सकते।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

अगर ये इतने 12–13 हजार एकड़ जमीन पर नाजायज कब्जे हुए हैं तो माल विभाग के अधिकारियों की जानकारी के बिना नहीं हो सकते हैं। तो क्या सम्बन्धित लेखपालों और तहसीलदारों के खिलाफ भी कोई कार्यवाही की गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए विभाग को एक नोट गया हुआ है जहां पर कार्यवाही हो रही है।

श्री हुकम सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

इतने बड़े भू-खंड पर कई वर्षों तक नाजायज कब्जा रहा। तो क्या माननीय माल मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि कब्जा करने वालों पर जुर्माना किया गया तो कितना धन उनसे वसूल किया गया ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्रीमन्, इसकी सूचना तो नहीं है।

श्री मंजूर अहमद—

मान्यवर, यह प्रश्न 4 महीने पहले का है, आज का नहीं है, मैं यह जानना चाहूंगा कि यह इतना बड़ा कांड है, जिसमें करोड़ों रुपए की सम्पत्ति पर नाजायज तरीके से वहां के शक्तिशाली लोगों ने कब्जा कर रखा था, अधिकारियों से मिल कर, तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने के आदेश प्रसारित करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इस मामले में कार्यवाही चल रही है। माननीय सदस्य को मालूम होगा कि वहां पर पी0ए0सी0 मुकर्रर करके अवैधानिक कब्जे हटवाये गये हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं, जो वैधानिक हैं, उनमें ऐक्शन लेने में देर हो जाती है। जैसे किसी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने में समय लगता है।

ग्राम गोविन्दपुर, जिला शाहजहांपुर का बहगुल नदी से कटाव

*24—श्री राम मूर्ति (जिला बरेली)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के परगना खेड़ाबझेड़ा के ग्राम गोविन्दपुर के हरिजनों के 17 मकान गतवर्ष बहगुल नदी की बाढ़ से कट गए थे और उनके बसने की व्यवस्था आजतक नहीं हो सकी ? यदि हां, तो ऐसा क्यों और निकट भविष्य में सरकार इन गरीब हरिजनों को बसाने की क्या व्यवस्था करेगी ? क्या यह भी सही है कि दिसम्बर, 1974 में इन हरिजनों ने राजस्व मन्त्री को अपनी दुर्दशा के सम्बन्ध में तार व प्रार्थना-पत्र भेज कर अवगत कराया था ? उस पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ? कब तक होगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिला शाहजहांपुर वर्ष 1974 में बाढ़ से प्रभावित नहीं रहा और न ही किसी प्रकार की उससे क्षति हुई। वर्ष 1972 में ग्राम गोविन्दपुर के हरिजनों के मकान जो बहगुल नदी के किनारे पर थे, नदी की बाढ़ से कट गए थे और आंशिक रूप से प्रभावित हुए थे। प्रभावित लोगों को अन्यत्र बसाने हेतु गृह का आबंटन भी मौके पर कर दिया गया था परन्तु किसी ने भी नए स्थल पर अपने मकान नहीं बनाए। दिसम्बर, 1974 में ग्राम गोविन्दपुर के कुछ जाटवों का तार मिला था जिसकी जांच करायी गयी थी और जांच से यह मालूम हुआ कि ये लोग नए स्थल पर जाना नहीं चाहते हैं।

श्री राम मूर्ति—

माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि इस बात का पता लगाया गया कि क्यों नहीं जाना चाहते ? क्या किसी का दबाव है या जो जमीनें दी गयी हैं, वह ब? मजबूत लोगों की हैं, जो उनको धमकाते हैं। आखिर कोई न कोई बात तो जरूर होगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह तो जो माननीय सदस्य ने पूछा था वह बताया। अब आप कह रहे हैं तो दोबारा पता लगा लेंगे उन्हीं हरिजनों से कि क्यों नहीं जाना चाहते हैं। उसकी सूचना दे दूंगा।

जिला फर्रुखाबाद के ब्लाक कमालगंज व कायमगंज में ओलावृष्टि

*25—श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फर्रुखाबाद में कमालगंज ब्लाक व कायमगंज ब्लाक में अभी हाल ही में हुए ओला वृष्टि से कितने का नुकसान हुआ और सरक र जिन लोगों का ओले से नुकसान हुआ है उनकी सहायता के लिये क्या कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिला फर्रुखाबाद के ब्लाक कायमगंज तथा कमालगंज में क्रमशः दिनांक 24 मार्च, 1975 तथा दिनांक 25 मार्च, 1975 को हुई ओलावृष्टि के कारण कायमगंज ब्लाक के एक ग्राम को 2,170 रु0 तथा कमालगंज ब्लाक के 5 ग्रामों को 53,100 रु0 की अनुमानित क्षति हुई थी।

उक्त ग्रामों में फसलों की हानि केवल 20 प्रतिशत तक हुई थी। अतः नियमानुसार किसी प्रकार की राजकीय सहायता देने की आवश्यकता नहीं पाई गई।

श्री अनवार जमील—

जिन 5 ग्रामों में क्षति हुई, उनके क्या नाम हैं और कितने रकबे में क्षति हुई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

नामों की सूचना तो मेरे पास नहीं है।

श्री अनवार जमील—

नाम नहीं मालूम है तो यही बता दें कि उन गांवों में कितने रकबे में क्षति हुई है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसकी भी, श्रीमन्, सूचना नहीं है।

श्री अनवार जमील—

तो मैं जानना चाहता हूं कि यह जो हानि बतायी गयी है कि 20 प्रतिशत से कम हुई, इसका मतलब है कि यह आंकड़े बिल्कुल गलत दिए गए हैं। वहां पर लाखों रुपये की हानि हुई है।

श्री अध्यक्ष—

हो सकता है कि लाखों का नुकसान हुआ हो, लेकिन 20 फीसदी से कम हो।

श्री अनवार जमील—

यही तो मैं बता रहा हूं कि माननीय मन्त्री जी को गलत सूचना भेजी गयी है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

ऐसा तो नहीं कहा जा सकता। जिलाधिकारी क्यों गलत सूचना देगा। वह तो शासन से रुपया मांगता है।

श्री अनवार जमील—

मैं वहां का विधायक हूं। आप फिर से सूचना मंगाने की कृपा करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

माननीय सदस्य चाहते हैं कि दोबारा जांच करा लूं, तो दोबारा करा लूंगा।

तहसील हसनगंज, उन्नाव में खाद, बीज, तकावी आदि सरकारी देयों की वसूली

*26—श्री मोती लाल देहलवी (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव में खाद, बीज, तकावी, विकास कर, लगान, सिंचाई आदि का काफी रुपया वसूल करने को पड़ा है ? यदि हां, तो यह रुपया कब से बकाया है और तकावी के 5,000 रुपये या उससे ऊपर कितने बकाएदार हैं ? उनके नाम व पते क्या हैं और इसकी वसूलयाबी के सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव में खाद, बीज, तकावी, लगान, सिंचाई ऐक्ट 12 व 19 का कोई धन दिनांक 30 सितम्बर, 1975 तक वसूली हेतु अवशेष नहीं रहा। भूमि विकास कर की मद में दिनांक 30 दिसम्बर, 1975 को रु0 60,395.12 पै0 वसूली हेतु अवशेष था। भूमि विकास कर की मद में वसूली हेतु अवशेष धनराशि रबी 1382 फसली का है। प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखंड वन प्रभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*27—श्री रघुनाथ सिंह (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1 अक्तूबर, 1973 से लेकर 31 दिसम्बर, 1974 तक सरकार को जिला प्रभागीय तथा प्रान्तीय स्तर पर बुन्देलखंड वन प्रभाग झांसी के डी0 एफ0 ओ0 (श्री जगत नारायण), एस0 डी0ओ0 फारेस्ट (श्री जयंती प्रसाद) तथा इनके अधीनस्थ काम करने वाले रेंज अधिकारियों के विरुद्ध कौन-कौन सी शिकायतें प्राप्त हुयीं हैं ? सरकार ने भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

बुन्देलखंड वन प्रभाग के डी0 एफ0 ओ0 (श्री जगत नारायण), एस0 डी0ओ0 फारेस्ट (श्री जयन्ती प्रसाद) तथा इनके अधीनस्थ काम करने वाले रेंज अधिकारियों के विरुद्ध 1 अक्तूबर, 1973 से लेकर 31 दिसम्बर, 1974 तक सरकार को जिला तथा प्रान्तीय स्तर पर कुल 14 शिकायतें प्राप्त हुयीं, जिनमें विभागीय जांच के आदेश दिए गए। जांच के उपरान्त 10 शिकायतें निराधार पाई गईं।

एक शिकायत के सम्बन्ध में, जो मुख्यत: वर्ष 1974–75 के नीलाम में घटित अनियमितताओं के सम्बन्ध में थी, उच्च न्यायालय में 4 रिटें दाखिल हो गयीं हैं। इस स्टेज पर यह मामला subjudice है। शेष 3 शिकायतों के सम्बन्ध में अभी जांच जारी है।

उत्तर प्रदेश में विलीनीकृत रियासतों की भूमि की मालगुजारी की दरें

*28—श्री रणजीत सिंह "जूदेव" (जिला झांसी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य में विलीनीकृत देशी रियासतों की भूमि पर अभी तक वही मालगुजारी पड़ रही है जो कि विलीनीकरण के पहले बंधी हुयी थी और जो राज्य द्वारा निर्धारित रेट से कई गुना अधिक है, जिसके कारण विलीनीकृत क्षेत्र के काश्तकारों में बड़ा क्षोभ तथा असंतोष व्याप्त है। यदि हां, तो क्या सरकार इस असमानता को दूर करने के उद्देश्य से इन क्षेत्रों का बन्दोवस्त करा के राज्य के अन्य क्षेत्रों में प्रचलित दरों पर ही यहां भी मालगुजारी बांधने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, यह सही है कि उत्तर प्रदेश राज्य में विलीन हुई देशी रियासतों के क्षेत्र में मालगुजारी की दरें, जो रियासतों के जमाने में निर्धारित की गई थीं, समीपवर्ती उन क्षेत्रों में लागू दरों से अधिक हैं, जो क्षेत्र पहले से ही उत्तर प्रदेश का भाग रहे हैं। इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए भूतपूर्व रामपुर रियासत के क्षेत्र में खातेदारों द्वारा देय अधिकतम मालगुजारी की धनराशि स्वीकृत मोरूसी दर के 125 प्रतिशत के बराबर निर्धारित की गई। भूतपूर्व टेहरी-गढ़वाल रियासत के क्षेत्र में जिन ग्रामों में विलेज रेट 2 रुपए प्रति जरब बीसी (अर्थात् लगभग एक एकड़) से अधिक था उनके रेट में उतनी कमी की गई है जितनी दो रुपया से अधिक धनराशि के आधे के बराबर हो। मालगुज़ारी दरों में विषमता को दूर करने के अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है।

मुजफ्फरनगर जिले के हरिजनों को आवंटित आवास स्थलों पर कथित अनधिकृत कब्जा

*29—श्री नन्द राम (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर जिले में हरिजनों को आवास के लिए जो भूमि मिली है उस पर दूसरे व्यक्तियों के प्लाट काट दिए गए हैं? फलस्वरूप जमीन पर कब्जा किसी का है तथा आबंटन किसी और का। यदि हां, तो क्या मन्त्री महोदय जिलाधीश, मुजफ्फरनगर को आदेश देंगे कि वह हर गांव में मौके पर जांच करा के इस भिन्नता को दूर करायें तथा भूमि का आबंटन भी उसी व्यक्ति को करायें जिसका कि उस पर कब्जा है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं।

श्री नन्द राम—

आज सारे जिले में हरिजनों की हालत यह है कि अगर पूर्व की तरफ रहता है तो पश्चिम में आवास के लिए भूमि दी गयी है और अगर वह पश्चिम में रहता है, तो पूर्व में दी गयी है। आज हर हरिजन की यह हालत है कि वह कचहरी में लड़ता फिरता है। आज वहां का हरिजन त्राहि-त्राहि कर रहा है . . .

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न क्या है?

श्री नन्द राम—

तो क्या माननीय मन्त्री जी, जहां हरिजन काबिज हैं वहां उसको आवास के लिए भूमि देंगे?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मुजफ्फरनगर में 28,701 पात्र परिवारों में से 21,771 परिवारों को आवास स्थल आबंटित किए गए हैं। जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। इन सभी परिवारों को आबंटित की गयी भूमि पर कब्जा मिल चुका है। 170 रिट याचिकायें दायर होने से उच्च न्यायालय ने स्थगन के आदेश दे दिए हैं, जिसके कारण कार्यवाही रुकी हुई है।

जिला पिथौरागढ़ में टिन्चर, जिन्जर, बेरिस व सुरा के क्रय-विक्रय पर प्रतिबन्ध

*30—श्री गोपाल दत्त ओझा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी द्वारा फरवरी, 1975 में हस्ब दफा 144 दन्ड प्रक्रिया संहिता (सी0आर0पी0सी0) के अन्तर्गत जिले में कोई आदेश प्रसारित किया है? यदि हां, तो उस आदेश के फलस्वरूप कितने व्यक्ति टिन्चर, जिन्जर, सुरा एवं अवैध शराब के व्यापार में पकड़े गए?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ ने दिनांक 30 जनवरी, 1975 के आदेश द्वारा पिथौरागढ़ जनपद में दिनांक 1 फरवरी, 1975 से 28 फरवरी, 1975, तक टिंचर जिन्जर वेरिस के विक्रय तथा इसके एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाने की रोक लगायी थी। पुनः जिलाधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 20 फरवरी, 1975 द्वारा इसी प्रकार की रोक टिंचर जिन्जर, बेरिस तथा मृतसंजीवनी सुरा पर 2 मार्च, 1975 से 31 मार्च, 1975 तक के लिए लगायी थी। उपर्युक्त आदेश के अन्तर्गत केवल एक व्यक्ति पकड़ा गया।

श्री गोपाल दत्त ओझा—

यह टिन्चर-जिन्जर आदि की बिक्री पर खुली छूट है या डाक्टर के प्रिसक्रिपशन पर बेची जाती है? यदि खुली छूट है तो क्या सरकार कोई प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिलाधिकारी ने रोक लगायी थी, मगर कोर्ट से स्थगन आदेश हो गया है। इसलिए कार्यवाही रोक दी गयी।

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

आज भी अवैध रूप से हजारों रुपए की टिंचर जिन्जर की बिक्री हो रही है, क्या सरकार इसकी जांच कराएगी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

वह बिक रही है, इसकी जांच कराने की आवश्यकता नहीं है। उसकी रोकथाम तो की जा रही है।

श्री गोविन्द सिंह मेहरा (जिला अल्मोड़ा)—

क्या अन्य जिलों में भी इसकी रोक-थाम के लिए कार्यवाही की जा रही है?

श्री अध्यक्ष—

यह दूसरा प्रश्न हो गया।

प्रदेश के कतिपय जिलों में अधिवर्ष के लिये ताड़ी के ठेकों की नीलामी

*31—श्री गिरिजा किशोर मिश्र (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि इस वर्ष प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, शाहजहांपुर, हरदोई, लखीमपुर, बदायूं, बरेली आदि जिलों में ताड़ी के ठेके की नीलामी केवल अधिवर्ष के लिए की गई है? क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त जिलों में ताड़ी या खजूर के पेड़ों की संख्या लगभग नहीं के बराबर है? फलस्वरूप ठेकेदारों द्वारा नकली (सेन्थेटिक) ताड़ी बनाकर बेची जाती है जो जन-स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक है। यदि नहीं, तो ताड़ी की खपत की पूर्ति का स्रोत क्या है और नीलामी आधे वर्ष के लिए करने का कारण क्या है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यह सही है कि प्रश्नगत जिलों में, हरदोई जिले को छोड़कर, अब उपलब्ध ताड़ी के पेड़ों की संख्या नगण्य होने के कारण ताड़ी के ठेकों की नीलामी 6–6 महीनों के लिए की गयी। असली ताड़ी के अभाव में नकली ताड़ी बिकने की बराबर सम्भावना रहती थी जो जन-स्वास्थ्य के लिए अहितकर होती है। शासन ने 1 अक्तूबर, 1975 से प्रश्नगत उल्लिखित जिलों सहित हरदोई जिले को छोड़कर कुल 18 जिलो में ताड़ी के ठेके समाप्त कर दिए। चूंकि इन ठेकों को समाप्त करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन था इसी कारण प्रश्नगत जिलों में ठेकों को आधे वर्ष के लिए ही नीलाम किया गया था।

बियर की निर्यात ड्यूटी में वृद्धि के फलस्वरूप राजस्व में कमी

*32—श्री ऊदल—

विधान सभा के वर्तमान सत्र के तीसरे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 21 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि एक्सपोर्ट फीस की दर दिनांक 3 अप्रैल, 1973 से 27 मार्च, 1974 तक बारह पैसे प्रति लीटर तथा दिनांक 27 मार्च, 1974 से 31 मार्च, 1974 तक बीस पैसे और इस वक्त एक रुपया पन्द्रह पैसा प्रति बल्क लीटर है ? यदि हां, तो जब बारह पैसा एवं 20 पैसा थी तो सरकार को ज्यादा राजस्व की प्राप्ति थी और पैदावार भी ज्यादा थी और जब 1 रुपया पन्द्रह पैसा प्रति बल्क लीटर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई तो पैदावार कम हो गई और राजस्व की प्राप्ति कम हो गई है ऐसा क्यों ? क्या यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश की बीयर एक्सपोर्ट ड्यूटी दूसरे प्रदेशों की बीयर के मुकाबले महंगी हो गई है ? और दूसरे प्रदेशों में कम तादाद जनवरी, 1974 से मार्च, 1975 तक गई है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

बीयर के निर्यात पर ड्यूटी की दर इस प्रकार थी —

दिनांक 1 अप्रैल, 1973 से 26 मार्च, 1974 तक 11 पैसे प्रति बल्क लीटर,
दिनांक 27 मार्च, 1974 से 15 अप्रैल, 1974 तक 20 पैसे प्रति बल्क लीटर,
दिनांक 16 अप्रैल, 1974 से 2 जून, 1974 तक 1.70 रु० प्रति बल्क लीटर
दिनांक 3 जून, 1974 से अभी तक 1.15 रु० प्रति बल्क लीटर।

1973-74 में, जब ड्यूटी प्रति बल्क लीटर दर 11 एवं 20 पैसा थी, बीयर का उत्पादन 2,31,30,588.4 बल्क लीटर हुआ था तथा राजस्व 21,97,731.12 रुपए प्राप्त हुआ तथा 1974-75 में जब ड्यूटी की प्रति बल्क लीटर दर 1.70 रुपए एवं 1.15 रुपए थी, उत्पादन 1,31,37,076.0 बल्क लीटर हुआ तथा राजस्व 10,47,494.96 रुपए प्राप्त हुआ ।

राजस्व में कमी होने का कारण यह था कि ड्यूटी की दर में वृद्धि किए जाने के विरुद्ध ब्रूअरियों द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिकायें प्रस्तुत की गयीं तथा उत्पादकों को 7 जून, 1974 तथा दिनांक 1 अगस्त, 1974 को उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश मिल गया जिससे बढ़ी दर पर ड्यूटी की वसूली नहीं हो पाई। यह सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में निर्यात ड्यूटी बढ़ जाने के कारण उत्तर प्रदेश की बीयर अन्य प्रदेशों के बीयर के मुकाबिले में ज्यादा महंगी हो गयी है। 1974-75 में बीयर के निर्यात में कमी होने का कारण यह है कि उत्पादकों ने बीयर का मूल्य बढ़ा दिया है।

श्री ऊदल—

हाई कोर्ट में जो मुकदमा दायर था क्या उसका फैसला हो गया है, तथा सरकार ने जो 1.70 रुपए की ड्यूटी लगायी थी, उसमें कुछ कमी की है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

फैसले की कोई जानकारी इस समय नहीं है, ड्यूटी घटाने बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।

[शुक्रवार, 26 मार्च, 1976 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न।]

बरेली जिले के विकास क्षेत्र, फरीदपुर के अन्तर्गत हरिजनों में भूमि का आवंटन

*1—श्री रामेश्वर नाथ चौबे (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली जिले के विकास क्षेत्र व तहसील फरीदपुर की ग्राम सभा करतौली, ग्राम सभा नगरिया नौबरामद तथा ग्रामसभा शिवपुरी रधौली में दिनांक 1 जनवरी, 1975 से 5 सितम्बर, 1975 तक कितनें हरिजनों को 122-डी के

अन्तर्गत बेदखल की गयी और कितनों को परगनाधिकारी, फरीदपुर द्वारा भूमि आबंटित की गयी और ग्राम सभा करतौली के कितने हरिजनों ने भूमि आबंटन हेतु प्रार्थना पत्र परगनाधिकारी व जिलाधिकारी, बरेली को दिए ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

प्रश्नगत ग्रामों में 122 डी- के अन्तर्गत किसी को बेदखल नहीं किया गया।

2--प्रश्नगत चारों ग्रामों में 64 व्यक्तियों को भूमि आबंटित की गई, जिसमें 15 हरिजन व्यक्तियों को परगनाधिकारी द्वारा भूमि आबंटित की गई।

3--ग्राम करतौली के 4 हरिजन व्यक्तियों ने भूमि आबंटन हेतु प्रार्थना-पत्र परगनाधिकारी को दिए थे।

गोंडा जिले के कुआना रेंज में वन का नाजायज तौर पर कटान करने वालों की बन्दूकों के लाइसेन्स की जब्ती

*2--श्री रामपति (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 19 मार्च, 1975 की रात्रि में गोंडा जनपद के कुआना रेंज में कुछ लोग फारेस्ट गार्ड को पेड़ों में बांध कर 7 900 रुपए कीमत की लकड़ी नाजायज रूप से काट ले गए ? यदि हां, तो क्या इस की इत्तिला पुलिस बलरामपुर व वनाधीश, साउथ गोंडा को रेंजर द्वारा भेजी गयी थी ? यदि हां, तो आज तक स्थानीय पुलिस ने मुलजिमानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही तथा वनाधीश महोदय ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

जी हां। गणना की त्रुटि के कारण पेड़ों का मूल्य 5,580 रुपए के बजाय 7,900 रुपया दिखाया गया था। इस मामले में इत्तिला बलरामपुर थाने में प्रभागीय वनाधिकारी, साउथ गोंन्डा को रेंजर द्वारा भेजी गयी थी। पुलिस ने तफ्तीश के उपरान्त साक्ष्य के अभाव में जुर्म सिद्ध न होने के कारण फाइनल रिपोर्ट लगा दी। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा जांच के उपरान्त दो मुलजिमों के बन्दूक का लाइसेन्स निरस्त किये जाने का अनुरोध जिलाधिकारी, गोंडा से किया।

*3--श्री रामपति (अनुपस्थित)--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कुआना रेंज, गोंडा के रेंज आफिसर ने दिनांक 22 मार्च, 1975 को डी0 एफ0 ओ0, साउथ गोंडा को जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें नाजायज कटान करने वाले व्यक्तियों के बन्दूक का लाइसेन्स जब्त करने के लिए लिखा था ? यदि हां, तो उस पर वनाधीश महोदय ने क्या कार्यवाही किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अजीत प्रताप सिंह--

जी हां। प्रभागीय वनाधिकारी, दक्षिण गोंडा ने सम्बन्धित व्यक्तियों के बन्दूक के लाइसेन्स को रद्द करने के लिए जिलाधिकारी, गोंडा को लिखा है।

शाहजहांपुर जिले के परगना खेड़ा-बझेड़ा के अन्तर्गत हरिजनों को आवास हेतु भूमि का आबंटन

*4--श्री रामेश्वर नाथ चौबे (अनुपस्थित)--

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिले की तहसील तिलहर, परगना खेड़ा बझेड़ा के अन्तर्गत ग्राम सभा खेड़ारठ, ग्रामसभा धसा कल्यानपुर तथा ग्राम सभा महुआ झाला में दिनांक 1 अगस्त, 1974 से 15 सितम्बर, 1975 तक कितने हरिजनों को मकान बनाने हेतु भूमि सरकार द्वारा दी गयी और कितने हरिजन परिवार अपनी ग्राम सभाओं में आवास सुविधाओं से वंचित हैं और क्या यह भी सही है कि ग्राम सभा खेड़ारठ में नक्शा 49-च के अनुसार कुछ हरिजनों को आज तक कब्जा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों और उन हरिजनों को कब तक इस पर कब्जा दिला दिया जाएगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

शाहजहांपुर जिले की तहसील तिलहर, परगना खेड़ा-बझेड़ा के अन्तर्गत प्रश्नगत अवधि में ग्राम सभा, खेड़ारठ में 26 हरिजनों को आवास हेतु भूमि आबंटित की गई। प्रश्नगत अवधि में ग्राम सभा धसा कल्यानपुर तथा मरूआ झाला में कोई आबंटन नहीं किया गया। ग्राम सभा खेड़ारठ में सभी आबंटित परिवारों को नक्शा 49-च के अनुसार आबंटित भूमि पर कब्जा दे दिया गया है।

नैनीताल जिले के नायब-तहसीलदार, तहसीलदार व पेशकार का कार्यकाल एवं उनका प्रत्यावर्तन

*5—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला पौड़ी-गढ़वाल) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला नैनीताल में वह कौन-कौन पेशकार व नायब तहसीलदार तथा तहसीलदार हैं जिन्हें जिले में 5 वर्ष से अधिक कार्य करते हो गए हैं? क्या यह सही है कि इस वर्ष आयुक्त, कुमायूं मन्डल, नैनीताल द्वारा कुछ नायब-तहसीलदारों को रिवर्ट किये जाने के बाद आज भी अपने तहसील घरों पर कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो कैसे?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिला नैनीताल में कोई तहसीलदार 5 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत नहीं है। श्री रमेश चन्द्र तिवारी, नायब तहसीलदार व सर्वश्री गया दत्त त्रिपाठी तथा इन्द्र सिंह रावत, पेशकारान, जिला नैनीताल में 5 वर्ष से अधिक समय से तैनात हैं। लेखी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नायब तहसीलदारों के पदों के समाप्त होने के फलस्वरूप आयुक्त, कुमायूं मण्डल ने कुछ अस्थायी नायब तहसीलदारों को प्रत्यावर्तित किया था। उनमें से एक मोहन चन्द्र भट्ट अवमुक्त नहीं हो पाए क्यों कि उनका प्रतिस्थानी जिले में नहीं पहुंच पाया। उनसे नायब तहसीलदार नियमीकरण का काम लिया जा रहा है और आयुक्त, कुमायूं मन्डल ने प्रतिस्थानी के आने तक उनको इस पद पर बने रहने की स्वीकृति दे रखी है।

मिर्जापुर जिले के ग्राम बास्थान में अग्निकांड से क्षति

*6—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि दिनांक 8 मई, 1975 को जनपद मिर्जापुर ग्राम बास्थान में भीषण आग लग जाने से सम्पूर्ण ग्राम जल गया? यदि हां, तो कितने जन-धन की क्षति हुयी और सरकार द्वारा वहां पर अब तक जनता को क्या राहत पहुंचाई गयी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

दिनांक 8 मई, 1975 को जिला मिर्जापुर के ग्राम बास्थान में हुई अग्नि दुर्घटना में 40 मकान प्रभावित हुए थे। कोई मनुष्य जीवन की हानि नहीं हुई थी। लगभग 3 लाख रुपए के सामान एवं खाद्यान्न की क्षति हुई थी।

प्रभावित व्यक्तियों को 9,060 रुपए की धनराशि अहेतुक सहायता के रूप में, रु0 743.61 की सामग्री, 10,000 रुपए गृह अनुदान के रूप में तथा 9,000 रुपए आपदा तकावी के रूप में वितरित किया गया। इसके अतिरिक्त मालगुजारी, विकास कर, सिंचाई कर तथा तकावी की वसूली स्थगित कर दी गई। सस्ते दर पर कपड़ा और मोटा गल्ला भी वितरित किया गया था।

श्री अठई राम—

गृह-निर्माण के लिए जो अनुदान दिया गया है वह फी किसान कितना दिया गया है और कितने हरिजनों को दिया गया है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

इसकी सूचना नहीं है, इस समय।

श्री अठई राम—
जब उनके सभी मकान आदि जल गए, तो क्या सरकार उनका लगान माफ करेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—
लगान स्टे कर दिया गया है।

श्री अठई राम—
बिल्कुल माफ करेंगे ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—
अभी केवल स्थगन आदेश दिए गए हैं। बिल्कुल माफी के नहीं दिए गए हैं।

देवरिया जिले के संग्रह अमीन श्री रमा शंकर तिवारी की गबन के सम्बंध में गिरफ्तारी

*7—श्री हरिकेवल (जिल देवरिया) (अनुपस्थित)—
क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया में 27 हजार रुपए के गबन में माह अगस्त 1975 में एक अमीन को जेल भेजा गया और क्या उक्त गबन में कुछ अधिकारियों का हाथ रहा ? यदि हां, तो उनके खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—
तहसील सलेमपुर, जिला देवरिया के संग्रह अमीन श्री रमाशंकर तिवारी के विरुद्ध रु0 27,079.84 पैसे के गबन के आरोप में अगस्त, 1975 में धारा 409 भारतीय दन्ड संहिता के अन्तर्गत मुकदमा कायम कराया गया तथा उन्हें जेल भेजा गया। इस गबन में किसी अधिकारी या कर्मचारी का हाथ होने का कोई प्रमाण अब तक उपलब्ध नहीं है।

हल्द्वानी वन प्रभाग के गुलियापानी नामक वन भूमि का आयुक्त, कुमायूं मण्डल द्वारा निरीक्षण

*8—श्री इन्द्र लाल—
क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि पश्चिमी वन वृत्त के हल्द्वानी वन प्रभाग रेंज शारदा में गुलियापानी नामक वन भूमि का निरीक्षण दिनांक 12-13 व 29 जुलाई, 1973 को तत्कालीन आयुक्त, कुमायूं मन्डल, नैनीताल (श्री एस0पी0 मुकर्जी) ने किया था ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट क्या थी और उस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—
जी हां। रिपोर्ट गोपनीय है, अत: अपेक्षित सूचना लोकहित में देना सम्भव नहीं है।

सचिव, वन विभाग को संबोधित मुख्य अरण्यपाल, कुमायूं के पत्र को सदन के पटल पर रखे जाने की मांग

*9—श्री इन्द्र लाल—
क्या वन मन्त्री कृपया अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल, कुमायूं ननीताल के पत्र संख्या 476 3-5(ग), दिनांक 20 जुलाई, 1975 की एक प्रतिलिपि जो सचिव, वन, उत्तर प्रदेश शासन को प्रस्तुत हुआ है, को सदन के पटल पर रखते हुए कृपया बतायेंगे कि इस पर अब तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—
प्रश्नगत पत्र गोपनीय है, अत: लोकहित में उसकी प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखना अथवा उसके सम्बन्ध में चर्चा करना सम्भव नहीं है।

श्री इन्द्र लाल—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि ठीक है वह गोपनीय है लेकिन मेरे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं मिला है। 8नं0 के प्रश्न में भी यही बात हुई है, तो उस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? और यही आइटम प्रश्न नं0 9 में भी है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि गोपनीयता सब कुछ है लेकिन उस रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

सरकार उस रिपोर्ट पर विचार कर रही है।

श्री इन्द्र लाल—

माननीय मन्त्री जी कब तक अपनी रिपोर्ट फाइनलाइज कर लेंगे ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

बहुत जल्दी ही कर दिया जाएगा।

आजमगढ़ जिले के सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध ग्राम जोकहरा के निवासियों का शिकायती-पत्र

*10—श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के दिनांक 11 अप्रैल, 1975 के पत्र के साथ ग्राम जौकहरा, तहसील सगड़ी, जिला आजमगढ़ के किसानों का प्रार्थना-पत्र, जो चकबन्दी सम्बन्धी है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी है और परिणाम क्या निकला है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां। शिकायती-पत्र पर बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, सगड़ी द्वारा खुली जांच करायी गई और सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध गालियां देने, मारने की धमकी तथा रिश्वत मांगने के लगाए गए आरोप निराधार पाए गए। कुछ चकों के प्रदेशन में त्रुटियां पाई गईं। इनके सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय में आपत्तियां विचाराधीन हैं। सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध उक्त त्रुटियों के लिए कार्यवाही की जा रही है।

*11—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

तहसील छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद के गांवों में अवैध पट्टों की जांच

*12—श्री अनवार जमील—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1975 के चौथे शुक्रवार में उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के सन्दर्भ में क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद फर्रुखाबाद के छिबरामऊ तहसील के किन-किन ग्रामों के व कितने व्यक्तियों के अवैध पट्टों की जांच की गयी है और जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जनपद फर्रुखाबाद के छिबरामऊ तहसील के 11 गांवों के अवध पट्टों की जांच की गई। 10 ग्रामों में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। ग्राम लोकपुर में 10 पट्टे अहीरों को दिए गए, बाद में 54 पट्टे अहीरों को और देने का प्रस्ताव हुआ जिस पर विचार नहीं किया गया और इस कारण यह 54 पट्टे अनियमित पाए गए।

*13—श्री अनवार जमील—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

तहसील फूलपुर, जिला आजमगढ़ में चकबन्दी

*14—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की फूलपुर तहसील के गांवों में अब तक चकबन्दी न कराए जाने का क्या कारण है तथा सरकार वहां पर कब तक चकबन्दी कराने का विचार कर रही है।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

आवश्यकता के अनुरूप कर्मचारियों के उपलब्ध न होने के कारण प्रश्नगत तहसील के सभी ग्रामों में एक साथ चकबन्दी कार्य नहीं प्रारम्भ किया जा सका। अब सभी चकबन्दी योग्य ग्रामों में वित्तीय वर्ष 1976-77 तक चकबन्दी कार्य प्रारम्भ हो जाने की आशा है।

जिलाधिकारी, मिर्जापुर के निवास स्थान पर लगाया गया नलकूप व पाइप लाइन सम्बन्धी जांच

*15—श्री राम सुन्दर पान्डेय—

दिनांक 11 अप्रैल, 1975 के नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या 29 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सतर्कता अधिष्ठान कब से जांच कर रहा है और कब तक करने की अवधि उसे दी गयी थी? क्या प्राग्दर्शन में सम्बन्धित शिकायत सत्य पायी गयी है? यदि हां, तो निलम्बित करने की कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच दिनांक 2. दिसम्बर, 1973 से की जा रही है जांच को यथाशीघ्र पूरी करने का आदेश था और कोई अवधि निर्धारित नहीं की गयी थी।

सम्बन्धित अधिकारी को निलम्बित किया जा चुका है।

ग्राम टडवां, जिला देवरिया में सीलिंग से निकली भूमि का गन्ना विकास विभाग को हस्तान्तरण

*16—श्री ऊदल—

क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजाज्ञा संख्या 471-अ-16-3 (39) 68, 310 अनु0 2, दिनांक 17 नवम्बर, 1972 के अनुसार ग्राम बभनौली पारम, जिला देवरिया के मौजा सपही टडवां की सीलिंग से निकली हुयी 288 एकड़ जमीन भूमिहीनों को आबंटित की गयी थी? यदि हां, तो क्या उक्त जमीन को दिनांक 27 फरवरी, 1975 को परगना हाकिम, पडरौना गन्ना विकास अधिकारी के साथ पी0ए0सी0 एवं ट्रैक्टर के साथ पूरी फसल को उलटने तथा जमीन पर कब्जा करने पहुंचे थे और कुछ हरिजनों के विरोध करने पर मारा? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

यू0पी0 शुगर कम्पनी सेवरही के बभनौली फार्म, जिला देवरिया के ग्राम टडवां में सीलिंग की 287.81 एकड़ अतिरिक्त घोषित भूमि का आबंटन किसी शासनादेश के अन्तर्गत नहीं किया गया था। यह भूमि राजकीय बीज सम्वर्धन प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु अस्थायी रूप से सुरक्षित रखी गई थी। सुरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा न होने पावे, इस कारण परगनाधिकारी ने उक्त भूमि में से 255.8 एकड़ भूमि 82 व्यक्तियों को अस्थाई पट्टे पर इस शर्त पर उठा दिया था कि पट्टा अस्थाई एवं दिनांक 1 जुलाई, 1974 से 30 जुलाई, 1975 तक के लिए होगा। यह भी शर्त थी कि यदि आवश्यकता हुई तो अस्थाई पट्टा किसी भी समय निरस्त कर दिया जावेगा। दिनांक 27 नवम्बर, 1974 को उक्त 287.81 एक भूमि गन्ना बीज सम्वर्धन प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु गन्ना विकास विभाग को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के अनुपालन में अस्थायी पट्टेदारों को नोटिस देकर भूमि खाली करने की सूचना दी गई। इस बात का पूर्ण ध्यान रखा गया कि जून, 1975 तक, जब तक फसल कट न जाय तब

तक अस्थायी पट्टेदारों के कब्जे में व्यवधान न हो। अत: किसी की फसल को बर्बाद करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। केवल 4 खाली प्लाटों पर (क्षेत्रफल 159.5 एकड़) पर कब्जा लिया गया। दिनांक 27 फरवरी, 1975 को परगनाधिकारी गन्ना विभाग द्वारा खाली भूमि पर कब्जा रखने हेतु मौके पर गए थे क्योंकि अस्थायी पट्टेदार गन्ना विभाग को खाली भूमि पर कब्जा लेने नहीं दे रहे थे। किसी भी हरिजन अथवा अन्य व्यक्ति पर लेश-मात्र भी बल का प्रयोग नहीं किया गया। मौके पर कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।

मुजफ्फरनगर जिले के ग्राम बुपाड़ा हसनपुर के हरिजनों की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*17—श्री ऊदल—

क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बुपाड़ा हसनपुर, तहसील जानसठ, परगना खबीली, जिला मुजफ्फरनगर की खेत नं 01110 रकबा दो बीघा पन्द्रह विस्वा दो धूर, पर भूमिहीन हरिजन राम स्वरूप, हरचन्द, सोहनवीर सिंह वगैरह काफी अरसे से काबिज हैं? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि को ग्राम समाज ने दूसरे को पट्टे पर दे दिया जिसकी वजह से दफा 145 का मुकदमा कायम किया गया और उपरोक्त काबिजदार जीत गए हैं और पुलिस उनको परेशान कर रही है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*18—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

ग्राम कैन्टूनमेन्ट, जिला आजमगढ़ के श्री मोहम्मद नईम उल्ला खां को खतौनी का उद्धरण न मिलने की शिकायत

*19—श्री मोहम्मद रफी खां—

क्या राजस्व मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कोई प्रार्थना-पत्र शाहजहांपुर से रजिस्ट्री डाक द्वारा जुलाई, 1975 में मिला जिसमें खतौनी का इन्तिखाब न देने तथा सरकारी रिकार्ड गायब होने की शिकायत थी? यदि हां, तो उस शिकायत का मजमून क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

ग्राम कैन्टूनमेन्ट, तहसील सदर, आजमगढ़ की वर्ष 1375 व 1376 फसली की खतौनी के उद्धरण न दिए जाने तथा उक्त खतौनियों के उपलब्ध न होने की शिकायत तथा खतौनी के उद्धरण की प्रार्थना विषयक श्री मोहम्मद नईम उल्ला खां का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 23 जुलाई, 1975 को माननीय प्रश्नकर्ता के माध्यम से शासन को प्राप्त हुआ था। शिकायतों की जांच से ज्ञात हुआ कि शिकायतकर्ता को वर्ष 1375 फसली की खतौनी के उद्धरण प्राप्त करने के लिये सूचना दी गयी है। परन्तु 1376 फसली की खतौनी राजस्व अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं है। इसके लिए दोषी रजिस्ट्रार कानूनगो को आरोपित किया गया है।

*20—श्री राम सुन्दर पांडेय—

[9वें शुक्रवार के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

देवरिया जिले में सपहा, बैकुण्ठपुर, दोमाठ फार्मों में सीलिंग से प्राप्त भूमि का आवंटन

*21—श्री हरि केवल—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले में सपहा, बैकुन्ठपुर, दोमटा फार्म से 1971 से 1974 के बीच कितनी भूमि सीलिंग से प्राप्त हुई थी और उन फार्मों की जमीन कब और किसके आदेश से वितरित की गई है? यदि हां, तो भूमि प्राप्त करने वाले

लोगों के नाम और पते क्या हैं ? क्या राजस्व मन्त्री यह भी बतायेंगे कि देवरिया जिले में पडरौना, हाटा देवरिया तथा सलेमपुर तहसीलों में सीलिंग से वर्ष 1974 से सितम्बर, 1975 तक कितनी भूमि प्राप्त हुई है और कितने किसानों ने न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

वर्ष 1971 से 1974 के बीच देवरिया जिले में सपहा, बैकुन्ठपुर, दोमाठ फार्म में क्रमश : 242.70, 233.03 तथा 215.06 एकड़ भूमि सीलिंग से प्राप्त हुई थी जिसमें से क्रमशः 226.80, 189.81 तथा 114.01 एकड़ भूमि का आबंटन तत्कालीन परगनाधिकारी, पडरौना के आदेशानुसार वर्ष 1973 तथा 1974 में किया गया।

लाभार्थियों की† सूची लम्बी है अतः उसे अध्यक्ष महोदय के कक्ष में रख दिया गया है। माननीय सदस्य कृपया अध्यक्ष महोदय के कक्ष में उसे देखने का कष्ट कर लें।

वर्ष 1974 से सितम्बर, 1975 तक देवरिया जिले के पडरौना, हाटा, देवरिया तथा सलेमपुर तहसीलों में सीलिंग से क्रमशः 166.93, 607.62, 163.30 तथा 131.98 एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी। किसान खातेदारों ने इस सम्बन्ध में क्रमश : 206, 318, 127 तथा 93 आपत्तियां न्यायालय में दायर की थीं।

लखनऊ तहसील के नायब रजिस्ट्रार कानूनगो व नाजिर का निलम्बन

*22—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सरकार कृपया बतलाएगी कि दिनांक 16 अक्तूबर, 1975 या उसके आस-पास लखनऊ तहसील के एक नायब-रजिस्ट्रार कानूनगो व एक नाजिर को मुअत्तल कर दिया ? यदि हां, तो उन पर आरोप क्या-क्या थे ? क्या यह सही है कि राजस्व मन्त्री ने 48 पन्ने की विस्तृत जांच रिपोर्ट सरकार को भेजी है ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

लखनऊ तहसील में तैनात सहायक रजिस्ट्रार कानूनगो, श्री कैलाश चन्द्र, जब तहसील मोहनलाल गंज में इसी पद पर तैनात थे, तब उन्हें फर्जी अमलदरामद के आधार पर जिलाधिकारी, लखनऊ के आदेश, दिनांक 31 जुलाई, 1975 द्वारा निलम्बित किया गया। तहसील लखनऊ में तैनात नायब नाजिर श्री अमृतलाल शुक्ल को तहसील के लेखे में गम्भीर अनियमिताओं के आरोपों के फलस्वरूप जिलाधिकारी, लखनऊ के आदेश दिनांक 20 सितम्बर, 1975 द्वारा निलम्बित किया गया। इन दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

यह सही है कि तहसील लखनऊ में जमींदारी विनाश नियमावली के नियम 115-डी के अन्तर्गत बेदखली से सम्बन्धित पत्रावलियों के निरीक्षण के सम्बन्ध में विस्तृत निरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई थी। सदस्य महोदय मेरे कार्यालय में रिपोर्ट देख सकते हैं।

*23—श्री बाबू लाल वर्मा तथा श्री त्रिवेणी सहाय—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर में चकबन्दी

*24—श्री महाबीर प्रसाद (जिला गोरखपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बांसगांव तहसील, जिला गोरखपुर में कितने ग्राम अभी चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत हैं और उनमें से कितने ग्रामों में चक फाइनल हो चुके हैं ? क्या उपरोक्त सभी ग्रामों के अभिलेख तहसील कार्यालय को भेज दिए गए हैं ? यदि हां, तो उन ग्रामों में भूमि व्यवस्था सम्बन्धी कार्य कराने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

---

†छापी नहीं गई।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

तहसील बांसगांव, जिला गोरखपुर के कुल 1,841 ग्राम चकबन्दी योजना के अन्तर्गत हैं जिनमें से 1,736 ग्रामों में चक उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत पुष्ट किए जा चुके हैं। अभी तक 356 ग्रामों के अभिलेख तहसील कार्यालय को भेजे जा चुके हैं। अवशेष ग्रामों में भूमि व्यवस्था सम्बन्धी कार्य करने के लिए तहसील स्टाफ को उनकी आवश्यकतानुसार अभिलेख उपलब्ध करा दिए जाते हैं।

बहराइच जिले के बाढ़-ग्रस्त गावों को दी गयी सहायता

*25—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र 1975 की कार्य-सूची दिनांक 21 मार्च, 1975, दिन शुक्रवार के नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर एवं अनुपूरक प्रश्नोत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिलाधिकारी बहराइच से खरीफ 1382 फसली मालगुजारी आदि में छूट का प्रस्ताव शासन ने मंगाकर प्राप्त करके नियमानुसार निर्णय ले लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, परन्तु जिलाधिकारी, बहराइच द्वारा जांच पड़ताल के आधार पर नियमानुसार मालगुजारी आदि में छूट प्रदान करने का औचित्य इस आधार पर नहीं पाया गया कि प्रभावित क्षेत्र में न तो अत्यधिक नुकसान फसलों को हुआ और न तो विगत तीन वर्षों से निरन्तर प्रश्नगत क्षेत्र दैवी आपदा के प्रकोप से ग्रस्त रहा हो। जिलाधिकारी द्वारा अपने अन्तिम प्रस्ताव में छूट देने की सन्तुति न करने के कारण मालगुजारी में छूट देना सम्भव नहीं हुआ।

*26—श्री गंगा प्रसाद—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

*27—श्री अनवार जमील—

[3रे शुक्रवार के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

श्री रघुनाथ चन्द्र श्रीवास्तव, भूतपूर्व तहसीलदार फरेन्दा, जिला गोरखपुर के विरुद्ध आरोपों की जांच

*28—श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले में फरेन्दा तहसील के तहसीलदार के खिलाफ भ्रष्टाचार घूसखोरी करने, तकावी वितरण में धांधली करने टेस्टवर्क को मनमाने ढंग से स्थगित कर देने, ग्राम समाज सम्पत्ति अपहरण करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही न करने तथा सरकारी दूकानों के कोटेदारों से कमीशन लेने, सीमेंट के वितरण आदि कई अभियोगों के सम्बन्ध में दिनांक 19 दिसम्बर, 1974 और 30 दिसम्बर, 1974 को शासन को लिखित शिकायतें दी गयीं ? उस पर क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्री रघुनाथ चन्द्र श्रीवास्तव, भूतपूर्व तहसीलदार, फरेन्दा, जिला गोरखपुर के विरुद्ध जो माननीय सदस्य ने शिकायत की थी उसकी उप भूमि-व्यवस्था आयुक्त द्वारा जांच मार्च-अप्रैल, 1975 में करायी गई थी। जांच से कोई गम्भीर आरोप प्रमाणित नहीं हुए। चूंकि माननीय सदस्य इस जांच से सन्तुष्ट नहीं थे, इसलिए इसकी जांच आयुक्त, गोरखपुर मन्डल द्वारा करायी जा रही है।

गोरखपुर जिले के ग्राम चहरी में अतिरिक्त भूमि का आवंटन

*29—श्री लक्ष्मी नारायन पाण्डेय—

क्या माल मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम चेहरी, ब्लाक व तहसील महाराजगंज, जिला गोरखपुर में ग्राम समाज तथा सीलिंग से निकली हुयी भूमि कितनी है? तथा अभी तक उनका आबंटन भूमिहीन खेत मजदूरों तथा गरीब किसानों म किया गया या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिलाधिकारी, गोरखपुर से सूचना एकत्र की जा रही है।

मौजा खुटही, जिला देवरिया की सीलिंग भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*30—श्री श्रीनारायण—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के रामकोला कानूनगो वाई म मौजा खुटही की सीलिंग की भूमि पर अवैध कब्जा के सम्बन्ध में माह सितम्बर, 1975 में कितने आवेदन-पत्र शासन को प्राप्त हुए तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

मौजा खुटही की सीलिंग भूमि पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में सितम्बर, 1975 में कोई आवेदन-पत्र नहीं प्राप्त हुआ।

शाहजहांपुर और बदायूं के सरहद के कतिपय ग्रामों का सीमा विवाद

*31—श्री दया किशन पाण्डेय (जिला पिथौरागढ़)—

क्या राजस्व मन्त्री को पता है कि शाहजहांपुर और बदायूं की सरहद तिलहर तहसील के गांव मरेना, सरसव, कन्हानी से हाएतमालीपुर, बरीप्रसिद्धपुर से मिलती है और इन गांवों का सीमा विवाद अनेक वर्षों से चला आ रहा है? यदि हां, तो झगड़े के निपटारे के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, प्रश्नगत ग्रामों में काफी समय से सीमा विवाद चला आ रहा है। विवाद के निपटारे हेतु सर्वेक्षण तथा अभिलेख क्रियाओं की आवश्यकता पायी गयी है जिसकी व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्ष 1976-77 में प्रस्तावित है।

*32—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[5वें मंगलवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

डाक्टर अम्बेदकर की पुस्तकों को आपत्तिजनक बताने एवं जब्त करने संबंधी कथित शासनादेश

*33—श्री अछई राम—

क्या मुख्य मन्त्री को पता है कि शासनादेश दिनांक 10 मई, 1970 के द्वारा डाक्टर अम्बेदकर की दो पुस्तकें 'सम्मानके लिए धर्म परिवर्तन करें और 'जाति भेद का मूलोच्छेद' हरिजन छात्रावासों तथा सरकारी मान्यता प्राप्त पुस्तकालयों में आपत्तिजनक बताते हुए वापस मंगा ली गई थीं और एक दूसरे शासनादेश दिनांक 12 सितम्बर, 1970 के द्वारा ये पुस्तकें जब्त कर ली गई थीं? यदि हां, तो क्यों? दोनों शासनादेशों को क्या सरकार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

समाज कल्याण मन्त्री (डाक्टर चरण सिंह)—

जी नहीं।

प्रश्नगत पुस्तकों को आपत्तिजनक बताते हुए हरिजन छात्रावासों तथा सरकारी मान्यता प्राप्त पुस्तकालयों से वापस मंगवाने हेतु दिनांक 10 मई, 1970 को कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ है तथा पुस्तकें जब्त करने हेतु भी दिनांक 12 सितम्बर, 1970 को कोई भी शासनादेश जारी नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रमजीवी महिलाओं के छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाएं और भर्ती होने के नियम

*34—श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में श्रमजीवी महिलाओं के छात्रावास किन-किन जिलों में हैं और उनमें महिलाओं को क्या क्या सुविधायें उपलब्ध हैं? श्रमजीवी महिलाओं के छात्रावास में भरती होने के क्या नियम हैं और क्या उनमें सभी महिलाएं, जो इस समय रह रही हैं, उनकी भरती नियमानुसार की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों।

डाक्टर चरण सिंह—

प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत इस समय केवल लखनऊ तथा कानपुर जिलों में श्रमजीवी महिला छात्रावास हैं। इन छात्रावासों में आवासीय सुविधा के अतिरिक्त बिजली, पानी, फर्नीचर, खेल-कूद का सामान, पत्र-पत्रिका, खाना पकाने के बर्तन की सुविधाएं एवं हास्टेल वार्डेन, रसोइया, कहार, चौकीदार तथा मेहतर की सेवाएं उपलब्ध हैं।

इन छात्रावासों में भरती होने के नियम इस प्रकार हैं :—

(1) इन छात्रावासों में केवल ऐसी श्रमजीवी महिलाओं को प्रवेश प्रदान किया जाता है जिनका भत्तों को छोड़कर मासिक वेतन 200 रुपए से 700 रुपए हो।

(2) महिलायें छात्रावास में उसी अवधि तक रह सकती हैं, जब तक वे सेवारत हैं।

(3) प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र होस्टेल वार्डेन को पासपोर्ट साइज प्रमाणित फोटोग्राफ सहित निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(4) आवेदन-पत्र के साथ एक व्यक्तिगत बन्ध-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर 2 रुपए 25 पैसे के स्टाम्प पर अपने व्यय से प्रस्तुत करना चाहिए।

(5) प्रत्येक संवासिनी द्वारा प्रतिमास 30 रुपए शुल्क के रूप में देय है।

(6) प्रवेश के समय प्रत्येक संवासिनी को 30 रुपए प्रतिभूति के रूप में जमा करना अनिवार्य है, जो छात्रावास छोड़ते समय छात्रावास को, यदि कोई वस्तु या धनराशि देय हुई तो उसको काट कर वापस कर दी जाती है।

(7) प्रवेश के पूर्व एक मास का उक्त मासिक शुल्क एवं प्रतिभूति की धनराशि जमा करनी होगी।

छात्रावासों में इस समय जो श्रम-जीवी महिलायें रह रही हैं, उन सब का प्रवेश नियमानुसार हुआ है।

प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं उठता।

अनुसूचित जाति को उद्योग हेतु ऋण एवं अनुदान दिये जाने की मांग

*35—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति को लागत का 10 प्रतिशत उद्योग धन्धा में लगाने पर 90 प्रतिशत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम अनुदान और ऋण देने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर चरण सिंह—

जी नहीं। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड केवल 25 प्रतिशत उद्योग को लागत अनुदान तथा व्यावसायिक बैंकों से लिए गये ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज से ऊपर के अन्तर के बराबर अनुदान देता है। लागत के अनुदान की अधिकतम सीमा 12,500 है। मगर ऋण के अन्तर को एक लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज के अन्तर को अनुदान के रूप में दिया जाता है, जहां पर मारजिन मानी लगाने का प्रश्न है। वह विभिन्न उद्योगों में विभिन्न व्यावसायिक बैंकों द्वारा अलग-अलग प्रतिशत मांगी जाती है। चूंकि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड उद्योग को स्थापित करने हेतु ऋण स्वयं नहीं देता है, अतः उद्यमियों से इस निगम द्वारा कुछ प्रतिशत धन अपना लगाने की आकांक्षा का प्रश्न नहीं उठता है।

हरिजन तथा समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ में हरिजन कल्याण सुपरवाइजरों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति का कोटा

*36—श्री दयाराम भास्कर—

क्या समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1974-75 से या 1975-76 में 1 अक्तूबर, 1975 तक निदेशालय, हरिजन तथा समाज कल्याण, लखनऊ, द्वारा कब-कब और कितनी-कितनी संख्या में सुपरवाइजरों की नियुक्ति की गयी तथा उनकी नियुक्ति में किस योग्यता को आधार माना गया ? क्या यह सही है कि उक्त नियुक्तियों में अनुसूचित जाति का कोटा निर्धारित संख्या से कम रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर चरण सिंह—

वर्ष 1974-75 से या 1975-76 में 1 अक्तूबर, 1975 तक निदेशालय, हरिजन तथा समाज कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा हरिजन कल्याण सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति का दिनांक तथा संख्या निम्न प्रकार है :—

दिनांक		पद संख्या
10-6-75	..	13
10-6-75	..	67
28-7-75	..	19
12-8-75	..	2
20-8-75	..	1
27-8-75	..	1
30-8-75	..	2
23-9-75	..	6
25-9-75	..	7
29-9-75	..	5
		123

हरिजन कल्याण सुपरवाइजर के पद की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल पास है। अतएव हाई स्कूल परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का आधार ही नियुक्तियों में अपनाया गया। इसके साथ ही प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों जैसे बुन्देलखंड व पर्वतीय क्षेत्र तथा विभिन्न वर्गों के लिए शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण को भी दृष्टिगत रखा गया। हरिजन कल्याण सुपरवाइजर की प्रश्नगत नियुक्तियों में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व 40.5 प्रतिशत रहा, जो निर्धारित 18 प्रतिशत से अधिक है।

अयोध्या भिक्षुक गृह को खोलने का उद्देश्य

*37—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बतायेंगे कि जिला फैजाबाद में स्थित अयोध्या भिक्षुक गृह कब से चलाया जा रहा है और उक्त भिक्षुक गृह को खोलने के क्या उद्देश्य थे? अब तक इस योजना पर कितना व्यय हुआ तथा इस योजना के अन्तर्गत कितने भिक्षुकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया है? क्या यह सही है कि इस भिक्षुक गृह के खोलने के उद्देश्य बिलकुल पूरे नहीं हुए? यदि हां, तो क्यों और इसे सुधारने का क्या उपाय किया जा रहा है?

डाक्टर चरण सिंह —

फैजाबाद जिले में अयोध्या में स्थापित भिक्षावृत्ति निवाराणार्थ अग्रगामी प्रायोजना माह जनवरी, 1970 से संचालित है।

इस प्रायोजना के खोलने का उद्देश्य यह था कि विभिन्न श्रेणी के भिक्षुकों को सामान्य शिक्षा देकर तथा उनको शारीरिक क्षमता एवं रुचि के अनुसार विभिन्न उद्योगों में प्रशिक्षण देकर इस योग्य बनाया जाये कि वे कालान्तर में अपनी जीविका स्वयं उपार्जित कर सकें।

इस प्रायोजना के खोले जाने की तिथि से माह जनवरी, 1976 तक 14,00,281 रुपए व्यय हुए है तथा फरवरी, 1976 तक 511 भिक्षुकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया है।

यह सही नहीं है कि इस प्रायोजना को खोलने के उद्देश्य पूरे नहीं हुए। फिर भी शासन द्वारा सुधारने के उपाय बराबर जारी हैं। सितम्बर, 1976 से उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 फैजाबाद में लागू कर दिया गया है।

शाहजहांपुर जिले के ग्राम हार कटेरा के हरिजनों को भूमि का आबंटन

*38—श्री सत्यपाल सिंह यादव—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद, शाहजहांपुर तहसील व परगना जलालाबाद के ग्राम हार कटेरा मजरा, ग्राम सभा शुक्ला भई में भमिहीनों व हरिजनों को कृषि भूमि के पट्टे वर्ष 1975 व 8 फरवरी, 1975 तक क्यों नहीं किए गए? यदि हां, तो क्यों तथा इस ग्राम व ग्राम सभा के भूमिहीनों व हरिजनों को सरकार कब तक पट्टे करा देगी?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

प्रश्नगत ग्राम हार कटेरा (गांव सभा शुक्ला भई) के हरिजनों को दिनांक 13 फरवरी, 1976 तक कृषि भूमि आबंटन कर दिया गया है, अन्य भूमिहीनों को भूमि का आबंटन विचाराधीन है।

बाराबंकी जिले के ग्राम किटूरी की ग्राम समाज की भूमि का पट्टा

*39—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम किटूरी, परगना दरियाबाद, तहसील राम सनेही घाट, जिला बाराबंकी में ग्राम समाज की भूमि का आबंटन हो चुका है? यदि हां, तो क्या पुराने काबिज भूमिहीन खेतिहर मजदूर से उनके कब्जे की भूमि निकाल कर अन्य लोगों को पट्टे किए गए?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, ग्राम समाज की भूमि का आबंटन हो चुका है। पुराने काबिज भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से उनके कब्जे की भूमि लेकर दूसरों को पट्टे पर नहीं दी गई है।

जालौन जिले के ग्राम खेड़ा के हरिजनों को भूमि का आबंटन

*40—डाक्टर मलखान सिंह (जिला जालौन)—

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि जिला जालौन के ग्राम खेड़ा के हरिजन भूमिहीनों में परती भूमि का आबंटन न करके तहसीलदार जालौन ने जिलाधिकारी के आदेश के विरुद्ध अनधिकृत लोगों का कब्जा कराया है? यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है और सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं। भूमि आबंटन विधिवत् किया गया है। तहसीलदार ने जिलाधिकारी के आदेशों की कोई अवहेलना नहीं की है।

*41—श्री जंग बहादुर वर्मा—

[3रे शुक्रवार के लिए स्थगित।]

तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के मुसहर जाति को दी जाने वाली सुविधाएं

*42—श्री रामरति विन्द (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद वाराणसी की तहसील ज्ञानपुर के अन्तर्गत बसने वाली मुसहर जाति के उत्थान के लिये सरकार कौन सा कदम उठाने जा रही है?

डाक्टर चरण सिंह—

वाराणसी जनपद की तहसील ज्ञानपुर में बसी हुयी मुसहर जाति के व्यक्तियों को भी वे सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो अनुसूचित जाति तथा विमुक्त जाति के व्यक्तियों को शासन द्वारा उपलब्ध की गयी हैं।

कैसरबाग थाना, लखनऊ के अन्तर्गत पकड़ा गया अवैधानिक शराब का कारखाना

*43—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी, फरवरी, 1976 के दूसरे सप्ताह में कैसरबाग थाना, लखनऊ के अन्तर्गत कोई अनधिकृत शराब का कारखाना पकड़ा है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या-क्या माल बरामद हुआ, कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुये और इस प्रकार के कार्य को रोकने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित पिछड़ा वर्ग कमीशन की सिफारिश का कार्यान्वयन

*44—श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़), श्री राजेन्द्र सिंह (जिला अलीगढ़), श्री चन्द्रपाल सिंह (जिला मुरादाबाद), श्री बाबू सिंह यादव (जिला अलीगढ़), श्री मोहन लाल कपूर (जिला मेरठ) तथा श्री आशाराम यादव (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित पिछड़ा वर्ग कमीशन 1955 की किन-किन सिफारिशों को सरकार ने लागू करने का निर्णय ले लिया है? यह निर्णय कब-कब लिया गया तथा उनके कार्यान्वयन की प्रगति क्या है? जो सिफारिशें अभी तक लागू नहीं की गयी हैं उन्हें अब तक लागू न करने का कारण क्या है तथा कब तक लागू कर दिया जायेगा?

डाक्टर चरण सिंह—

काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित पिछड़ा वर्ग कमीशन का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया था और उसकी सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा ही कार्यवाही की जानी

थी किन्तु राज्य सरकार द्वारा भी कमीशन की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए पिछड़ वर्गों के स्थान के लिये अपने सीमित साधनों के अन्तर्गत कल्याणकारी योजनायें चलाई गई हैं जिनसे उक्त वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं।

2—राज्य सरकार ने हाल ही में अत्यधिक पिछड़े वर्गों के लिये एक आयोग का गठन किया है।

भिक्षावृत्ति निवारण संबंधी कार्यवाही

*45—श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में भिखारी निवारण हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर चरण सिंह—

प्रदेश से भिक्षावृत्ति का निवारण प्रभावकारी ढंग से करने के लिये उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975, प्रदेश की पंच महानगरियों एवं मथुरा व फैजाबाद में 22-9-1975 से लागू किया गया है।

*46—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह तथा श्री ऊदल—

[3रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 24 पर स्थानान्तरित।]

47—श्री दधीच सिंह—

[3रे शुक्रवार के लिये स्थगित।]

बहराइच जिले के सहायक चकबन्दी अधिकारी, श्री बी० पी० सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

*48—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बहराइच, तहसील नानपारा, सहायक चकबन्दी अधिकारी 60 मिही पुरवा श्री बी0 पी0 सिंह के भ्रष्टाचार की शिकायतें एस0 ओ0 सी0 महोदय, बहराइच एवं जिलाधिकारी महोदय को जनता द्वारा सन् 1975 में प्राप्त हुईं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि आज तक कार्यवाही नहीं हुयी, तो कारण क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

श्री बी0 पी0 सिंह के विरुद्ध 1975 में ग्राम कुण्डवा, नया पुरवा इत्यादि के कुछ ग्रामवासियों की शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिन पर जांच कराई गई और यह निराधार पाई गई।

*49-50—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[3रे शुक्रवार के लिये स्थगित।]

अतारांकित प्रश्न

राजस्व मंत्री द्वारा इलाहाबाद की तहसील सोरांव का निरीक्षण और तहसीलदार का निलम्बन

1—श्री राम पूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की तहसील सोरांव का उन्होंने दिनांक 6-12-74 को निरीक्षण किया था ? यदि हां, तो क्या-क्या अनियमिततायें पायी गयीं और क्या कार्यवाही की गयी और क्या दिनांक 28-5-75 को सम्बन्धित तहसील में धांधली का शिकायती-पत्र भी दिया गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां। निम्नांकित अनियमितताएं पायी गयीं :—

(1) तहसीलदार का अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण शिथिल था।

(2) अधीनस्थ कर्मचारी अपने कर्त्तव्य पालन में अधिक जागरूक नहीं थे।

(3) एम0 जे0 ने पत्रावलियां गलत ढंग से रखी थीं, पत्रावली ढूंढ़ने में देरी लगती थी।

(4) जमींदारी विनाश नियमावली के नियम 115–सी के अन्तर्गत दायर मुकदमों में किये गये जुर्मानों की वसूली का विवरण रजिस्टरों में ठीक से नहीं रखा गया।

(5) दो नायब तहसीलदार चार वर्ष से तहसील में तैनात थे इनका स्थानान्तरण नहीं किया गया।

अनियमितताओं को दूर किया गया तथा संबंधित कर्मचारियों को चेतावनी दी गयी। दोनों नायब तहसीलदारों का स्थानान्तरण कर दिया गया है। दिनांक 28–5–75 के शिकायती-पत्र पर जांच करायी गयी। जांच के दौरान जो त्रुटियां पायी गयीं उनके आधार पर तहसीलदार को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

2—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[1ले बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत उत्तरित।]

गोरखपुर जिले के सीलिंग से निकली भूमि का आवंटन

3—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर में सीलिंग योजना के अन्तर्गत किन-किन लोगों की भूमि किस-किस नम्बर से अब तक कितनी–कितनी मात्रा में निकली है? इस निकली भूमि का वितरण कब तक कर दिया जायेगा?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिला गोरखपुर में सीलिंग योजना से प्रभावित खातेदारों तथा अतिरिक्त घोषित भूमि के विवरण की सूची † अध्यक्ष महोदय के मेज पर रखी है। अतिरिक्त घोषित हुई भूमि से समस्त कृषि योग्य तथा निर्विवादित भूमि का आवंटन दिनांक 29–2–76 तक पहले ही किया जा चुका है।

भूमि व्यवस्था समिति द्वारा सम्पादित कार्य

4—श्री राम सुन्दर पान्डेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य भूमि प्रबन्धक समिति जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित है और जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री है, उसके द्वारा अब तक कौन-कौन से कार्य सम्पादित किये गये हैं? क्या भूदान में प्राप्त भूमि का भी आवंटन एवं कब्जा दिलाने का कार्य इस समिति द्वारा ही सम्पादित होगा? इस समिति का कार्यकाल कितने वर्षों का है?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां, राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश भूमि-व्यवस्था समिति का गठन जनवरी, 1975 में किया था जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्य मंत्री जी हैं। मुख्य रूप से भूमि आवंटन का कार्य समिति की देख-रेख में किया जाना था। इस सिलसिले में प्रारम्भ में समिति के कार्यकारी उपाध्यक्ष अथवा अन्य पूर्णकालिक सदस्यों ने जिलों में जाकर

†छापी नहीं गयी।

अधिकारियों एवं जन-प्रतिनिधियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं व ग्रामवासियों से बठकों में अथवा अन्यथा सम्पर्क स्थापित करके स्थानीय समस्याओं के समझने के बाद एक या दो विकास खंडों का चयन कर वहां नियोजित कार्यक्रम बनवाकर भूमि आवंटन का कार्य प्रारम्भ कराते रहे। इस तरीके के अनुसार 18 जिलों के कतिपय विकास खंडों का कार्य अगस्त, 1975 के अन्त तक प्रारम्भ कराया गया था। इसी प्रयोग के आधार पर समिति ने भूमि आवंटन की विस्तृत पद्धति तैयार की जिसमें भूमि आवंटन से सम्बन्धित सभी कार्यवाहियों में सभी ग्रामवासियों, विशेषकर पात्र व्यक्तियों की राय व सहयोग प्राप्त करना अपेक्षित है। सितम्बर 1, 1975 से पूरे प्रदेश में वग से भूमि आवंटन का कार्य अभियान के रूप में प्रारम्भ कराया गया जो उक्त समिति द्वारा निर्धारित आवंटन पद्धति के अनुसार हो रहा है। इस आवंटन अभियान में 29 फरवरी, 1976 तक 6,25,722 हेक्टेयर (15,45,531 एकड़) तथा सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त 24,226 हेक्टेयर (59,836 एकड़) भूमि का आवंटन हो चुका है। भूदान में प्राप्त भूमि का आवंटन समिति के कार्यक्षेत्र में नहीं है।

30 जनवरी, 1975 से गठित उक्त समिति का कार्यकाल 30 जून, 1976 तक के लिए फिलहाल रखा गया ह।

फर्रुखाबाद में अग्निकाण्ड पीड़ितों को दी गई सहायता

5—श्री अनवार जमील—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद फर्रुखाबाद में अप्रैल, मई और जून, 75 में कितने कितने ग्रामों में अग्निकांड हुये और उससे कितना-कितना नुकसान हुआ और ऐसे हर गांव को सरकार द्वारा क्या सहायता व सुविधायें दी गयीं?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

फर्रुखाबाद जनपद में माह अप्रैल, मई व जून, 1975 में क्रमशः 98, 61 व 21 ग्रामों मे अग्नि दुर्घटनाये हुई थीं जिनके फलस्वरूप उक्त ग्रामों को क्रमशः 5,11,360 रु0; 2,61,150 रु0 व 1,23,492 रु0 की अनुमानतः क्षति पहुंची थी। उक्त ग्रामों में से 46 ग्रामों में, जहां अग्निकाण्ड का भीषण प्रकोप हुआ था, पीड़ित व्यक्तियों को सहायतार्थ निम्नलिखित धनराशि वितरित की गई :—

सहायता पाने वाले ग्रामों की संख्या	धनराशि जो वितरित की गई
	रु0
42	12,710.00 निःशुल्क सहायता के रूप में
2	8,150.00 आपदा तकावी के रूप में
2	35,000.00 मुख्य मंत्री जी के सहायता कोष से
46	55,860.00

इसके अतिरिक्त अग्निकाण्ड से प्रभावित 13 ग्रामों में लेवी में छूट प्रदान की गई।

6—श्री काशी नाथ मेहरोत्रा—

[25-4-75 को अतारांकित प्रश्न संख्या 27 के अन्तर्गत उत्तरित।]

भूमिहीनों को मकान बनाने हेतु भूमि का आवंटन

7—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री बाबूलाल वर्मा—

क्या हरिजन कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 75 से सितम्बर, 75 तक कितने जिलों में भूमिहीनों को मकान बनाने के लिये कितनी-कितनी भूमि (जिलेवार) आवंटित की गयी तथा अभी कितनी भूमि आवंटन के लिये शेष है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिय नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 518–519 पर ।)

बाढ़पीड़ितों को सहायतार्थ आवंटित धनराशि

8—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जून, 75 से सितम्बर, 75 तक बाढ़ से कितने जिले प्रदेश में प्रभावित हुये तथा कितनी एकड़ कृषि भूमि जल प्लावित हुयी ? कितनी जन-धन की हानि हुयी ? सरकार ने बाढ़पीड़ित जिलों को कितनी कितनी सहायता प्रदान की ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

शासन को प्राप्त सूचना के अनुसार 32 जिले बाढ़ से प्रभावित हुये । उन जिलों का 19.89 लाख हेक्टेयर कुल क्षेत्रफल बाढ़, जलप्लावन आदि से प्रभावित हुआ था । 159 मनुष्यों व 524 पशुओं की जीवन हानि हुई थी । क्षति लगभग 200 करोड़ रुपये आंकी गई । शासन द्वारा जिलों को बाढ़-पीड़ितों की सहायता हेतु जो धनराशियां आवंटित की गयी हैं उनका विवरण संलग्न तालिका में दर्शाया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 520–521 पर ।)

बहराइच जिले में हदबन्दी के अन्तर्गत घोषित अतिरिक्त भूमि

9—श्री बाबू लाल वर्मा तथा श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 28·9·75 तक मंगलदेव विशारद कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बहराइच जिले में हदबन्दी कानून के अन्तर्गत घोषित कितने भू-स्वामियों पर कितनी भूमि निकली तथा कितनी भूमि भूमिहीनों में (तहसीलवार) वितरित की गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला देवरिया तथा तहसील हाटा के अन्तर्गत बाढ़ पीड़ितों के सहायतार्थ आवंटित धनराशि

10—श्री श्रीनारायण—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में बाढ़ ग्रस्त लोगों पर सरकार को इस वर्ष कितने रुपये खर्च करने पड़े हैं ? उनमें से हाटा तहसील में कितना खर्च हुआ है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

वर्ष 1975 में जिला देवरिया में बाढ़ ग्रस्त लोगों के सहायता हेतु निम्न धनराशियां आवंटित की गयी थी :—

				रु0
अहेतुक सहायता हेतु	..	..	..	1,15,000.00
गृह निर्माण अनुदान हेतु	..	..	..	30,000.00
प्रकीर्ण व्यय हेतु	..	..	..	2,00,000.00

उक्त धनराशियों में से हाटा तहसील के बाढ़ग्रस्त लोगों में निम्न धनराशियां वितरित की गयीं :—

				रु0
अहेतुक सहायता हेतु	..	..	..	17,000.00
गृह-निर्माण अनुदान	..	..	..	20,900.00
प्रकीर्ण व्यय में	..	..	..	13,750.00

हदबन्दी के अन्तर्गत जिलेवार घोषित अतिरिक्त भूमि का आवंटन

11—श्री बाबूलाल वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अक्तूबर, 1975 तक जोत हदबन्दी से कितने एकड़ भूमि उपलब्ध हुई तथा कितनी भूमिहीनों को जिलावार भूमि आवन्टित की गई ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 क अन्तर्गत अक्टूबर, 1975 तक 51,371 एकड़ भूमि पर कब्जा लिया गया। उसमें से 3565 एकड़ भूमि उक्त तिथि तक आवंटित की गई। आवंटित क्षत्रफल का जिलावार विवरण संलग्न अनुसूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 522 पर।)

बहराइच जिलान्तर्गत स्थित जंगलात में नाजायज कटान संबंधी केस

12—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या वन मंत्री को यह जानकारी है कि वर्ष 73 से जून, 75 तक बहराइच जिले में स्थित जंगलात में अब तक कितने एफ0 आई0 आर0 अथवा शिकायत नाजायज वन पेड़ों की कटान की हुयी है ? उनका पूर्ण विवरण क्या है तथा इस संबंध में क्या क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

1 जनवरी, 1973 से 30 जून, 1975 तक नाजायज कटान के कुल 682 केस हुए जिनमें 5,770 पेड़ों का कटान हुआ जिनका कुल मूल्य 2,06,275 रु0 17 पै0 है।

अन्य विवरण संलग्न सूची में है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 523-524 पर।)

13—श्री काशी नाथ मेहरोत्रा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

14—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री बाबू लाल वर्मा—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

देवरिया जिले के स्थायी और अस्थायी लखपाल

15—श्री श्रीनारायण—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले में कितने लेखपाल हैं तथा उनमें से कितनों की सेवायें स्थायी हैं ? कितने ऐसे ह जिनकी सेवायें दो वर्ष से अधिक की हैं परन्तु उनकी सेवायें स्थायी नहीं हुयी हैं ? क्या कुछ ऐसे भी हैं जो 10 वर्षों से निरन्तर कार्यरत हैं और उनकी सेवायें स्थायी नहीं हुयी हैं ? यदि हां, तो कितने और क्यों ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

कुल 468 लेखपाल है जिनमें से 427 की सेवाएं स्थायी हैं। 2 वर्ष से अधिक सेवा के 26 लेखपाल अस्थायी हैं परन्तु 10 वर्ष से अधिक सेवा का कोई भी लेखपाल अस्थायी नहीं है ।

16—श्री श्रीनारायण—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

राजेपुर ब्लाक, जिला फर्रुखाबाद के ग्रामों को गंगा व रामगंगा की बाढ़ से क्षति

17—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि राजेपुर ब्लाक फर्रुखाबाद जनपद के 201 ग्राम गंगा व रामगंगा नदी के बीच में बसे होने के कारण इस वर्ष बाढ़ की चपेट में रहे, जिससे कृषि इत्यादि की भारी हानि हुयी ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस ब्लाक को क्या-क्या सहायता प्रदान की ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिला फर्रुखाबाद में वर्ष 1975 में गंगा व रामगंगा की बाढ़ से 201 ग्राम चपेट में रहे, जिनमें ब्लाक राजेपुर के केवल 171 ग्राम ही थे। इन ग्रामों की खड़ी खरीफ की फसल को काफी क्षति हुई जिसके कारण समस्त राजकीय देयों की वसूली तत्काल स्थगित कर दी गयी थी। बाढ़ से प्रभावित लोगों को निःशुल्क खाद्य सामग्री तथा आवश्यक वस्तुयें, अहेतुक सहायता और गृह अनुदान भी प्रदान किया गया।

सलेमपुर, जिला देवरिया में हरिजनों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों को आवंटित भूमि पर कब्जा

18—श्री हरिकेवल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील में वर्ष 1974 से अक्टूबर, 75 तक किन-किन गांवों में कितनी-कितनी भूमि बसने हेतु हरिजनों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों में वितरित की गई है और उन लोगों का उक्त भूमि पर कब्जा करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक कब्जा करा दिया जायेगा ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

देवरिया जनपद के तहसील सलेमपुर में प्रश्नगत अवधि में 76 ग्रामों में 54.88 हेक्टेयर भूमि बसने हेतु हरिजनों, जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों में वितरित की गई। इनमें से 68 ग्रामों में आवंटित भूमि का कब्जा दिला दिया गया है। केवल आठ ग्रामों में उच्च न्यायालय द्वारा स्थगनादेश पारित हो जाने से कब्जा नहीं दिया जा सका है। उक्त 76 ग्रामों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 525–526 पर।)

देवरिया जिले में किये गये भूमि के पट्टों का विवरण

19—श्री हरिकेवल—

क्या राजस्व मंत्री यह भी कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले में किन-किन गांवों में कितनी कितनी भूमि का पट्टा वर्ष 1973 से अक्तूबर, 75 तक दिया गया है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जिला देवरिया की तहसील सदर में वर्ष 1973 से अक्टूबर, 1975 की अवधि में कृषि योग्य भूमि का कोई पट्टा नहीं हुआ है। शेष तहसीलों के ग्रामों में उक्त अवधि में हुये पट्टों का विवरण सदन के मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 527–530 पर।)

मिर्जापुर जिले के दुद्धी वन खंड, तुर्रा के विभागीय टेलीफोन के रख-रखाव पर व्यय की गयी धनराशि

20—श्री शिवसम्पति राम (जिला मिर्जापुर) तथा श्री श्रीनारायण—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले के दुद्धी वन खंड, तुर्रा में विभागीय टेलीफोन (वन विभाग का) के रख-रखाव पर वर्ष 1972–73 तथा 73–74 में कितना कुल व्यय किया गया है ? क्या यह सही है कि उपरोक्त टेलीफोन व्यवस्था 1 जनवरी, 73 से बेकार पड़ी है ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मिर्जापुर जिले के दुद्धी वन खंड, तुर्रा के अन्तर्गत 349 किलोमीटर लम्बी विभागीय टेलीफोन लाइन है। इसके रख-रखाव पर वर्ष 1972–73 तथा 73–74 में क्रमशः रु0 5,797.50 तथा रु0 7628.46 व्यय किया गया है। यह सही नहीं है कि उपरोक्त पूरी टेलीफोन व्यवस्था 1–1–73 से बेकार पड़ी है। हां, इतना सही है कि उपरोक्त 349 कि0 मी0 लम्बी टेलीफोन लाइन में से 1974–75 में 118 कि0 मी0 लम्बी लाइन को गांववालों के द्वारा बल्लियों को बार-बार चुरा ले जाने तथा बार-बार तार काट ले जाने के कारण बन्द कर देना पड़ा है।

देवरिया जिले के सिरसिया बुजुर्ग ग्राम में कथित अग्निकाण्ड

21—श्री श्रीनारायण—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मार्च, 75 में देवरिया जिले के नौरंगिया विकास खंड में सिरसिया बुजुर्ग ग्राम में भीषण आगजनी में हरिजन बस्ती के जल कर भस्म हो जाने की सूचना सरकार को प्राप्त हुयी ? उसमें किन–किन लोगों के घर जले और उनको सरकार ने क्या सहायता दी ? हरिजनों को सहायता की धनराशि न मिलने के क्या कारण हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

ऐसी कोई अग्नि-दुर्घटना नहीं हुई। प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

हरदोई जिले के मलइया ग्राम के हरिजनों को भूमि का आवंटन

22—श्री काशीनाथ मेहरोत्रा (जिला हरदोई)—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला हरदोई के अन्तर्गत तहसील संडीला के ग्राम मलइया में ग्राम समाज की कितनी-कितनी भूमि किन भूमिहीनों तथा हरिजनों में तथा कितनी-कितनी भूमि अन्य लोगों को पट्टे द्वारा 1974–75 में दी गयी और अब कितनी-कितनी भूमि ग्राम समाज की पड़ी हुई है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

तहसील संडीला के ग्राम मलइया में 1974–75 में 17 एकड़ भूमि 19 हरिजन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में तथा 38 एकड़ 45 अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में वितरित की गई। ग्राम समाज की 403 एकड़ भूमि अवशेष है, जो कृषि योग्य नहीं है।

तहसील नानपारा, जिला बहराइच में सीलिंग से प्राप्त भूमि का वितरण

23—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी—

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि जनपद बहराइच की तहसील नानपारा, बहराइच के कैसरगंज में किन-किन लोगों की जमीन सीलिंग में निकली तथा उनको किन किन लोगों में वितरित किया गया ? इनमें हरिजनों को जमीन दिये जाने का प्रतिशत क्या है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

तहसील ज्ञानपुर, वाराणसी में भूतपूर्व महाराजा, काशीनरेश की भूमि पर सीलिंग की कार्यवाही

24—श्री रामरति बिन्द—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के ज्ञानपुर तहसील में भूतपूर्व महाराजा काशी नरेश के पास कुल कितनी भूमि थी और क्या उस भूमि पर सीलिंग कानून लागू है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी जमीन सीलिंग में आ रही है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

भूतपूर्व काशी नरेश के नाम से वाराणसी जनपद के ज्ञानपुर तहसील के 175 ग्रामों में कुल 1016 बीघा 1 बिस्वा 4 धूर भूमि नान जेड ए खतौनी में सीर खुदकाश्त एवं सर-मुअइयन के रूप में अंकित है किन्तु 4 ग्रामों की सीलिंग के नक्शे तहसील ज्ञानपुर में बनाये गये और उन्हीं के आधार पर सीलिंग की कार्यवाही कुल 103 बीघा 13 बिस्वा 16 धूर भूमि पर की गई जिसमें से 97 बीघा 13 बिस्वा भूमि नियत अधिकारी दक्षिण द्वारा अतिरिक्त घोषित की गई। ।

171 ग्रामों पर कार्यवाही काशी नरेश एवं भारत सरकार के समझौते के अनुसार नहीं की गयी। भूतपूर्व शासकों के विशेषाधिकार समाप्त हो जाने के फलस्वरूप छूटी हुई भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में गंगा नदी के किनारे की परती भूमि को हरिजनों व कृषक मजदूरों में आवंटन की मांग

25—श्री राम रति बिन्द—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के ज्ञानपुर तहसील में गंगा नदी के किनारे कुल कितनी-कितनी तरी की जमीन अलग अलग गांवों में है तथा इसमें से कितनी जमीन पर काश्तकारों का नाम दर्ज है और कितनी बची हुयी है ? क्या बची हुयी जमीन को भूमिहीन हरिजन व कृषक मजदूरों में बांटने की कृपा की जायेगी ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

वाराणसी जनपद के ज्ञानपुर तहसील में गंगा नदी के किनारे कुल 68 ग्रामों में 12,108 एकड़ तरी की जमीन है जिसमें से 1272.40 एकड़ भूमि भौमिक अधिकार रखने वाले काश्तकारों के नाम अंकित है और शेष 10835.60 एकड़ भूमि गंगा नदी के अन्तर्गत पानी, बालू, रेत है।

गांववार विवरण की लिस्ट अवलोकनार्थ अध्यक्ष विधान सभा के कक्ष में उपलब्ध है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 531–534 पर।)

ग्राम गोकुलपुर, जिला बुलन्दशहर में ग्रामसमाज की भूमि का आवंटन

26—श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम गोकुलपुर, परगना डिबाई तहसील अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर में ग्राम समाज भूमि के भूमिहीनों को पट्टे दिये जा चुके हैं। यदि हां, तो उस भूमि को गंगा वास वालों को, जो दूसरे गांव के हैं, किस धारा के अन्तर्गत जिलाधिकारी महोदय, दिनांक 25 फरवरी, 1975 को बटवाने का निर्णय ले चुके हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

जी हां।

उक्त निर्णय जिले के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा धारा 198 जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत लिया गया।

पडरौना तहसील के संग्रह अमीनों के स्थानान्तरण की मांग

27—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि पडरौना तहसील में ऐसे कितने कर्मचारी (चपरासी तथा चौकीदारों को छोड़कर) हैं, जो पिछले दस वर्ष से इसी तहसील में हैं ? इनके इतने समय तक स्थानान्तरण न करने का क्या कारण है ?

श्री स्वामी प्रसाद सिंह—

केवल 18 संग्रह अमीन हैं जो पिछले दस वर्षों से पडरौना तहसील में ही कार्यरत हैं। संग्रह अमीनों का दूसरी तहसीलों में स्थानान्तरण सामान्यतः नहीं किया जाता है। यह लोग तहसील में ही एक सर्किल से दूसरी सर्किल में आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किये जाते हैं।

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों से हटाये गये हरियाना तथा मुर्रा सांड और उनके परिचरों की पुनर्नियुक्ति

28—श्री दशरथ सिंह (जिला गोडा) श्री कमला प्रसाद वर्मा तथा श्री श्रीनारायण—

क्या सरकार बतायेगी कि पूरे प्रदेश में कितने ऐसे ए० आई० सेन्टर हैं जिन पर से हरियाना सांड तथा मुर्रा सांड हटाये गये तथा उनको किस कार्य में लाया गया ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

प्रदेश में 154 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र ऐसे हैं जिन पर से हरियाना तथा मुर्रा सांड हटाये गए हैं। जो सांड हटाए गए उनमें से अधिकतर कृत्रिम गर्भाधान कार्य हेतु अन्य केन्द्रों पर रखे गये और कुछ सांड अंशदान पर वितरित कर दिए गए। जो सांड प्रजनन कार्य के लिये अनुपयुक्त पाए गए उनको नीलाम कर दिया गया।

29—श्री दशरथ सिंह, श्री कमला प्रसाद वर्मा तथा श्री श्रीनारायण—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जिन सांडों को हटाया गया उसके कारण कितने बुलक अटेन्डेन्ट खाली हुये तथा उनको किस कार्य पर लगाया गया ?

श्री अजीत प्रताप सिंह—

कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों से सांड़ हटाये जाने के फलस्वरूप 148 सांड परिचर प्रभावित हुए जिनमें से 109 सांड परिचरों को विभाग में खपा लिया गया है। शेष 39 सांड परिचरों को वरिष्ठता सूची के आधार पर सेवा से मुक्त कर दिया गया है।

नेता विरोधी दल के भाषण को समाचार पत्रों द्वारा न छापे जाने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

आज एक विशेषाधिकार की सूचना मिली है। अभी मैंने इसको देखा नहीं है। कल मैंने कहा था कि आप देखें तो मैं उस पर विचार करूंगा। इसको आपने आज 10 बजकर 37 मिनट पर दिया है, अभी मैंने इसका अध्ययन नहीं किया है। कल इसको मैं देखूंगा।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

कल तो एलेक्शन भी है।

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि मुझे अभी तो अपना मस्तिष्क लगाना पड़ेगा। जब आप अच्छा अवसर देखें तब हमसे इसको लेने के लिये कहें।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)—

उस वक्त तक क लिये आपका क्या फैसला है ? अध्यक्ष महोदय, आपने इस सदन की शान को बढ़ाया। जहां से हम सदन में दाखिल होते हैं, आपने रड कारपट लगवाया, गार्ड वगैरह में भी सुधार किया और मैंने कल भी कहा था कि सदन की हद जहां से शुरू होती है—स्पीकर्स गैलरी, प्रेस लाबी, सब आपके मातहत हैं। तो अगर इसको आप मुल्तवी करते हैं तो उस वक्त तक यहां की प्रोसीडिंग्स किस तरह से छपेंगीं। इसका निर्णय तो आपको देना होगा। आप आज ही कीजिये, वरना उस वक्त तक के लिये आप प्रेस गैलरी बन्द कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

यह आपका सुझाव है और निर्णय मुझे देना है। उस वक्त तक जैसे लोक सभा की कार्यवाही छपती ह, वैसे ही यहां भी होगी। यह आपने एक विशिष्ट मामला उठाया है। मने कार्यवाही देखी है, थोड़ा बहुत छपती भी है। इसलिय कार्यवाही छपने और न छपने का प्रश्न उठता नहीं है। प्रश्न तो यह है कि माननीय नेता विरोधी दल का भाषण जो है वह नहीं छपे।

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, एक बात सोचने की है। वह आपको भी अच्छी नहीं लगती होगी। एक तो यह कि कोई कार्यवाही नहीं छपती है तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन यहां तो केवल सरकारी पक्ष की कार्यवाही छपती है और विरोध पक्ष की नहीं छपती ह। इस पर मैं आपको एक शेर सुना देता हूं—

"इन हसीनों को खुदा ने खुद बनाया हाथों से,
और हम हैं वह कम्बख्त, जो ठेके पर बनवाये गये।"

श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो प्रश्न उठाया गया उसके संवैधानिक पहलू पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह प्रश्न जो है, यह कई रोज से चल रहा है।

श्री अध्यक्ष—

अभी उन्होंने सूचना दी है। मैंने इस पर विचार नहीं किया है। कल मैंने कहा था कि लिखित दे तो मैं देखूंगा कि क्या निर्णय दे सकता हूं। तो आप अभी कह रहे हैं।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976

राजस्व राज्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन को अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 535–54 पर।)

उत्तर प्रदेश नगरयोजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1976

स्वायत्त शासन मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करती हूं।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 547–550 पर।)

श्री शिव प्रसाद, सदस्य, विधान सभा की पुनः गिरफ्तारी की सूचना न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं। हमारे एक माननीय सदस्य, श्री शिव प्रसाद, आजमगढ़, जो डी0 आई0 आर0 में बंद थे और आपके यहां उसकी सूचना भी आ चुकी है और उनको डी0 आई0 आर0 में जमानत मंजूर हो गयी थी, श्योरिटी देनेमें 2-ढाई दिन लग गये और अब 23 तारीख को उनके खिलाफ मीसा लगा दिया गया और उसकी सूचना आज की तारीख तक आपके पास नहीं आई है और होम डिपार्टमेन्ट में भी नहीं आयी है। वोट के लिये बैलट पेपर वहां पर जाने की आज आखिरी तारीख है। मान्यवर, इसकी कुछ व्यवस्था करें। मैं जानना चाहता हूं कि विलंब क्यों हो रहा है और कहां पर है?

श्री अध्यक्ष—

वोट का प्रश्न तो अलग है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

आपके यहां नहीं आयी है। रिटर्निंग अफिसर मान्यवर, सचिव, विधान सभा है। उनसे कहकर बैलट पेपर वहां भिजवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

इसके एक पहलू को देख सकते हैं कि जो सूचना है, वह नहीं आयी है। मैं नहीं जानता कि कोई सूचना आयी है और सचिव भी कह रहे हैं कि नहीं आयी है। मैं समझता हूं कि यह काफी है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि एक सूचना दे रहे हैं। तार से नहीं बल्कि टेलीफोन से पूछ लिया जाय, अगर अब मीसा लग गया है तो रिटर्निंग आफिसर माननीय एस0 पी0 सिंह साहब वहां बैलट पेपर वोट भेजें और अवश्य वापस भी मंगवा लें। उनका अधिकार छिन रहा है।

श्री अध्यक्ष—

रिटर्निंग अफसर की जो ड्यूटी है वह उसका पालन करेंगे लेकिन वह मुझसे संबंधित प्रश्न नहीं है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

अभी तक इत्तला क्यों नहीं दी है? विशेषाधिकार का प्रश्न उठता है कि इत्तला क्यों नहीं दी? 23 तारीख से अब तक समय हो गया है।

श्री अध्यक्ष--

सूचना नहीं दी, विशेषाधिकार बनता है या नहीं, इसको तो देख सकता हूं।

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार का प्रश्न तो बाद में उठता रहेगा। लेकिन उनका वोट कैसे पड़ेगा? इसका कोई प्रबंध रिटर्निंग आफिसर साहब गवर्नमेंट से करें। चीफ मिनिस्टर साहब बैठे हैं, सब बातें सुन रहे हैं। आज 26 तारीख हो गयी है, उन्होंने भेजा नहीं तो क्या इन्तजाम होगा उनके वोट पड़ने का?

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

मान्यवर, जो प्रश्न समझ में आया वह है कि आजमगढ़ जिले में वह डी0 आई0 आर0 के बजाय मीसा में बन्द हैं इसलिये वह बैलेट के अधिकारी हैं। अभी तक मेरे सामने यह प्रश्न नहीं आया है, इसलिये मुझे जानकारी नहीं है। इस बीच अभी तक कोई मीसा मेरी जानकारी में नहीं लगाया गया है। लेकिन अभी बात आयी है; इसलिये पता लगाये लेता हूं, यदि मीसा में हैं तो बैलेट के अधिकारी हैं।

श्री अध्यक्ष--

बैलेट यहां से जाय भी तो वह कल तक नहीं पहुंचेगा।

चौधरी चरण सिंह--

मान्यवर, पहुंचाने का इंतजाम करना चाहिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मेरे पास सूचना आयी है कि मीसा लगा है और मुझे बताया गया कि मीसा नहीं लगा है। मैं अभी फिर जानकारी किये लेता हूं।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)--

फर्ज कीजिये कि मुख्य मंत्री जी को इत्तला आ जाय कि मीसा लगा है तो चौधरी साहब जो कह रहे है कि ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये जिससे बैलेट उनके पास पहुंच जाय और आ जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

कार में बैलेट पेपर जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

चौधरी चरण सिंह--

एतरज नहीं है लेकिन कौन करेगा? वोट आना चाहिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

उनको सुविधा दी जायेगी यदि रिटर्निंग आफिसर इंतजाम करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

मैं आशा करता हूं कि रिटर्निंग आफिसर को इस सम्बन्ध में उचित निर्देश मिले होंगे और उसके अनुसार वह कार्य करेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

उपनेता विरोधी दल से आग्रह करूंगा कि मेरे कार्यालय चलें और मालूम कर लें कि क्या स्थिति है।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

मान्यवर, हमारे दो कार्य स्थगन के प्रस्ताव हैं।

श्री अध्यक्ष--

अब कार्य स्थगन का सवाल नहीं उठता है।

श्री शिव प्रसाद, सदस्य विधान सभा की पुनः गिरफ्तारी की सूचना न मिलने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, आपने कह दिया कि हमारे बस की चीज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

नियम के अनुसार चुनाव की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के द्वारा संचालित होती है। मैं सचिव को इसके लिये काम करने की इजाजत देता हूं।

श्री त्रिवेणी सहाय—

[× × × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मैं कहना चाहता हूं कि कल 27 तारीख है और राज्य सभा के चुनाव शुरू होंगे। प्रदेश में कई ऐसे विधायक हैं जो जेल में बन्द हैं और उनको मतदान में भाग लेना है।

श्री अध्यक्ष—

मैं सिर्फ यह देख सकता हूं कि यदि मीसा लगा है और समय से सूचना अधिकारी ने नहीं दिया है; तो उसको देख सकता हूं।

श्री त्रिवेणी सहाय—

मान्यवर, क्रिमिनल केस में या किस केस में बन्द हैं? सदन की परम्परा रही है कि सरकार ने उनको छुड़ाकर वोट दिलवाया है। आज विरोध पक्ष के लोग डी0 आई0 आर0 में बन्द हैं, मीसा मे हैं, लेकिन लिखा है कि मीसा में लोग मतदान कर सकते हैं। यहां पर सदस्य उपस्थित नहीं हैं तो उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

अधिकार की रक्षा हो। लेकन अनाधिकार की रक्षा नहीं। मैं आपको इजाजत नहीं देता।

श्री त्रिवेणी सहाय—

अगर इनकी पार्टी का चुनाव होता.....

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता। कृपा कर आप आसन ग्रहण करें।

(श्री त्रिवेणी सहाय अपने स्थान पर बैठ गये।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं नेता विरोधी दल के राज्यपाल के भाषण पर एमेन्डमेंट के प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। उस तरफ के माननीय सदस्य ने जिस तरह से धन्यवाद का प्रस्ताव उपस्थित किया और जो कुछ उन्होंने कहा वह हमारी ही बातें कहीं हालांकि शुक्रिया राज्यपाल को दिया। इसी तरह से उस तरफ के सदस्य काशी नाथ जी ने भी हमारी

नोटः—[****] माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

†25 मार्च, 1976 की कार्यवाही से।

ही बातें कहीं। वह अन्तरात्मा की आवाज बोलें। तो अन्तरात्मा की आवाज दिल्ली से चल चुकी है। जो कुछ हमारे सामने वाले मित्रों ने कहा उसका पूरा निचोड़ यह रहा है कि जो इमरजेन्सी लगी वह विरोधी दल की वजह से लगी। मैं आपके माध्यम से सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि हमारी प्रधान मंत्री ने कहा कि खान अब्दुल गफ्फार खां और वली अहमद खां और उनकी तीसरी पीढ़ी जो रोल पाकिस्तान में अदा कर रहे हैं,वही रोल हम अदा कर रहे हैं। उनके बारे में प्रधान मंत्री ने क्या कहा और हमारे बारे में क्या कहा यह तो इसी से स्पष्ट हो जाता है। देश में लोकतंत्र कायम रहे। व्यक्तिगत रूप से न तो मैं तोड़ फोड़ का कायल हूं और न घिराव का कायल हूं और न किसी से दबाव डालकर इस्तीफा दिलाने का हामी हूं। लेकिन अगर हम अपनी बात कहें और वह जुर्म माना जाय तो वह जुर्म करने के लिये हम तैयार हैं। पिछली बार जब हमने कौंसिल हाउस के सामने सत्याग्रह किया था तो अपनी तकरीर में साफ कह दिया था कि न तो तोड़-फोड़ करने आये हैं और न चढ़ाई करने आये हैं न किसी का रास्ता रोकने आये है और न आग लगाने आये हैं लेकिन अपनी बात कहने आये हैं और अगर अपनी बात करना जुर्म है तो वह जुर्म करने आये है।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि देश में आज कौन सा ऐसा लोकतंत्र है, जम्हूरियत है, हमको बताया जाय, हम उस पर अमल करे। आखिर विरोधी दल का कोई रोल है या नहीं ? यह कहा गया कि एमरजेन्सी की वजह से रेलगाड़ियां वक्त से चलने लगीं, स्कूल कालेज तथा यूनिवर्सिटीज में बड़ा अमन चैन है, हरिजनों को जमीन बांटी गई, बिजली, सिंचाई के साधन बढ़ा दिये गये, कीमतें गिर गईं और प्रोडक्शन बढ़ गया। एक मेरे मित्र कल बोल रहे थे कि प्रोडक्शन बढ़ गया, दफ्तरों में बाबू ठीक समय से आने लगे। मैं उन्हीं चीजों को कह रहा हूं जो यहां लोग कहा करते हैं और विरोधी दलों के मुंह पर इमरजेन्सी तोमड़ लगा दिया गया, जम्हूरियत को दफना दिया गया। कहते हैं कि हिन्दू और मुसलमानों में झगड़े नहीं हुए। आपकी तरफ से यह कहा जाता है कि इमरजेन्सी से यह यह लाभ हुये हैं और रेलगाड़ियां समय से आ रही हैं। मान्यवर, इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने यह कहा था कि रेलों को ठीक समय से चलाने के लिये तानशाही चाहिये। रेल मंत्री हनुमन्तइया के समय में रेलें कैसे समय से चल रही थीं ? यह कहा गया कि कीमत गिर गई ? किन चीजों की कीमतें गिर गई हैं ? उन्हीं चीजों की कीमतें गिरी हैं जो काश्तकार पैदा करता है। जैसे गेहूं, चना, चावल और गुड़ वगैरह। उन चीजों की कीमतें नहीं गिरी हैं जिन चीजों को सरकार बना रही है या जिन पर उसका कन्ट्रोल है। कीमतें उन चीजों की गिरी हैं जिन चीजों को इस देश का 80 प्रतिशत निवासी पैदा करता है और वह यहां तक गिरी हैं कि आपको सपोर्ट प्राइस देना पड़ा है। जो चीजें आपके हांथ में हैं या जिन पर आपका नियंत्रण है जैसे खाद, बीज, पानी, सिंचाई, उनका क्या रेट है ? बिजली, गैस, कोयला, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, रेल का किराया, बस का किराया और यहां तक कि कुनैन तक के दाम आपने 100 गुने बढ़ा दिये हैं और फिर कहते हैं कि कीमतें गिरी हैं।

सिंचाई मंत्री (श्री लोकपति)—

देश को जितने पेट्रोल की आवश्यकता है वह कितनी है और कितना बाहर से आता है, आप कृपा कर यह भी बता दें ?

श्री नियाज हसन खां—

मान्यवर, पानी सिंचाई, रेल का किराया और बस का किराया आपके कन्ट्रोल में है उसमें बतायें कितनी कीमतों में कमी हुई है। जितनी भी आपके नियंत्रण में चीजें हैं उन सभी के दाम बढ़े हुये हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ने कहा कि प्रोडक्शन बढ़ा है, मान्यवर,

[श्री नियाज हसन खां]

रिसेशन है, इनफ्लेशन है। किसान की परचेजिंग पावर ही नहीं रह गई है कि वह खरीद सके। इस देश के 80 फीसदी लोगों की परचेजिंग पावर ही नहीं रह गई है। कारखानों में माल डम्प पड़ा है, गंजा पड़ा है, उसको खरीदने वाला ही कोई नहीं रह गया है और ऐसी हालत में आप कहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ा है। आप यह कहते हैं कि कारखानों में इमरजेन्सी में हड़ताल नहीं हुयी है हड़तालों की इजाजत नहीं है। किसी ने आवाज उठाई और वह बन्द कर दिया गया। बोनस के मामले में आपको क्या कहना है? बिजली के रेट्स बढ़े हैं। कहा गया कि दफ्तर में बाबुओं ने वक्त पर आना शुरू कर दिया यह एमरजेंसी का असर है। चौधरी साहब के जमाने में कोई इमरजेंसी नहीं थी। यूनिवर्सिटी के एक नुक्ते को ठीक करने से वह सही ढंग से चलने लगी थी और दफ्तर में बाबू भी वक्त से आने लगे थे। उस समय एमरजेंसी की जरूरत नहीं थी लेकिन आज है तो यह एमरजेन्सी आपको ही मुबारक हो असल में इस एमरजेसी के निशाना हम लोग हैं। सरकार के सारे साधन पुलिस सब हमारे खिलाफ लगे हैं।

जरायम की आज क्या हालत है? दिन-दहाड़े कत्ल हो रहे हैं। इलाहाबाद, लखनऊ व प्रतापगढ़ मार्ग पर जहां से यह खाकसार आता है 7 आदमी एक रात में कत्ल कर दिये गये। हमारे यहां मानिकपुर टाउन एरिया में चेयरमैन टाउन एरिया मानिकपुर 24 वर्ष का जवान लड़का होली के दिन दिन दहाड़े ढाई बजे गोली से मार दिया गया और सर काट कर फेंक दिया गया और वे कातिल लखनऊ में घूम रहे हैं और वे कहते फिरते हैं देखें कौन हमको पकड़ता है और कौन मुकदमा चलाता है? सूरते हाल यह है कि जिलाधीश ने 12 दिसम्बर, 75 को लिखा था कि इन कातिलों के हथियार रखा लिये जाय चूंकि ये हरिजनों व अल्पसंख्यकों को निशाना बनाये हुए है लेकिन आज तक उस पर अमल नहीं हुआ राज्य गृह मंत्री ने इस सम्बन्ध में कदम भी उठाया। कुछ सब इंस्पेक्टर्स को तब्दील किया, लेकिन फिर रोक दिया गया। लिहाजा एमरजेंन्सी पुलिस एक्जिक्यूटिव के लिये लागू नहीं है, यह हमारे लिये लागू है। यह मुल्क जायगा कहां?

रिश्वत का क्या हाल है। मामूली कांस्टेबिल आकर पकड़ लेता है और कहता है कि पहले 100 रुपये देते थे, अब 200 रुपये दो क्योंकि एमरजेन्सी है। मैं सरकारी कर्मचारियों का आदर करता हूं, लेकिन इस सरकार ने आज आई0 जी0 व होम सेक्रेटरी से लेकर मामूली कांस्टेबिल तक को झूठ बोलना सिखा दिया है। और यह भी सिखा रहे हैं कि इस इस तरीके से साइक्लोस्टाइल्ड एफ0 आई0 आर0 बनाओ। तो आप बतायें कि समाज कहां जायगा? जब इतने बड़े-बड़े अफसरों को हम यह सिखायें कि तुम सरासर झूठ बोलो और हमारे ऊपर मुकदमा कायम करो, बन्द करो तो ढांचा कहां जायेगा?

राम मूर्ति जी के लिये कह दिया कि रेल में खड़े हुये थे और तोड़ फोड़ कर रहे थे। तो इस प्रकार टाप अफसर से लेकर नीचे तक आप सिखायेंगे—ईश्वर के यहां देर है अंधेर नहीं है—तो इतिहास के पन्नों में क्या लिखा जायेगा? मेरे जो साथी उधर बैठे हैं मैं उनसे बड़े अदब के साथ पूछना चाहता हूं कि क्या इसी तरह से सरकार का ढांचा होना चाहिये? अध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारी, खासतौर से पुलिस ने ऐसी फिरे नियत पैदा कर दी है कि सभी आदमी उनसे बात करने में डरते हैं। मेरे माननीय मित्र बैठे हैं, उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन बढ़ गया।

मैं आपसे पूछता हूं कि ला एन्ड आर्डर कहां हैं यह आपने नहीं बताया? अध्यक्ष महोदय, इमरजेन्सी में कोई अधिकार नहीं रह गये हैं। उनको गिनाना ही बेकार है जो सबसे मौलिक अधिकार हमारा हकाये जिन्दगी है वह भी खत्म हो गयी। तो तब ऐसी इमरजेन्सी फले, फूले और मुबारक हो।

अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कार्पस के ऊपर बहस हो रही थी तो सरकार की तरफ से नीरेन डे ने बहस करते हुये जज साहब से सवाल किया था कि एक डी० एम० यदि किसी व्यक्ति से खफा है और वह कह दे कि आपका चेहरा हमको पसन्द नहीं है और गोली मार दें तो उसका अधिकार कोर्ट में जाने का है या नहीं ? जवाब मिलता है कि इन परिस्थितियों में इमरजेन्सी में उसका अधिकार नहीं है। इसी सिलसिले में अध्यक्ष महोदय, जो बहस वहां हुई है उसके दो-चार शब्द में आपको सुनाना चाहता हूं। इसमें लिखा है—

"Citizens will be reduced to the status of slaves if Government's stand on rights is accepted. The citizens of India would be reduced to a state of "almost total right lessness" if the arguments on behalf of Union and some other State Governments on the suspension of Articles 21 and 22 of the Constitution relating to the enforcement of right to life and personal liberty and other fundamental rights were accepted. Counsel for some detenus contended.

Mr. Divan said that even in Roman law, a slave could approach certain authorities if he was badly or inhumanly treated; but the Executive in a Sovereign Democratic Republic like India was claiming such startling unlimited and arbitrary powers to even detain any person without the authority of law or by overriding Constitutional or legal provisions relating to protection of life and liberty of the citizens."

अध्यक्ष महोदय, सभी दरवाजे बन्द कर दिये गये। जायें तो जाय कहां ?

"The Executive Authority in India cannot act to the prejudice of any person or to the detriment of any person on the ground that it is omnipotent. It must produce the cover of law or the authority of law which warrants its action.

Replying to a question from the Chief Justice, Mr. A. N. Ray, Mr. Justice H. R. Khanna and Mr. Justice M. H. Beg, Mr. Divan said that the object of preventive detention laws was to isolate persons suspected to act prejudicial to public security or public order. It was merely preventive and not punitive."

अध्यक्ष महोदय, यह कौन सा लोकतंत्र है, यह कौन सी डिमोक्रेसी है वह आप हमें बतायें कि किस तरह से विरोधी दल वालें चलें ? प्रेस के बारे में क्या कहूं। इस संबंध में तो एक बहुत बड़े एडीटर ने जो लिखा है वह आपके सामने पेश करना चाहता हूं :—

One of the Indian's senior editors, Chalapathi Rau, ironically of the National Herald, which was founded by Mrs. Gandhi's father, Jawaharlal Nehru, managed by her husband, the late Feroze Gandhi and now with Rajni Patel, Congress leader in Bombay and close confidant of Mrs. Gandhi on its board of directors, has expressed dissatisfaction with the

censorship. The press, he has written, has lived so far by disclosures and cannot be turned into an information department with censors flourishing their blue or red pencils like Major Doms or Major Generals.

जैसा मैंने कल कहा था आखिर यह कहां का न्याय है हम इतना कुछ कहें वह कुछ न छपे और आप कुछ न कहे सब छप जाय ? अध्यक्ष महोदय, जुडिशियरी की क्या हालत है उस पर हमारे नेता विरोधी दल ने काफी रोशनी डाली है मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। जिस-जज ने जरा हिम्मत की उसे रोक दिया गया। अध्यक्ष महोदय, बहुमत का मतलब एसेम्बली और पार्लियामेन्ट में बैठने वालों ने हिटलर से लिया है वैसी ही तानाशाही आ गयी है। अपनी तादात को बढ़ाने के लिये उसने 49 आदमियों को मौत के घाट लगा दिया और तादाद बढ़ गई और संविधान में जो चाहा वह पास कर दिया। वही बात यहां भी नजर आ रही है। किसी न किसी प्रकार से तादाद घटाकर संविधान में जो चाहा कर लिया। संविधान को तो मैं कहूंगा कि एक रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है यह मैं बड़े अदब से कहना चाहूंगा।

अभी जो आपका राष्ट्रपति शासन लागू हुआ उसके संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। जो यहां पर कुछ दिनों के लिये राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और बहुगुणा जी की मिनिस्ट्री चली गई तो यह संविधान की कौन सी धारा के मातहत किया गया ? क्या उनके खिलाफ नो-कांफिडेंस पास हुआ ? या उनको लेजिसलेचर पार्टी ने उनके खिलाफ अविश्वास पास किया ? एक दिन उनसे कह दिया कि आप जायं और फिर दूसरी मिनिस्ट्री आ गई। यह कौन सा संविधान है ? लेजिस्लेचर पार्टी को बुलाना चाहिये था, उनकी राय लेनी चाहिये थी और अगर उनकी पार्टी कहती तो निकाल बाहर करते मगर अध्यक्ष महोदय, आपका कोई संविधान नहीं रह गया है और दिल्ली से आदेश चलता है, उसके अनुसार काम होता है जैसे कि हिटलरशाही चलती थी। (लाल बत्ती होने पर) श्रीमन्, अभी 10 मिनट और लूंगा। मेरे पास एक महत्वपूर्ण खत है, जो जे0 पी0 जी ने जेल से प्रधान मंत्री को लिखा है, वह सदन में अवश्य पढ़ना चाहता हूं जिसकी वजह से पूरी इमरजेन्सी लगी। अध्यक्ष महोदय, कहा गया है कि रायट्स नहीं होते हैं, किन्तु अभी हाल में सम्भल में बड़ी दर्दनाक घटना हुई। जो गुजरात में हुआ वह भी बहुत अफसोसनाक और शर्मनाक घटना थी। किन्तु आपके यहां जो हुआ उसको कम्प्लीटली ब्लैक आउट कर दिया गया। वहां सैकड़ों दूकानें जल गईं मस्जिद के इमाम का गला काट-कर फेंक दिया गया। अखबार में कुछ नहीं आया और सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी।

जब चीन ने इस देश पर आक्रमण किया था उस दिन से बराबर नेशनल हेराल्ड में जवाहर लाल जी के यह शब्द "फ्रीडम इज इन पेरिल, डिफेण्ड इट विद आल योर माईट" निकाल रहे थे। किन्तु जिस दिन से यहां इमरजेन्सी लगाई गई, उस दिन से यह हरुफ गायब कर दिये गये। इसलिये कि उससे लोग प्रेरणा ग्रहण करेंगे और सरकार की मनमानी, अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध उठ खड़े होंगे। क्या अब फ्रीडम इज नाट इन पेरिल ? आप अपने दिलों पर हाथ रखकर इस पर सोचें।

चौधरी साहब ने प्रिंस आफ वल्स के बारे में भी जिक्र किया, मैं व्यक्तिगत बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं अपने साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि क्या ये गरीब लोग, क्या यह गरीब देश, यह शान शौकत बरदाश्त कर सकता है ? खुद सोचिए और जवाब दीजिए। अभी जो नया मंत्रि मंडल बना उसने एक नया सरकस, नया नाटक करना शुरू कर दिया है कि कैबिनेट की मीटिंग बाहर जिलों—रायबरेली और बुलन्दशहर में हुई हैं। मुझे मालूम हुआ कि जब रायबरेली में कैबिनेट हुई तो उसमें सभी मंत्री बस से गयें और उनकी कारें भी पीछे-

पीछे चल रही थी। और एक लुत्फ की बात यह है कि एक तस्वीर अखबारों में छपी है; पूरी कैबिनेट सैल्यूट ले रही है। यह सैल्यूट ले रहे थे या दे रहे थे यह मैं नहीं समझ पाया। क्योंकि एक तरफ एक कांस्टेबिल की तस्वीर थी और दूसरी तरफ पूरे कैबिनेट की तस्वीर थी। उसे देखकर मैं तो समझा कि पूरी कैबिनेट कांस्टेबिल को सैल्यूट दे रही है। (हंसी) बुलन्दशहर की कैबिनेट मीटिंग में ला एण्ड आर्डर की जो फीगर रखी गई, उसके अनुसार वह 6 गुना बढ़ी है, चोरी, डकैती, लूट, रेल, डकैती, हत्याएं सब बढ़ी हैं। यदि इमरजेन्सी में चोरों, डाकुओं और तस्करों पर भी कुछ होता तो मुझे तसल्ली होती। मान्यवर, यह कहते हैं कि बड़ी शान्ति है, किन्तु इनके ही आंकड़ों के अनुसार इधर जितने ट्रांसफार्मर चोरी गये हैं, उतने कभी नहीं गये। बिजली मंत्री जी जब बोलें तो इसका जवाब अवश्य दें।

श्रम, विद्युत् एवं स्वायत्तशासन मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

सब रिप्लेस करवा दिये हैं।

श्री नियाज हसन खां—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता केवल जिसके बिना पर कहा जाता है कि इमरजेन्सी लागू हुई उसकी नोविलटी देखें—यह मान्यवर, 21 जुलाई का है।

"Dear Prime Minister, I am appalled at press.....

श्री अध्यक्ष—

अंग्रेजी का हिन्दी कर दें।

श्री नियाज हसन खां—

मान्यवर, आप भी जब कोलम्बो गये थे तो.....

श्री अध्यक्ष—

मैं इंग्लैण्ड से अंग्रेजी हटाने का पक्ष धर नहीं हूं, हिन्दुस्तान से।

श्री रुद्र प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

मान्यवर कुछ समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष—

अपनी बात को जो कम लोगों को समझाना चाहता है तो मैं क्या करूं?

श्री रुद्र प्रसाद—

अध्यक्ष महोदय एक कहावत है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य बोल रहे हैं, जब वह बैठ जाये, तब।

श्री नियाज हसन खां—

"I am appalled at press reports of your speeches and interviews. (The very fact that you have to say some thing every day to justify your action implies a quality conscience.) Having muzzled the press and every kind of public dissent, you continue with your distortions and untruth without fear

[श्री नियाज हसन खां]

of criticism or contradiction. If you think that in this way you will be able to justify yourself in the public eye and damn the Opposition to political perdition, you are surely mistaken. If you doubt this you may test it by revoking the emergency, restoring to the people their fundamental rights, restoring the freedom of the press, releasing all those whom you have imprisoned or detained for no other crime than performing their patriotic duty. Nine years, Madam; is not a short period of time for the people, who are gifted with a sixth sense, to have found you out.

The Burden of the Song

The burden of your song, as I have been able to discover, is that (a) there was a plan to paralyse the Government, (b) that one person had been trying to spread disaffection among the ranks of the civil and military forces. Those seem to be your major notes. But there have been also minor notes. Every now and then you have been doing out your obiter-dicta such as the nation being important than democracy and about the suitability of social democracy to India, and more in the same vein.

As I am the villain of the peace, let me put the record straight. This may be of no interest to you for all your distortion and untruth are wilful and deliberate but at least the truth would have been recorded.

About the plan to paralyse the government. There was no such plan and you know it. Let me state the facts.

Of all the States of India it was in Bihar alone where there was a people's movement. But there too, according to the Chief Minister's many statements, it had fizzled out long ago, if it had ever existed. But the truth is and you should know if your ubiquitous Intelligence has served you right that it was spreading and percolating deep down in the countryside. Until the time of my arrest 'Janta Sarkars' were being formed from the village upwards to the Block level. Later on, the process was to be taken up, hopefully; to the district and State level.

Programme of Janta Sarkars

If you have cared to look into the programme of the Janta Sarkars; you would have found that for the most part

it was constructive such as regulating the public distribution system; checking corruption at the lower levels of administration, implementing the land reform laws, settling disputes through the age old custom of conciliation and arbitration, assuring fair deal to harijans, curbing such social evils as **tilak** and **dahez** etc. There was nothing in all this that by any stretch of the imagination could be called subversive....."

श्री अध्यक्ष--

अभी कितने पेज शेष हैं ? आप जानते हैं कि मैं अपनी तरफ से सदन में अंग्रेजी में बोलने की इजाजत नहीं देता हूं। आप इसको हिन्दी, उर्दू में कराकें रख दें ?

श्री नियाज हसन खां--

इनकी नोबिलिटी देखिए। ये इस पत्र को सुनना नहीं चाहते हैं। इतिहास में कभी तो रिकार्ड आयेगा। अब मैं इसका आखरी पैरा पढ़ता हूं जो इस प्रकार है :

"You have accused the opposition and me of every kind of villainy. But let me assure you that if you do the right things, for instance; your 20 points; tackling corruption at Ministerial levels; electoral reforms etc, take the opposition into confidence, heed its advice, you will receive the willing co-operation of every one of us. For that you need not destroy democracy. The ball is in your court. It is for you to decide.

With these parting words, let me bid you fare well. May God be with you."

इससे अध्यक्ष महोदय, आप नियत समझ सकते हैं।

श्री राज बहादुर चन्द (जिला बस्ती)--

मान्यवर, अब यह सब दल मिल कर एक दल हो गया है। यदि आप इन दलों के सदस्यों को इतना-इतना समय देंगे तो अन्य माननीय सदस्यों को समय नहीं मिल पायेगा। मेरी प्रार्थना है कि सब को बराबर समय मिलना चाहिये ?

श्री रुद्र प्रसाद--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है।....

श्री अध्यक्ष --

माननीय राज बहादुर चन्द को मालूम होना चाहिये कि माननीय नेता विरोधी दल ने जो घोषणा की है, वह एक तरह से अस्थाई है क्योंकि हमारे पास कोई लिखित चीज नहीं है।

श्री रुद्र प्रसाद--

यदि वे कोई भाषा नहीं जानते तो क्या अर्थ निकलेगा ?

श्री अध्यक्ष--

यदि ऐसा कोई सदस्य खड़ा होकर कहें कि क्या अर्थ निकलता है तो उसके लिये मैं क्या कहूं। (हंसी)

श्री ऊदल (जिला बाराणसी)--

मान्यवर, ये लोग श्री जयप्रकाश नारायण जी की बात को सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री नियाज हसन खां—

हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में और सरकार की ओर से हरिजन भाइयों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। अब मैं उनकी दशा के बारे में कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

(शोर)

श्रीमन्, न तो ये माननीय जय प्रकाश नारायण की बात सुनना चाहते हैं और न मेरी बात।

श्री अध्यक्ष—

आप सुनाना भी नहीं चाहते हैं। अगर आप इन्हें सुनाना चाहते तो इसे हिन्दी में करके लाये होते।

श्री नियाज हसन खां—

आपकी इजाजत होगी तो मैं आऊंगा और सुना भी दूंगा। हमारी सरकार ने एक हरिजन वित्त विकास निगम की स्थापना की है और कहा है कि इसके माध्यम से हरिजनों को डेरी के लिये कुछ रुपयों की बैंक से सिफारिश करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जब से निगम बना किसी एक हरिजन को भी उसने पैसा दिया, अगर दिया तो बताएं, मैं बैठ जाता हूं। वह दौड़ता है, बैंक जाता है लेकिन वह कहते हैं कि जिसका फिक्स्ड डिपाजिट या सेविंग्स बैंक एकाउन्ट हो उसकी गारंटी लाओ। वह बेचारा अपने गोरू, जानवर, सब ले कर जाता है लेकिन वह कहते हैं, नहीं। तो जबसे यह निगम कायम हुआ है अगर एक हरिजन को भी एक पैसा मिला हो तो मैं बैठ जाता हूं। इन शब्दों के साथ मैं उस तरफ बैठने वालों से अनुरोध करूंगा कि अपने कलेजे पर हाथ रख कर सोचें।

श्री राम मूर्ति—

कलेजा है ही नहीं, हाथ कहां रखें।

*श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया (जिला आगरा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का समय दिया। मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और आशा करता हूं कि विरोधी दल भी इस प्रस्ताव का समर्थन करेगा।

जहां तक मैं समझता हूं इसमें कोई दो रायें नहीं है कि विरोधी दल ने समुचित रूप से इस देश के लिये कार्य किया होता तो प्रधान मंत्री ने जो इमर्जेन्सी घोषित की है, वह शायद न कर पातीं। विरोधी दल की हमेशा दुमुंही नीति रही है। एक तरफ तो जब वह इस सदन में आते हैं तो कहते हैं कि मजदूर की कीमत बढ़ाओ और जब पब्लिक में जाते हैं तो कहते हैं कि किसान की कीमत बढ़ाओ। इस दुमुंही नीति के कारण ही इस देश और प्रदेश की हालत हुई। जिसके कारण आज सरकार को इमर्जेन्सी लगानी पड़ी। इमर्जेन्सी लागू होने के बाद जो देश में सामानों की कीमत घटी और जो चीजे पहले बाजार में मोहय्या नहीं थीं, जैसे साबुन, कपड़ा, गल्ला, वैजिटेबिल आयल वगैरह वह आज खुले आम बाजर में मिल रही हैं, इससे भी जाहिर होता है कि इमरजेन्सी की आवश्यकता थी।

विरोधी दलों का जनता के बीच में यह कहना कि सरकार को फेल करो, टैक्स न दो, विधान सभाओं में चुने हुये नुमायन्दों को जाने से रोकना, इन सारी बातों के कारण ही देश के अन्दर वह हालत पैदा हुई कि आपात्कालीन स्थिति की घोषणा करनी पड़ी। इसका श्रेय बिरोधी दल को ही है, प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी को नहीं है, कांग्रेस सरकार को नहीं है। प्रधान मंत्री ने बार-बार कहा है कि अगर विरोध पक्ष अनुशासन में आ कर यह वायदा करे कि हम सही प्रजातांत्रिक ढंग से कार्य करेंगे तो वह इमर्जेन्सी को खत्म करने के लिये तैयार हैं। लेकिन आज विरोध पक्ष इस बात के लिये तैयार नहीं है कि अनुशासन में रह कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस ढांचे को चलायें। उसका उद्देश्य तो एक ही है कि किसी भी प्रकार से इस देश में गड़-बड़ी पैदा की जाय और प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी अपनी कुर्सी से हटा दी जायं। एक तरफ तो विरोध पक्ष यह कहता है कि हम न्याय में विश्वास करते हैं और दूसरी तरफ जब हाई कोर्ट का फैसला हुआ और उसने यह निर्णय दिया कि प्रधान मंत्री को अवसर है कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील करें तो उस समय क्या विरोध पक्ष ने इस बात को माना ? क्या उस वक्त उसने यह नारा नहीं उठाया कि इन्दिरा गांधी इस्तीफा दें और राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट के घेराव की तारीख निश्चित कर दी ? तब हालत वही होती जो बंगला देश की हुई। प्रधान मंत्री ने इमरजेन्सी घोषित करके उस स्थिति से बचाया।

आज आम जनता इस बात को कह रही है कि इमरजेन्सी से देश बच गया। इमरजेन्सी अवश्य लागू की जानी चाहिये थी। विरोध पक्ष वाले सरकारी कर्मचारियों को भड़काते थे, रेल कर्मचारियों को भड़काते थे, रेल जो 2–3 घंटे लेट चला करती थीं, अब सभी समय से चलने लगी हैं। पहले महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर विरोध पक्ष द्वारा किस प्रकार विरोध प्रकट किया जाता था सभी जानते हैं अब की बार विरोध तो प्रकट हुआ किन्तु अनुशासनबद्ध तरीके से हुआ। इसका श्रेय सब इमरजेन्सी को ही जाता है। इमरजेन्सी को विरोध पक्ष भी मानता है। मगर चूंकि वह विरोध पक्ष में बैठता है इसलिये उसे तो विरोध में कुछ कहना ही है। आज विरोध पक्ष में बैठने वाले बहुत से माननीय सदस्य कांग्रेस की नीतियों में विश्वास करने लग गये हैं और वे चाहते हैं कि उसको कांग्रेस में शामिल कर दिया जाय। वे भी इन्दिरा जी की नीति में विश्वास करने लग गये हैं। जो बहुत से लोग डी0 आई0 आर0 तथा मीसा में बन्द हुये उन्होंने भी इन्दिरा जी की नीति में विश्वास प्रकट किया है। आप देखेंगे कि हर चीज के दाम काफी गिरे हैं। 26–6–75 को बनस्पति टिन के दाम 178 रुपये थे, जो गिर कर 15–3–76 को 107 रु0 रह गये। मूंगफली के तेल के दाम भी 780 रुपये से गिरकर 459 रुपये रह गये। इसी प्रकार सरसों के तेल के दाम भी काफी गिरे। अन्य चीजों के दाम भी गिरे।

साढ़े 9 लाख से अधिक लोगों को कृषि भूमि आवंटित की गयी। बंधक मजदूरी प्रथा कानूनन समाप्त की गयी। भूमिहीन मजदूर, छोटे किसानों और दस्तकारों के कर्ज रद्द किये गये। खेतिहर मजदूरों की मजदूरी की दरें बढ़ाई गयीं। कई सिंचाई परियोजनाओं को समय से पूर्व पूरा करके कुल सिंचन क्षमता 74 लाख हेक्टेयर तक पहुंचायी गयी। कार्य में तेजी और समय से पूर्व परियोजनाओं की पूर्ति द्वारा 3.20 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया। बुनकरों को सूत उपलब्ध कराने और उनके माल की निकासी में उल्लेखनीय सफलता हुई है। बाजार भाव से कम मूल्य पर कपड़ा उपलब्ध कराने के लिये 49 भंडार खोले गये। चीनी मिलों में मजदूरों की साझेदारी की योजना लागू की गयी। छात्रावासों में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खोली गयीं। इन्टर तक की पुस्तकों के सरकारी प्रकाशन का निर्णय लिया गया। इस तरह से देखा जाय जो इमरजेन्सी से चतुर्भुजी लाभ हुआ है। सारा विश्व आज नतमस्तक हो रहा है और हमारी प्रधान मंत्री जी का विश्व में 6ठवां स्थान है।

मान्यवर, विरोध पक्ष नें जो भाषण दिये उनमें संजय गांधी, इन्दिरा गांधी व नेहरू जी के नामों के अलावा कोई सुझाव किसी नें नहीं दिये। मेरे ऊपर तो यह असर पड़ा कि विरोध पक्ष की शायद कोई निजी दुश्मनी या निजी विरोध श्रीमती इन्दिरा गांधी या उनके पुत्र से है। मैं डाइरेक्ट बात नहीं कहता लेकिन कुछ समय पूर्व विरोध पक्ष के एक महान नेता महिलाओं के पक्ष में राजनीति में आने के नहीं थे लेकिन जब चुनाव हुआ तो वे महिला को टिकट देकर चुनवा कर ले आये। तो सगुण की बात होनी चाहिये, निर्गुण की बात नहीं। ऐसा कौन व्यक्ति है जो नहीं चाहता कि मेरा बच्चा आगे बढ़े; उसके घर वाले आगे बढ़े ? इन सारी बातों को देखते हुए मैं यही कहूंगा कि हर मनुष्य, हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसका बच्चा आगे बढ़े। राम ने भी चाहा था कि उनका बच्चा आगे बढ़े, और हर नेता चाहता है कि उसका बच्चा पढ़े लिखे और योग्य बन कर आगे बढ़े। कोई आदमी यह नहीं चाहता कि अगर वह मंत्री है तो उसका बच्चा चपरासी बने। वह भी यही चाहता है कि उसका बच्चा

[श्री राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया]

भी शिक्षा प्राप्त करके योग्य हो तथा आगे बढ़े। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सारा सदन इसका समर्थन करेगा।

*श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत संशोधन के प्रस्ताव पर बोलने के लिये अवसर प्रदान किया है। मान्यवर, मैं यह सोच रहा था कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ ऐसी बातें अवश्य होंगी जिससे मैं भी धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करूं; लेकिन जब मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ा तो मुझे इससे घोर निराशा हुई।

(इस समय 1 बजकर 6 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुये।)

जैसा कि हम आशा कर रहे थे कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इस प्रदेश को नयी दिशा मिलेगी और प्रदेश को नये विकास का अवसर मिलेगा, लेकिन वास्तव में जैसा कि मैंने सोचा था, वे चीजें देखने को नहीं मिलीं। यह सही है कि कल से इस पक्ष और सत्ता पक्ष के लोगों में जो चर्चा हो रही है, दोनों तरफ आपातकालीन स्थिति पर विशेष बल दिया गया है। मैं भी मान्यवर, आपके माध्यम से यह बतलाना चाहता हूं कि 11 मार्च, 1926 को स्वर्गीय पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त ने उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल में अंग्रेजों के खिलाफ इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने पर अपना एक भाषण दिया था और उस भाषण का एक अंश जो पंडित पंत के मूर्ति अनावरण के समय 2 अक्टूबर, 75 को एक पत्रिका ने प्रकाशित किया। उस समय उन्होंने अपने जो विचार प्रकट किये हैं उसका कुछ अंश मैं पढ़ देना चाहता हूं। भविष्य दृस्टा पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त ने जो अपने विचार व्यक्त किये थे वे ये थे— "सरकार मौजूदा भ्रष्ट शासन पद्धति में बिना कोई सुधार किये हुए राष्ट्र को कुछ बुरी तरह से झुकाने के लिये बाध्य करना चाहती है, जनता का सहयोग तथा औरों का सहयोग प्राप्त किये बिना, क्योंकि सरकार की नियत साफ नहीं है।" उसके आगे फिर यह कहा—"मैं विस्तार पूर्वक हुकूमत की टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और न तो उसके गुण दोषों की ओर ही संकेत करना चाहता हूं। लेकिन मैं इस बात को अवश्य कहता हूं कि वह जन सहयोग को तथा जनमत की दिनों दिन उपेक्षा करती जा रही है और वह सुविधानुसार अपने बार-बार दोहराये गये प्रस्तावों की घोषणाओं को भी जब चाहती है, रद्दी की टोकरी में फेंक देती है। और जनमत को रौंदने तथा हमारी कमजोरियों का नाजायज फायदा उठाने के लिये हमेशा तैयार रहती है। हमारी स्थिति यहां कितनी असहाय और कमजोर है यह देखकर मुझे अक्सर बेहद तकलीफ होती है।"

मान्यवर, आगे चलकर फिर कहा है कि 'सरकार पूरी तौर से निरंकुश और तानाशाह बन गयी है?'

श्री उपाध्यक्ष—

यह आप कहां से और क्या पढ़ रहे हैं?

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, मूर्ति अनावरण समारोह के सिलसिले में जो पुस्तिका है उसमें से यू0 पी0 लेजिस्लेटिव कौंसिल में 11 मार्च, 1926 को पं0 गोविन्द बल्लभ पन्त का भाषण का अंश मैं पढ़ रहा हूं। मान्यवर, कुछ अंश पढ़ रहा हूं इसको पूरा नहीं पढ़ रहा हूं। उन्होंने आगे चल कर कहा है कि "मैं इस प्रकार बहुत सारे उदाहरण देनें की जरूरत नहीं समझता। शायद मैं अपनी सीमा से बाहर चला गया हूं। इस तरह की बातों को सिलसिलेवार बयान करना संभव नहीं है। यहां तक कि समय समय पर बड़े ओहदों पर सरकार ने जो नियुक्तियां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की हैं उनसे यह जाहिर हो जाता है कि सरकार की निगाह में काबिलियत या निष्पक्षता की कोई खास वक़्त नहीं है। इन सारी बातों से कोई भी इस नतीजे पर पहुंचे बिना नहीं रह सकता कि आज हमारी स्थिति कितनी दयनीय और कमजोर है। सरकार को जनमत की कोई चिंता नहीं है। लगता है, वह सोचती है कि उसने जनमत का गला घोंट दिया है और अब उसमें सर उठाने की कूवत नहीं हैं।"

मान्यवर, मैंने इसलिये इस बात को पढ़ा है कि इस पक्ष और सत्ता पक्ष के जो माननीय सदस्यगण हैं, वे अपनी बुद्धि और विवेक लगा कर इस बात पर विचार करें कि गुलामी के समय में जो स्थिति थी, जनता की और देश की, आज वही हालत है या नहीं है इसका मूल्यांकन यहां बैठे हुये सम्मानित सदस्यगण करें।

मैंने इस अभिभाषण को पढ़ा और देखा है। बार-बार यही दोहराया जा रहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से हमने तमाम भूमि हीनों को, हरिजनों को भूमि आबंटित की है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि मान्यवर, जाति के आधार पर भूमि का वितरण हुआ है। सरकार को चाहिये था कि गरीबी के आधार पर जमीन का वितरण हो चाहे किसी जाति का व्यक्ति हो उसकी गरीबी के आधार पर जमीन का वितरण होना चाहिये था। लेकिन देखा गया है कि जाति के आधार पर जमीन लोगों को बांटी जा रही है। इस प्रकार से अगर किया जायगा तो नं0 2 के भूमिहीन खड़े हो जायेंगे। इस तरह से सवर्ण भूमिहीनों में निराशा पैदा होगी जो ठीक नहीं है। इसको पढ़ने के बाद पता चला कि इसमें इसका कोई भी तजकिरा या हवाला नहीं दिया गया है।

मान्यवर, हम यह चाहते हैं कि आप देखें कि गांवों में जो भूमि का आबंटन हुआ है उसमें उस क्षेत्र के लेखपाल और प्रधान ने मिलकर एक एक भूमिहीन हरिजन से 3–3 सौ रुपये प्रतिएकड़ के हिसाब से पैसा लिया है। यह सारी चीजें होती हैं। अभी जैसा कि प्रश्नोत्तर काल में एक माननीय सदस्य ने बताया था कि जमीन आबंटित कहीं और की गयी है और बताया कहीं और गया है। कुछ यहां और कुछ वहां आबंटित की गयी है। इसके अलावा मौके पर कब्जा भी नहीं मिलता है। तो मैं चाहता हूं कि जहां जमीन का आबंटन किया जाय तुरन्त वहां मौके पर कब्जा भी दिला दिया जाना चाहिये। इसी प्रकार समता के आधार पर भूमि का वितरण किया जाना चाहिये।

सबसे बड़ी बात जो है वह यह है कि अभी तक हम लोग कहा करते थे कि प्रशासन बहुत भ्रष्ट है। लेकिन प्रशासन के भ्रष्टाचार के साथ-साथ एक नये प्रकार का भ्रष्टाचार शुरू हुआ है। वह है मान्यवर, राजनैतिक भ्रष्टाचार। राजनैतिक भ्रष्टाचार मैं इसलिये कहता हूं कि आज देखा जाय कि सत्ता पक्ष दूसरी ओर के जो सम्मानित सदस्यगण हैं उनको हर प्रकार से तोड़ने की कोशिश की जाती है। इसके साथ-साथ जेलों के अंदर जो लोग बंदी है; जाने अनजाने ऐसे लोगों से वहां पर कहा जाता है कि अपने दल से इस्तीफा दे दो। इस्तीफा देने के बाद तुम्हारी जमानत हो जायगी। तुम छूट आओगे। तो इस प्रकार का राजनैतिक भ्रष्टाचार पनप रहा है और उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं समझता हूं यह देश और प्रदेश दोनों के लिये हितकर नहीं होगा।

जहां यह कहा जा रहा है कि प्रदेश में कई समस्यायें हैं चाहे वह बाढ़ हो, सूखा हो या शिकायतें आती हों तो उनकी सुनवाई सतर्कता से करते हैं। लेकिन मान्यवर, बहराइच जिले में 1975 में बहुत तेज बाढ़ आयी जिसमें 119.17 सेन्टी मीटर हाईएस्ट लेवेल पर पानी गया और उससे 5 करोड़ की क्षति हुई। 5,68,000 एकड़ जमीन जलमग्न हो गयी, 4,17,000 एकड़ की फसल नष्ट हुई, 8429 मकानों को नुकसान हुआ और 21 लाख रुपए की क्षति हुई। मैंने स्वयं तत्कालीन मुख्य मन्त्री को दिनांक 6 अगस्त, 1975 को प्रार्थना-पत्र दिया और महामहिम राज्यपाल महोदय, बहराइच में दिनांक 15 अक्तूबर, 1975 को पधारे थे तो उनको भी लिखकर ब्यौरेवार विवरण दिया था लेकिन आश्चर्य होगा कि आज तक उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सारी सड़कों पर 40 हाथ के गड्ढे हो गए जिसकी सूचना सरकार को आयी कि 82 लाख का

[श्री कमला प्रसाद वर्मा]

नुकसान हुआ। स्कूल के कच्चे-पक्के मकान ध्वस्त हो गए लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसलिए मैं किस प्रकार धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करूं। जहां आर्थिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार हो और कोई सुनवाई न हो वह केवल कागजों तक सीमित रहे तो वह ठीक नहीं होगा, महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमको यह आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए जिसको हम चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस चीज पर आप ज्यादा जोर देते हैं उसको पहले असली जामा पहनावें। केवल कागज पर लिख देने से काम नहीं होगा। हरिजनों को कर्जे में जो छूट मिली है उसका मैं समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही साथ सरकार को चाहिए कि जो हरिजन बिना कफन के जलाए जाते हैं उनको कोई पैसा देने को तैयार नहीं होता है तो सरकार को चाहिए कि उनको बिना ब्याज के सरकारी खजाने से बैंकों के माध्यम से बिना स्योरिटीज के कर्जा मिलना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं चौधरी साहब द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं।

बाबू प्रभाकर सिंह (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है मैं उसका समर्थन करता हूं। प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में एक संशोधन विरोधी दल के नेता ने प्रस्तुत किया है जिसमें लिखा है कि "किन्तु हमें खेद है कि अभिभाषण में प्रदेश की वर्तमान स्थिति का पूरा चित्रण नहीं किया गया है।" तो इस संशोधन को देखकर मान्यवर, मैंने अनुभव किया कि सम्भवत: महामहिम राज्यपाल अपने अभिभाषण में हमारे प्रदेश से सम्बन्धित उन बातों की चर्चा करना भूल गए हैं जो कि आवश्यक थीं हमारा प्रदेश बड़ा है और उसकी समस्यायें भी बड़ी हैं। यद्यपि अभिभाषण में उसकी आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा, सिंचाई और कृषि सम्बन्धी सभी बातों का उल्लेख था, उसके बावजूद कोई कमी रह गयी, ऐसा मुझे अनुभव हुआ। फलत: मैंने इस संशोधन के सम्बन्ध में जो भाषण हुआ उसको बड़ी उत्सुकता, धीरज और ध्यान से सुना।

उनका भाषण सुनने के पीछे एक भाव यह भी था कि संशोधन के प्रस्तुतकर्ता का हमारे प्रदेश के राजनीतिक जीवन से लम्बा सम्बन्ध रहा है। राजनीति का उनको गहरा अनुभव है और इसलिए निश्चय ही संशोधन में कुछ ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी जो कि रह गयी थीं। लगभग 4 घंटे तक उनका भाषण होता रहा। मैंने अनुभव किया कि उस भाषण ने देश के, परिप्रेक्ष्य में जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है उसकी चर्चा अधिक रही और जो बातें राज्यपाल के अभिभाषण में उल्लिखित थीं उनकी नाम-मात्र की चर्चा हुई। मैं संक्षेप में उन मूल बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो उन्होंने अपने भाषण में कहीं। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर एक लाख से अधिक लोग जेलों में बन्द हैं। उन्होंने ऐसा चित्र उपस्थित किया कि सन् 1942 की आजादी की लड़ाई का जो छोटा सा दृश्य हमारे देश में था वह भी फीका पड़ गया। मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि सन् 1942 का आन्दोलन स्वत: जनता के बीच से उभरा था और वह मुख्यत: युवकों का आन्दोलन था। उसकी इस प्रकार की तुलना करना न्याय संगत प्रतीत नहीं होती। यह भी कहा गया कि पुलिस और मजिस्ट्रेसी मिल गयी है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका और साथ-साथ प्रेस भी भ्रष्ट हो गया है। टेलीवीजन रेडियो जो प्रचार के माध्यम हैं ठीक काम नहीं कर रहे हैं। चुनाव भी स्थगित कर दिया गया। ऐसा चित्र उपस्थित किया गया कि देश में, खास कर इस प्रदेश में न्याय नाम की कोई चीज ही नहीं रह गयी है और सारी व्यवस्था टूट गयी है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी जिसमें व्यक्ति की न तो सम्पत्ति की सुरक्षा है और वाक् स्वतंत्रता है। लेकिन सच तो यह है कि आपात्कालीन स्थिति होते हुए भी असेम्बली चल रही है और प्रत्येक सदस्य को अपनी बात स्वतन्त्रता पूर्वक कहने का अधिकार है।

चुनाव स्थगन की बात उठायी गयी। मान्यवर, इस पर ध्यान दें कि जब सारी व्यवस्था भ्रष्ट है तो फिर न्याय कैसे मिलेगा? तो इस बात में विरोधाभास है ऐसा मैं समझता

हू। अगर चुनाव की बात कहते हैं तो इसका मतलब है कि व्यवस्था भ्रष्ट नहीं है जिसका कि वर्णन उन्होंने अपने भाषण में अतिरंजित रूप से किया है। यह नहीं हो सकता कि हम एक साथ ही ठंढी सांस लें और गरम सांस भी लें। यह भी कहा गया कि गुजरात में चुनाव हुए और कांग्रेस हार गयी। प्रधान मन्त्री अपने विरुद्ध चुनाव पिटीशन हार गयीं और उसके बाद आपात्-कालीन स्थिति की घोषणा कर दी गई। मान्यवर, अगर मैं भूल नहीं करता, तो गुजरात में चुनाव से पहले आन्दोलन चल रहा था जो प्रजातन्त्र की मान्यताओं के विरुद्ध था। उस चुनाव में हमें जितने मत मिले उतने उस पक्ष को नहीं मिले जो आन्दोलन में रत था।

जहां तक कि हाई कोर्ट में प्रधान मन्त्री के मुकदमें के हार जाने का सवाल है तो अगर मैं भूल नहीं करता तो माननीय नेता विरोधी दल ने दिल्ली में कहा था कि प्रधान मन्त्री को इस बात का अधिकार है कि वे इस फसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकती हैं। अगर वे वहां गईं और कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया तो उसका इमरजेन्सी से क्या सम्बन्ध है ? यह एक सामान्य प्रक्रिया है और इसका हर व्यक्ति को अधिकार है। यह भी कहा जाता है कि जो वर्तमान शासन है वह स्वेच्छाचारी और तानाशाही हो गया है। एक पार्टी का शासन है। प्रजातन्त्र में एक ही पार्टी शासन में होती है और वह कोशिश करती है कि हमारा शासन बना रहे। उस शासन को बनाये रखने के लिये वह नैतिक सहारा लेती है ताकि उसका लम्बा समय इसके लिए मिले। विरोधी पक्ष में भी इस बात की भावना रहती है कि वह कुछ ऐसा करें कि शक्ति उनके हाथों में आ जाए। अभी दो दिन पूर्व ही पत्रों में यह पढ़ा था कि विरोधी पक्ष लोकपक्ष के नाम से एक संगठन बना रहा है। यह बात तो सभी जानते हैं कि किसी भी देश की या प्रदेश की सरकार वैसी ही होगी जिस तरह के उसके नागरिक होते हैं। अभी हमारा राजनैतिक क्षितिज इतना विकसित नहीं हुआ है जिसकी अपेक्षा की जाती है। यहां पर जो भाषण होते हैं कुछ ही गिने चुने लोगों के भाषण होते हैं परन्तु देश या प्रदेश की जो स्थिति होती है उनका भाषण उससे भिन्न होता है।

कांग्रेस के ऊपर यह आक्षेप लगाया गया कि वे तो आत्माहीन, बुद्धिहीन हो गए हैं और देश के नैतिक मूल्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। राजनीति से सम्बन्धित होने के कारण मैं कहना चाहता हूं कि 1967 में यहां पर कांग्रेस सरकार थी। इसी प्रकार से राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर वोट लिया गया था। वोट के पूर्व किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, न तो प्रेस को या अन्य किसी को परन्तु मतदान के समय सरकार गिर गई। क्या उस समय नैतिक प्रतिमान स्थापित होने का समय नहीं था ? जिसके बारे में कहा गया है। उस समय सेन्सरशिप नहीं थीं, अखबार, रेडियो सभी स्वतन्त्र थे। किसी को यह नहीं मालूम हो सका कि नैतिक प्रतिमानों का हनन होने जा रहा है। उस समय जो तत्कालीन मुख्य मन्त्री थे उन्होंने प्रतिमान उपस्थित किया और सीधे ही जाकर राज्यपाल महोदय को अपना त्याग-पत्र दे दिया था। आज तो यदि किसी को टिकट नहीं मिला तो वह रातों रात दूसरी पार्टी में जाकर मिल गया और उसको उसका टिकट मिल गया। इस प्रकार से नैतिक प्रतिमानों की स्थापना नहीं हो सकती है। पहले हम अपने अन्तर्मन को टटोलें तब कोई बात कहें और वही हमारी आत्मा की आवाज होगी। अभी हमारे विरोधी दल के एक नेता कह रहे थे कि गत वर्ष उन्होंने काउन्सिल हाउस के सामने सत्याग्रह किया, सत्याग्रह में कहा कि वे लोग कोई ऐसी बात नहीं करेंगे कि जो कानून के प्रतिकूल होगी। और जो बात सही है उसे कहना अगर जुर्म है तो वह सजा के भागी होंगे। तब से लेकर आज तक वह घूम रहे हैं इससे ज्ञात हो जाता है कि शासन ऐसे लोगों को जेल में नही रखना चाहती। दुर्भाग्य से जो थोड़े लोग उधर के भड़क गए हैं। उनकी वजह से यह एमरजेंसी लगानी पड़ी और उनको यह कष्ट उठाना पड़ा। सामान्य सिद्धान्त है कि कोई भी कार्य बिना किसी कारण के नहीं होता और जब कोई कार्य होता है तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। इमरजेंसी हमारे शासन विधान से उद्भूत है, कोई ऊपर से लगाई वस्तु नहीं है। 27, 28 वर्ष तक शासन ठीक चलता रहा, हम सन्तुष्ट रहे और जब वह धारा पाकिस्तानी हमले के सन्दर्भ मे लगी रही तब हम सन्तुष्ट रहे और जब आन्तरिक सुरक्षा के सन्दर्भ में वह लगा दी गयी तो हम

[बाबू प्रभाकर सिंह]

व्याकुल हो गए। संविधान में दिया हुआ है कि आपात्कालीन स्थिति अधिक से अधिक इतने दिन तक रह सकती है। संविधान के निर्माताओं ने सोच समझ कर आपात्कालीन स्थिति को रखा था। मैं जनता के बीच में रहता हूं और सामान्यत: मैंने यह देखा है कि उनसे बात-चीत करके अनुभव किया है कि एमरजेन्सी से उनको राहत मिली है। प्रधान मन्त्री ने भी ऐसा अनुभव किया और उन्होंने उसे लागू कर दिया।

इन शब्दों के साथ मैं प्रदेश की स्थिति के बारे में भी दो एक बातों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पहली बात यह कि भूमिहीनों को जो जमीन आपने बांटी है अभिजात्य वर्ग वह जमीन उनको देना नहीं चाहता। अभिजात्य वर्ग के इस व्योहार के कारण आर्थिक संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है क्योंकि जो जमीन आप भूमिहीनों को देना चाहते हैं उसको वह छोड़ना नहीं चाहते हैं और जो जमीन दी भी गयी है वह रद्दी है? साधन उनके सीमित हैं और इस काम की वह जमीन नहीं है कि उस पर कुछ पैदा किया जा सके। जब तक आप उसको काफी आर्थिक सहायता नहीं देंगे यह कह देने से कि तीन साल तक आप लगान नहीं लेंगे वह केवल सस्ती लोकप्रियता मात्र है। इससे आपके कर्तव्यों की इतिश्री नहीं हो जाती। पर्याप्त आर्थिक रूप से उनको सहायता दी जाय और जो जमीन दी गयी है उन पर उनको कब्जा दिलाया जाय अन्यथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसा अनुभव करता हूं कि निम्न तथा उच्च वर्गों में एक वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा हो जायगी। हरिजन वर्ग जो भूमिहीन है उसे आज सरकारी ब्राह्मण के नाम के पुकारा जाता है। समयाभाव में अपना भाषण समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर दिया।

*श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के विरोध में और माननीय नेता विरोधी दल के संशोधन के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बहुत कुछ कहा है लेकिन उन्होंने प्रदेश की सही स्थिति का चित्रण नहीं किया। उन्होंने बताया कि आपातकालीन स्थिति से देश व प्रदेश को कहां लाभ हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि आपातकालीन स्थिति से देश व प्रदेश तबाह हो गया। विपक्ष के लोग जेल में ठूंस दिए गए। उन लोगों के साथ वहां पर घोर अत्याचार हो रहा है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। विधान परिषद् के एक सदस्य हैं रवीन्द्र किशोर। उन पर मीसा लागू कर दिया गया। उनको आंख से कम दिखाई देता था। सुगर, डाइबिटीज और ब्लड प्रेसर के वे मरीज थे। उनको देवरिया जेल में डाल दिया गया। डाक्टर खरे ने रिपोर्ट दी कि दवा दिल्ली में हो सकती है, लखनऊ में नहीं हो सकती। उनको सीतापुर भेज दिया गया इस हालत में बन्दी बनाकर कार में ढकेल दिया गया और जाड़े के महीने में। बाराबंकी में जाकर वे बेहोश हो गए। 12 घन्टे तक वे वहां रुके रहे और तब सीतापुर ले जाए गए। सीतापुर में अस्पताल में कहा गया उनकी दवा यहां नहीं हो सकती है मेडिकल कालेज में होगी। उनको वहां कम्बल तक जाड़े के दिनों में नहीं दिया गया, बाल्टी और बरतन तक नहीं दिए गए। पीतल के बर्तन दिए गए। वे दही खाते थे, तो मान्यवर, आप जानते हैं कि पीतल के बर्तन में वे दही कैसे खाएं। इस तरह से उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। दरख्वास्त लिखने के लिए उनको वहां कागज नहीं दिया जाता, चिट्ठी लिखने के लिए आदमी नहीं दिया जाता जिससे वे कुछ न लिख सकें। यही प्रजातन्त्र की रक्षा है, यही लोकतन्त्र की रक्षा है? इससे कैसे लोकतन्त्र रह सकता है?

विरोधी दलों के नेताओं को जेल में ठूंस करके लोकतन्त्र की रक्षा नहीं हो सकती। उनके बड़े भाई राजेन्द्र किशोर शाही देवरिया में एक वकील हैं। वे दमा के मरीज हैं। उन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर भी मीसा लागू किया गया। जाड़े के महीने में उन्हें बरेली के जेल में भेज दिया गया। वहां वे मरणासन्न हालत में हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे गरम जगह भेज दिया जाय लेकिन उन्हें बस में बिठाकर फतेहगढ़ भेज दिया गया। इस तरीके से उनके परिवार को तबाह कर दिया गया। उनका एक लड़का जो एल0-एल0 बी0 में पढ़ रहा था। उसके लिए वारन्ट जारी है। लड़का पता नहीं कहां चला गया? क्योंकि यहां पर एक बड़े मन्त्री के खिलाफ वे वकील ख ा न कर सकें। तो यह आपका प्रजातन्त्र है, यही लोकतन्त्र की रक्षा हो रही है। प्रधान मन्त्री 20 सूत्री कार्य क्रम की माला जप रही हैं। जो इस माला को फेरेगा उसे कोई नहीं पकड़ सकता है और जैसे ही किसी ने इस 20 सूत्री माला को फेरना बन्द किया, उसी दिन यमराज के दूत आकर उसे पकड़ कर जेल में ठूंस देंगे। तो आज यह स्थिति है।

कल राज्यसभा का चुनाव है। मौलिक अधिकारों से भी उन लोगों को वंचित कर दिया गया। उनको जेल में बन्द कर दिया ताकि वे वोट न दे सकें। इस तरह से लोकतन्त्र की रक्षा की जाती है?

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री श्रीनारायण जी आप बैठें। व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, इस सदन की भाषा हिन्दी है। उसके अलावा और कोई भाषा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह उनकी मातृभाषा है उसमें वह बोल सकते हैं। आप उनको वाध्य कैसे कर सकते हैं?

श्री देव बहादुर सिंह—

ऐसे तो मातृ भाषा बहुतों की दूसरी हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बोल सकते हैं। माननीय श्रीनारायण जी आपको विवश तो नहीं किया जा सकता है लेकिन लोगों को समझने में कठिनाई हो रही है। मेरा खुद समझ में नहीं आ रहा है। लिखने में भी कठिनाई हो रही है। अगर आप हिन्दी में बोलें तो सभी भाषण से लाभान्वित होंगे।

श्री श्रीनारायण—

मेरे क्षेत्र के लोग कहते हैं कि हमारी भाषा में आप बोलें। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार दुर्योधन के दरबार के समान है जिसमें बड़े-बड़े महारथी भीष्म, द्रोण जैसे लोग बैठे रहते थे, लेकिन बोल नहीं पाते थे। जिन लोगों ने देश की आजादी के लिये खून, पसीना बहाया और अपना घरबार बरबाद किया और बलिदान हो गए वे आज चुपचाप बैठे हुए हैं और टुकुर-टुकुर देख रहे हैं। जो प्रधान मन्त्री कहती हैं वही सही होता है बाकी लोगों की बात गलत होती है। इस तरह से लोकतन्त्र की रक्षा नहीं हो सकती है।

श्री जफर आजमी (जिला आजमगढ़) —

लूट-मार करने से रक्षा होगी।

श्री श्रीनारायण—

इसी तरह से एक सवाल अध्यापकों का है। जिनका किसी तरह से जनसंघ या दूसरी पार्टियों से सम्बन्ध था उनके साथ घर में आते जाते थे उनको भी जेल में बन्द कर दिया गया और झूठे इल्जाम लगाए गए कि उन्होंने रेल की पटरी को उखाड़ा, पोस्ट आफिस लूटा या बैंक लूटा। जब कोर्ट में केस गया तो वह झूठ निकला और वह छुट गए हैं। इस तरह से विरोधी लोगों को या उनसे सम्बन्ध रखने वालों को जेल में ठूंस दिया गया। जो अध्यापक

[श्री श्रीनारायण]

छूट कर आए हैं उनके साथ भी अलग-अलग जिलों में अलग-अलग तरह से व्यवहार हो रहा है गोरखपुर में तो उनको पढ़ाने की इजाजत दे दी गई और तनख्वाह भी मिल रही है, बस्ती में भी जिला विद्यालय निरीक्षक की इजाजत मिली है कि पढ़ा सकते हैं लेकिन कुछ को तनख्वाह मिलती है कुछ को नहीं ऐसा भेद भाव क्यों ? इसी तरह से देवरिया में इनको स्कूल में जाने की इजाजत नहीं है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसमें भी कोई इस तरह का नियम बना रखा है कि जो जिला विद्यालय निरीक्षक चाहे इजाजत दे दे और जो चाहे न दे। इह तरह से तो मनमानी होगी अगर किसी के साथ किसी अध्यापक का मनमुटाव है तो उसे जिला विद्यालय निरीक्षक परेशान करेगा और उसे तनख्वाह भी नहीं देगा। किसी से अच्छा सम्बन्ध हुआ तो उनको वेतन भी मिलता है और ड्यूटी भी मिल जाती है। ऐसा अध्यापकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है।

इन अध्यापकों पर हजारों लोग आश्रित हैं, उनमें उनकी जीविका चलती है किन्तु इन अध्यापकों का आज सालों से तनख्वाह न मिलने के कारण उनके हजारों आश्रित बेकार बन गए हैं बेरोजगार हो गए हैं और स्त्री बच्चों के भूखों मरने की स्थिति पैदा हो गई है। देश का पैसा भी बेकार हो रहा है, क्यों हाई कोर्ट से नीचे इनकी जमानत नहीं हो पाती है। लाल बत्ती होने पर अध्यक्ष जी, अभी हमें समय और दीजिए हमने कई कार्य-स्थगन प्रस्ताव भी इन्हीं विषयों पर रखे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

ये तो ऐसी शिकायतें हैं, जिनको आप व्यक्तिगत रूप से मन्त्री जी से मिलकर भी समाधान करा सकते हैं।

श्री श्रीनारायण--

राज्यपाल महोदय ने कहा है कि 16 लाख एकड़ जमीन गरीबों को दी गई और यह भी कहा गया कि 12 लाख लोग जमीन पा गए हैं तथा 98 प्रतिशत लोगों के मकान बन गए और मकानों की जमीन दी गई। लेकिन हमारे देखने में नहीं आया कि किसी का मकान बना हो। यह अवश्य है कि इसमें शहरों में हजारों लोग उजड़ गए हैं, उजाड़ दिए गए हैं। जो गरीब तब्के के लोग झुग्गी-झोपड़ी डालकर, सड़कों के किनारे रहते हैं उनको मारकर फेंक दिया गया है और जो गुमटी बनाकर रहते थे, उनको धक्का मार कर गड्ढे में गिरा दिया गया है। हरिजनों के बारे में बड़ा गीत गाया जाता है, हरिजनों की तरक्की के गीत सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए हैं, और दिमाग खराब हो गया है, हमें तो सब पक्का जब मालूम हुआ जब हम एक हरिजन की बारात में गए। बारात में दूल्हा तैयार हुआ, लाई भुनाने गए, तो गीत गाया गया--हाथी न लेवैं, घोड़ा न लेबैं, लेबैं जड़ाऊदार कंगना ? लाई भुनाई के उसे 8 आने दिए गए, तो उसने वापस कर दिये, तो उसे बड़ी मुश्किल से 1 रुपया दे दिया गया तो देखें एक रुपया में कंगना बन जाएगा। यह हालत हरिजन की है। फिर आप गीत गाते हैं चलने पर कि हाथी साजे, घोड़े साजे, साजे फलाने राम। लेकिन हरिजन दूल्हा तो यहां बिल्कुल अब भी पैदल चलता है। हाथी घोडे चढ़ने का गीत गाया जाता है और हरिजन का दूल्हा पैदल जाता है। इसे देखकर हमें पूरी तरह से समझ में आया कि हरिजन को किसी तरह के धोखे से बहका कर फांसा जाता है, इन लोगों को साफ धोखा दिया गया है। उनको मीठे-मीठे गीत, लोरी सुना-सुना कर तबाह किया गया है। इसके साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का घोर विरोध करता हूं और नेता विरोधी दल के संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्रीमती रामरती देवी (जिला फैजाबाद)--

माननीय उपाध्यक्ष जी महामहिम राज्यपाल महोदय ने सदन में जो अपना अभिभाषण रखा है, मैं निश्चित रूप के यह कहूंगी कि उनका वह भाषण 75 प्रतिशत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हरिजनों तथा कुछ गरीब तबकों के हित का है। इससे समाज के सभी वर्गों को काफी सुविधा मिली है। आज हमारे समाज में अगर देखा जाय तो वह गरीब तबका और गरीब वर्ग जो खेती के ऊपर अपना जीवन निर्भर कर रहा है, उसकी हालत सबसे ज्यादा दयनीय है। सरकार के द्वारा समय-समय पर कदम उठाए जा रहे हैं कि उनकी रोटी रोजी की समस्या को हल किया जाए और बराबर उनके हित के लिए बड़े से बड़े कदम उठए जाएं और नियम बनाए जायं। लेकिन जहां तक देखा जाय और मैं समझती हूं कि 75 नहीं तो कम से 50 प्रतिशत खेतिहर मजदूरों को लाभ पहुंचा है।

जहां तक जमीन का सीलिंग से बचाने का सवाल है जमींदारी उन्मूलन के बाद अगर देखा जाए तो 1359 फसली की खतौनी देखने से यह मालूम होता है कि आजादी के बाद समाज के बड़े लोगों ने, जो प्रधान, पदों पर रहे हैं, उनके गलत कदम उठाने से समाज की यह जमीन उनके कब्जे में पहुंच गयी। हमारी सरकार इतने बड़े वर्ग की समस्या को हल करना चाहती है जो अपनी जिन्दगी गांवों में बिता रहा है। महात्मा गांधी जी भी उनकी समस्या को हल करना चाहते थे। हमारे गांवों का जीवन स्तर ऊंचा उठे तो हमारी सरकार को यह कदम उठाना पड़ेगा कि यह जो 1359 फसली की खतौनी है उसके द्वारा जो नाजायज पट्टे बड़े लोगों के हाथ में चले गए उन पट्टों को सरकार को चाहिये कि कैन्सिल कर दे। जब इस तरह के कदम उठाए जाएंगे तो निश्चय है कि बड़ी मात्रा में जमीन गांवों में हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लिए उपलब्ध होगी और इन गरीब और खेतिहर मजदूरों की समस्या हल होगी और इससे उनका काफी हित होगा। आज जो भी नियम बनाए गए हों चाहे उनको ग्राम समाज की भूमि देने के सम्बन्ध में हो या और किसी चीज से स बन्ध रखते हों उन सबका कड़ाई से पालन करना चाहिए और सरकार इस तरह के आदेश निकाले और अपने अधिकारियों तक पहुंचावे।

मैंने देखा है कि गरीब मजदूरों को जमीन का पट्टा दे दिया गया है लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि जमीन कहां है तो वह बता नहीं पाते हैं, केवल पट्टा दिखाते हैं। तो मान्यवर, मेरा अनुरोध है, कि 1359 फसली के पट्टे कैन्सिल किए जाएं। जहां तक आबादी के सम्बन्ध में हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने विचार रखे, उनमें भी आज अगर देखा जाए तो 45 प्रतिशत से अधिक शिल्पकार और हरिजन लोगों को पट्टे नहीं मिल पाए हैं। हमारे अधिकारी लोग तरह-तरह के झगड़े इन लोगों में लगाए रहते हैं। इन लोगों को जहां पर आबादी मिलनी चाहिए वहां नहीं मिल पा रही है। ऐसी स्थिति में इनकी आबादी की समस्या को हल करने के लिए हमारी सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। हमारी प्रधान मन्त्री की भी यही मंशा है कि जो गरीब तबका है, चाहे वह शहर में रहे या गांव में, उसके रहने के लिए उसकी धरती होनी चाहिए। जहां पर चकबन्दी नहीं हुई है और ये मामले अधूरे पड़े हैं वहां के लिए ये आदेश होने चाहिए कि सबसे पहले इस वर्ग के लिए गांव के इर्द-गिर्द जमीन छोड़ दी जाय ताकि इनकी आबादी की समस्या हल की जा सके।

हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में यह विचार भी दर्शाया है कि लोक सेवा आयोग द्वारा जिन सर्विसेज में चयन होता है, उनमें इन वर्गों के लोगों को आरक्षण दिया जाय। इस मामले में हरिजनों को काफी संतोष मिला है और उन्होंने इस अभिभाषण का स्वागत किया है लेकिन सरकार को उन हजारों संस्थाओं की ओर भी ध्यान देना चाहिए जो प्राइवेट रूप में चल रही हैं। मेरा सुझाव है कि उनमें भी इन गरीबों का आरक्षण हो। ये संस्थायें सरकार के ही खर्चे पर चलायी जा रही हैं और सरकार के सारे कायदे कानून उन पर लागू हो रहे हैं तो फिर क्या कारण है कि इस समुदाय के लोगों को उनमें आरक्षण नहीं मिल रहा है? आज इन जातियों के नवयुवक डिग्री कालेजों, इन्टरमीडिएट कालेजों और अन्य संस्थाओं में उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करके योग्य से योग्य नागरिक तैयार हो रहे हैं, निकल रहे हैं। आज जब कि उनके विकास का युग है, पढ़ लिखकर भी समाज में बेकारी का जीवन बिता रहे हैं। यदि उपरोक्त संस्थाओं में इनके लिये आरक्षण हो सके तो इनको रोजी-रोटी मिल सकेगी।

[श्रीमती रामरती देवी]

हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने बिजली के सम्बन्ध में भी अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि किसानों और इन गरीबों के लिए बिजली का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाय। उन्होंने बिजली की क्षमता के बारे में भी अपने सुझाव रखे हैं और अपने प्रदेश का यह सौभाग्य है कि इस वर्ष,प्रदेश में अधिक मात्रा में बिजली का उत्पादन हुआ है। अभी हाल ही में बिजली की परेशानी काफी हद तक किसानों के सामने थी। 3 हार्स पावर की जगह 15 हार्स पावर बिजली की दर बढ़ गयी थी जिससे किसानों में बड़ी परेशानी थी। एक तरफ तो वह कनेक्शन कटा नहीं सकते थे और दूसरी तरफ उनको इन दरों में छूट भी नहीं मिलती थी। अब सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया है उससे किसानों को काफी राहत मिलेगी। अब वे अपने हार्स पावर कम करा सकते हैं। बिजली के सम्बन्ध में जहां सरकार किसानों को इस तरह से सुविधा दे रही है वहां वह हृदय से ग्रामीण अंचलों में हरिजन बस्तियों में बिजली पहुंचाने के लिए कदम उठा रहीं है। लेकिन व्यवहारिक रूप में यह देखा जा रहा है कि हमारे अधिकारियों की कृपा से हरिजन बस्तियों में बिजली के खम्भे तो खड़े कर दिए हैं लेकिन लाइन नहीं पहुंच पायी है जिसके कारण वहां अन्धेरा विद्यमान है।

कृषक मजदूरों के सम्बन्ध में भी सरकार ने कई कदम उठाये हैं। पिछली बैठक में उनके कर्जे की माफी सम्बन्धी विधेयक का माननीय सदस्यों ने स्वागत किया था और यह कहा था कि उनको ऋण की भी सुविधा मिलनी चाहिए। महामहिम ने अपने अभिभाषण में यह कहा है कि उनके लिए ग्रामीण अंचल में कुछ संख्या में बैंक खोले जा रहे हैं। इससे हार्दिक प्रसन्नता हुई। आज उस गरीब तबके में यह स्वाभिमान जाग उठा है कि हम भी इस देश के नागरिक हैं और सरकार को हमारा भी ध्यान है।

प्रधान मन्त्री के 20-सूत्री कार्य क्रम की आज देश के कोने-कोने की जनता सराहना कर रही है लेकिन आज वह गरीब तबका जो समाज में मजदूर के रूप में है, चाहे वह सड़क का मजदूर हो, चाहे खेत का मजदूर हो, चाहे कल कारखाने का मजदूर हो उन सब में हमारी प्रधान मन्त्री की विशेष रूप से चर्चा हो रही है। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूं।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए हमारे दल के नेता ने जो विचार व्यक्त किये उनका मैं समर्थन करता हूं और कुछ समस्याओं की ओर आपके माध्यम से मैं शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बुनकर इस प्रदेश में करीब 40 लाख लोग ऐसे हैं जो रोटी-रोजी के लिए सिर्फ हथकर्घा उद्योग के ऊपर निर्भर करते हैं। साढ़े 5 लाख हथकर्घा और 25 हजार पावर लूम इस प्रदेश में हैं और यह बड़ी खुशी की बात है कि इस शोषित पीड़ित तबके को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया है। और यही कारण है कि 20 सूत्री कार्य क्रम तक में इन लोगों के विकास की बात कही गयी है। इस सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश तथा केरल में काफी विकास का कार्य हुआ है। किन्तु महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इनके लिए केवल इतना ही कहा गया है कि इनके विकास के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है या जो काम गिए गए हैं उनका उल्लेख है। कैसे इन 40 लाख लोगों की दशा को सुधारा जाएगा इसका कोई उल्लेख नहीं है। उनके बने हुए कपड़ों के खरीद फरोख्त की भी ठीक व्यवस्था नहीं है। उचित मूल्य पर उनको धागा मिले इसकी भी व्यवस्था नहीं है। नुमाइशों के जरिए उनका कपड़ा बिकवाकर उनकी समस्या को सुलझाया नहीं जा सकता। अक्तूबर, 1975 में स्टेपिल के दाम 65 रुपए थे जो अब 85 रुपए हो गए हैं। स्टेपिल धागे को लेकर सन् 1973 में इस प्रदेश के बुनकरों ने एक आन्दोलन चलाया था। उस समय सरकार का ध्यान इनकी ओर गया था। मगर उनकी समस्या अभी भी सुलझायी नहीं गयी, देश के सबसे बड़े उद्योगपति बिड़ला की इस स्टैपिल के धन्धे में भी इजारेदारी बनी हुई है। इस उद्योग में भी उसकी मोनोपली है। मैं चाहता हूं आप बुनकरों की समस्या सुलझाने के लिए कोई ठोस नीति अपनाएं। खाली

नौकरशाही के बल पर इसको सुलझाया नहीं जा सकता। उनको तो यह भी जानकारी नहीं होगी कि कितन बुनकर यहां हैं। आपको बुनकरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर, उनसे बात करके, विचार करके, कोई हल इनके लिए निकालना पड़ेगा।

मान्यवर, इनके लिए स्पिनिंग मिल खोलने की एक योजना बनायी गयी थी। यहां पर हथकर्घा निगम भी बनाया गया और उस निगम का 4 कताई मिल सहकारी क्षेत्र में भी खोलने के लिए कहा गया। लेकिन सरकार द्वारा कोई सहयोग नहीं दिया गया। आज तक इन मिलों के खोलने के लिए जमीन तक नहीं मिल पायी है, मिल कहां पर खुलतीं। हथकर्घा निगम के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने पहल करके, सोवियत संघ से बात करके, बहुत कम सूद पर, मशीनें आदि तक खरीदने की कार्यवाही पूरी कर ली। मगर इस ब्यूरोक्रेसी ने उसमें भी अड़ंगे लगाए। इजारेदार पूंजीपतियों ने सारी ढील को जो पूरी हो चुकी थी, खत्म करा दिया। बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने जब तय कर लिया और इन्टरेस्ट पर बहुत सहूलियत के साथ कन्डिशन तय हो गयी तो मैं जानना चाहता हूं कि जब शासन की ओर से बहस का जवाब दिया जाय तो उस समय वह साफ-साफ बतलाया जाय कि क्यों उस इस डीलिंग को खत्म कर दिया गया। जब सोवियत संघ से एक फैसला तय हो गया और प्रदेश के बुनकरों की आर्थिक हालत काफी सुधरने की बात थी तो इसको क्यों खत्म किया गया और इसके लिए कौन दोषी है, यह बात साफ आनी चाहिए।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण में एक दूसरी समस्या का भी जिक्र नहीं किया गया है। मैं समझता हूं कि वह होना चाहिए था और इस पर शासन को सोचना पड़ेगा। अल्प-संख्यकों की समस्या भी इस प्रदेश और देश के लिए बहुत बड़ी है। इस पर शासन का ध्यान जाना चाहिए। इसके लिए कई कमीशन बैठे, जिनमें साफ आया है कि मुसलमानों को नौकरियों में उचित स्थान नहीं मिल पाता। उनके साथ ज्यादती हुई है। लेकिन उसके बाद आज तक क्या कर रही है सरकार? अब करना पड़ेगा। इस देश की संकट कालीन स्थिति की विशेष परिस्थिति में जब कि देश में काली ताकतें और बाहर की साम्राज्यवादी ताकतें सब कुछ करना चाहती हैं, यहां तक कि साम्प्रदायिक दंगे फसाद कराना चाहती हैं और जैसा कि अभी हमारे श्री नियाज हसन खां ने कहा कि सम्भल में एक मसजिद के अन्दर एक इमाम की हत्या कर दी गयी। एक चीज उन्होंने नहीं कही, जिसको मैं बतला देना चाहता हूं कि इसमें आर0 एस0 एस0 का हाथ था और कुछ लोग गिरफ्तार भी किए गये। खास बात यह है कि मुरादाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने पूरी छूट दे रखी थी। दंगे के दौरान जब जांच हुई तो पता लगा कि सम्भल के अन्दर सिर्फ एक आर0 एस0 एस0 के आदमी का नाम दर्ज है, बाकी कोई नहीं है। इस हालत को ध्यान में रखते हुए आज जो प्रदेश की विशेष परिस्थिति है उसमें अल्प-संख्यकों की समस्या की ओर ध्यान देना पड़ेगा।

ऐसा न हो कि देश और प्रदेश की काली ताकतें जो देश की अर्थ व्यवस्था को छिन्नभिन्न करना चाहती हैं, उनको बल मिले। सरकार ने हरिजनों को विशेष छूट दी है। मैं आपके माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि मुसलमानों में भी मेहतर हैं, जैसे हिन्दुओं के अन्दर ह, तो फिर उन मुसलमान मेहतरों को आपने हरिजनों की तरह से छूट व सुविधायें दी हैं? नहीं दी हैं। इसी तरह से नाई, धोबी तथा और जो पिछड़ी जाति के लोग हैं जिनको आपने सहूलियत प्रदान की है। तो मैं चाहता हूं कि शासन इस पर आज तक वक्त के मुताबिक सोचे वरना आगे चल कर इससे सब को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए आवश्यक है कि उनके लिये जायज कोटा मुकर्रर किया जाय सिर्फ सरकारी नौकरियों में ही नहीं बल्कि सारे उद्योग धन्धों में भी, चाहे वे प्राइवेट सेक्टर के हों, चाहे पब्लिक सेक्टर के हों, उनके लिए कोटा मुकर्रर कर दिया जाय कि उनके लिये इतने स्थान सुरक्षित रहेंगे।

आर्मी और पुलिस में भी उनको प्रदेश के अन्दर कोई पद नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं? आपको उनके ऊपर पूरा विश्वास करना चाहिए क्योंकि बहुत से लोग इसका नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। आर्मी और पुलिस में भी अल्पसंख्यकों के लिए कोटा

[श्री राम चन्द्र बक्श सिंह]

मुकर्रर होना चाहिए। खासकर तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की तरफ भी विशेष ध्यान दना चाहिये और तभी उनकी आर्थिक समस्या में सुधार हो सकेगा। मान्यवर, उर्दू के सम्बन्ध में भी सरकार ने बहुत कुछ किया है, उसका स्वागत है लेकिन मान्यवर, वह काफी नहीं है। जो सही है वह होना चाहिये लेकिन नहीं हो पाया। मैं कहूंगा कि इसके लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो साम्प्रदायिक ढंग से सोचते हैं। चाहे इधर के हों या उधर के हों वह दबाव डाल रहे हैं कि यह नहीं होना चाहिए। मान्यवर, यह काम आंध्र प्रदेश की सरकार ने किया है।आंध्र प्रदेश की सरकार ने आफिसियल लेंगुएज ऐक्ट में तरमीम करके उर्दू को सरकारी दर्जा दे दिया है। मैं चाहूंगा मान्यवर, आपके माध्यम से शासन से कहना कि आज वह वक्कात आ गयी है जब आप पहल करिये। आपके सामने रास्ता है। पहल आपको करनी चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में उर्दू की बड़ी अहमियत है, आप उनसे नसीहत लेकर कर दें।

दूसरी बात मान्यवर, जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आपातकालीन स्थिति के दौरान बिजली, सिंचाई, 'सार्वजनिक निर्माण विभाग, कृषि के बहुत से कर्मचारियों की छंटनी की गयी है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में रोजगार देने की कोई बात नहीं कही गयी है। देश की जो सिचुएशन है कि फूंक-फूंक कर पैर रखने की जरूरत है। देखना यह है कि हमारे लोगों में असंतोष न बढ़े जो लोग निकाल दिए गए हैं उनमें असंतोष बढ़ रहा है, उनके पास पैसा नहीं है।मैं चाहूंगा मान्यवर, आपके माध्यम से शासन से कहना कि आप उनके असंतोंष पर कन्ट्रोल कीजिए और जो लोग निकाले गए उनको सर्विस देने की बात इसी बजट सत्र में आपको घोषित करनी चाहिए। कम से कम नये रोजगार की बात नहीं कही गयी है तो जो छंटनी किए गए कर्मचारी हैं, उनको आप मौका दें, उन्हें फिर सेवा में ले। मान्यवर, 2 मिनट और चाहता हूं दे दें तो आभारी हूंगा।

दूसरी बात मान्यवर, अगर आर्थिक दशा सुधारनी है तो बहुत से काम करने पड़ेंगे अगर आपको आवश्यक वस्तुयें जनता तक पहुंचानी हैं तो उन वस्तुओं की सप्लाई जो सरकार को अपने हाथ में लेना होगा जिससे हर एक तक आवश्यक वस्तुयें आसानी से उपलब्ध हो सकें। इसके अतिरिक्त मान्यवर, दवायें, चीनी, कपड़ा जैसे जो उद्योग है इनका राष्ट्रीयकरण सरकार को करना चाहिए। शासन इनके ऊंपर ध्यान दें। अन्त में मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री राजबहादुर चन्द—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। श्रीमान जी, जितनी बातें सामने आयीं, सामने एक ही बात उभर कर आयी कि इमरजेन्सी लगी है। मान्यवर, मैं सन् 1967 में विधायक चुनकर आया था। अभिभाषण के दिन सरकार गिर गयी और पहली बार चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी कई पार्टियों को मिलाकर तब से लेकर मैं आज तक बहुत बड़ा अन्तर महसूस कर रहा हूं। आज जो काम हुए हैं उनको देखकर खुद अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा अन्तर हुआ है।

मान्यवर, हमारे विरोध पक्ष के मित्र, घर पर, स्टेशन पर जब मिलते हैं तो कहते है कि इमरजेन्सी लगी है, बड़ा अच्छा है। लेकिन श्रीमन् यहां आकर जिस तरह से वह बातें करते हैं उससे मेरी समझ में नहीं आता है कि यह क्या कह रहे हैं। मान्यवर, दुनियां जानती है कि इमरजेन्सी का स्वागत किया गया है अब मैं आपका ध्यान सन् 1974 के चुनाव की तरफ ले जाना चाहता हूं। इन लोगों को पूरी आशा थी कि कांग्रेस हार जायगी और हम लोग सत्ता में आ जायेंगे। लेकिन जनता ने जो फैसला किया कि उससे उसी दिन इनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिमाग में यह आ गया कि बैलेट से नहीं सरकार बुलेट से बदली जाएगी। यह बात उसी दिन से इनके मन में आ गयी कि कोटि कोटि जनता कांग्रेस को नहीं छोड़ना चाहती है। यह ये लोग समझ गये मान्यवर, आपको याद होगा इसी सदन में बार बार कहा जाता था कि सदन को नहीं चलने देंगे। यह कौन सी बात थी कि सदन नहीं चलने देंगे और जबरदस्ती इस्तीफा लेंगे? क्रान्ति मचा देंगे, गली-गली में लड़ाई होगी, सड़क सड़क पर लड़ाई होगी। यह कहा जाता था। और अब यह प्रजातन्त्र की बातें करते हैं शर्म आना चाहिए प्रजातन्त्र के नाम लेने पर। चूंकि उन्होंने प्रजातन्त्र की हत्या करने में सारे कार्य किये हैं। मैं कह सकती हूं कि जिस समय भारत का बंटवारा हुआ उस समय स्वयं सेवक संघ के लोगों ने देश में उत्तेजना फैलाई कि यह सब फर्जी हुआ है और इस प्रकार का वातावरण बनाया कि जिससे पूज्य महात्मा गांधी को गोली से मार दिया गया।

श्री उपाध्यक्ष --

आप तो इतिहास पर भाषण दे रहे हैं।

श्री राज बहादुर चन्द--

मान्यवर, इन लोगों ने ऐसी परिस्थिति कायम की, जिससे इमरजेन्सी लगाना जरूरी था।

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो लाइब्रेरी में पढ़ लेंगे।

श्री राजबहादुर चन्द--

मान्यवर, बराबर उधर से कहा जाता है कि चीजों में गिरावट नहीं आयी। तो मैं कहना चाहता हूं कि गल्ले के दाम गिरे हैं। इमरजेन्सी के पहले शहर और बाजार में गल्ला दिखाई नहीं देता था लेकिन अब मिल रहा है। पहले इतना गुन्डा एलीमेन्ट था कि सड़क पर बहू-बेटियों के साथ चलना मुश्किल था लेकिन अब श्रीमन्, पता नहीं गुन्डे कहां चले गए?

श्रीमन्, राज्यपाल ने जो बातें अपने अभिभाषण में कहीं हैं और जो कार्य हुए हैं और जो होने वाले हैं वह ठीक हैं। हम गांव के रहने वाले हैं। पिछले साल बिजली कभी मिलती नहीं थीं। ट्यूबवैल पर रात-रात बैठे रहते थे और बिजली आयी और आधा खेत सींचा और फिर बिजली गयी। लेकिन आज चौबीसों घन्टे बिजली मिल रही है क्योंकि बिजली का उत्पादन बढ़ा है। कर्मचारियों की क्षमता बढ़ी है और देश में नवजीवन आया है। उत्पादन को ले लें। पहले सरकार वारन्ट इश्यू करती थी कि लेवी में गेहू दो। लेकिन आज किसान कहता है कि हमारा गल्ला ले लो। खाद्य मन्त्री जी ने कहा है कि सारा किसान का गल्ला खरीद लिया जाय। पहले गल्ला खरीदने में जबरदस्ती करते थे और आज किसान गल्ला लेकर खड़ा हुआ है। हमारे बस्ती जिले में डुमरिया गंज तहसील में खाद्य विभाग के लोग कहते कि बोरा नहीं है, पैसा नहीं है और 100 रुपये का 80 रुपए में खरीदते थे। 100 रुपए का गेहूं 80 में खरीदा गया और शाम को वही गेहूं बनिया एफ0 सी0 आई0 को 105 रुपए में दे देता था। सरकार ने गल्ले का मूल्य न गिरने का वचन दिया था तो उसका कितना उपहास हुआ। मेरे कहने का मतलब है कि किसानों के पास इतना गल्ला है कि आज देश अन्न के मामले में आत्मनिर्भर है और इतना गेहूं कि सरकार खरीद नहीं पाएगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि रुपए का, बोरों का इन्तजाम हो और ज्यादा सेन्टर्स खोले जायं जिससे कि बनिया लोग काश्तकार को लूट न पाएं।

श्रीमान देखें आज कपड़े की दुर्दशा है। मिलों में भरा पड़ा है। सरकार की नीति है कि मजदूर कारखाना बन्द नहीं कर सकता, मिल मालिक भी बन्द नहीं कर सकता। इसलिए कपड़े का उत्पादन बढ़ा है। मिल वाले कपड़े को ज्यादा रोक नहीं सकेंगे और उनका मूल्य गिराना होगा। आज भी यदि आप देखें तो 25 प्रतिशत, 40 प्रतिशत तक रिडक्शन पर कपड़ा बिक रहा है। एक बात अवश्य कहनी है कि जो रासायनिक खाद है उसका मूल्य अधिक है और काश्तकार खरीद नहीं पा रहा है। देश में हरित क्रान्ति के कारण और नई प्रणालियों के कारण खाद

[श्री राजबहादुर चन्द]

की मांग बढ़ी है। जो नई किस्में हैं उनमें अधिक खाद की जरूरत होती है। अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद को सस्ता करना जरूरी है। अगर खाद सस्ती नहीं होंगी तो जो साधारण किसान है और जिसके संसाधन कम हैं यह उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। श्रीमन्, बुनकरों के बारे में जो बातें मेरे साथियों ने कही हैं मैं उनसे शत प्रतिशत सहमत हूं। बुनकरों का एक्सप्लायटेशन हो रहा है और बुनकर का शोषण बुनकर ही कर रहा है। जो बुनकरों के बीच में तथा कथित नेता हैं वही उनका शोषण करते हैं। स्टेपिल का काम बस्ती में नहीं है लेकिन वहां उसका लाइसेन्स दिया जाता है और सारा सामान जो गोरखपुर चला जाता है। एक बुनकर समिति को चार लाख रुपया दिया गया जिसमें से 50 हजार ही वापस हुआ। ऐसी कुछ बातें हैं जिन पर सरकार का ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से बुनकरों को कपड़ा खरीदने के लिएमारकेटिंग समितियों का गठन होना चाहिये जिससे बुनकरों का शोषण रुक सके। जहां तक सहकारी समिति का सवाल है तो सहकारी समिति वह है कि एक छत के नीचे बैठकर कपड़ा बनाए। एक बुनकर के घर में 8 वर्ष की लड़कों से लेकर 90 वर्ष की बुढ़िया काम करती है। अब आप बतायें कि किसके घर में ये औरतें जा कर काम कर सकती हैं। 8 साल से कर 90 साल तक औरतें इस काम में लगी हुई हैं। रिजर्व बैंक से मिलकर इसका आप कोई प्रबन्ध करें।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

मान्यवर, आपने मुझे कुछ कहने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं महामहिम राज्यपाल ने इस सदन में अपना जो अभिभाषण पेश किया है उस विषय में मैं कहना चाहता हूं कि यह भाषण सरकार की नीतियों का एक दस्तावेज होता है जिससे यह मालूम होता है कि वर्तमान सरकार आने वाले समय में किन नीतियों पर चलेगी और उससे जनता का क्या लाभ होगा ? यह भाषण एक क्रान्तिकारी भाषण के रूप में हमारे सामने आया है। इसमें आर्थिक समाधान का नक्शा प्रस्तुत किया गया है। विरोधी पक्ष का यह फर्ज था कि इससे सम्बन्धित वे विकल्प रचनात्मक सुझाव पेश करते। परन्तु माननीय नेता विरोधी दल चौधरी चरण सिंह की इतनी लम्बी स्पीच हुई उसमें उन्होंने इस 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के लाभ; जमीन का बंटवारा, हरिजनों की समस्या के लिए एक भी बात नहीं कही और केवल इमरजेन्सी इमरजेन्सी की ही रट लगाते रहे। यह तो वही स्थिति हुई कि खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। लोक पक्ष के नाम की इमरजेन्सी के बिल से। आज इस समाजवादी युग में 20 सूत्री आर्थिक कार्य क्रम जो देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने देश की 60 करोड़ जनता के सामने पेश किया है वह निश्चित रूप से डाक्टर लोहिया और आचार्य नरेन्द्र देव के सिद्धान्तों के अनुरूप ही है। हम समाजवादी लोग हमेशा ही इस प्रकार की व्यवस्था के कायम होने के लिए संघर्ष करते रहे हैं। यह 20 सूत्री कार्यक्रम हमारे उद्देश्यों की पूर्ति ही है जनता की इच्छाओं को 20 सूत्री कार्यक्रम पूरा करने वाला है। हमारे विरोधी दल के नेता चौधरी चरण सिंह का तो 1 सूत्री कार्यक्रम है और वह है केवल कुर्सी का एक सूत्री कार्यक्रम।

सारे देश की जनता ने इस 20 सूत्री कार्यक्रम का खुले दिल से स्वागत किया है और जो लोग या पार्टी इसका विरोध करेंगे उनको जनता निकाल कर बाहर फेंक देगी। मैं बताना चाहता हूं क्योंकि इस सदन के बहुत से लोगों को पता नहीं होगा कि 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है ? महंगाई रोकना, पैदावार बढ़ाना, पैदावार का ठीक से बंटवारा कराना, सरकारी खर्च कम करना। भूमि की हदबन्दी करना और उसका बंटवारा करना, भूमिहीनों हरिजनों को घर बनाने के लिए जमीन देना, सिंचाई के लिए अच्छा प्रबन्ध करना, बिजली के उत्पादन में तेजी लाना, हथ करघा उद्योग को प्रोत्साहन देना, जनता कपड़े का ठीक से वितरण कराना, शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करना, टैक्स चोरों को तुरन्त सजा देना, तस्करों को समाप्त करना, पूंजी का सही सही विनियोजन करना, यातायात के लिए राष्ट्रीय परमिट देना, मध्यम वर्ग की आय में राहत देना। छात्रों को सस्ते दर पर आवश्यक वस्तु और पढ़ने की सामग्री देना, बेरोजगारी दूर करना, नई प्रशिक्षण योजनायें चलाना, उद्योगों में मजदूरों को साझेदारी देना,

खेतिहर मजदूरों की मजदूरी निर्धारित करना, ये सब 20 सूत्री कार्यक्रम के मुद्दे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हम सब किसलिए यह नारा लगाते हैं "धन और धरती बट कर रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी"।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आज सभी राजनैतिक दलों के सामने 20 सूत्री कार्यक्रम का नारा पेश करके परीक्षा की घड़ी उपस्थित कर दी है अब धन और धरती बंटने का समय आ गया तो जो प्रतिक्रियावादी थे, झूठे नारे लगाते थे, आज वे क्यों बगलें झांक रहे हैं ? क्या वे यह चाहते हैं कि धन और धरती के बंटवारे का काम रुक जाय, अब उन प्रतिक्रियावादियों की यह साजिश है कि देश में समाजवादी व्यवस्था कायम न हो सके। इस देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने केन्द्रीय तथा प्रदेशीय सरकारों ने और देश के सबसे बड़े कांग्रेस दल ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जिस समाजवादी प्रोग्राम को चलाया है उसको देखते हुए जो दल समाजवाद की आड़ लेकर बड़ा हो हल्ला मचाया करते थे, बड़े-बड़े नारें लगाया करते थे उनका इस मुल्क में कोई स्थान नहीं रह गया है क्योंकि हुल्लड़ बाजी और मात्र नारें लगाने से राजनीति नहीं चलेगी। अब विरोधी पक्ष के लोगों को तय करना पड़ेगा कि उनको क्या करना है उनको अब एक दिशा अख्तियार करनी होगी और तय करना होगा कि पूंजीवादी निजाम चाहते हैं या समाजवादी व्यवस्था, हुल्लड़ बाजी चाहते हैं या लोकतन्त्री कार्यक्रम चाहते है या केवल कुर्सी अगर वह यह नहीं बतलायेंगे तो इससे साफ जाहिर होगा कि वह समाजवादी व्यवस्था के दुश्मन हैं। हम जो समाजवादी विचारधारा के सच्चे लोग हैं वें कुर्सी नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि समयबद्ध और समाजवादी कार्यक्रम हो। जो इसको पूरा करेगा, वही हमारा नेता होगा। डाक्टर लोहिया ने कहा था कि समाजवाद जो लायेगा, वही देश का नेता होगा। आज अगर समाजवाद लाने में कांग्रेस जुट पड़े तो अपने को समाजवादी कहलाने वाले लोगों को सोचना पड़ेगा कि वे क्यों विरोध करें। नारा लगाया गया था कि जमीन बांटी जाय। वह भी बंट रही है। आज कुछ लोग यह चाहते हैं कि जमीन न बंट पाए। आज सारा का सारा गठबन्धन इसलिए हो रहा है कि जिससे समाजवादी समाज की रचना न हो पाए। कहा जाता है और नाम लिया जाता है। लोक दल के नेता श्री चरण सिंह ने सदन में संजय गांधी का नाम लिया और साथ ही इन्दिरा गांधी के नाती राहुल गांधी का नाम ले कर आलोचना की यह सीधा-सीधा चरित्र हत्या का मामला है क्योंकि मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी जी का परिवार पं0 मोती लाल नेहरू, पं0 जवाहर लाल नेहरू, आज स्वयं इन्दिरा गांधी, संजय गांधी और राहुल गांधी का वह परिवार है जिसने आजादी की लड़ाई से लेकर अब जो समाजवादी समाज की रचना और समानता की स्थापना के लिए भारी कुरबानी दी और संघर्ष किये इससे ज्यादा और सौभाग्यशाली परिवार कौन है जो पांच पुश्त तक राजनीति में रहे यह देश के लिए सौभाग्य की बात है। इस परिवार, इन्दिरा गांधी के परिवार का नाम इतिहास में अमर रहेगा। स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। राजनीति में कोई किसी को तिलक नहीं लगाता। पं0 जवाहर लाल नेहरू ने इन्दिरा जी को तिलक नहीं लगाया था। काम किया था इन्दिरा जी ने, चुनाव हुए थे, वोट पड़े थे और जीतीं थी उसके बाद प्रधान मन्त्री बनीं।

संजय गांधी को इन्दिरा गांधी तिलक नहीं लगायेंगी। देश की जनता संजय गांधी को नेता बनाएगी, चुनेगी। अगर सामाजिक त्रुटियों को दूर करने में, समाजवादी व्यवस्था कायम करने में अगर नवयुवक नेता संजय योगदान देकर जनता के सामने देश के मंच पर आते हैं और जनता उनको अपना नेता चुन लेती है तो इसमें क्यों चरण सिंह को एतराज है ? यही परम्परा रही, यही नीति रही है और यही राजनीति है। जो काम करेगा जनता का नेता बनेगा।

मान्यवर, अगर यह कहा जाय कि यह खानदानी राजनीति है तो जब मैं पिछले 1969 के चुनाव में इस असेम्बली में आया था, संविद की सरकार बनी थी और उसमें मुख्य मन्त्री चौधरी साहब थे अपनी पत्नी को एम0 एल0 ए0 बना लिया। सोते से जगा लाए, क्या यह खानदानी राजनीति नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की बातें अच्छी

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]

नहीं शोभा नहीं देती हैं। चरित्र हत्या के ये मामले हैं। अगर चौधरी साहब यह कहते हैं तो वे भी इस बात के दोषी हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को लाकर एम0एल0 ए0 बना लिया जब कि वे यहां पर मुख्य मन्त्री थे। यह तो जनता का मामला है। जनता जिसको अपना नेता बनाएगी वही होगा। इस तरह की बातें कहना बहुत ही खराब बात है। यह तो सही माने में ऐसे ही लोग कहते हैं जिनका जनता पर विश्वास नहीं है।

इमरजेन्सी का हल्ला मचाया जाता है। कौन नहीं जानता कि प्रजातन्त्र की गाड़ी पटरी से उतर गई थी। उसे फिर से पटरी पर लाकर प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा जी ने खड़ी कर दिया तो क्या गुनाह किया है? पिछले दिनों इस मुल्क में कितनी हुल्लड़ बाजी, चोर-बाजारी, तस्करी फैली हुई थी। पूंजीवादी लोग चोर-बजारी, गुन्डे, तस्कर और फर्जी नेता ठिकाने लगा दिए जायं तो कोई बुरा नहीं है। इमरजेन्सी तो प्रजातन्त्र की उतरी हुई रेल को पटरी पर चढ़ाने के लिए है और उसी लिए लागू किया गया। डाक्टर लोहिया ने कहा था —जो समाजवाद लाएगा वही देश का नेता होगा। हमारी यह धारणा है कि देश में बिना जनतन्त्र के समाजवाद नहीं रह सकता। देश में जनतंत्र को रखने के लिए अगर इमरजेन्सी का इस्तेमाल होता है तो वह किया जाय। संवैधानिक है। आज अगर जनतन्त्र को बचाने के लिए सरकार ने इसका इस्तेमाल किया तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आज जनतन्त्र को बचाने के लिए इमरजेन्सी न लगाई गई है तो आज हम आप सब विधायक लोग यहां पर नहीं बैठे होते क्योंकि ये जो इमरजन्सी का विरोध कर रहे हैं वही लोग कहते थे कि जो जनता के चुने हुए विधायक हैं वह इस्तीफा दें। इन्होंने विधायकों से इस्तीफे दिलवाए, जबरदस्ती अंगूठे लगवाए और इस्तीफे दिलवाए। जनतान्त्रिक तरीके से चुने हुए विधायक लोगों को मारपीट कर बाध्य किया। तो यह कहां का जनतन्त्र है बल्कि यह सीधे सीधे जनतन्त्र पर हमला था। मैं इस माननीय सदन के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह भावुकता में न आए और धैर्यपूर्वक सोचें। इससे हम भी सुरक्षित रह सकेंगे और एसेम्बली भी बनी रहेगी। आज वह खतरा नहीं है कि कोई यह कहें कि तुम इस्तीफा दो क्योंकि तुम हमारे साथ नहीं हो तुमको चुनकर भेजा है, तुम वापस जाओ। वह खतरा आज दूर हो गया है।

अगर जनतन्त्र बना रहेगा तो आज नहीं तो कल को आप भी सरकार में आ सकते हो। जैसी देश में साजिश हो रही थी, अगर उस तरह का हो गया होता तो फिर सभी राजनैतिक लोगों और जनतन्त्र की हत्या हो गई होती। आज समाजवादी समाज की रचना करने के लिए जिन लोगों ने काम किया है उनका यह फर्ज है कि वह 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को पूरी तरह से पूरा करें। कहा जाता है कि जो एसेम्बली में भाषण करते हैं वह अखबारों में नहीं आता है, छपता नहीं है तो इसका फैसला तो अध्यक्ष जी आप करें कि जो भाषण यहां पर होते वह कहां तक उचित हैं। हमारे विधायक भाई ऐसा भाषण क्यों करते हैं। भाषण का मतलब यह नहीं है कि तुम यहां पर अंट-संट कहो और जनता उसे सुनें। अखबारों में छपे तुम्हें जनता इसलिये नहीं भेजती है कि सरकार के अच्छे काम में बाधा डालें। जनता इसलिए चुनती और भेजती है कि सरकार को ठीक रास्ते पर चलाओ और सरकार अच्छे कानून बनाए उसके लिए आप राय दो और जहां गलती हो उसे ठीक करायें इसलिए जनता भेजती है। केवल इसलिए नहीं भेजती है कि तुम एसेम्बली में जाकर भाषण कर देना और हम यहां अखबार में पढ़ लेंगे। यह गलतफहमी है और उन लोगों की यह बात है जो सस्ती राजनीति में विश्वास करते हैं। अगर तुम यहां काम कर लोगे तो जनता देखेगी कि कितना काम करते हो। केवल यहां चुटकुले मार देना एक अच्छे राजनीतिज्ञ की निशानी नहीं है। मैं अपनी बात कहता हूं कि इस चुनाव में मैंने अपने विरोधी उम्मीदवारों की जमानत जब्त करवाई चाहे वह किसी भी दल के रहे हों। हमारे मुकाबले उनकी जमानतें जब्त हो गयीं। कोई पार्टी नहीं बची मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि अच्छे काम करोगे तो जनता आपको जरूर चुनेगी। आप एसेम्बली में अच्छे कानून बनाने के लिए काम करें और यह बतायें कि प्रदेश और जनता की उन्नति कैसे होगी यह न सोचें कि आपका भाषण अखबार में नहीं छपा तो गजब हो गया, यहां आना बेकार हो गया।

श्री शारदा प्रसाद रावत (जिला गोरखपुर)—

आपका भाषण तो छपेगा ही।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

भाषण छपने की फिकर मत करें काम करने की फिक्र करो जनता तभी आपकी बात मानेगी। जिस तरह की बातें और हरकतें आज चल रही हैं वह समाप्त होनी चाहिए। जनतन्त्र की मान्यताओं का पालन करो। और पुन: मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि पूंजीवादी निजाम खत्म करने के लिए इमरजेन्सी लगाई गई है, तो मैं इसका पूरे तरीके से स्वागत करता हूं। मान्यवर, जब से इन्दिरा गांधी जी ने 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की, देश के अमीर घरानों में खलबली मची हुई है और उनके घरानों से सम्बन्धित जो नौकरशाह निकल कर आए हैं। वे भी इसके रास्ते में टांग अड़ाते हैं और इसको सफल होने से रोकना चाहते हैं। इसको तोड़ना चाहते हैं और सोचते हैं कि इससे हमारी सम्पत्ति जो जमाकर ली है जा रही है। ऐसे जितने लोग है जैसे तस्कर, चोरबाजारी, पूंजीपति, प्रतिक्रियावादी कुर्सी के लोलुप नेता ये सब एक जुट हो गये हैं। इसीलिए सरकार को 20 सूत्री कार्यक्रम पूरा करने में बाधा पड़ रही है।

मैं आपसे और सरकार से कहना चाहता हूं कि आज सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है कि वह इस कार्यक्रम को समय पर पूरा कराए, और चाहे उसके लिए भ्रष्ट नौकरशाहों का सफाया करना पड़े तो इसमें भी कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। साथ ही जो नकली व अवसरवादी नेता और जमीन चोर हैं, उनको भी ठिकाने लगाना पड़े तो लगाया जाय और देश का एक समाजवादी नक्शा साकार बनाकर दुनिया के सामने पेश किया जाए, जिससे लग सके कि अब इस देश में समाजवाद आ रहा है। समाजवाद किसी व्यक्ति के ठेके में नहीं है, यह जरूर आएगा। मैं सोचूं कि मैं समाजवादी पार्टी का मेम्बर बन गया तो हम ही समाजवाद ले आएंगे, ऐसी बात नहीं है, आप तथा और लोग भी समाजवाद लाने में अपना-अपना योगदान दे सकते हैं, और जो इस दिशा में बढ़ेगा, जनता उसी को अपना नेता मानेगी। इस बीस सूत्री कार्यक्रम का जो नेता लोक दल ने सदन में 20 नुकाती 20 नुकाती तमाम बार कहकर मजाक उड़ाया, यह बहुत ही खराब और शर्म की बात है। इससे साफ है कि इनकी दृष्टि में इसका कोई महत्व नहीं है क्योंकि उनका 1 सूत्री कुर्सी पाने का प्रोग्राम है। यहां हमारे नौजवान गृह मन्त्री श्री धर्मवीर जी बैठे हुए हैं, मैं उनके ध्यान के लिए अब कहना चाहता हूं कि प्रदेश के थानों में जो इनकी पुलिस है, उसके ऊपर इमरजेन्सी का अभी तक कोई असर नहीं पड़ा है। हम इन्हें सचेत करेंगे कि ऐसे लोग पुलिस के जो इमरजेन्सी के वक्त भी लूट मचाते हैं, कि उनको भी ठिकाने लगाया जाय। जब तक यह ठिकाने नहीं लगेगा, तब तक मामला बनेगा नहीं। एक नेता ने हमसे कहा कि अब इमरजेन्सी हो गई है, हम क्या करें? हमने कहा पहले क्या करते थे उन्होंने कहा पहले एक भाषण दे दिया तो तमाम लोग पीछे लग गए काम चल गया अब यह कैसे होगा? इस पर हमने उससे कहा तो दूकान कर लो। इमरजेन्सी में जहां तमाम फर्जी नेतागीरी का दिमाग ठिकाने लग चुका है, नौकरशाहों का नहीं लग सका है। आप उनका दिमाग भी ठिकाने लगाओ। जो शासक दल है और उसके जो सरकारी कर्मचारी हैं जब तक वे जनता में एक आदर्श उपस्थित नहीं करते तब तक वह कार्यक्रम पूरी तरह से पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए इसमें जो बाधा पैदा करने वाले लोग हैं उनको देखें कि जिले-जिले और थाने थाने की पुलिस की सूचना एकत्र करें। और भ्रष्ट दरोगाओं और अधिकारियों को कान पकड़-पकड़ कर अलग कर दें। उन्हें भी डी0 आई0 आर0 में जेल में बन्द कराइए। चौधरी चरण सिंह जी कहते हैं कि इमरजेन्सी से फायदा नहीं हुआ। पता नहीं कैसे कहते हैं। एक नेता जो नियाज हसन भी भाषण कर रहे थे और नमक मिर्च डाल कर भाव की एक लिस्ट पेश कर दिया। मैं कहता हूं कि वह समझ नहीं पाते हैं और कहते हैं कि किसान की चीज का दाम कम और व्यापारी की चीज का दाम अधिक। मैं कहता हूं कल ही दिल्ली में यह तय हुआ है कि गेहूं का दाम 105 रुपए कुन्तल पर साल का भाव जो था वही रहेगा। इसके लिए मैं भारत सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को उसकी पहल कदमी के लिए धन्यवाद देता हूं। खाद का दाम कम हुआ लेकिन कहते हैं कि उसका दाम कम नहीं हुआ। लोग कहते

[चौधरी रामपाल सिंह यादव]
है कि गेहू का दाम गिर रहा है, वह 85 रुपया हो गया है, लेकिन सरकार 104 में लेगी। इमरजेन्सी का फायदा नहीं हुआ यही बात नहीं, इमरजेन्सी ने मुल्क और जनतन्त्र को बचा लिया (लालबत्ती जलने पर) मैं समाजवादी दल के नेता की हैसियत से बोल रहा हूं और समय दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी)—

यह समाजवादी नेता कोरम के अभाव में बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जरा रुकने की कृपा करें, कोरम का अभाव है।

(गणपूर्ति के लिए घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुन: आरम्भ हुई।)

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

मान्यवर, यह कहते हैं कि इमरजेन्सी से कोई फायदा न हुआ। गांव में इमरजेन्सी से जनता को बड़ी खुशी उत्पन्न हुई है। यहां उत्तर प्रदेश में 12 लाख परिवार ऐसे थे जिनके पास एक इन्च भी जमीन नहीं थी, रहने, झोपड़ी रखने के लिए जमीन नहीं थी। अब उनको जमीनें मकान बनाने को दे दी गयी हैं। आज उन 12 लाख हरिजन परिवारों के लोगों में बेहद खुशी है। 18 लाख एकड़ भूमि के बंटवारे से मान्यवर भूमिहीनों को जमीन मिली है जिससे वह बहुत ही खुश हैं उतनी खुशी यहां पर बैठे विधान सभा के सदस्य को भी नहीं होगी क्योंकि उनके पास 1 इन्च भी भूमि नहीं थी लेकिन आज उनको मकान बनाने और खेती के लिए जमीन मिल गई है। यह उनको उनका भगवान मिल गया है। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सारे देश में हजारों तस्करों के यहां पर छापे मारे गए और 16 अरब का काला धन जो जमीन के नीचे छिपा हुआ था, बाहर निकाला गया। चौधरी चरणसिंह कहते हैं कि एक लाख राजनीतिक लोग जेल में बन्द हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि इनमें राजनीतिक लोग ही नहीं, तस्कर हैं, जो मीसा और डी0 आई0 आर0 में बन्द हैं, बहुत से चोर बाजारी करने वाले लोग हैं, कुछ गुंडे और बदमाश लोग भी हैं। नेता लोगों की संख्या तो उनमें बहुत थो ी है। नेता लोक दल को शिकायत है लेकिन जब वे संविद सरकार के जमाने में मुख्य मन्त्री थे उस समय देश की समाजवादी पार्टी ने और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने जब जमीन बांटने का आन्दोलन किया था गांव-गांव में, हमारे माननीय वर्मा जी ने भी शायद सत्याग्रह किया था और हजारों नेताओं को जेलों में बन्द किया गया था तो चौधरी साहब ने मुख्य मन्त्री की हैसियत से कहा था कि जेल कोई पिकनिक स्पाट नहीं। उस समय हमारे माननीय सदस्य श्री मंजूर अहमद की भी कमर तो: दी गई थी मेरठ जेल में और हमारे शहर कानपुर जेल में हम समाजवादियों पर लाठियां चलाई गई थीं। हमारे नेता ताराचन्द माहेश्वरी घा ल हुए थे। अब 8 महीने की पिकनिक करके वे लौटे हैं। चौधरी साहब को पता चला होगा। इस इमरजेन्सी में अपने यहां पर जो असामाजिक और अराजक तत्व थे, उनको ठिकाने लगाया गया है।

अन्त में, मैं माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण का स्वागत करता ही हूं और साथ-साथ मैं इस प्रदेश की सरकार को भी बधाई देना चाहता हूं क्योंकि वह 20 सूत्री आर्थिक कार्य क्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा रही है, समाजवाद की दिशा की ओर बढ़ रही है। इस कार्य के लिए भी में माननीय नारायण दत्त तिवारी की सरकार को बधाई देता हूं।

*श्री बाल कृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अभिभाषण के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया। जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा म ामहिम राज्यपाल का अभि-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भाषण एक दिशा निर्देशक है और हमारे कार्य क्रमों की ओर एक इशारा करने वाला है एक डाक्युमेन्ट है। इसमें उन सब बातों का समावेश किया गया है जो 20 सूत्री कार्य क्रम के अन्तर्गत नयी-नयी आर्थिक नीतियां अपने प्रदेश में सरकार लागू करना चाहती है! जहां इसमें एक ओर भूमिहीनों को आवास के लिए भूमि देने की सुविधा देने का संकेत किया गया है, वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों को सस्ती पुस्तकों के वितरण, सस्ती कापियों के वितरण और बुक बैंकों के खोलने का भी संकेत किया गया है। मान्यवर, सरकार द्वारा गरीबों की कठिनाइयों को पूरा करने के लिए जो-जो प्रयास किए गए हैं, उनका भी इस संक्षिप्त अभिभाषण में संकेत किया गया है।

जो संशोधन प्रस्ताव नेता विरोधी दल ने रखा उसमें उनका एक वाक्य था कि वर्तमान स्थिति के बारें में कुछ नहीं कहा गया है। आज जिस दिशा में हम बढ़ रहे हैं उस दिशा की ओर शायद उनका ध्यान नहीं गया है। जिन कारणों से आपातकालीन स्थिति की घोषणा हुई है उसमें उनका और उनके दल का कितना योगदान रहा है और उन शक्तियों का कितना योगदान रहा है। जिनका प्रतिनिधित्व वह करते हैं और जिनसे वह गठबन्धन किए हुए हैं उसकी ओर शायद उन्होंने इशारा नहीं किया। उन्होंने एक मासूम बात कही कि 25 जून को हमने केवल यह तय किया था कि 29 तारीख से हम सत्याग्रह करेंगे। लेकिन उसकी पृष्ठभूमि को वह भूल गए जब जयप्रकाश नारायण जी ने यह कहा था कि फौज और पुलिस को ऐसे आदेशों का पालन नहीं करना चाहिए जिनको वह सही नहीं समझते। अगर हमारी सीमाओं पर आक्रमण होता और फौज को गोली चलाने का आदेश दिया जाता तो क्या वहां पर कोई न्यायाधीश नियुक्त किया जाता जो यह देखता कि यह आदेश सही है या गलत। इसी तरह से अगर पुलिस से शान्ति कायम रखने के लिए कहा जाता तो क्या उस समय भी किसी जज की आवश्यकता होती जो पुलिस वालों से यह कहता कि यह कानून संगत है अथवा नहीं।

मैं आज भी कहता हूं कि जो एक अन्तर्राष्ट्रीय गठबन्धन था जो हमारे देश को एशिया में पनपने नहीं देना चाहता था, जो दुनियां में विस्तारवादी और साम्राज्यवादी देश हैं उन्होंने यहां की प्रतिक्रियावादी व्यक्तियों से मिलकर ऐसा षड्यन्त्र रचा था जिससे हमारे देश का प्रजातन्त्र ही नहीं बल्कि हमारे देश की स्वतन्त्रता ही घपले में पड़ जाती। मुझे याद है गुजरात में जब आन्दोलन प्रारम्भ किया गया वह उन्हीं दिनों किया गया जब दियाग गर्सिया में अमरीका का फौजी अड्डा बनने जा रहा था, जब हमारी सीमा पर चीन छेड़छाड़ कर रहा था। उस समय सम्पूर्ण क्रान्ति की बात कही जा रही थी। उसका क्या उद्देश्य था? विद्यार्थी, स्कूल-कालेज जाना छोड़ दें, कर्मचारी काम करना छोड़ दें, कारखाने बन्द हो जाएं, उत्पादन बन्द हो जाए। उनके कार्यक्रम का परिणाम यही होता कि देश में भुखमरी होती और अगर देश पर दुर्भाग्य से आक्रमण हो जाता तो यह कहते कि आप मुकाबला भी न करिए अशान्ति होती तो पुलिस से कहते कि शान्ति व्यवस्था न कायम कीजिए। कौन नहीं जानता कि इस तरह के अन्तर्राष्ट्रीय षड्यन्त्र का परिणाम बंगला देश के बंगबन्धु की हत्या में परिणत हुआ जहां आज भी स्थायित्व नहीं है कि वहां की राजनीति क्या होगी? वही साम्राज्यवादी और विस्तारवादी शक्तियां भारतवर्ष को भी उसी दिशा में ले जाना चाहती थीं। हमारे देश की प्रधान मंत्री ने कुछ कदम उठाये और देश को उस खतरे से बचा लिया।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य बैठ कर बातचीत करें।

श्री बालकृष्ण सनवाल—

अब उन शक्तियों को दुख है कि उनका पांसा काम में नहीं आ सका और ऐन मौके पर जो वह करने जा रहे थे उसको जड़ ही से कुचल दिया गया। हमारे नेता विरोधी दल ने सन् 1942 के जन आन्दोलन का जिक्र किया। मैं उस समय 17 वर्ष का था और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था 20 महीने जेल में रहने का। मुझे याद है कि बिना किसी नेता के किस तरह जनता जाग उठी थी। आज जब उसका मुकाबला करते हैं तो यह पता लगा कि जब विरोधी नेता लोग बन्दी बना लिए गए तो एक तिनका तक नहीं खड़का। कहीं दो,

[श्री बालकृष्ण सनवाल]

चार लोग गिरफ्तारी के लिए आगे आए होंगे। तो कहां एक अंतर देश को चौपट करने का प्रयास और कहां सन् 1942 का जन-आन्दोलन।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें, कोरम का अभाव है।

(गणपूर्ति के लिए घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

श्री बाल कृष्ण सनवाल--

मान्यवर, मैं यह कह रहा था माननीय नेता विरोधी दल ने सन् 1942 के आंदोलन से इसकी तुलना की। न तो मान्यताओं के आधार पर और न ही घटनाओं के आधार पर ऐसी तुलना करना उचित था। मुझे याद है कि 9 महीने से जेलों में रखा गया तो यहां तक तो पता नहीं था कि कहां पर हैं। जैसा अभी माननीय यादव जी ने कहा, सचमुच आज तो जेलें पिकनिक का स्थान बन गयी हैं।

अब मैं माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में पिछले तबके के विषय में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। एक और बात कहना चाहता हूं। यहां पर चौधरी साहब ने कुछ अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की चर्चा की। उन्होंने यह नहीं सोचा कि यह गलत स्थान है इस पर चर्चा करने के लिए।

चौधरी चरण सिंह--

आज तो गलत या सही सब मैजारिटी से तय होता है।

श्री बालकृष्ण सनसाल--

जिन बातों को यू0 एन0 ओ0 में कहना चाहिये था उसको उन्होंने यहां पर कहा।

पिछड़े तथा कमजोर वर्ग की चर्चा अभिभाषण में अवश्य की गयी है, अगर पिछड़े हिस्सों के लिये विशेष सुविधायें दिये जाने का इसमें अभाव है। उसके लिए कोई योजना बनायी जाएगी ऐसी बात नहीं है। इसका उसमें अभाव है। आशा है, आने वाले वर्षों में इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार अवश्य कदम उठाएगी। आज इमरजेन्सी से स्कूलों में पढ़ाई होने लगी है, चोर बाजारी खत्म हो गयी है, मुनाफा खोरी भी कम हुई है। किन्तु ऐसा देखने में आया है कि इधर 3 महीनों में इमरजेन्सी में कुछ ढिलाई हुई है, जिसके कारण कर्मचारियों में भी हुई ढिलाई दिखाई पड़ती है। यह हो सकता है कि उसमें और कार्यवाही करना आवश्यक हो। अगर हम उस 20-सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करना चाहते हैं तो अपने कर्मचारियों को, चाहे वे प्रादेशिक सरकार के हों, चाहे स्थानीय निकायों के हों या और कहीं के हों, उन सब को और हम लोगों को मिला कर उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थों को छोड़ते हुए और जनहित में कार्य पूरा करने का प्रयास करना होगा और तभी 20 सूत्री कार्यक्रम पूरा होकर जनता की आकांक्षाओं को पूरी कर सकेंगी। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और जो विरोधी दल की ओर से संशोधन का प्रस्ताव आया है, उसका मैं विरोध करता हूं।

धन्यवाद।

श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी)--

अध्यक्ष महोदय, चौधरी साहब ने जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के विरोध के लिए संशोधन का प्रस्ताव किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि लोकतन्त्र की व्याख्या क्या है? आज का जैसा लोकतन्त्र है और जैसी आपात कालीन स्थिति लगी है, ऐसे लोकतंत्र के होते हुए क्या उधर या इधर के बैठनेवाले या उपाध्यक्ष जी या और लोग यहां पहुंच सकते थे। चौधरी साहब ने जिन चीजों की व्याख्या की उसका उत्तर

नहीं मिला, उसका उत्तर देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि राज्यपाल के अभिभाषण को मैंने भी पढ़ा है और आपने भी पढ़ा है, और यहां बार-बार उन्हीं चीजों को दोहराया गया है लेकिन जो स्थिति है उससे अवगत कराने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। बहुत बातों में यह लोकतन्त्र नहीं हो सकता है, यह राजतन्त्र है। ऐसा राजतन्त्र है कि विधान सभा के अन्दर हम बोल सकते हैं लेकिन उसी बात को हम बाहर नहीं कह सकते। तो यह कैसा लोकतन्त्र है ? जब कि जनता के बीच हम अपनी बात को नहीं रख सकते तो कैसे निर्णय होगा ? निर्णय नहीं होने वाला है।

28 साल से इस देश में बराबर यही स्थिति रहती आयी है। गरीब से गरीब, छोटा से छोटा और अनपढ़ से अनपढ़ आदमी इस जगह पर नहीं पहुंच सकता, तो यह राजतन्त्र है। राजतन्त्र के चलते ही बहुगुणा जी पर कोई अविश्वास का प्रस्ताव तो यहां आया नहीं और उनको यहां से हट दिया गया। अगर यहां उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आया होता और तब वे हटाये जाते तो लोकतन्त्र की बात कही जा सकती थी, लेकिन वे तो तानाशाही के बल पर हटाए गये। इस प्रदेश की सरकार बने या सारे देश में कहीं कोई सरकार बने, दिल्ली के इशारे पर ही सारी सरकारें बनती हैं। अगर यही बात है तो इस तरह से करोड़ों रुपये बचाये जा सकते थे। जहां तक 20-सूत्री कार्यक्रम को पूरा करने की बात है, 28 साल से यही हुकूमत दिल्ली में रही है, डेढ़ साल तक शास्त्री जी को छोड़ कर, बाप और बिटिया के पास ही राज रहा है और 10 साल से प्रधान मंत्री भी हैं लेकिन जमीन के बंटवारे में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, उसी तरह से आज भी कायम है। इसी तरह से लोग जेलों में ठूंसे गये हैं और इसी प्रकार बराबर आन्दोलन चलता रहा है। केवल नारे लगाने से ही 20 सूत्री कार्यक्रम पूरा होने वाला नहीं है। इधर और उधर से बराबर बहस हो रही है और कहा जाता है कि देश की स्थिति सामान्य है। यह वैसे ही है जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है तो श्मशान में पहुंचने पर कोई किसी से बोलता नहीं है, चुप्पी लगाये रहता है। आज तीन रोज से इस पर चारों तरफ से बहस हो रही है स्थिति अगर अच्छी है, सामान्य है तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, महात्मा गांधी आपके समक्ष हैं कि आप चाहें तो चुनाव करा दें। आपकी स्थिति अच्छी आ गयी है, तो चुनाव करा दें। चुनाव करा कर परीक्षा लें। हम देखते हैं कि आज अंधकार है। जैसे श्मशान में रोदन किया जाता है वैसा रोदन हो रहा है पर कोई सुनने वाला नहीं है। आज सबसे बड़ी लूट पुलिस कर रही है। परगना अधिकारी और पुलिस मिलकर लूट रहे हैं। दोनों का गठबंधन हो गया है। लोगों की इज्जत नहीं रह गयी है और लोग लूटे जा रहे हैं। रामपाल जी बोल रहे थे पुलिस के संबंध में, उन्होंने जनरल बातें कहीं अगर थाने की बातें कहते तो वह भी बंद कर दिये जाते।

पुलिस वाले लूट रहे हैं। आपने उनको पूरी छूट दे रखी है। तस्करों को बंद करने की बात की गयी। आपने ही उनको छूट दी थी, उनसे चंदा लिया था बदनामी होने लगी तो उनको बंद कर दिया। आज देखिये, कल और कारखानों में कांग्रेसियों के हिस्से हैं और उनमें उनके लड़के नौकर हैं। उनके भावों को कंट्रोल नहीं कर सके पर किसान की चीजों पर आपने कंट्रोल कर दिया है। किसी आई० ए० एस० या किसी कांग्रेसी के घर पर आपने छापा नहीं मारा। थानों पर लूट मची है। मैं आपको बताऊं तो शायद मुझे भी बंद कर दिया जाय। हमारे यहां का परगनाधिकारी भुईयादीन हैदरगढ़ तहसील को, लूट रहा है। जमीन एलाट की गयी है और उसके लिये लेखपालों से 1-1 हजार रुपये लिये हैं। जिन लेखपालों ने नहीं दिये हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है दूसरे अभियोगों में। मैं कहता हूं उसको बाराबंकी में क्यों रखा गया है ? मोहनलाल गंज में ही क्यों नहीं रखा गया ? मैं बताऊं कि सीलिंग के मामलों में इतने गलत फैसले किये गये हैं जिनका बयान करना मुश्किल है। फर्जी लोगों के नाम दिखाकर उनका हिस्सा निकाला गया है और जमीनों को बचाया गया है। ग्राम सभा के पट्टों को जिन लोगों ने पैसा दिया है उनको अच्छी जमीन दी गयी है और जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनको ऊसर-बंजर दिया गया है। आप 145 मुकदमों की जांच हैदरगढ़

[श्री जंग बहादुर वर्मा]

तहसील में करायें सब बातों का पता चल जायगा कि क्या स्थिति है। बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुयी है। लोनी कटरा थाने की बात बता रहा हूं। 19 तारीख की बात है। बनारस के दो व्यापारी, व्यापार करने के लिये आये थे। त्रिवेदीगंज में चाय पी रहे थे। शौकत को 18 सौ रुपये देकर सामान लेने के लिये भेजा गया। दरोगा ने व्यापारियों को ले जाकर खूब पिटाई की और उसके पास जो 7 हजार रुपया था, वह भी छीन लिया। कहा कि तुम अफीम बेचते हो। शौकत आये यहां मेरे पास पड़े रहे। मैंने उनसे कहा कि कुछ दे दो नहीं तो डकैती में बांध देंगे। इस तरह की स्थिति है। शिवरतनगंज के दरोगा ने लगभग 50 बीघे जमीन, जिसके बारे में झगड़ा चल रहा था, खुद ले ली। 5–6 मील दूर वहां से वह रहते हैं। बैल भी चले जाते हैं, ट्रैक्टर जाता है, खेती होती है लाखों रुपये घूस में पैदा किये हैं।

हमारे यहां के एस0 डी0 एम0 100–200 रुपये लेकर बंदूकों के लाइसेन्श दे रहे हैं। हम लोगों के पीछे आप सी0 आई0 डी0 लगा रहे हैं। आप इनके पीछे सी0 आई0 डी0 लगाइये तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या कारनामे ये करते हैं? हम लोगों के पीछे आप सी0 आई0 डी0 लगाये फिरते हैं। आज क्या-क्या अन्याय हो रहा है? कोई सुनने वाला नहीं है। लूट मची है, लूट।

नवाबगंज तहसील में मुकदमों की मिसलें लगभग 29-30 गायब हैं जो कि इस प्रकार हैं—प्रतापगंज में होली आदि बनाम रामप्रसाद आदि, दि0 30–12–74, सिसवारा देवा में पानदी बनाम बृजभूषन दिनांक 3–1–75, तिन्दोला देवा में कालका आदि बनाम मैकू लाल आदि दिनांक 27–8–75 आदि गायब हैं। शहर बाराबंकी में बड़े–बड़े लोगों के नाम गांव समाज की जमीन के पट्टे पैसे के बल पर कर दिये गये हैं। इसी तरीके से हैदरगढ़ तहसील में भी किया गया है। दूसरे भुय्यादीन परगना अधिकारी ने सीलिंग के फैसले किये हैं और पैसे के बदौलत फर्जी पट्टे करवाये हैं। कुछ गांव समाज की ऐसी जमीन है जिस पर दरख्वास्त दी गयी हैं कि हम इस पर काबिज हैं इसलिये हमें सीरदार बनाया जाय। धोवहिया गांव में डेढ़ हजार रुपये लेकर, फकी शाद के पुरवा में 3 हजार रुपये लेकर और सिद्धौर में 3 हजार लेकर फैसले कर दिये गये हैं और उनको सीरदार बना दिया गया है और आजकल यदि कोई बोले तो फौरन उसे बन्द कर दिया जाता है। पुलिस को यदि रुपये नहीं दिये जाते हैं तो वह लोगों को डी0 आई0 आर0 में बांध देती है। हैदरगढ़ में कोई जांच क्यों आपने नहीं करवाया है? जिला बाराबंकी में लोगों को तंग किया गया, हैदरगढ़ में लोगों को तंग किया गया और लूटा गया है लेकिन जांच नहीं की गयी है। एस0 पी0 हमारे वहां के बाराबंकी में डी0 वाई0 एस0 पी0 पहिले थे और वह गोंडा के रहने वाले हैं, गाजीपुर में अत्याचार कर चुके हैं और आपकी बदौलत बाराबंकी में आ गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

इस सबको आप लिखकर दे दें।

श्री जंगबहादुर वर्मा—

इसी तारीख में हमारे वहां जल्दी ही दो आदमी को गोली से जंगल के किनारे पुलिस ने मारे हैं और पुलिस ने कहा कि वह डकैती की योजना बना रहे थे। बाराबंकी अस्पताल में नन्हें लाल कुरील की बहू 20 तारीख को रफी अहमद सदर अस्पताल में गयी लेकिन उसको डाक्टर चौधराइन ने डांट फटकार कर वापस कर दिया जबकि उनको डिलवरी होने वाली थी। वह दूसरे दिन डा0 बनर्जी के वहां जाती है। इसी तरीके से हैदरगढ़ त्रिवेदीगंज अस्पताल की हालत है। इसलिये मान्यवर, सामान्य स्थिति आने वाली नहीं है चाहे इससे ज्यादा तानाशाही क्यों न लगा दें। हिन्दुस्तान के 10–20 नेता चाहे मरवा दें यदि 60 करोड़ लोगों की रक्षा होने वाली हो। लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक पुलिस व शासन विभाग को ठीक नहीं करते। इन्हीं लोगों ने स्थिति को बिगाड़ा है।

*श्री भारत सिंह (जिला गढ़वाल)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में बोलने का अवसर मुझे दिया। राज्यपाल के भाषण में जो राजनीतिक समीक्षा की गयी है और जो दिशा निर्देशन दिया गया है उससे उत्तम बात हो नहीं सकती। मैंने आद्योपान्त माननीय नेता विरोधी दल का भाषण सुना। उसमें केवल भड़ास निकालने की बात थी और उनका भाषण उस स्तर का नहीं था जो उनसे अपेक्षा थी बल्कि वह व्यक्तिगत आरोपों का भाषण, व्यक्तिगत चरित्र हत्या करने का भाषण था। मान्यवर, 20 सूत्री कार्यक्रम समाजवादी रचना के लिये एक लक्ष्य है। यदि हम उस पर विचार करें और विरोध पक्ष उसका समर्थन करे तो समाजवाद इस मुल्क में जल्दी आ सकता है और उसके माध्यम से गरीब लोग, दबे हुए लोग, सदियों से नहीं वंशजों से पिछड़े लोगों का उद्धार हो सकता है। उनके द्वारा जो लोकतंत्र की बात कही जाती है तो एमरजेन्सी के पहले जो लोकतंत्र था जिसमें भ्रष्टाचार हो, घिराव हो, रेलों और बसों को जला दिया जाय अगर उस लोकतंत्र से उनका मतलब है तो ऐसे लोकतंत्र को कोई भी लोकतंत्रीय सरकार और कोई भी लोकतंत्रीय देश स्वीकार नहीं करेगा और न ही वह उचित है। लोकतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता होती है तो उसमें चरित्र की हत्या नहीं होती, समस्याओं की बात होती है। व्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं तक होनी चाहिये जहां तक कि वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके लेकिन अगर वह दूसरों पर लांछन लगाता है, भड़काता है तो ऐसी स्वतंत्रता किसी भी लोकतंत्र देश में नहीं है। जो लोकतंत्री देश हमारे से ईर्ष्या रखते हैं उनके डेलीगेशन आये और उन्होंने हमारे लोकतंत्र को सराहा। उन्होंने देखा कि इमरजेन्सी में लोग घूम रहे हैं, अबाध गति से काम कर रहे हैं। जिस लोकतंत्र की कल्पना विरोध पक्ष के लोग करते हैं वह उचित नहीं है और न उसको किसी देश ने स्वीकार किया है और न हम स्वीकार करते हैं।

मान्यवर, राज्यपाल जी ने अपने भाषण में बहुत सी बातों की तरफ इशारा किया है लेकिन जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनकी ओर संकेत नहीं है। इसका मुझे खेद है। जो आठ पर्वतीय जिले हैं वह बहुत पिछड़े है, न सड़क हैं, न पेयजल की योजना है। मैं समझता हूं कि इनका समावेश होना चाहिये। 20 सूत्री कार्यक्रम में जहां लाखों करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचेगा वहां पर्वतीय लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंच रहा है। मान्यवर, मैं पहाड़ों के बारे में बताऊंगा कि वहां पर आज भूमि नहीं है। सीलिंग से जो जमीन निकली है उसको आप हरिजनों और भूमिहीनों को दे रहे हैं वहां कोई भी सीलिंग की जमीन नहीं है। पहाड़ों में लाखों भूमिहीन लोग हैं जो बहुत ही गरीबी में दिन काट रहे हैं और उनके लिये कोई भी व्यवस्था नहीं है। मेरा यह अनुरोध है कि उन भूमिहीनों को मैदान या फूटहिल्स में बसाया जाय। जहां पर सीलिंग से जमीन निकल रही है वहां पर उनको बसाया जाय। हमारे यहां ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं कि भूमि का मालिक कोई है लेकिन कब्जा किसी दूसरे का है और इसको नियमित नहीं किया गया है जब कि जमींदारी उन्मूलन हो चुका है। वहां के जो वास्तविक काश्तकार हैं उनको नियमित किया जाय और उनको उस भूमि का मालिक बनाया जाय। हमारे यहां कोटद्वार और रामनगर में नगरपालिका ने निर्णय लिया है कि जिन लोगों के पास मकान नहीं हैं उनको उसके लिये स्थान दिया जायगा। इस कारण यह निर्णय होना चाहिये कि जो लोग झोपड़ी में रहते हैं उनके आवास स्थल का प्रबन्ध करवाया जाय।

मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने जंगल लगाने और अधिक पेड़ों को लगाने की बात कही है। यह देश के लिये बहुत अहम मसला है और पेड़ों और वनों का संरक्षण होना चाहिये। आज लोग पेड़ों को वनों को बड़ी बेरहमी के साथ काट रहे हैं। इसका नतीजा यह होता है कि बाढ़ आती हैं, उपजाऊ मिट्टी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भारत सिंह]

बह जाती है और मौसम में बड़ा फर्क पड़ जाता है। मेरा तो यह विचार है कि अगर इसी प्रकार से रहा तो गंगा और यमुना का मैदान किसी समय रेगिस्तान बन जायगा। अगर पहाड़ों के ऊपर वन लगे रहे हैं और फूटहिल्स में लोग बसें इससे हमारा बड़ा लाभ होगा। कालीगढ़ डैम 1 अरब 28 करोड़ रु0 का बना। इससे काफी बिजली पैदा होगी। बिजली को पहाड़ों में जो पिछड़े हुये क्षेत्र हैं उनको दिया जाना चाहिये। अधिक क्षेत्रों का विद्युतीकरण किया जाय ताकि उस क्षेत्र में लिफ्ट योजना चलाई जा सके। साथ ही विद्युत् योजनाओं पर वहीं के लोकल व्यक्तियों को लगाया जाना चाहिये। फूटहिल्स में लोगों को बसाकर कल कारखाने में लगायें। बल्कि उत्तर प्रदेश के भी लोग उसमें न हो कर बाहर के लोग नौकरी पाते हैं। सन आफ दी स्वायल की थ्योरी पर जहां उद्योग लगता है वहां के लोगों को पहले रोजगार दिया जाय, फिर प्रदेश के लोगों को और उसके बाद बाहर के लोगों को रोजगार मिलना चाहिये। इससे नौजवानों में विश्वास की भावना उत्पन्न होगी और बेरोजगारी की समस्या भी हल होगी। जहां तक सिंचाई का सवाल है कोट्द्वार भावर का क्षेत्र बहुत उपजाऊ है लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है मवलन व खोर में डैम प्रस्तावित है, सर्वे भी हो रहा है। 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वहां डैम जल्दी से जल्दी बनाया जाय ताकि उस क्षेत्र को पानी दिया जा सके। इससे गढ़वाल का क्षेत्र भी लाभान्वित हो सकेगा। इन शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रामरति बिन्द (जिला वाराणसी)—

मैं माननीय नेता विरोधी दल के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को बड़े ध्यान से सुना है उसमें हरिजनों को भूमि आवटन के बारे में काफी चर्चा हुई है लेकिन वस्तुस्थिति बिलकुल इसके विपरीत है। गांवों में जहां भूमि आवंटन का कार्य चल रहा है मैंने भी वहां दौरा किया जहां जिलाधीश महोदय ने मौके पर जा कर पट्टा वितरित किया था। मुख्य मंत्री जी भी वहां गये थे। मैंने देखा कि सबसे रद्दी किस्म यानी ऊसर, बंजर, नदी, नाला किस्म की जमीनों को दिया जा रहा है जिनके पास जमीन नहीं है। मेरी तहसील दरवासी, ओहदा गांव आदि की जमीन रेह के लिये मशहूर है और वहां से ट्रक भर कर धोबियों को भेजे जाते हैं। वहां भूमि विकास के लोग आये थे और उन्होंने कहा कि इस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिये कर्जा दिया जायगा। वहां पर एक-एक फुट गहरी रेहें हैं। भूमि संरक्षण अधिकारी को वह रुपया दिया गया उस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिये जो कि गैरमुमकिन था, लेकिन वह भूमिहीन कर्जदार हो गया। तीन किस्म की जमीनें हैं। एक तो जो रद्दी किस्म की जमीन है। दूसरी जिसे काश्तकारों ने अपने कब्जे में कर रखी है और तीसरी जो सरकार को सीलिंग से मिलेगी। अभी तक रद्दी ऊसर जमीन का ही बटवारा किया गया है। सीलिंग वाली जमीन के लिये कहा जाता है कि मुकदमा चल रहा है, जब तक तय नहीं हो जाता तब तक उसका आवंटन नहीं हो सकेगा। रद्दी किस्म की जमीन दी जायगी, फिर उस पर 15 से 18 प्रतिशत सूद पर रुपया दिया जायगा और उसकी सूली के लिये फिर जेलों में ठूंसा जायगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि अगर जमीन देनी ही है तो लोगों द्वारा अतिक्रमण की हुई जमीन को उनसे बेदखल कराके पहले प्राप्त कर ली जाती और सीलिंग की जमीन पहले प्राप्त कर ली जाती, तब उसे बांटा जाता। नहीं तो हरिजनों को केवल 75 प्रतिशत रद्दी जमीन ही मिल पायेगी और बाकी 25 प्रतिशत अच्छी जमीन धनी लोगों के पास चली जायेगी और वही पुराना कार्यक्रम शुरू हो जायगा। मान्यवर, इसके पहले पंचायत राज बना और उसमें प्रधानों को अधिकार दिया गया कि वे जमीनों का पट्टा करें। बड़ी तेजी से उसमें आवंटन चल रहा था। लेकिन बीच में ही आप जानते हैं अध्यादेश जारी करके उसे रद्द कर दिया। 20-22 साल से जो प्रथा चली आ रही थी वह समाप्त हो गयी। इसी प्रकार यह भी समाप्त हो जायेगा और आवंटन का यह सारा ड्रामा समाप्त हो जायेगा। जब-जब इलेक्शन होगा तब-

तब हरिजनों को भूमि बांटने का कार्यक्रम बनायेंगे। मान्यवर, हमारे एक गांव में 10 हरिजन बसे थे। वहां उनके आवंटन के लिये कोई जमीन नहीं थी। वहां पर एस0 डी0 एम0 और तहसीलदार का कैम्प लगा था, जमीन की पैमाइश हुई और जमीन जिसमें बसे थे, एलाट कर दी गई तथा पट्टा का प्रस्ताव कर दिया। उन्होंने फार्म भर कर दिया किन्तु दाखिल नहीं किया गया। इस प्रकार हरिजनों को परेशान किया जाता है। यह भी देखने को मिला है कि एक बार जमीन आवंटित कर दी गई और जब वे दाखिल खारिज के लिये जाते हैं तो कहा जाता है कि पात्रता की लिस्ट देखेंगे, यदि उसमें उनका नाम होगा और वे पात्र होंगे तो उनको जमीन मिलेगी। तीन-तीन बार लोग चक्कर लगाते हैं किन्तु कुछ नहीं हो पाता है। दो-दो बार पात्रता की लिस्ट में शामिल होने के बाद भी जमीन आवंटित नहीं होती।

जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि भूमि का रेट लेखपाल और कानूनगो बढ़ा देते हैं जब तक कि उनको घूस न मिल जाय तब तक जमीन बटती ही नहीं है। हमारे एक गांव में 5 सौ रुपये से लेकर 1 हजार रुपये तक रेट उनका बंधा हुआ है। दलाल पहले भेज दिये जाते हैं कि पहले इतना रुपया लेंगे फिर जमीन बांटी जायगी। एक गांव में पाटिल साहब गये थे और उस गोष्ठी में मैं भी गया था। उसमें यह निश्चय हुआ था कि जन प्रतिनिधियों को साथ लिया जायेगा, विकास अधिकारियों और तहसील के कर्मचारियों को भी साथ लिया जायेगा। किन्तु प्रैक्टिकली यह देखने में आया है कि लेखपाल और कानूनगो जाते हैं और विकास खंड के लोगों को बताया ही नहीं जाता कि क्या प्रोग्राम है और कहां जमीन बटेगी ?

मान्यवर, आप जानते हैं कि तहसील के कर्मचारी इतने भ्रष्ट होते हैं कि बिना पैसा लिये वे एक फाइल को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर नहीं जाने देते। ऐसे लोगों के माध्यम से आप भूमि का आबंटन करवा रहे हैं। इससे क्या कल्याण होगा ? पाटिल जी भी जो नक्शा लाये थे, वह हमारे सामने डिसकस हुआ। यह हुआ था कि गांव तहसील में नहीं जायेगा बल्कि तहसील गांव में जायेगा और वहां बुलाकर भूमि का आबंटन होगा। किन्तु आज पूरा गांव तहसील में बुलाकर जमीन बांटी जा रही है। उनके नक्शे में यह भी था कि तुरन्त काश्तकारों को जमीन मिलेगी और तुरन्त दाखिल खरिज हो जायेगा और तुरन्त पट्टा मिल जायेगा। हमारे यहां से दो-दो प्रस्ताव पास हो चुके हैं लेखपाल ने तहसीलों में जमा कर दिया किन्तु पट्टा करके प्रोफार्मा नहीं मिला। दाखिल खारिज होना तो दूर है। यह गैर मुमकिन है। मैं आपसे एक बात का जिक्र करना चाहता हूं कि हमारे यहां काशी नरेश की भूमि थी, उनके पास करीब 4 हजार बीघा जमीन थी। हमने इस बारे में एसेम्बली में सवाल किया था जिसका हमें जवाब मिला कि उनकी जमीन पर सीलिंग कानून लागू किया जा रहा है लेकिन इन दिनों हमने फिर सवाल किया उसका जवाब मिला कि 4 गांव में तो सीलिंग कानून लागू कर दिया गया है और 171 में अभी लागू होना है। तो मान्यवर, एक साल में चार गांवों में यह लागू कर पाये हैं तो बाकी गांवों में तो पता नहीं कितना समय और लग जायेगा शायद बोलते ही रह जायेंगे और चले भी जायेंगे उनकी जमीन पर सीलिंग नहीं लागू हो पायेगी। हम जानते हैं कि जब महाराजा की जमीन पर सीलिंग नहीं लागू हुई तो जो बाकी जमींदार हैं या जो बड़े काश्तकार हैं उनका क्या होगा। मान्यवर, पूरे प्रदेश में कहीं पर तो सीलिंग कानून लागू है और कहीं पर नहीं लागू है और जमींदारी विनाश कानून भी अभी तक लागू नहीं किया गया है। अभी तक जमीन के मामले में एकरूपता नहीं लाई जा रही है। ऐसे बड़े बड़े लोग हैं जो जमीन का न लगान देते हैं और न उनसे जमीन ली जाती है वह लोग मुफ्त में खा रहे हैं सिर्फ इसलिये कि वह महाराजा की जमीन है इसलिये उस पर कोई कार्यवाही नही हो सकती है। जब मान्यवर बड़े-बड़े लोगों की जमीन पर सीलिंग लागू नहीं होती है तो छोटे-छोटे काश्तकारों पर तो लागू नहीं किया जा सकता है। क्योंकि वह तो आसानी से उसे छिपा लेते हैं अपने नाती पोतों के नाम पर कर देते हैं।

अब मैं थोड़ा जिक्र कालीन उद्योग के बारे में करना चाहता हूं। इस प्रदेश को इससे करीब 60 करोड़ रुपया फारेन एक्सचेंज के रूप में इस उद्योग से मिलता है और अकेले मेरे

[श्री राम रति बिन्द]

क्षेत्र से 30 करोड़ रुपये फारेन एक्सचेन्ज के रूप में मिलता है। वहां कालीन प्रशिक्षण के लिये इन दिनों 20 केन्द्र खोले गये हैं। इन केन्द्रों में ऐसे लोगों को नियुक्त किया गया है जिनको इस की तनिक भी जानकारी नहीं है। वे ताना-बाना बनाना भी नहीं जानते हैं। उनकी नियुक्तियां पूंजीपतियों की सिफारिश पर की गई हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि कारपेट सेन्टरों पर जो नियुक्तियां हों वह कालीन बुनकरों के संघ के माध्यम से हों।

अब मैं थोड़ा सा पेय जल के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे यहां पेय जल का संकट उत्पन्न हो गया है। लोग 4-4 और 5-5 मील से गंगा से पानी लाते हैं और पशुओं को ले जाते हैं। इस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। इन दिनों एक नक्शा पेय जल संस्थान ने हमारे इलाके का बनाया है जिसमें 118 गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है और उसके लिये पानी की टंकियां केवल 3 दी जायेंगी। मेरे समझ में नहीं आता है कि तीन टंकियों से कैसे काम चलेगा? इस तरह के करीब एक हजार गांव सूखाग्रस्त हैं। उनमें लगातार सन् 1965 से पानी का संकट है। इस संकट के लिये तब से स्कीम बनाई जा रही है लेकिन वह अब तक पूर्ण नहीं हुई। अब दो-तीन महीने में पानी का भयंकर संकट आयेगा, लोग गांव छोड़ कर जाने लगेंगे। जो सिंचाई के ट्यूबवेल हैं उनमें से भी पानी देने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। मेरा अनुरोध है कि अविलम्ब पेय जल के संकट को दूर करने के लिये कार्यवाही की जाय। वहां तुरन्त ट्यूबवेल लगाये जायं। जिन गांवों में सरकारी ट्यूबवेल नहीं हैं वहां पेय जल की व्यवस्था की जाय।

*हाफिज मोहम्मद असलम (जिला सहारनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे साथियों ने चाहे वह इधर के हों या उधर के हों माननीय राज्यपाल जी के भाषण पर काफी तफसील से रोशनी डाली है और एक दूसरे के सवालों का जवाब दिया। मैं ज्यादा तफसील में न जाते हुए यह कहूंगा कि उन्होंने जो भाषण दिया उसमें कुछ बातें आई हैं जो इस बात को जाहिर करती हैं कि हमारा सूबा अब तरक्की की राह पर बहुत थोड़े वक्त में जा सकता है। मान्यवर, प्रदेश हो या देश हो, तरक्की तब ही हो सकती है, जबकि उसकी एकनामिक कन्डीशन, एकतावादी ढांचा मजबूत हो। यह इमरजेन्सी या 20-सूत्री कार्यक्रम जो हमारे सामने प्रधान मंत्री जी द्वारा पेश है, उनका भी यही तकाजा है कि हम थोड़े समय में अपने एकोनामिक कन्डीशन को कैसे मजबूत कर सकते हैं। उसमें यही अहमियत दी गई है। यह मजबूत तभी हो सकता है जबकि हमारे मुल्क या प्रदेश की पैदावार बढ़े, चाहे वह खेती की या कारखाने की पैदावार हो। इसी तरफ सरकार और प्रधान मंत्री ने इशारा किया है। खेत की पैदावार हमें बढ़ानी है, तो सिंचाई को अहमियत देनी होगी, बिजली को देनी होगी, यातायात को देनी होगी और साथ ही इण्डस्ट्री को भी देनी होगी। ये सब तरीके के रास्ते हैं, इन पर पूरी तरह से अमल हो, जिसकी आशा है, तो मैं समझता हूं हमारा सूबा पैदावार के मैदान में तरक्की करेगा और हमारी पोजीशन मजबूत होगी। हमारे यहां जो पिछड़े हुए आदमी हैं हम उनकी मदद करें, उसी को मद्देनजर रखकर जमीन की तकसीम या मकानों की जमीन की तकसीम की गई है और यह एक बहुत बड़ी चीज है। इस पर कुछ साथियों ने नुक्ता उठाया है कि प्रोग्राम तो दे दिया, लेकिन अमल नहीं हो रहा है और कहीं पर यह केवल कागजी कार्यवाई है।

मैं पूरब की पोजीशन तो पूरी नहीं जानता, लेकिन पश्चिम के बारे में कह सकता हूं कि किसी भी जिले में देख लें करीब-करीब 90 परसेन्ट वर्क उसका हो चुका है। ग्राम समाज की जमीन जो दूसरे लोगों पर थी, उसको छुड़ाया गया है और आबादी की जमीन भी छोड़ी गई है। यह बन्दोबस्त का काम है, इसको बहुत जल्दी समझ लेना कि हो जाएगा, बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन किसानों के कोआपरेशन से यह भी सम्भव हो गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसानों ने इसके लिये अपनी खड़ी फसल छोड़ दी है। तो मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं है कहीं कोई खास शिकायत हो, चाहे कर्मचारियों की या दूसरे लोगों की हो, तो उसको हमें जनरलाइज नहीं करना चाहिये। हमें उसके लिये उसे सरकार को लिखकर दे सकते हैं कि फलां जगह यह बेईमानी हुई है या यह काम नहीं हो रहा है। इससे सरकार को आसानी होगी और काम भी जल्दी हो जाएगा। इसे इस कोआपरेशन से करेंगे तो हमारा एकतावादी ढांचा मजबूत होगा। हमारा प्रदेश किसानों का प्रदेश है, 80 प्रतिशत यहां के लोग किसान हैं, इसलिये यदि किसान खुशहाल होगा तो मजदूर, दूकानदार, सरकारी कर्मचारी तथा अन्य वर्ग के लोग भी मजबूत और खुशहाल होंगे। साइकिलें खरीदी जायेंगी, कपड़ा भी खरीदा जायेगा तथा अन्य चीजें भी खरीदी जायेंगी। इसलिये यह पैसा किसान के पास ही न रहकर सबके पास जायेगा, सर्कुलेट होगा और सबकी पोजीशन ठीक होगी। इसलिये हम अपनी सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि इस पर पूरा अमल हो तथा इस पर ज्यादा देर न लगे, जैसा पिछले सालों में हुआ है कि हमने पैसा दे दिया यहां से पास कर दिया, लेकिन मान्यवर, अगर कहा जाता है कि हमारे यहां फलां चीज की जरूरत है तो कहा जाता है कि पैसा नहीं है। इस तरह की चीज अब नहीं होनी चाहिये। हम मानते हैं कि साधनों की कमी है, लेकिन उन साधनों को देखते हुए हर संभव जनता को राहत देने का प्रयास किया जाना चाहिये। आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति प्राइवेट ट्यूबवेल लगा नहीं सकता है तो ऐसी जगहों पर जहां पर कोई प्राइवेट ट्यूबवेल नहीं लगा सकता हो और सिंचाई के अन्य साधन न हों तो वहां पर सरकार को चाहिये कि नलकूप लगावे। इससे गरीब किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इसके साथ ही साथ पैदावार बढ़ेगी। मान्यवर, मैं 2–3 बातें कहना चाहता हूं, इस समय माननीय चौधरी साहेब यहां पर मौजूद हैं। मैं यहां पर पहली बार आया हूं। मैं उनकी सरपरस्ती में भी रहा हूं। कई साल मैं श्री राम मूर्ति जी जो माननीय चौधरी साहेब के पास बैठते हैं, की सरपरस्ती में रहा हूं। मैं एक छोटा कार्यकर्ता रहा हूं।

चौधरी साहब परसों जब भाषण दे रहे थे, तो उनकी 2–3 बातों पर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि वह मेरे जवाब में कुछ कह दें तो मेहरबानी होगी। उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री पर यकीन नहीं रह गया है। प्रधान मंत्री ऐसा होना चाहिये जिस पर सबका यकीन हो। जब 67 का इलेक्शन हुआ तो चौधरी साहेब जीते और मुख्य मंत्री के लिये गुप्ता जी का नाम चौधरी साहेब ने ही प्रस्तावित किया था। कुछ दिनों बाद यह सुनाई पड़ा कि चौधरी साहेब नाराज हैं। मुझे याद है कि हिन्दुस्तान टाइम्स में चौधरी साहेब का बयान निकला था कि यह गलत है। लेकिन चन्द घंटों में चौधरी साहेब 15–17 आदमियों को लेकर उधर चले गये और गुप्ता जी को हटा दिया। जनता इसका यकीन करे या हमारी प्रधान मंत्री पर यकीन करे जिसने कभी ऐसा नहीं किया। चौधरी साहब ने कुछ समय बाद यह बयान दिया कि खिचड़ी सरकार नहीं चल सकती है और फिर कई पार्टियों को लेकर एक साथ बैठने का ऐलान किया है। क्या यह यकीन किया जा सकता है? माननीय गुप्ता जी मिनिस्टर हुए और हमारे कांग्रेस का विभाजन हो गया। उस समय यह सवाल पैदा हुआ कि मुख्य मंत्री कौन बने। माननीय गुप्ता जी इस कोशिश में थे कि हम से मिल कर चौधरी चरण सिंह सरकार बनायें और हम कोशिश में थे, उस समय हम पंडित कमलापति त्रिपाठी के साथ थे, कि हम से मिलकर मिनिस्ट्री बनायें। पहले दिन गुप्ता जी के साथ और दूसरे दिन पंडित कमलापति त्रिपाठी जी के साथ मिलकर मिनिस्ट्री बनाई। इससे बढ़ कर जम्हूरियत और क्या हो सकती है कि हमारी प्रधान मंत्री ने 12 जून को जो हाई कोर्ट का फैसला हुआ था, उसका औनर किया। उन्होंने यह कहा था कि यह फैसला लागू हो और उसको नजर अन्दाज न करके और अधिक समय न गुजार करके अपील कर दिया। राष्ट्रपति जी के बंगले पर यह कहना कि उन्हें तुरन्त इस्तीफा दे देना चाहिये यह हाई कोर्ट के कानून की अवहेलना है यहां सदन में एक छोटे से बच्चे "राहुल" की बात कही जाती है जो जेबा नहीं देती है कि उसके नाम को इस सदन में लिया जाय। मैं जानना चाहता हूं कि इनके यकीन का क्या पैमाना है, वह इसे बताने की कृपा करें?

[हाफिज मोहम्मद असलम]

इन शब्दों के साथ मैं माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के लिये जो सरकार की ओर से प्रस्ताव लाया गया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से इस सदन में जो राज्यपाल का अभिभाषण प्रस्तुत किया गया है, उसमें जो-जो त्रुटियां रह गई हैं, उनकी ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

सरकार की ओर से 20-सूत्री कार्यक्रम के 2 सूत्रों में जो कहा गया है कि हदबन्दी से जमीन ली जायगी और वह जल्द से जल्द उन लोगों में, जो देश के कमेरे लोग हैं, जिनके हाथ में कोई जमीन नहीं है, खेतों में मजदूरी करते हैं, उनको दी जायगी। लेकिन इस सरकार ने उसका उल्टा किया है। इस योजना में सरकार बिल्कुल असफल रही है। उसका कारण यह है कि आज भी इस सरकार के ऊपर प्रदेश में सामन्तों का आधिपत्य है। इस बात को ढकने के लिये और छिपाने के लिये सरकार ने एक ऐसा प्रोग्राम दिया जो कि निहायत ही निर्मूल और अनर्गल है और वह यह है कि सरकार ने वह जमीन उनको बांटी जो बिल्कुल ही अनुपयुक्त हैं और खेती करने लायक नहीं थी। और उसके लिये पर्याप्त साधन देने की सुविधा भी नहीं दी गई। या तो नदियों के पाटे में दी गई या गड्ढों में दी गई या उन स्थानों पर दी गई जहां पर चलने के रास्ते है या जो साधारण लोगों के अन्य कामों में आती थी।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान वर्ष 1960 की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें सरकार ने 2 1/2 सौ लाख एकड़ जमीन बांटने की बात कही थी। इस समय जो 16 से 18 लाख एकड़ जमीन बांटने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है उसमें से कितनी जमीन ऐसी है जो सीलिंग से और हदबन्दी से निकली हुई है। सीलिंग से निकली कुल 59,613 एकड़ जमीन ऐसी है जो हदबन्दी से निकली है। बाकी सारी जमीन गांव समाज की जमीन है। किसी भी ब्लाक में, किसी भी तहसील में, किसी भी जिले में गांव समाज की पूरी की पूरी जमीन माननीय मंत्री जी बतला दें कि भूमिहीनों को दी गयी हो और उस पर उनको मुकम्मल कब्जा दे दिया गया हो और वे उस पर खेती करते हों। इस काम में सरकार बिल्कुल असफल रही है। बिल्कुल धोखा देने की बात है कि गांव के सारे बैकवर्ड लोगों को हमने जमीन दे दी है।

आवास के लिये सरकार ने जमीन देने का वायदा ही नहीं किया बल्कि कागज पर भी आ गया कि आवास के लिये जमीन दी गयी। मैं अपने क्षेत्र या गांव की बात नहीं कहूंगा क्योंकि समय कम मिलेगा। माननीय राजस्व मंत्री जी मौजूद नहीं है.....

श्री उपाध्यक्ष—

अनुपस्थित लोगों को छोड़िये, अपनी बात कहिये तो ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा।

श्री भगवती प्रसाद—

मैं 20 सूत्री के तहत में बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपने क्षेत्र की बात कहें तो ज्यादा लाभकारी होगा, इधर उधर उलझें रहेंगे तो फायदा नहीं है।

श्री भगवती प्रसाद—

आप भी नहीं सुनना चाहते हैं। अगर आपकी समझ में न आता हो तो मैं उस बात को वापस ले रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में प्रदेश की मौलिक बात छोड़ दी गयी है। आप कानपुर में जाइये जिस क्षेत्र से आप चुन कर आये हैं। वहां तीन मिलें बन्द पड़ी हैं जिनके 10 हजार मजदूर बेकार ठोकरें खा रहे हैं। उसमें से

केवल 50 मजदूरों ने इन्दिरा गांधी जिन्दाबाद के नारे लगाये थे। और 20-सूत्री योजना का नारा लगाया था और उन्होंने कहा था कि मिलमालिकों को इमरजेन्सी के तहत में बन्द किया जाय क्योंकि वह हमें बेकार किये हुये हैं। उन मजदूरों को बन्द कर दिया गया। वहां मिल-मालिकों को मजदूरों की मखौल उड़ाने के लिये हर जगह से मौका दिया गया। यह भी एक प्वाइंट था जो मजदूरों की बेकारी के सम्बन्ध में अभिभाषण में होना चाहिये था।

मैं उत्तर प्रदेश के किसानों की बात कहूं। उनके गल्ले का भाव रोका गया। क्या एक रु ये से सवा रुपये क्विन्टल पिछले सालों से गन्ने का भाव कम नहीं किया गया है? क्या इससे 15 करोड़ रुपये की आमदनी मिल मालिक को नहीं हुई है? सरकार कहती है कि शकर के पैदा करने में ज्यादा पैसा खर्च होता है। क्या किसानों के गन्ना उत्पादन में लागत नहीं लगती है? क्या गन्ना उत्पादक उस अनुपात से लागत पाते हैं? नहीं। 15 करोड़ की आमदनी स्वयं कृषि मंत्री महोदय ने उत्तर प्रदेश के उद्योगपतियों की करायी है। इमरजेन्सी की बात पर मैं नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि इधर उधर से बड़ी नोक झोंक होती है। क्या सरकार का अधिक से अधिक अपव्यय इस प्रदेश की राजधानी में 28 तारीख को नहीं होगा? मैं पूछता हूं कि प्रधान मंत्री के लाड़ले संजय जी किस स्कूल और शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं और हिन्दुस्तान के किस राजनैतिक स्तर के हैं जो उनके स्वागत में आज पूरे नगर में शिक्षा विभाग में और शिक्षा संस्थाओं में कर्मचारियों को आदेश दिया गया है ये ट्रेनिंग लें और रिहर्सल करें। आखिर वह कौन सा तरीका है? मैं इमरजेंसी की बात नहीं कहता हूं। जसा कि श्री रामपाल सिंह जी ने लोहिया काल और आचार्य नरेन्द्रदेव की बात कही है, आज समाजवाद के नाम पर न मालूम कितने लोग प्रदेश के अन्दर सीखचों में सड़ रहे हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। बहुत सारे प्वायंट्स हैं लेकिन आपने मेरा तीन मिनट समय ले लिया।

एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज देश के हजारों लोग जेलों में बन्द हैं, कौन ऐसी घबराहट थी, कौन सी ऐसी हालत प्रदेश में पैदा हो गयी थी कि प्रदेश के गुंडों की और तस्करों को तो नहीं बन्द किया गया, केवल राजनीतिक लोगों को बन्द कर दिया गया? इसको क्या हम लोग यह न समझें कि केवल बदले की भावना से यह बात की गयी? मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य रामपाल सिंह जी को यह बात न मालूम हो लेकिन यही राजनीतिक बदले की ही भावना थी जिसकी वजह से हजारों हजारों लोग जेलों में बन्द कर दिये गये हैं। क्या इसी तरह से आप इस देश में समाजवाद लाना चाहते हैं, समाजवाद कौन सी चीज है, समाजवाद नहीं है जो देश और प्रदेश की गरीब जनता को ज्यादा से ज्यादा राहत दे सके। लेकिन आज यह सरकार उसमें सफल हुई है। उनके ऊपर पूंजीपतियों और गांवों के सामन्तों का हमला है, आज वे उन्हीं के गुलाम हैं और उन्हीं की सहायता में हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य संसदीय शब्दों का इस्तेमाल करें।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन के लिये जो प्रस्ताव पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो हमारे सामने बैठे हुए सदस्यगण हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने देश को और दुनिया के और देशों को जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करना पसन्द करते हैं उनकी ओर अपनी नजर डालें। उपाध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि दुनिया के सारे देशों में इंगलैंड ही एक ऐसा देश है जहां लोक तंत्र बहुत ही मजबूत है और आदर्श माना जाता है। मैं उधर के बैठने वालों से निवेदन करूंगा कि आप आत्मचिन्तन करें कि जो विरोध पक्ष वहां बना हुआ है और वहां जैसा लोकतांत्रिक विरोध पक्ष है, क्या आपका भी वही आचरण है? यदि आप लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं और विरोध पक्ष को सफल बनाना चाहते हैं

[श्री राम सुन्दर पाण्डेय]

तो विरोध पक्ष के लोगों का एक सिद्धान्त, एक कार्यक्रम और एक आचरण होना चाहिये। आपके विरोध पक्ष में कई तो आर0 एस0 एस0 के समर्थक हैं, कई जनसंघ के समर्थक हैं, कई सहकारिता के विरोधी हैं, कई समाजवाद के विरोधी है, कई अहिंसक क्रान्ति चाहते हैं, कई हिंसक क्रान्ति चाहते हैं और इस प्रकार सारे तरह के विचारधाराओं के लोग उसमें है और फिर आप इस दल के मुकाबले में विरोध पक्ष कायम करना चाहते है, यह बिलकुल असम्भव है। उपाध्यक्ष जी, 1971 में इस तरह के विचार वालों ने एक महान गठबंधन किया था और चौधरी चरण सिंह जैसे व्यक्ति का एक स्वप्न था। दिल्ली की सरकार में जाने का, विरोध पक्ष बनाने का जब वह स्वप्न चकनाचूर हुआ तो सारे विरोध पक्ष के लोगों का जो महागठ-बन्धन में थे। बस लोगों में निराशा का वातावरण पैदा हुआ। इन लोगों ने फैसला लिया कि अब वोट के जरिये से सरकार में जाने वाले नहीं हैं।

श्री वीर सिंह सेंगर—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है? माननीय सदस्य राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहे हैं या विरोध पक्ष के संबंध में बोल रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

आप सुन लीजिये और समझ लीजिये।

श्री राम सुन्दर पान्डेय—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उस वक्त इन लोगों में उदासीनता का वातावरण था। सारे देश में अहिंसा की क्रांति को छोड़कर हिंसा का आचरण इन लोगों ने प्रारम्भ कर दिया। मैं पूंछना चाहता हूं कि सन् 1974 में जब हमारे देश में, प्रदेश में खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ी, मुद्रा स्फीति बढ़ी तथा कल कारखानों में हड़ताल होती थी, जितनी बिजली की जरूरत थी प्रदेश में वह पैदा नहीं हो पाती थी, यूरिया कम पैदा हुई थी तो विरोध पक्ष ने क्या किया? इनको चाहिये था कि इन चीजों के समाधान के लिये कोई रास्ता बनावे। तो इन लोगों ने यह नहीं किया और कभी हड़तालों और महंगाई का वातावरण बनाया। एक तरफ रेलों का पहिया जाम किया और दूसरी तरफ किसानों से कहा जाता था कि यह सरकार निकम्मी है। कांग्रेस पार्टी का शासन इतना खराब है कि किसानों को खाद तक नहीं मिल पाती है। इस तरह की बात जनता में फैलायी गयी कि हर तरफ घोर अव्यवस्था है। मान्यवर, ऐसे समय में सोशलिस्ट पार्टी के नेता जार्ज फर्नान्डिस ने जो कहा उसके चार लाइन मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं। 29 मार्च, 1974 को रेलवे कर्मचारियों के सामने कहा कि अपनी शक्ति को पहचानो। रेलवे की सात दिन की हड़ताल देश के प्रत्येक तापघर को बन्द कर देगी। भारतीय रेलवे की दस दिन की हड़ताल—देश के प्रत्येक इस्पात कारखाने को बंद कर देगी और देश के उद्योग अगले 12 महीनों के लिये बन्द हो जायंगे। अगर एक बार इस्पात के कारखानों की भट्टी बुझ गयी तो इसे पुनः सुलगाने में नौ महीने लगते हैं। भारतीय रेलवे की 15 दिन की हड़ताल का अर्थ होगा—देश भूख से मर जायगा।

मान्यवर, यह है सोशलिस्ट पार्टी के नेता के उद्गार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह देश भक्ति है। क्या यह राष्ट्रीयता है। जिस दल के नेता रेलवे संगठन को हड़ताल करने के लिये कहें और कहें कि देश भूखों मर जायगा। देश को भूखा मारने का स्वप्न देखें तो क्या उसे राष्ट्रीय कहा जायेगा? मैं पूछना चाहता हूं कि आपातकालीन स्थिति के पहले देश और प्रदेश का हाल क्या था। रेलों में जब चाहे जंजीर खीच कर रेल रोक दी जाती थी। बिना टिकट चलते थे और जब टिकट चेकर टिकट मागें तो कहा जाता था कि जय प्रकाश नारायण जिंदाबाद। खोंमचे वाले को लूट लिया जाता था और कहा जाता था कि जय प्रकाश नारायण जिंदाबाद। बस रोक कर फूंक दी जाती थी और कहा जाता था, जय प्रकाश नारायण जिंदाबाद।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह क्या है ? अगर लोकतंत्र यही है तो मैं विरोध पक्ष से साफ कहना चाहता हूं कि अपने आप को बदलिये और इस तरह से चाहे इस प्रदेश की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो आप पदासीन नहीं हो सकते । आपको इंगलैन्ड की नकल करनी पड़ेगी । क्या वहां इस तरह की हड़ताल होती है या अमेरिका में सरकार बदलने के लिए हड़ताल होती है ? यहां चौधरी चरण सिंह नहीं है । 1957 में जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट बनाया गरीब आदमियों की सीरदारी का हक दिलाने के लिये । मैं भी उस कमेटी में था । सीरदारी को सरकिल रेट से दुगनी मालगुजारी हुयी थी ।

आज अगर भूमिहीनों को जमीन बटी है तो तीन साल तक मालगुजारी नहीं ली जायगी । इसी प्रकार से बंधक प्रथा को समाप्त किया है । 20 रुपये लेकर पुश्त दरपुश्त काम लिया जाता था । चौधरी साहब इस प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे हैं । गरीबों के मसीहा कहे जाने वालों ने क्या गरीब लोगों को बंधक प्रथा दूर करने का ऐक्ट बनाया ? गरीब आदमी एक ही झोपड़ी में अपने बीबी, बच्चों, बहू, पतोहू के साथ रहता था क्या आपकी पार्टी ने अपने घोषणापत्र में ऐलान किया कि हमारी सरकार बनेगी तो भूमिहीन को मकान बनाने के लिये जमीन देगी, पैसा देगी ? आप इस पर मौन रहे । आपके अन्दर न शक्ति थी, न बुद्धि थी । आप सोच ही नहीं सकते थे कि गरीब किस तरह के मकान में रहता है । राज्यपाल महोदय ने जो संदेश दिया है, पुराने वर्तमान का है और आगे आने वाले जमाने की ओर इशारा करता है । अगर आप चाहते कि देश से आपातस्थिति हट जाय तो जो स्थिति आज है उसको बरकरार रखना होगा । आज स्थिति यह है कि कारखानों में मजदूर काम कर रहा है, विद्यार्थी स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, सारे देश के लोग उत्पादन बढ़ाने और अनुशासन बढ़ाने में लगे हुए हैं । लेकिन उपाध्यक्ष जी, इनको तो यह परेशानी है कि हड़ताल क्यों नहीं होती ? नियाज साहब भाषण दे रहे थे कि हड़ताल नहीं होने देते । क्या बिजली के कारखाने में हड़ताल होना गौरव की बात है ? देश का उत्पादन तो तभी बढ़ेगा जब घर-घर काम के लिए बिजली पहुंचेगी । अगर देश को बनाना है और लोकतंत्र को मजबूत करना है तो आइये और राज्यपाल जी का जो आवाहन है, उसमें मिलिये । लोकतंत्र को मजबूत करने के लिये और उन विरोधी ताकतों के मनसूबों को मिटाने के लिये आप आगे आइये । हमारी प्रधान मंत्री इस देश को मजबूत बनाना चाहती हैं । उसको मजबूत बनाने के लिये एक जुट होकर इस बीस सूत्री कार्यक्रम को सफल बनायें तभी नये भारत का सपना पूरा कर सकेंगी ।

*श्री भाभी (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में जो माननीय चौधरी साहब का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत है मुझे उसके पक्ष में निवेदन करना है । श्रीमन्, पूरे अभिभाषण को पढ़ने के बाद मुझको 3 बातें समझ में आयीं । पहला यह कि भ्रष्टाचार कम हुआ है, दूसरा अनुशासन आया है और तीसरा भूमिहीनों को जमीन का आबंटन मैं एक-एक पक्ष पर निवेदन करना चाहता हूं लेकिन इसके पहले मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे साथी शास्त्री जी जो हमारे नेता रहे हैं बहुत बातें कह गये हैं आन्दोलन और सत्याग्रह कर दिये हैं । हमारे साथ रहकर अन्यायों का मुकाबला किया है लेकिन हो सकता है कि सत्तादल में जाने के बाद तमाम बातों में परिवर्तन कर गये हों । सबको याद है कि प्रधान मंत्री का सबसे पहला नारा है हम गरीबी मिटायेंगे । हम कहते हैं कि गरीबी मिटाना कौन कहे गरीबी कम नहीं हुई है । भ्रष्टाचार में कौन सा भ्रष्टाचार कम हुआ है ? रिश्वतखोरी कम हुई है या गांव से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक जितने जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनमें बढ़ी है । मुझको तकलीफ होती है कि पार्टियों में रहकर लोगों के दर्शन करते थे और रिश्वत का नाम नहीं आता था । कुछ जिनकी कोई हैसियत नहीं थी मामूली घूस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री भामी]

लेते थे। मैं साफ कहना चाहता हूं और सभी भलीभांति जानते हैं कि रिश्वत का बाजार इतना गर्म है कि दिल्ली में जो ब बड़े बैठे हैं वह तक बड़ी-बड़ी रिश्वतें चला रहे हैं। मैं सबको नहीं कहता हूं कुछ ईमानदार भी हैं मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन रिश्वत 28 वर्ष के बाद भी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। बड़े-बड़े लोगों का रिश्वत लम्बा और छोटे कर्मचारियों का रिश्वत कम है। इसलिये कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिये।

दूसरा अनुशासन है। अनुशासन उसको कहते हैं कि उसके तहत बुराइयों से लोग डरें और अच्छाइयों की तरफ जायं। यह नहीं कि विरोधियों के तमाम कार्यकर्ताओं को कुर्सी रखने के लिये जेल में डाल दें और कोई सभा न करें। उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग चाहे जितनी ईमानदारी करें लेकिन एक भी खबर हमारी अखबार में नहीं आने वाली है। हमारे नेता चौधरी साहब ने साढ़े तीन घंटे तक हर पहलू पर सुझाव दिया लेकिन अखबार में नहीं निकला क्या हम लोग इस देश के निवासी नहीं हैं? हमारे जो अच्छे सुझाव हैं उनको सत्तारूढ़-दल को मान लेना चाहिये और जो अच्छे न हों उनको न मानें तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अनुशासन के माने यह नहीं है कि अपनी कुर्सी रखने के लिये विरोधियों को जेल में रखें और सभा न करने दें। उपाध्यक्ष महोदय, भूमि के आवंटन के बारे में मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं कि इसमें जबरदस्त बेईमानी हुई है। जिन लोगों के पास जमीन है उन्होंने अपने बेटे या रिश्तेदारों को भूमिहीन बता कर, बना कर उनके नाम से भूमि एलाट करवा ली है और जो भूमिहीन मजदूर है, कृषक है उसका सही ढंग से भूमि का आवंटन नहीं हुआ है। आज हरिजन भूमि के लिये तरस रहा है। आपको पूरे सूबे की फिर से जांच करवाए तो आपको मालूम होगा कि इसमें कितनी बेईमानी हुई है। जहां ऐसा हुआ है वहां की जमीन का फिर से आवंटन करवाया जाय।

महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि भारतवर्ष का गवर्नर जनरल या प्रधान मंत्री उसी व्यक्ति को बनाया जाय जो कृषक परिवार से आता हो, गरीब किसान और मजदूर का बेटा हो, भले ही, वह कम पढ़ा लिखा हो। आज जो तमाशा और तिकड़म हो रहा है उससे हमको बाज आना होगा। मैं यह देखता हूं कि हमारे देश में दो गोल हैं। एक तो वे जो पेट भरे ह और दूसरे वे जिनका पेट नहीं भरता है। हम लोग जब देहात में जाते हैं तो वहां के रहने वाले लोग जिनमें ब्राह्मण जो भीख मांगता है और ब्राह्मण है कहता है कि इन्दिरा गांधी हमारी बिरादरी की हैं लेकिन उनसे हमको क्या सुख है? हरिजन कहता है कि जगजीवन राम से हमको क्या सुख है, या लाभ है? हमारा आजमगढ़ जिला बहुत ही गरीब जिला है। वहां का जो उद्योग है वह दिन प्रतिदिन मरता जा रहा है। मैं तो आपसे यह कहता हूं कि हमको यह बात याद रखनी चाहिये कि बंगला देश और पाकिस्तान की लड़ाई नाबराबरी को लकर हुई थी। सभी लोगों को यह देखना चाहिये कि हमारी लड़ाई भी नाबराबरी को लेकर है और यह लड़ाई जारी रहेगी। यह लड़ाई है अमीरी और गरीबी की।

जो संशोधन माननीय चौधरी साहब की तरफ से आया है मैं उसका समर्थन करता हूं और राज्यपाल महोदय का जो भाषण है, उसका मैं विरोध करता हूं।

*श्री दीप नारायण पांडेय (जिला गोंडा)—

उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे बहुत से विरोधी साथी दो तीन दिन से नाना प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकारी नीतियों की दिशा निर्देशन करते हुए जो देश और प्रदेश में समाजवादी व्यवस्था कायम करने की बात कही गयी ह उसमें हमारे प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू किया गया है जिसका आधार है भूमि आवंटन करना और उसके अन्तर्गत कांग्रेस सरकार ने बड़े-बड़े जमींदारों से उनकी जमीन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निकालने की कोशिश की है और गरीबों को रोटी व रोजी मुहइया करने का प्रयास किया है और उसके फलस्वरूप आज जो इस देश में समाजवादी राज्य को कायम करने हेतु जो आर्थिक क्रान्ति हो रही है उसमें प्रतिगामी शक्तियां जिनमें चार विरोधी दल मिले हुए हैं, अड़ंगा डालना चाहते हैं क्योंकि उनका समाजवादी व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं है। न उनका विश्वास आर्थिक कार्यक्रमों तथा राजनीतिक कार्यक्रमों में है। ये हर चीज के विरोधी हैं।

(इस समय 4 बजकर 42 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

आज देश इन्दिरा जी की रहनुमाई में आगे बढ़ रहा है समाजवादी क्रान्ति लाना चाहता है और इसको कोई लाने से रोक नहीं सकता। इस देश में आर्थिक व राजनीतिक परिवर्तन होना है। 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रमुख अंग है भूमि आवंटन। आज भी इस बात का इलजाम है कि बहुत से राजा महाराजा जमीनों को चुराये हुए हैं। उनसे उन जमीनों को लेने के लिये इस सरकार को उनको अदालत के कटघरे में खड़ा करना होगा चाहे उनका सम्बन्ध किसी भी राजनीतिक दल से हो और अगर वह हमारे दल का है तो उसे पार्टी से निकालना होगा। जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं तो भूमि आवंटन के सिलसिले में हरिजन और भूमिहीन मुझे घेरते हैं क्योंकि जिस तरह से कार्य होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है। आपके आई० ए० एस० अधिकारी जो हैं उनका विश्वास समाजवादी नीतियों में नहीं है। अगर आपको समाजवाद लाना है तो उसके लिये हमको बड़ी कुरबानी करनी होगी। मैंने हमेशा सदन में इस बात की चर्चा की है कि शासनतंत्र सरकार की समाजवादी नीतियों में विश्वास नहीं करता है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि ब्यूरोक्रेसी के सहारे इन्दिरा जी के सारे कार्यक्रमों को न छेड़ा जाय। मेरे क्षेत्र में एक गांव है वहां कुछ जमींदारों ने जमीन पर कब्जा कर लिया, वहां के प्रधान ने डी० एम० को लिखा उन जमीनों को पैमाइश कराई जाय जिन पर जमींदार कब्जा किये हुए हैं लेकिन हुआ कि जो नाजायज कब्जा किये हुए थे उन्होंने उल्टे डकैती का मुकदमा दायर कर दिया। देहातों में शक्तिशाली लोग नहीं चाहते कि समाज में परिवर्तन आये लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि परिवर्तन हो रहा है। इन्दिरा जीने अपने भाषण में कहा था कि हम यह परिवर्तन क्यों कर रहे हैं। विरोधी भाई इसको सुन लें कि जब बंगाल में नेक्सलाइट मूवमेन्ट छिड़ा तो उन्होंने मार्कसिस्ट कम्युनिस्टों के नेतृत्व में जमींदारों के ऊपर हमला किया और उनको मार डाला। इन्दिरा गांधी चाहती हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है, यहां रक्तहीन क्रांति हो। इसके लिये मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस देश में आर्थिक कार्यक्रमों को लागू करके क्रांति लाने की कोशिश की है ताकि देश में राजनीतिक और आर्थिक क्रांति आवे।

हमारे बहुत से साथियों ने यह कहा कि जब चौधरी साहब मुख्य मंत्री थे तब बिना इमरजेन्सी के सारी चीजें अपने आप ठीक हो गईं। यह बात आज भी यहां पर कही गई। मुझे अच्छी तरह से याद है सन् 68 में जब वे मुख्य मंत्री थे उस समय मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र था उस समय उन्होंने यूनियन्स तोड़ दी थीं। जब इन्दिरा जी की सरकार यहां पर आई, कांग्रेस की सरकार बनी तो यह तय किया गया कि कोठारी कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है उस पर अमल होना चाहिये। वही छात्र आगे आयेंगे जो कुछ कर सकते हैं अथवा छात्रों की रहनुमाई कर सकते हैं। मान्यवर, मुझे वह दिन आज भी याद है जब पूरे उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में थाने खोल दिये गये थे हम भी उसमें थे। हमारे बहुत से साथी ले गये थे। बहुत से साथियों ने यहां पर यह भी शिकायत की कि जेल में 'बी' क्लास नहीं मिलता है। जहां तक मेरी जानकारी है सरकार ने उन सारे लोगों को जो उसके इन्टाइटिल थे, बी' क्लास दिया गया है। मुझे अच्छी तरह से याद है, हम लोग भी उस समय पढ़े लिखे थे, जब डिस्ट्रिक्ट जेल में गये और चौधरी साहब की हुकूमत थी 'बी' क्लास उन्होंने नहीं दिया था। किस तरीके से छात्रों को पिटवाया गया था, जो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। आज देश की प्रतिगामी शक्तियां इस देश की क्रांति को रोकने में सफल नहीं हो सकती हैं। हम समाजवादी नीतियों में विश्वास करते हैं।

[श्री दीप नारायण पांडेय]

आज जो आर्थिक कार्यक्रम यहां पर चल रहे हैं वे निश्चय ही जनता के कल्याण के लिये उपर्युक्त होंगे।

पुलिस डिपार्टमेन्ट के बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इस सरकार का ध्यान मैं एक विशेष कान्ड की ओर भी दिलाना चाहता हूं क्योंकि मैं राज्यपाल के अभिभाषण में बोल रहा हूं और उस पर चर्चा हो रही है। यहां लखनऊ में आये दिन, नित्यप्रति कत्ल और डकैतियां होती हैं। जहां पर मुख्य मंत्री और गवर्नर रहते हैं, प्रदेश के बड़े-बड़े अधिकारी रहते हैं वहां पर गुंडों का साम्राज्य है। इन्हें शासन को खत्म करना होगा। मैं आपका ध्यान 21 तारीख के नेशनल हेराल्ड की ओर ले जाना चाहता हूं जोकि इस समय मेरे सामने भी है और इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करूंगा कि इसकी जांच करायें। कल भी मैंने चर्चा उठायी थी कि एक लड़की शुभ्रा लहरी का वहां पर कत्ल किया गया। मैं चर्चा न उठाता लेकिन यह अखबारों में रोज आ रहा है कि राजनीतिक कार्यकर्ता इसमें इन्वाल्व हैं और बड़े-बड़े लोग इन्वाल्व हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार इस विषय पर अपना स्टेटमेन्ट दे। ये बड़े-बड़े लोग स्मगलिंग करते हैं, जरायम करते हैं, उनको बिलकुल लाइसेन्स नहीं दिया जाना चाहिये। इस तरीके से खुले रूप से लोगों से मिलकर पोलिटिकल प्रेशर डालकर अपना काम पूराकर, यह समाप्त होना चाहिये। [अध्यक्ष महोदय, यह विषय मैंने कल भी उठाया था और मैं चाहता हूं कि सदन में मुख्य मंत्री जी इस विषय में कुछ कहें। इसमें लिखा है—

"Subhra had written a letter to the President of India giving names of three persons including a prominent women social worker who, she said, were supplying young educated girls to high officials with a view to securing orders to supply various articles at exorbitant rates. She had also alleged that the gang headed by three persons was dealing in spurious medicines and indulging in a smuggling."

आपके माध्यम से मेरा यह कहना है कि जो इस तरह के इल्जाम हैं कि बड़े बड़े लोग इनवाल्व हैं और लाखों करोड़ों का बिजनेस करते हैं वह सामने आये। मुझे मालूम हुआ कि इस मामले को पोलिटिकल प्रेशर से दबाया जा रहा है। इसलिये मैं मांग करता हूं कि उन लोगों को जनता के सामने लाया जाय जो समाज को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं जनता उनको पहचाने जो राजनीति को व्यवसाय बनाये हुए हैं। हम राजनीति इसलिये करते हैं कि जनता की सेवा करें, जनता के लिये लड़े, देश की उन्नति के लिये काम करें और आर्थिक और राजनैतिक समाजवाद लायें। आज जो इस तरह का राजनैतिक वातावरण पनप रहा है वह देश के लिये ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिये। जो पुलिस वालों के ऊपर इलजाम लगाये जाते हैं उनकी सफाई होनी चाहिये। किसी को इस बात को कहने का मौका नहीं होना चाहिये कि पुलिस गलत काम करती है। इससे शासन के ऊपर आक्षेप आता है जो ठीक नहीं है। वैसे पुलिस के ऊपर जितने आरोप लगाये जाते हैं वह सब ठीक ही नहीं हैं। वैसे तो पुलिस के बारे में 1882 में जब इविडेन्स ऐक्ट बना था उसमें भी कहा गया था। 'कन्फेसन मेड बिफोर दि पुलिस इज नॉट रियल'। अर्थात् पुलिस के सामने जो कंफेशन कराया जायेगा वह इविडेंस नहीं हो सकता है। मान्यवर, इस शासन को दुरुस्त रखने के लिये, प्रदेश को जनता को खुशहाल बनाने के लिये सख्ती से कदम उठाने होंगे। मेरा तिवारी जी से निवेदन है कि पुलिस क्या कर रही है इस बारे में, अगर कोई विधायक या पोलिटिकल कार्यकर्ता कोई शिकायत करता है तो उसकी जांच होनी चाहिये उसे वैसे ही रद्दी की टोकरी में नहीं फेंकना चाहिये। उसकी जांच हो और अगर सही पाया जाय तो ऐसे व्यक्ति को दंड देना चाहिये तभी शासन ठीक हो सकता है।

अब मैं 20-सूत्री कार्यक्रम के बारे में कहना चाहता हूं कि उसे तेजी से अमली जामा पहनाया जाय क्योंकि इसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ बड़े लोग उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। बड़े-बड़े लैण्डलॉर्ड और पूंजीपति शासन के ज्यादा नजदीक चिपकने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर हमें वजर रखनी पड़ेगी क्योंकि ये ही लोग शासन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं।

एक बात मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं क्योंकि वह बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और देहाती क्षेत्र है। मैं कहना चाहता हूं कि आज किसानों के सामान का मूल्य गिरता जा रहा है। इसको भी शासन देखे। मान्यवर, मेरे गोंडा में जो धान खरीदा गया जिसको मैंने लिखकर भी शिकायत की थी खाद्य मंत्री जी से, कि एक-एक चावल मिल वाले ने 10-10 और 20-20 लाख रुपया कमा लिया। गवर्नमेन्ट ने 76 रु0 क्विन्टल का भाव निश्चित किया था लेकिन उन्होंने किसानों से 60, 62 और 65 रु0 के हिसाब से खरीदा। जो वहां पर खाद्य विभाग के कर्मचारी थे उन्होंने भी किसानों को लूटा। इसके लिये भी सरकार को कार्यवाही करनी चाहिये। इस तरह का लाइसेन्स उनको नहीं मिलना चाहिये। मुझे नहीं मालूम कि सरकार ने इस शिकायत पर क्या कार्यवाही की। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान किसानों की तरफ दिलाना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में 80 फीसदी लोग गांवों में रहते हैं और 20 फीसदी लोग शहरों में रहते हैं। जब तक गांवों की उन्नति नहीं होगी तब तक यह देश और प्रदेश उन्नति नहीं कर सकता है। गांव के छोटे किसानों में जब तक तब्दीली नहीं आएगी, इस देश में समाजवादी व्यवस्था नहीं कायम हो सकती है।

अगर किसानों को राहत लेने के लिये उनका माल जो बाजारों में बिकता है उसकी तरफ भी अवश्य ध्यान देना चाहिये। जिला गोंडा में जो लाखों बड़े लोगों ने किसानों को लूटा है उस की इन्क्वायरी हो और दोषी लोगों को डी0 आई0 आर0 तथा मीसा में दंडित किया जाए। यह नहीं हो सकता है कि लाखों रुपये पूंजीपति गरीब किसानों से लूटकर अपनी तिजोरी भर लें। अन्त में मैं यह कहूंगा कि राज्यपाल ने जो अभिभाषण रखा है उसमें जो 20-सूत्री प्रोग्राम है, वह उस पर पूरी तरह से आधारित है। उससे मालूम होता है कि सरकार की नीयत इस प्रदेश में बेहतरी लाने की और समाजवादी व्यवस्था कायम करने की है। मुझे खुशी है कि नारायण दत्त तिवारी जी पुराने समाजवादी रहे हैं, मैं उनसे आशा करूंगा कि जितना भी हो सके, इस प्रदेश में बड़े-बड़े भूपतियों और बड़े-बड़े पूंजीपतियों के ऊपर आपको अपनी पूरी नजर रखनी है। मैंने गोंडा में देखा कि वहां पर तमाम राजा महाराजा हैं, जिनके नाम अनेक बेनामी पट्टे हैं। तो जब कानून बना है कि किसी के नाम बेनामी पट्टा साबित होने पर प्रासीक्यूट किया जायगा। तो उन्हें भी उसमें दंडित किया जाए। यह क्या केवल गरीबों के लिये है, बड़े बड़े लोगों को भी अदालत के कटघरे में खड़ा किया जाए। हमारी अपील है कि ऐसा करने से ही प्रधान मंत्री जी का कार्यक्रम सफल हो सकता है और जमीन का बटवारा हो सकता है। नहीं तो सारा का सारा कार्यक्रम धरा का धरा रह जाएगा, भले ही हम कागजों और अखबारों में कितना ही गाते रहें।

अन्त में मैं आपको श्रीमन्, धन्यवाद देता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का आपने मौका दिया है। मैं आशा करता हूं कि मुख्यमंत्री जी जो बातें मैंने कहीं हैं, उस पर गौर करेंगे और मेरे जिले पर विशेषकर गौर करेंगे, क्योंकि वह पिछड़ा हुआ और राजे महराजाओं का जिला है।

*श्री दलसिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ा और अपने साथ पक्ष के विभिन्न वक्ताओं के भाषण सुने। उन सबने अपने-अपने भाषण में यह कहा है कि हमारा यह आपातकालीन समय अनुशासन पर्व है। मेरा कहना है कि भारतीय इतिहास

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दल सिंह यादव]

में यह सन् 76 का वर्ष सबसे ज्यादा कलंकित रहा है। क्या इसी दिन के लिये बड़े-बड़े नेताओं ने लोकतन्त्र की रक्षा के लिये अपने प्राणों के बलिदान दिए थे ? लाखों नारियों ने अपने सुहाग उजाड़ दिए थे और हजारों नारियों की गोदें खाली हो गई थीं ? जिस लोकतन्त्र के लिये लोगों ने इतने-इतने बलिदान और त्याग किए, आज उसी को हम खतरे में देख रहे हैं। हमारे भाइयों का कहना है कि इस इमरजेन्सी के समय में बहुत बड़ा सुधार हुआ है, देश के अनुशासन में काफी सुधार हुआ है। मेरा कहना है यह केवल कल्पना मात्रा है। इतना अवश्य है कि इस इमरजेंसी में पुलिस निरंकुश हो गई है,उसने बड़े बड़े अत्याचार किए हैं, जिन्हें हमने देखा है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मैं इस बारे में जिला शाहजहांपुर, तहसील जलालाबाद का एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक जे0पी0 सिंह वहां थानेदार हैं, जिनके कारनामे से अब उनको निलम्बित कर दिया गया है। 80 हजार रुपया एक सप्ताह में उन्होंने लिया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कल अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री शिव कुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न है कि बजट का प्रश्न है।

श्री शिव कुमार पाण्डेय—

मान्यवर, एक सेकेन्ड दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

एक सेकेन्ड हो गया।

श्री शिव कुमार पाण्डेय—

अखबार में निकला है.....

श्री अध्यक्ष—

अखबार में पढ़ा होगा। सब अखबार पढ़ते हैं। अखबार के आधार पर किसी प्वाइन्ट आफ आर्डर को नहीं उठाया जाता है। मैं विश्व कोष नहीं हूं कि सारी जानकारी इस माननीय सदन को कराता रहूं। यह सदन जब चल रहा है तो मैं आगाह करता हूं कि अनावश्यक व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाये जाने चाहिये। जो नयी धारा बह रही है जो अनुशासन बद्धता की है, तो उसी के अनुरूप अपने को बनाने को कष्ट करें।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 2 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक तो श्री श्रीनारायण ने फिर वही दुहरा दिया। यह पहले अस्वीकृत हो चुकी है फिर अस्वीकृत है।

श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

आपने कहा था कि वक्तव्य दिला देंगे।

श्री अध्यक्ष—

ओलेप हैं। हम शासन को भेज देंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी देख लेंगे।

दूसरा माननीय कौशिक जी ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में उठाया है। यह गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा उससे सम्बद्ध विभिन्न डिग्री कालेजों के अनेक स्नातक परीक्षार्थियों का शिक्षा सत्र 1975 का परीक्षाफल घोषित न होने के सम्बन्ध में है। इसको अस्वीकृत किया गया है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—
मान्यवर, एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—
माननीय कौशिक जी स्वयं जानते हैं कि विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी है । जो बाते विश्वविद्यालय की आन्तरिक हैं, उन पर शासन को हस्तक्षप नहीं करना चाहिये । आप इससे सहमत होंगे कि शासन का हस्तक्षेप कम ही हो ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—
मान्यवर, मैं जानता हूं कि वह स्वायत्तशासी है .....

श्री अध्यक्ष—
बजट का समय है । इस पर हम नहीं जाते हैं । 5 बजे ठीक समय है ।

बजट साहित्य के वितरण सम्बन्धी व्यवस्था के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—
वित्तीय वर्ष 1976–77 के आय व्ययक सम्बन्धी साहित्य वितरण के लिये निम्नलिखित व्यवस्था की गयी है । महिला सदस्यायें तथा नीचे लिखे जिलों के माननीय सदस्य क्रमशः "हां" तथा "नहीं" सभा कक्ष में अपनी प्रतियां प्राप्त करने का कष्ट करें ।

"हां" कक्ष में

महिला सदस्यायें तथा उत्तर काशी, टिहरी गढ़वाल, पौडी गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं, बरली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली , प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, बहराइच, गोण्डा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया तथा आजमगढ़ जिले।

"नहीं" कक्ष में

बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, बांदा, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, जौनपुर, मैनपुरी, एटा, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बुलन्दशहर, मेरठ, मुजरफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून जिले तथा श्री ए0 सी0 ग्राइस ।

1976–77 का आय–व्ययक

मुख्य मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—
श्रीमन्, आपकी अनुमति से. . . . .

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमें बजट भाषण की प्रतिलिपि भी यहां नहीं मिलेगी, वह तो यहीं पर मिलनी चाहिए ?

श्री अध्यक्ष—
वह यहीं पर मिल जायगी । वह वितरित होने के क्रम में है । जैसे ही पढ़ना आरम्भ करेंगे, आपको मिल जायगी । जब माननीय तिवारी जी यह कहेंगे कि मैं वित्तीय वर्ष 1976–77 के आय–व्ययक प्रस्तुत करता हूं तो उसी समय वह प्रतिलिपि माननीय नेता विरोधी दल के हाथ में पहुंच जायगी ।

चौधरी चरण सिंह—
आप यह फरमाने की, आदेश देने की कृपा तो करें ? आप हमें बजट स्पीच की कापी तो दिलवा दीजिए ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—
मैंने तो बजट का पूरा साहित्य ही आपकी सेवा में भिजवा दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

आपको पूरा साहित्य मिलेगा ।

चौधरी चरण सिंह—

पूरे लिट्रेचर की आवश्यकता नहीं है, केवल बजट भाषण की प्रतिलिपि दिलवा दीजिए ?

श्री अध्यक्ष—

जब वे बजट प्रस्तुत करेंगे, तो आपके हाथ में कापी होगी ।

चौधरी चरण सिंह—

यह कैसे होगा ?

श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

बजट भाषण तो दिलवा दें, साहित्य भले ही लोबीज में मिल जाय ?

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्,

आपकी अनुमति से मैं वर्ष 1976–77 के बजट अनुमान प्रस्तुत करना चाहता हूं । यह एक सम्पूर्ण बजट है जिसमें नई मदें तथा योजनाएं भी सम्मिलित हैं । मैं अलग से दो महीने के लिये लेखानुदान प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि विचारोपरान्त बजट को पारित करने के लिये इस सम्मानित सदन को पर्याप्त समय मिल सके ।

चालू वित्तीय वर्ष में आपातकालीन स्थिति की घोषणा एवं बीस सूत्रीय कार्यक्रम के चालू होने के बाद देश व प्रदेश में हर क्षेत्र में प्रगति और अनुशासन का एक अभूतपूर्व वातावरण बना है । एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है जिसके द्वारा हम कम से कम समय में अपनी अर्थ-व्यवस्था को सुदृढ़ बना सके, मुद्रास्फीति पर काबू पाकर उत्पादन में वृद्धि कर, प्रदेश की जनता, विशेषतौर से कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के जीवन–स्तर को सुधार सकें और रूढ़िवादी प्रथाओं तथा संकीर्ण दृष्टिकोणों की श्रृंखला को तोड़कर राज्य को सर्वांगीण प्रगति के पथ पर ले जा सकें । अधिकांश विकसित तथा अविकसित देशों की अपेक्षा भारत ने ही मुद्रास्फीति के विश्वव्यापी प्रकोप पर प्रभावशाली नियंत्रण पाया है । पिछली रबी और खरीफ की फसल अच्छी हुई है और वर्तमान रबी की फसल भी अच्छी होने का अनुमान है । बिजली की उपलब्धता एवं व्यवस्था में भारी सुधार हुआ है । कच्चे माल की उपलब्धता भी सुधरी है । उद्योगों को दिये जाने वाले विभिन्न प्रोत्साहनों में वृद्धि हुई है । श्रमिकों तथा मिल मालिकों के बीच सौहार्द्र का वातावरण बना है । इन सभी के फलस्वरूप न केवल वर्तमान इकाइयों के उत्पादन से सामान्यतः वृद्धि हुई है बल्कि देश एवं प्रदेश में एक ऐसा वातावरण भी बन गया है जिसमें कृषि और उद्योगों का अधिक से अधिक विकास संभव होगा ।

मूल्य सूचकांक

पिछले वर्ष बजट भाषण के दौरान मैंने आपसे मुद्रास्फीति की विषम समस्या तथा उस पर काबू पाने के लिये किये गये कुछ उपायों का जिक्र किया था । मुझे यह कहते हुये हर्ष है कि प्रधान मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में मुद्रास्फीति को रोकने के लिये जो वित्तीय, वैधानिक तथा प्रशासनिक कदम उठाये गये हैं उससे न केवल कीमतों में वृद्धि रुकी है, बल्कि उनमें काफी कमी भी आई है । हमारे प्रदेश के भाव-सूचकांक भी इस सफलता के द्योतक हैं ।

उत्तर प्रदेश में कृषि के थोक भावों का सूचकांक जो सितम्बर, 1974 में 433.7 (1960-61–100) तक पहुंच गया था, अक्तूबर, 1974 से घटने लगा और जनवरी, 1976 में घट कर 270.7 पर आ गया । यह 1974–75 के तत्स्थानी महीने के सूचकांक से 31.3 प्रतिशत कम था ।

वर्षा का मौसम साधारणतया ऐसा मौसम होता है जिसमें बाजार में वस्तुओं के कम आने से मूल्यों में वृद्धि होती है। परन्तु वर्ष 1975–76 में इस काल में मूल्यों में स्थिरता रही और सितम्बर, 1975 में मूल्य सूचकांक 353.3 (1960–61 = 100) तक ही रहा; जो पिछले वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत कम था।

इसी प्रकार औद्योगिक थोक सूचकांक जो सितम्बर, 1974 में बढ़कर 408.0 (1960–61 = 100) हो गया था, जनवरी, 1976 में कम होकर 330.8 हो गया।

जनवरी, 1976 में शहरी मध्य वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1975 के इसी महीने की तुलना में 12 प्रतिशत घट गया। ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भी, दिसम्बर, 1974 त्रैमास के सर्वाधिक स्तर 363.3 (1960–61 = 100) की तुलना में विगत 9 महीनों के दरम्यान 4 प्रतिशत की कमी हुई यह उल्लेखनीय है कि गेहूं, चावल, अरहर की दाल, कड़ुआ तेल, वनस्पति घी तथा साबुन जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भारी कमी हुई है। हाल ही में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट में की गई घोषणाओं के फलस्वरूप औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा और कीमतों में वांछित गिरावट आयेगी, ऐसी आशा है।

राज्य की आय

राज्य की आय मोटी तौर पर आर्थिक विकास का मापदण्ड है। त्वरित अनुमान के आधार पर चालू मूल्यों पर वर्ष 1974–75 में राज्य की आय 7,600 करोड़ रुपयों से अधिक रही जो विगत वर्ष की तुलना में (उसी वर्ष के चालू मूल्यों पर) लगभग 14 प्रतिशत अधिक थी। चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय लगभग 800 रु० रही। वर्ष 1960 61 के स्थिर मूल्यों पर राज्य की उपरोक्त आय में शुद्ध वृद्धि 3.1 प्रतिशत हुई और प्रति व्यक्ति आय में इन्हीं स्थिर मूल्यों के आधार पर वृद्धि लगभग 1 प्रतिशत हुई। वर्ष 1974–75 में कृषि एवं सम्वर्गीय सेवा क्षेत्रों में वृद्धि की दर 5.1 प्रतिशत तथा उद्योगों में 2.3 प्रतिशत रही। शेष सेक्टरों में सम्मिलित रूप से वृद्धि की दर लगभग 2 प्रतिशत रही। वर्तमान संकेतों के आधार पर यह अनुमान है कि वर्ष 1975–76 में प्रदेश में आर्थिक विकास के वृद्धि की दर लगभग 5 प्रतिशत रहेगी।

वार्षिक आयोजना 1976–77

आर्थिक अनुशासन के इस नये वातावरण में हमने अपनी अर्थ–व्यवस्था का तीव्र विकास करने का लक्ष्य रक्खा है। इसके लिये हमने वार्षिक योजना 1976–77 में महत्वपूर्ण सेक्टरों के परिव्यय बढ़ाने का निर्णय लिया है। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वार्षिक योजना 1976–77 में हमने 540 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया है जो पिछले वर्ष के मूल परिव्यय की अपेक्षा 35 प्रतिशत अधिक है। वैसे राज्य सरकार ने राज्य की वार्षिक योजना 1976–77 का प्रारूप 580.00 करोड़ रुपये का बनाकर योजना आयोग एवं केन्द्रीय मंत्रालयों के विचारार्थ भेजा था। अंततः वार्षिक योजना का आकार 540.00 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

540 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय में सिंचाई एवं विद्युत् विकास के लिए 337.00 करोड़ रुपये, कृषि एवं सम्वर्गीय कार्यक्रमों के लिए 67.90 करोड़ रुपये, उद्योग एवं खनिकर्म के लिए 39.16 करोड़ रुपये, यातायात संचार के लिए 29.87 करोड़ रुपये, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं के लिए 63.98 करोड़ रुपये तथा आर्थिक एवं अन्य सेवाओं के लिए 2.09 करोड़ रुपये सम्मिलित है।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट होगा कि उत्पादक कार्यक्रमों अर्थात् कृषि, सिंचाई विद्युत् तथा उद्योग के लिए कुल परिव्यय का लगभग 82 प्रतिशत आबंटित किया गया है, सिंचाई एवं विद्युत् विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

बीस–सूत्रीय कार्यक्रम

आर्थिक पुनर्निर्माण तथा समाज के दुर्बल वर्ग के उत्थान के सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री जी ने जो चुनौती पूर्ण 20-सूत्रीय कार्यक्रम राष्ट्र के सामने रखा, उसके कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश ने प्रारम्भ से ही एक प्रबल शुरुआत की। निर्धारित विशिष्ट लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रदेश ने अपने समस्त संसाधनों को जुटाया है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है। यह कार्यक्रम जिस कार्योन्मुख ढंग से चलाया जा रहा है उसके फलस्वरूप लोगों में व्यापक उत्साह जागृत हुआ है और जनता ने इसमें पूर्ण सहयोग दिया है।

1976-77 में बीस सूत्रीय कार्यक्रम के लिये 371.40 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए कुछ वर्तमान विधियों में संशोधन करने तथा नए कानून बनाने के लिए विधायी कार्यवाही की गई है। इस कार्यक्रम की नवीनतम उपलब्धियों के विषय में विभागीय बजट की चर्चा के समय माननीय सदस्यों को विस्तार से अवगत कराया जायगा। इस समय केवल कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों की ही संक्षेप में चर्चा करूंगा।

जैसा कि निवेदन कर चुका हूं, विभिन्न उपायों द्वारा कृषि, औद्योगिक तथा शहरी एवं ग्रामीण उपभोक्ता मूल्यों में भारी कमी हुई है। आवश्यक वस्तुयें राज्य भर में पर्याप्त मात्रा एवं उचित मूल्यों पर उपलब्ध हैं।

कानून में संशोधन करके गांव सभाओं की ओर सीलिंग की भूमि के आबंटन में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को उच्च वरीयता दी गई है। सीलिंग के कानून में पाई गई कमियों को दूर किया गया है। गांव सभा तथा सीलिंग से उपलब्ध अतिरिक्त भूमि 30 जून, 1976 तक आबंटित कर दी जायगी, ऐसी आशा है। फरवरी, 1976 के अन्त तक 16 लाख एकड़ से अधिक भूमि भूमिहीन तथा छोटे किसानों को बांटी जा चुकी है। भूमि सुधार कार्यक्रमों के लिए 7.50 करोड़ रुपये तथा भूमिहीनों को सहकारी समितियों का सदस्य बनवाने के लिए 2 करोड़ रुपये का परिव्यय वर्ष 1976–77 में प्रस्तावित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों को गृहस्थल प्रदान किये गए हैं। फरवरी, 1976 के अन्त तक लगभग 12 लाख परिवारों को भूमि आबंटित की जा चुकी है। इस प्रकार 98 प्रतिशत प्रति परिवारों को आवास स्थल के लिए भूमि आबंटित की जा चुकी है। इसके लिए वर्ष 1976-77 में 1 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

बंधक प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया है और इस प्रथा से मुक्त किए गए व्यक्तियों के पुनर्वासन की व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों के भूमिहीनों और छोटे काश्तकारों को ऋण ग्रस्तता से राहत देने के लिए अधिनियम बनाए गए हैं।

कृषि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी की दरें पुनरीक्षित कर दी गई हैं। न्यूनतम मजदूरी की दरें 3.20 रुपये से लेकर 4.50 रुपये प्रतिदिन तक थी। इनको बढ़ा कर 4.50 रुपये से लेकर 6.50 रुपये प्रतिदिन तक कर दिया गया है।

अतिरिक्त सिंचन क्षमता के सृजन की योजनायें चलायी जा रही हैं। एक विशेष अभियान द्वारा जून, 1976 तक 1 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 1976-77 में वृहद् तथा मध्यम सिंचाई योजनाओं के लिए 99.65 करोड़ रुपये तथा लघु सिंचाई कार्य क्रमों के लिए 21.30 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया जा रहा है।

—विद्युत् विकास की ओर सब से अधिक ध्यान दिया गया है। विद्युत् की अधिष्ठापित क्षमता चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त में 1674 मेगावाट थी जो अब 2203 मेगावाट हो गई है। अगले वर्ष विद्युत् सेक्टर के लिए 231 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित है।

(बजट भाषण के पृष्ठ 4 के पैरा 6 के अन्त में)

चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, एक सजेशन देना चाहता था। मैंने हिसाब लगाया है कि एक सफा पढ़ने में 2 मिनट 20 सैकेन्ड लगे हैं और 34 सफे हैं। 4 सफे अभी पढ़े गए हैं, 30 बाकी हैं। 1 घंटा 10 मिनट और लगेगा। तो मैं यह सुझाव देना चाहता था..... (व्यवधान) मतलब की बात कहने जा रहा हूं, सुनो चुपचाप। मैं यह कह रहा था कि क्या यह मुमकिन नहीं है कि 4 सफे यह पढ़ दिए गए और 2 सफे आखिर के पढ़ दें ऐन्ड इट विल बी टेकेन ऐज रेड। उससे समय बचेगा। (व्यवधान) हमारा तो एक लफ्ज छपेगा नहीं, आपका छप भी जायगा, हम यहां रहें या न रहें।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न व्यवस्था के रूप में पारसाल भी उठाया गया था। वह बजट भाषण 54-55 पृष्ठों का था। तो पारसाल भी यह सुझाव दिया गया था कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाय और उस वक्त यह व्यवस्था दी थी कि नहीं।

कृषि मन्त्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

अगर नेता विरोधी दल का साढ़े 3 घंटे का भाषण हम शान्ति के साथ सुन सकते हैं तो वह भी मुझे 1 घंटा सुन लें।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)—

अगर नेता विरोधी दल की बातें अखबार में छप सकती हों तो हम बैठने के लिए तैयार हैं लेकिन जब हमारी कोई बात अखबार में छपती नहीं है तो हमारे बैठने से क्या फायदा ?

श्री अध्यक्ष—

ऐसा नहीं है। बार-बार आप कहते हैं कि कोई बात छपती नहीं है। यह बात आप कह सकते हैं कि चौधरी साहब का भाषण बहुत लम्बा था, लेकिन केवल 1-2 लाइन छपा। बार-बार यह कहना कि कार्यवाही नहीं छपती है, यह सही नहीं है। कम छपती है, यह सही है। दूसरी चीज यह है कि कम छप रही है तो इस बीच में फैसला भी रख रहे हैं। इधर जो सदस्य हैं उनकी भी तो कम छप रही है।

चौधरी चरण सिंह—

छपे या न छपे यह अलग है। मैं तो केवल यह सुझाव दे रहा हूं कि जैसे गवर्नर के ऐड्रेस को पढ़ा हुआ समझ लिया जाता है, वैसे ही इसको भी मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मन्त्री जो सुनाना चाहते हैं और माननीय सदन सुनना चाहता है तो मैं इसमें क्या करूं ?

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मान्यवर, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 20 पेज कम भाषण है। पिछली मर्तबा 54-55 पेज का भाषण था और अबकी केवल 34 पेज का है। मैं यह प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी पढ़ूं। वैसे परम्परा यह रही है कि पूरा पढ़ा जाता है लेकिन, श्रीमन्, अगर कहें तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है, जो पहले व्यवस्था थी उसको आज तोड़ने नहीं जा रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं आपकी रजामन्दी के लिए कह रहा हूं, परिपाटी यही रही है कि पूरा पढ़ा जाता है।

चौधरी चरण सिंह—

तब हम नहीं रहेंगे।

(व्यापक शोर)

(विरोध पक्ष के अधिकांश सदस्य सदन छोड़ कर चले गए।)

श्री नारायणदत्त तिवारी—

हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए विस्तृत योजनायें बना ली गई हैं। इन योजनाओं में सूत पूर्ति, करघा एवं डिजाइनों में सुधार, सहकारी समितियों का गठन, एकीकृत विकास इकाइयों की स्थापना, माल की तैयारी के तरीकों में सुधार और प्रदेश में उत्पादन, बिक्री तथा निर्यात का बढ़ाना सम्मिलित है। इनके लिए 1976-77 की योजना में 2.41 करोड़ रुपए का प्राविधान किया जा रहा है।

—विभिन्न बिक्री केन्द्रों के माध्यम से प्रदेश में 14.60 करोड़ रुपए का नियन्त्रित कपड़ा जुलाई, 1975 से फरवरी, 1976 तक बेचा गया। इसके लिए पर्याप्त संख्या में बिक्री केन्द्रों को बढ़ा दिया गया है।

—अतिरिक्त शहरी भूमि की सीमा निर्धारण के विषय में भारत सरकार ने विधेयक पारित कर दिया है तथा उत्तर प्रदेश के 12 शहर इस कानून के अन्तर्गत आ गए हैं। इस प्रदेश में एक लाख से अधिक आबादी के 10 अन्य शहरों को भी इस कानून के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है। उपलब्ध भूमि के उपयोग में कमजोर वर्गों की आवासीय आवश्यकताओं को वरीयता दी जाएगी।

—आर्थिक अपराधियों, असामाजिक तत्वों तथा ऐसे व्यक्ति, जो जमाखोरी या तस्करी करते हैं, के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गई है।

—विभिन्न वित्तीय एवं औद्योगिक निगमों द्वारा स्वीकृत की जाने वाली ऋण प्रणाली को सरल बनाया गया है। ऋणों इत्यादि के प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण तत्परता से किया जा रहा है।

—उद्योगों में श्रमिकों की साझेदारी योजना अब तक 26 सार्वजनिक व सहकारी औद्योगिक इकाइयों में और 100 निजी औद्योगिक इकाइयों में लागू की जा चुकी है।

—250 राष्ट्रीय परिवहन परमिट जारी करने के विषय में कार्यवाही की गई है। अधिक परमिट प्राप्त करने का प्रयास जारी है।

—छात्रावासों और अनुमोदित लाजों में छात्रों को नियन्त्रित मूल्यों पर आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध कराने का प्रबन्ध किया गया है।

—पुस्तकों एवं अभ्यास पुस्तिकाओं को नियन्त्रित मूल्यों पर उपलब्ध कराने में काफी सफलता मिली है। पुस्तक बैंकों की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए वर्ष 1976-77 में 1 करोड़ रुपए का परिव्यय रक्खा जा रहा है।

अप्रेंटिसशिप योजना का विभिन्न उद्योगों तथा अधिष्ठानों में लागू कर दिया गया है तथा लगभग 10,000 प्रशिक्षार्थियों को स्थान प्राप्त हुए हैं।

विकास की रणनीति

माननीय सदस्य जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए दो क्षेत्रों में पूर्णता लाना सबसे अधिक आवश्यक है। पहला, खेती की उत्पादकता अधिकतम सीमा तक पहुंचाना और दूसरा हस्तकला, बुनकर एवं कुटीर उद्योग को अधिकतम बढ़ावा देना ताकि अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके।

खेती के क्षेत्र में अधिकतम पैदावार लाने के लिए अधिकाधिक माननीय सदस्यों से विचार के उपरान्त जो रणनीति शासन इस बजट के माध्यम से प्रभावकारी रूप से लागू करना चाहता है, वह इस प्रकार है :—

(1) सिंचाई सम्बन्धी योजनायें इस ढंग से कार्यान्वित की जायं कि बैराज अथवा बांध के निर्माण से लेकर खेत में पानी पहुंचाने वाली गूलों तक के कार्यक्रम का पूरा समन्वय हो व यह कोशिश हो कि जितना पानी हेड से नहर द्वारा निकले उसके खेतों तक पहुंचने में कम से कम हानि हो। इसी दृष्टिकोण से नलकूपों की गूलों के निर्माण को प्राथमिकता देनी है। मझोली नहर प्रणाली को अन्य कुछ राज्यों की तरह ईंटें बिछाकर पक्का करने का विचार है ताकि उपलब्ध पानी की हानि, जिसे 20 से 25 प्रतिशत तक आंका जाता है, न हो।

(2) अगर प्रत्येक किसान परिवार को सहकारी समितियों का सदस्य बनाया जा सके तथा प्रदेश के सारे सहकारी बैंक रिजर्व बैंक से प्राप्त ऋण का अधिकाधिक उपयोग करें तो पैदावार निश्चित रूप से बढ़ेगी। पंजाब और हरियाणा जैसे अपेक्षाकृत छोटे राज्य एक मजबूत सहकारी संगठन के माध्यम से जितना धन खेती के लिए प्राप्त कर लेते हैं उतना अभी तक हम उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाए हैं। बकाया की समस्या ने बहुत से सहकारी बैंकों एवं समितियों को पंगु कर दिया है। इसलिए हमें कमर कसकर इस बकाएदारी व तथाकथित फर्जी ऋणों को समाप्त करके सहकारी आन्दोलन के माध्यम से कृषि निवेश अर्थात् खाद, बीज इत्यादि अंशों के विनियोजन को शत प्रतिशत आधार तक ले जाने का क्रान्तिकारी प्रयास करना होगा।

(3) अनाज का अच्छा बीज किसानों को उपलब्ध हो इसके लिए भी प्रभावकारी प्रयास करने होंगे। इसके लिए यह आवश्यक है कि तराई बीज निगम तथा राष्ट्रीय बीज निगम की भांति सभी राजकीय कृषि फार्म अच्छे बीजों के उत्पादन के लिए एक संगठित प्रयास करें।

(4) वैज्ञानिक दृष्टि से जो भूमि जिस किस्म की हो उसको ध्यान में रखते हुए फसलों का चक्र निर्धारित किया जाय जिससे कि किसान अपनी भूमि से अधिकाधिक फसल प्राप्त कर सकें। इसके लिए मिट्टी की किस्मों के परीक्षण वैज्ञानिक ढंग से कराने के प्रयत्नों पर बल देना होगा।

(5) कृषि विभाग के अन्तर्गत विभिन्न जिन्सों के पैकेज प्रोग्राम काफी अरसे से चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों को अधिक गतिशीलता देने के लिए यह आवश्यक है कि सम्बन्धित विभागों, जैसे विद्युत्, सिंचाई, सहकारिता एवं कृषि का दैनिक समन्वय हो ताकि किसान की उत्पादन बढ़ाने से सम्बन्धित हर आवश्यकता समय से पूरी हो।

(6) दाम नीति का इस प्रकार तालमेल करना होगा कि किसान को एक ओर जहां खेती में विनियोजन सम्बन्धी आवश्यक सामग्री सही मूल्यों पर मिले तो दूसरी ओर उसकी पैदावार का भी उचित मूल्य उसे प्राप्त हो।

सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मुख्यत: इसी रणनीति को ध्यान में रखकर हमारे बजट की प्राथमिकताओं का निर्धारण कियागया है और कतिपय नए उपाय सुझाए गए हैं। वार्षिक योजना की प्राथमिकतायें भी इसी दृष्टि से निर्धारित की गई हैं। हर खेत तक, जिसको सिंचाई का पानी मिल सकता है, पानी पहुंचे और सही मात्रा में समय से खाद, बीज और बिजली उपलब्ध हो, यही मूल मन्त्र है, जिसे सदन के माननीय सदस्य सदैव दोहराते आये हैं। यह बजट सदन की इसी भावना को गति देने का एक प्रयास है।

कुछ दिन पूर्व संसद में बजट प्रस्तुत करते समय भारत सरकार के वित्त मन्त्री जी ने एक एकीकृत ग्रामीण विकास (इन्टिग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट) की रणनीति का विशेष तौर से उल्लेख किया। इसके मुख्य लक्ष्य जनशक्ति तथा भौतिक संसाधनों का पूरा उपयोग, कृषि पर आधारित उद्योगों का विस्तार, उत्पादकता एवं दक्षता के न्यूनतम मापदन्ड निर्धारित करना सरकारी एवं गैर-सरकारी मशीनरी की कार्यक्षमता व उत्तरदायित्वों का निर्धारण तथा वैज्ञानिक एवं आधुनिक तकनीकी प्रक्रियाओं को विकास के कार्यों में प्रयुक्त करना है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

सदन को यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता होगी कि राज्य सरकार ने इन लक्ष्यों की पूर्ति के लिए न केवल पहले से ही कदम उठाए हैं बल्कि भारत सरकार की इस नयी रणनीति को कार्यान्वित करने के लिए इस बजट में ही कुछ विशेष प्राविधान किया गया है। जैसा कि भारत सरकार के मार्ग-दर्शक बिन्दुओं में उल्लेख है, हमने राज्य से नियोजन संस्थान के अन्तर्गत एकीकृत विकास योजना के कार्यान्वियन की देख-रेख के लिए राज्यस्तरीय समन्वय समिति स्थापित करने का निर्णय भी ले लिया है। राज्य के हर क्षेत्र की स्थितियां भिन्न-भिन्न हैं और हर क्षेत्र में शोध के जरिए उस क्षेत्र के लिए विशेष तौर से उपयुक्त कार्यक्रमों को चलाना है और उनसे जनता को अवगत कराना है। इस प्रयोजन के लिये हमने क्षेत्रीय विकास निगमों के स्थान पर हर मण्डल में मण्डलीय विकास निगमों की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इस सन्दर्भ में शोध और विस्तार केन्द्र स्थापित करने का निर्णय भी लिया है। अगले वर्ष के बजट म इन केन्द्रों के लिए 10 लाख रुपए का प्राविधान किया जा रहा है।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् से अनुरोध किया गया है कि वह उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की कृषि सम्बन्धी समस्याओं का अध्ययन करें और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए व्यावहारिक योजनायें बनायें।

विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं, क्षमताओं एवं संसाधनों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश की योजना का निर्माण एवं कार्यान्वियन केन्द्रित ढंग से न करके क्षेत्रीय व मन्डलीय स्तर पर आवश्यकतानुसार करने के लिय अर्थ-शास्त्रियों तथा विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया जायेगा व तदनुसार कार्यवाही की जायगी। इसी क्रम में मन्त्रि-मन्डल की मन्डलीय स्थायी समितियों का गठन भी किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष स्वयं मुख्य मन्त्री व मन्डल-विशेष के सभी जिलों के प्रभारी मन्त्री सदस्य होंगे। इन स्थायी समितियों के माध्यम से मन्डलीय आयुक्त व अन्य मन्डलीय स्तर के अधिकारियों के अनुभव को योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वियन के लिये प्रयुक्त किया जायेगा।

दक्षता वृद्धि के प्रयत्न

प्रशासनिक सुधार तथा कार्मिक विभाग एवं सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो को सुदृढ़ व सुव्यवस्थित करने की योजना बनाई गई है। सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो के अन्तर्गत एक प्रोजेक्ट फार्म्यूलेशन तथा मानिटरिंग प्रभाग कायम किया जाएगा। सभी स्तरों के अधिक से अधिक अधिकारियों को वित्तीय प्रबन्ध, नियोजन, अर्थशास्त्र, कास्ट एकाउन्टेन्सी तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

आपको विदित है कि व्यय नियन्त्रण में सुधार लाने हेतु वित्त विभाग के अन्तर्गत एक इलेक्ट्रानिक आधार सामग्री केन्द्र खोला गया था जिससे व्यय और प्राप्तियों, आनुषंगिक व्यय, बकायों की वसूली, आयोजनेतर तथा योजनागत व्यय आदि की प्रगति को सामयिक रूप से नियन्त्रित किया जा सके। राज्य सरकार ने एक कम्प्यूटर लगाने का भी निर्णय लिया था, जो कि आशा है इस वर्ष लग जायेगा। यह कम्प्यूटर प्रदेश के नियोजित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। कम्प्यूटर के लग जाने से प्रदेश के नियोजन एवं नीति सम्बन्धी-निर्णय लेने हेतु आवश्यक राज्य एवं क्षेत्र स्तरीय आंकड़ों के साथ-साथ जिला स्तरीय आंकड़े भी उपलब्ध हो सकेंगे व जिलों के स्तर पर हो रही प्रगति का और सही अनुमान लग सकेगा। इस कम्प्यूटर का लाभ न केवल सरकारी कार्यालय बल्कि गैर-सरकारी संस्थायें भी उठा सकेंगी।

परफार्मेन्स बजट तैयार करने की प्रणाली 1970-71 से चालू की गई थी ताकि सम्बन्धित विभागों के कार्यों का समुचित रूप से मूल्यांकन करने में सुविधा हो। वर्ष 1975-76 तक यह प्रणाली परिवार नियोजन, सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई, उद्योग, कृषि, सहकारिता, गन्ना, सामुदायिक विकास, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा वन विभागों में लागू की जा चुकी थी। वर्ष 1976-77 में चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य विभागों द्वारा भी पहली बार परफार्मेन्स बजट प्रस्तुत किया जायेगा।

भारत सरकार ने आडिट और एकाउन्ट्स को अलग करने का निर्णय लिया है और राज्य सरकारों से भी इस दिशा में कार्यवाही की अपेक्षा की है। इस विषय पर तथा वित्तीय नियन्त्रण को सुदृढ़ बनाने हेतु महालेखाकार, उत्तर प्रदेश से विचार-विमर्श किया जा रहा है।

राज्य के सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई तथा वन विभागों में वित्तीय वर्ष 1974-75 से विनियोजन नियन्त्रण की साख पत्र सीमा योजना (कैश क्रेडिट लिमिट) लागू की गई थी जिसके सन्तोषजनक परिणाम निकले हैं और जिससे वित्तीय अनुशासन में सुधार हुआ है।

कुछ प्रमुख विभागीय कार्यक्रम तथा प्रस्ताव

वर्ष 1976-77 के आर्थिक नीति के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए मैं अब कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों तथा प्रस्तावों का उल्लेख संक्षिप्त तौर से करना चाहूंगा।

विद्युत्

मैं पिछले कई वर्षों से विद्युत् के क्षेत्र में अधिक से अधिक धन लगाने के लिए आग्रह करता आया हूं और सदन ने मेरे आग्रह को कृपापूर्वक स्वीकार किया है। विद्युत् योजनाओं पर पिछले वर्षों में लगाये अतिरिक्त परिव्यय का अब लाभ मिलना शुरू हुआ है और विद्युत् की अधिष्ठापित क्षमता प्रदेश में इस समय 2203 मेगावाट हो गयी है। जून, 1976 के अन्त तक पनकी (110 मेगावाट) तथा रामगंगा की दूसरी मशीन (66 मेगावाट) की वृद्धि होने की आशा है। अगले वर्ष में रामगंगा की तीसरी मशीन (66 मेगावाट), पनकी (110 मेगावाट), हरदुआगंज प्रक्रम-5 (110 मेगावाट), ओबरा थर्मल प्रसार (200 मेगावाट) पूरा करके 660 मेगावाट की क्षमता प्राप्त की जाएगी। इस प्रकार मार्च, 1977 तक प्रदेश में विद्युत् की प्रतिष्ठापित क्षमता 2863 मेगावाट हो जाने की आशा है जो कि अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि होगी।

उपरोक्त प्रायोजनाओं के अलावा हरदुआगंज प्रक्रम-6 (110 मेगावाट), ओबरा थर्मल प्रसार द्वितीय एवं तृतीय प्रक्रम (प्रत्येक 200 मेगावाट) तथा गढ़वाल-ऋषीकेशचिल्ला जल विद्युत् योजना (144 मेगावाट) प्रायोजनाओं में काफी निर्माण-कार्य हो चुकेगा तथा यमुना जल विद्युत् योजना, द्वितीय प्रक्रम खोदरी (120 मेगावाट), मनेरी भाली (90 मेगावाट) का कार्य भी होता रहेगा। योजना आयोग ने अगले वर्ष की योजना के अन्तर्गत टेहरी बांध प्रायोजना (600 मेगावाट) तथा लखवार व्यासी प्रायोजनाओं (480 मेगावाट) को भी सम्मिलित किये जाने पर अपनी स्वीकृति दे दी है। शासन का यह प्रयास है कि ऐसी परियोजनाओं पर अभी से कार्य आरम्भ कर दिया जाय जिसका प्रतिफल जनता को छठी पंचवर्षीय योजना या उससे आगे प्राप्त हो सके। इस ओर हमें केन्द्रीय सरकार का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है।

उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराने हेतु 1976-77 में पारेषण तथा वितरण सम्बन्धी निर्माण कार्यों के अन्तर्गत 66 किलोवाट तथा उससे अधिक क्षमता की 1334 सर्किट किलोमीटर लम्बी पारेषण लाइन और 1550 सर्किट किलोमीटर लम्बी सहायक (सेकेन्डरी) पारेषण लाइन बिछाई जायगी। इसी वर्ष में 500 गांव तथा 40 हजार नलकूपों/पम्पिंग सेटों के विद्युतीकरण का भी प्रस्ताव है।

सिंचाई

कृषि उत्पादन में वृद्धि करने के उद्देश्य से सिंचाई सुविधाओं के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गयी है।

आय-व्ययक वर्ष 1976-77 में चालू प्रायोजनाओं के कार्यों में तीव्रता लाकर उनसे शीघ्रता से अतिरिक्त सिंचाई सुविधायें प्रदान करने का कार्यक्रम है। शारदा सहायक प्रायोजना के जल को गोमती-सई दोआब में शीघ्रता से पहुंचाने का प्रयास है। शारदा सहायक

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

परियोजना पर 44.00 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। इससे रायबरेली, सुल्तानपुर और जौनपुर जनपदों के सई नदी के उत्तर में स्थित भागों में इस प्रायोजना के लाभ अगले वर्ष से ही उपलब्ध होने लगेंगे। अन्य महत्वपूर्ण प्रायोजनायें जिन पर कार्य की प्रगति बढ़ायी जायगी, वह ह जमरानी बांध प्रायोजना, समानान्तर निचली गंगा नहर, मध्य गंगा नहर, देवकली पम्प नहर (द्वितीय चरण), औगासी पम्प नहर, यमुना पम्प नहर, नारायणपुर पम्प नहर की क्षमता वृद्धि, सोन पम्प नहर और मेजा बांध की क्षमता वृद्धि। मध्य गंगा नहर और मेजा बांध की परियोजनाओं के कार्यों को अगले वर्ष में तेजी से करने के लिए योजना आयोग ने इनके लिये 3.5 करोड़ रुपए का परिव्यय स्वीकार किया है। देवकली पम्प नहर (द्वितीय चरण) और मौदहा बांध पर कार्य चल रहा था और इन प्रायोजनाओं के कार्यों को गति तीव्र करने के लिए योजना आयोग ने क्रमशः 2 करोड़ तथा 30 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकार किया है। लखवार व्यासी बहुउद्देशीय परियोजना के लिये विद्युत् मद में 1.50 करोड़ रुपये तथा सिंचाई मद में 10 लाख रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण चालू योजनायें जैसे शहजाद बांध (40 लाख), कनहर (30 लाख), बायीं तटीय घाघरा नहर (70 लाख), अलीगंज योजना (80 लाख), हिंडन बैराज (150 लाख), खारा नहर (80 लाख) भी सम्मिलित की गयी है। इस प्रकार 3.48 लाख हेक्टर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता वर्ष 1976-77 में वृहत् एवं माध्यमिक सिंचाई प्रायोजनाओं से उपलब्ध कराई जायगी।

वर्षों से हमारा प्रयास था कि योजना आयोग हमें टेहरी के बहु-उद्देशीय बांध के मुख्य कार्य शुरू करने की अनुमति दे। प्रसन्नता का विषय है कि टेहरी बांध प्रायोजना पर वर्ष 1976-77 में मुख्य कार्य आरम्भ किये जायेंगे। 305 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की इस प्रायोजना की पूर्ति पर प्रदेश के गंगा-यमुना दोआब और मथुरा व आगरा जनपदों के नवीन क्षेत्रों में सिंचाई क्षमता उपलब्ध होने के अतिरिक्त वर्तमान सिंचित क्षेत्रों में उपलब्ध सिंचाई सुविधाओं में भी सुधार होगा। इसके अतिरिक्त इस प्रायोजना से 600 मेगावाट विद्युत् प्रजनन होगा। इस वर्ष में इस प्रायोजना की व्यावर्तन सुरंगों पर कार्य आरम्भ होगा ताकि उसको पूरा कर मुख्य बांध का कार्य आरम्भ हो सके। वर्ष 1976-77 में इस परियोजना के मुख्य कार्यों के लिए योजना आयोग की स्वीकृति से 3.5 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है, जिसमें से 2.1 करोड़ रुपए विद्युत् मद से है।

केन्द्रीय सरकार के सहयोग से कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं पर आगामी वित्तीय वर्ष से कार्य आरम्भ होगा। इन नवीन प्रायोजनाओं में संजनम बांध (जिला ललितपुर), पैसूनी योजना (जिला बांदा), ऊपरी शारदा नहर का आधुनिकीकरण (जिला पीलीभीत, हरदोई आदि), सुहेली सिंचाई योजना (जिला खीरी) और आगरा नहर का आधुनिकीकरण (जिला मथुरा व आगरा) मुख्य हैं।

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में एक लाख हेक्टर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई सुविधायें अगले खरीफ फसल तक प्रदान करने के लिए एक विशेष त्वरित कार्यक्रम पर कार्य आरम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे नलकूपों के कार्य शीघ्रता से पूरे किये जायेंगे जिनका छिद्रण हो चुका है। परन्तु पम्प न लगने, विद्युतीकरण न होने और पर्याप्त पक्की व कच्ची गूलों के न होने के कारण उनकी सिंचन क्षमता का पर्याप्त उपयोग नहीं हो पा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नहरों पर 4000 किलोमीटर गूलों का निर्माण, नहरों का आधुनिकीकरण और 800 कि0 मी0 नई माइनरों का निर्माण भी प्रस्तावित है। इस कार्य को जून, 1976 तक पूरा करने का लक्ष्य है ताकि इससे आगामी खरीफ फसल में लाभ उपलब्ध हो जाए। इस कार्य के लिए चालू वर्ष में 3 करोड़ रुपए तथा अगले वर्ष में 9.5 करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है।

प्रायः देखा गया है कि बहुत से नौजवानों को अनेक कारणवश शारीरिक श्रम के महत्व का पर्याप्त अनुभव नहीं हो पाता है। इसलि यह आवश्यक समझा गया है कि

जीवन में किसी व्यवसाय अथवा सरकारी सेवा में प्रवेश करने से पूर्व उन्हें श्रम की महत्ता का बोध कराया जाय ताकि न केवल उनके व्यक्तित्व एवं चरित्र का निर्माण हो, वरन् वे देश व प्रदेश के विकास में रचनात्मक रूप से सहयोग प्रदान कर सकें। अत: यह निश्चय किया गया है कि सिंचाई की कुछ प्रमुख प्रायोजनाओं पर इस प्रयोजन से युवा केन्द्र स्थापित किये जायें।

लघु-सिंचाई कार्यक्रमों को तेजी से चलाने तथा इनके लिए अधिक से अधिक संस्थागत वित्तीय साधन प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने एक नलकूप तथा लघु सिंचाई निगम बनाने का निर्णय लिया है। सामान्य योजना के अन्तर्गत वर्ष 1975-76 में 5.63 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता को सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था जिसे बढ़ाकर 6.19 लाख हेक्टेयर कर दिया गया है। वर्ष 1976-77 में 6.94 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता लघु-सिंचाई योजनाओं द्वारा सृजित करने की व्यवस्था की जा रही है।

बुन्देलखन्ड के मण्डल के जिलों में सिंचाई के साधनों को अधिक तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता है। इस हेतु 2.50 करोड़ रुपए का अलग से विशेष प्राविधान किया जा रहा है।

मैनपुरी, एटा, फतेहपुर, बदायूं, गोंडा, बहराइच, बस्ती व हरदोई जिलों में सिंचाई की क्षमता बढ़ाने के विशेष कार्यक्रम कार्यान्वित किए जायेंगे और इसके लिए 2.50 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की जायगी। सहारनपुर जिले के धाड़ क्षेत्र में नलकूपों के निर्माण की एक विशेष योजना चलाने का निर्णय लिया गया है।

अगले वर्ष में व्यक्तिगत नलकूपों के विद्युतीकरण के लिए राज्य सरकार ने एक योजना बनाई है तथा इसके लिए ऋण की व्यवस्था की जा रही है ताकि अभियान के रूप में निर्धारित लक्ष्य पूरे किये जा सकें। वर्ष 1976-77 में 40,000 व्यक्तिगत नलकूपों पम्प सेट के विद्युतीकरण का लक्ष्य रक्खा गया है। मेरठ मन्डल में 10,600, आगरा मन्डल में 3,200, रुहेलखंड मन्डल में 5,800, इलाहाबाद मन्डल में 5,100 झांसी मन्डल में 600, वाराणसी मन्डल में 4,500, गोरखपुर मन्डल में 3,600, लखनऊ मन्डल में 2,600, फैजाबाद मन्डल में 3,700 तथा कुमायूं मन्डल में 300 नलकूपों के विद्युतीकरण करने की व्यवस्था की जायगी। इसके लिए राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा 20 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित हैं।

कृषि

वर्ष 1975-76 में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 70.60 लाख मी0 टन0 हुआ जिसके अन्तर्गत चावल का उत्पादन 43.90 लाख मी0 टन था जो प्रदेश में अब तक सर्वाधिक है। रबी की फसल में 135.60 लाख मी0 टन खाद्यान्न के उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है और इस उद्देश्य से 63.32 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अधिक उपजदायी प्रजातियों के कार्यक्रम का विस्तार किया गया है। गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास राज्य के 25 जनपदों में किए गए हैं। इन प्रयासों में सिंचाई की सघन व्यवस्था, उर्वरकों तथा बिजली की निरन्तर पूर्ति सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में टाप ड्रेसिंग के लिए एक लाख मी0 टन यूरिया का अतिरिक्त आवंटन प्रदेश के जनपदों में किया गया है। यह अनुमान है कि रबी में गेहूं का उत्पादन लगभग 80 लाख मी0 टन होगा।

वर्ष 1976-77 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य योजना आयोग द्वारा 210 लाख मी0 टन निर्धारित किया गया है जिसमें से 46.50 लाख टन चावल तथा 90.50 लाख मी0 टन गेहूं का उत्पादन प्रस्तावित है। उपरोक्त लक्ष्य की पूर्ति हेतु अधिक उपजदायी प्रजातियों को 64.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोया जाएगा। सात लाख मी0 टन रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जायगा। 112 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल सुरक्षा का कार्य सम्पादित किया जायगा।

उर्वरकों के संतुलित उपयोग में मृदा परीक्षण कार्यक्रम का विशिष्ट स्थान है। इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में मृदा (मिट्टी) परीक्षण प्रयोगशाला की व्यवस्था की जा रही है। यह कार्यक्रम पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पूरा किया जायेगा।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों को पंजाब व हरियाणा के अनुरूप देश के प्रमुखतम खाद्यान्न उत्पादक क्षेत्रों के रूप में शतप्रतिशत सघनता के आधार पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए 3 करोड़ रुपए का विशेष प्राविधान किया जा रहा है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा लघु कृषक विकास परियोजनायें प्रदेश के 6 जनपदों—बदायूं, प्रतापगढ़, रायबरेली, फतेहपुर, मथुरा तथा बलिया में कार्यान्वित की जा रही हैं। सदन को यह जानकर खुशी होगी कि केन्द्रीय सरकार ने प्रदेश के 20 अन्य जिलों में भी इन योजनाओं को चलाये जाने की स्वीकृति दी है। ये जिले हैं—जौनपुर, गाजीपुर, बरेली, गोंडा, मेरठ, सीतापुर, सुल्तानपुर, मुरादाबाद, हरदोई, खीरी, इलाहाबाद, बहराइच, फर्रुखाबाद, गोरखपुर, मैनपुरी, पौड़ी-गढ़वाल, वाराणसी, उन्नाव, शाहजहांपुर और बस्ती। पहले से जिलों में चल रही योजनाओं के लिए एक-एक करोड़ की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

आलू के उत्पादन का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिये फर्रुखाबाद में एक डिहाइड्रेशन प्लान्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए बजट में प्राविधान किया गया है। प्रदेश में किसानों को नियोजित व तकनीकी ढंग से गन्ने की खेती करने हेतु उत्तर प्रदेश गन्ना किसान प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। पन्तनगर कृषि विश्वविद्यालय का एक नया कैम्पस दौराला, जिला मेरठ में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

छोटी जोत वाले कृषक तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को, जिन्हें भूमि आवंटित की जा रही है, सहकारी समितियों का सदस्य बनाने की योजना है जिससे कि उन्हें आवश्यक कृषि निवेशों के लिए ऋण उपलब्ध हो सके। वर्ष 1976-77 में इनके द्वारा सहकारी समितियों में अंशपूंजी क्रय करने के लिए एक मास्टर प्लान के अनुसार 2 करोड़ रुपए के ऋण का प्राविधान किया जा रहा है। ऐसे भूमिहीन कृषकों को जिन्हें थोड़ी ही भूमि आवंटित की गई है पशु-पालन और कुक्कुट-पालन हेतु आर्थिक सहायता दी जायेगी। इसके लिए 1976-77 के आय-व्ययक में 10 लाख रुपए का प्राविधान किया जा रहा है।

दुग्ध और दुग्धशाला विकास पर अधिक ध्यान दिया जायगा। इसके लिए एक नया विभाग, पशुधन विभाग भी खोला गया है। वर्ष 1976-77 के लिए दुग्धशाला विकास योजनाओं पर 1.15 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है।

उद्योग

गत तीन वर्षों में उद्योगों को विद्युत् शक्ति उपलब्ध कराने में बहुत कठिनाई का अनुभव किया गया। इसके फलस्वरूप अनेक इकाइयों को क्षति उठानी पड़ी। विद्युत् शक्ति की उपलब्धता में सुधार होने के पश्चात् भी अर्थ-व्यवस्था में आई मन्दी ने कई कठिनाइयां पैदा कर दीं। अब स्थिति अनुकूल हो रही है और औद्योगिक वातावरण में सुधार हो रहा है।

जिला बुलन्दशहर की तहसील सिकन्दराबाद में ओखला के निकट एक औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं आवासीय बस्ती की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। इस बस्ती में लगभग 10 हजार औद्योगिक इकाइयां स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जिससे लगभग 50 हजार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। पर्याप्त आर्थिक एवं औद्योगिक गतिविधियों का सृजन होगा जिससे प्रदेश को प्रचुर आय होगी। इस योजना के लिए इस वर्ष एक करोड़ रुपए का प्राविधान किया गया है। योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय संस्थाओं से भी सहायता प्राप्त की जायगी। इस योजना के लिए एक औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन करने का भी निर्णय लिया गया है।

शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार में लगाने हेतु; भारत सरकार की शत प्रतिशत वित्तीय सहायता से चलाये गये हाफ-ए-मिलियन जाब्स प्रोग्राम तथा एम्प्लायमेंट प्रोमोशन प्रोग्राम के अन्तर्गत वर्ष 1975-76 में 269 इकाइयों की स्थापना हेतु 51 लाख

रुपए सीड मनी के रूप में वितरित किया गया तथा 325 लाख रुपए वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से उद्योगकर्ताओं को उपलब्ध कराया गया। इसी प्रकार की योजना को राज्य सरकार द्वारा 1976-77 में चलाये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके लिए आय-व्ययक में 50 लाख रुपए का प्राविधान किया गया है। उत्तर प्रदेश के कुछ पिछड़े हुए जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों में नये उद्योगपतियों को प्रोत्साहन देने के लिए रियायती दाम पर भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत 1976-77 के आय-व्ययक में 20 लाख रुपए का प्राविधान किया जा रहा है।

इस समय प्रदेश में कई स्थान ऐसे हैं जिनकी किसी न किसी प्रकार के विशिष्ट उद्योग के कारण काफी ख्याति है। इन स्थानों पर विभिन्न उद्योगों की कई इकाइयां लगाकर औद्योगिक काम्प्लेक्सेज बनाए जायेंगे जिससे इन इकाइयों के लिए कच्चा माल, बैंकों से ऋण और मार्केटिंग की सुविधायें आसानी से प्राप्त हो सकेंगी।

बीस-सूत्रीय कार्यक्रम में हथकरघा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हथकरघा उद्योग के त्वरित बिकास के लिए योजना बनायी गई है जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

सूत की आपूर्ति बढ़ाने के लिए 10 मिलें स्थापित की जा रही हैं जिनमें से दो सहकारिता क्षेत्र में होंगी। उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की 4 कतायी मिलें शीघ्र उत्पादन प्रारम्भ करेंगी। बुनकरों द्वारा अच्छे करघे अपनाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। जहां तक सहकारी समितियों का प्रश्न है, व्यय का 50 प्रतिशत सदस्यों को अनुदान के रूप में दिया जायगा।

भारत सरकार ने एक सघन विकास योजना (बस्ती व गोरखपुर जिलों के लिए) स्वीकृत की है जिस पर अगले तीन वर्षों में 1.85 करोड़ रुपये का व्यय होगा। वर्ष 1976-77 में इस योजना के अन्तर्गत 1.22 करोड़ रुपया व्यय किया जाना प्रस्तावित है। बुनकरों को नए परिकल्पों तथा नई बुनने की प्रणाली अपनाने के लिए प्रशिक्षित करने हेतु नहटौर तथा गोरखपुर में दो नए परिकल्प केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। हथकरघा वस्त्रों का निर्यात बढ़ाए जाने की कार्यवाही की जाएगी। शिवरमन कमेटी की रिपोर्ट की संस्तुति पर इटावा, फर्रुखाबाद के लिए एक निर्यात मूलक योजना बनायी गयी है।

हथकरघा वस्त्रों की विपणन प्रणाली का विकास करने के उद्देश्य से सहकारी विपणन संस्था सुदृढ़ की जाएगी। अगले वर्ष वाराणसी, मुरादाबाद, इटावा और बस्ती में चार जिला सहकारी समितियों की स्थापना प्रस्तावित है जो प्राथमिक समितियो को सदस्य के रूप में निवेशित करेंगी। अगले वर्ष दो शोरूम की स्थापना की जायगी। शाहजहांपुर में एक बने बनाए कपड़ों का काम्प्लेक्स स्थापित किया जा रहा है तथा उत्तर प्रदेश निर्यात निगम द्वारा लोनी में एक और काम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है जो हथकरघा वस्त्रों का उपयोग करेगा। इसके अतिरिक्त अगले वर्ष के लिए हथकरघा के चार कार्यकारी काम्प्लेक्स प्रस्तावित हैं।

उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा किराया-क्रय आधार पर दुर्लभ कच्चे माल तथा मशीनों की पूर्ति के अतिरिक्त पैकेज सहायता योजना के अन्तर्गत नए कार्य प्रारम्भ किए गए हैं। इस योजना के अन्तर्गत 15 लघु इकाइयों का एक कार्यकारी आस्थान रायबरेली में स्थापित किया गया है जिसकी सभी इकाइयों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है। निगम द्वारा स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, हरिद्वार के सहायक आस्थानों की भी स्थापना की गयी है। निगम ने गाजीपुर, फैजाबाद तथा बस्ती में चार संयुक्त इकाइयां लगायी हैं। झांसी में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की नई फैक्टरी के लिए सहायक आस्थान की स्थापना का कार्य हो रहा है।

उत्तर प्रदेश निर्यात निगम ने इंडिय : इन्स्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड के माध्यम से राज्य की निर्यात क्षमता का सर्वेक्षण कराया है जिसके आधार पर निर्यात की क्षमता रखने वाली औद्योगिक इकाइयों के काम्प्लेक्स स्थापित किए जाने की योजनाएं प्रारम्भ की गयी हैं। भदोही

[श्री नारायण दत्त तिवारी]
में ऊनी धागे कताई की मिल, लोनी में रेंडीमेड गार्मेंट्स काम्पलैक्स तथा मेरठ में खेल का सामान बनाने वाली इकाइयों के लिए औद्योगिक आस्थान का कार्य आरम्भ कर दिया गया है? गलीचों के निर्यात को 40 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष के अगले तीन वर्षों में 100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष करने का लक्ष्य है। इसके लिए भदोही में गलीचे बनाने के लिए बुनकरों को प्रशिक्षण देने के 100 नए केन्द्र खोले जायेंगे। बुनकरों की संख्या वर्तमान 74,000 से बढ़ाकर 2 लाख करने का प्रयत्न किया जायगा।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की ऋण स्वीकृत करने की प्रणाली में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। निगम ने मार्गेज व्यय, कन्सल्टेन्सी फीस तथा निर्माण की अवधि में ब्याज शामिल कर ऋण के मार्जिन को उदार बना दिया है। इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया से स्वचालित पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए प्रपत्रों का सरलीकरण कर दिया गया है। ऋण प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण के प्रत्येक स्तर के लिए समय-सारिणी निर्धारित की गयी है। लघु औद्योगिक इकाइयों का मार्जिन कम कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम ने अब शीतगृहों (कोल्ड स्टोरेज) के लिए भी ऋण देना आरम्भ कर दिया है।

फरवरी, 1976 तक "पिकप" ने 39 कम्पनियों को कुल 9.06 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए हैं। इसके अतिरिक्त 16 कम्पनियों को लगभग 1.08 करोड़ रु0 की अन्डरराइटिंग सहायता भी स्वीकृत की है। इन प्रोजेक्ट्स के कार्यान्वयन के फलस्वरूप 98.49 करोड़ रुपए का विनियोजन गतिशील होने तथा 9,853 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की सम्भावना है। फरवरी, 1976 तक निगम में 140 इकाइयों को 2.13 करोड़ रुपए के ब्याजमुक्त सेल्स टैक्स ऋण स्वीकृत किए हैं। सिकन्दराबाद (बुलन्दशहर) में 6 करोड़ रुपए की कुल लागत से संयुक्त क्षेत्र में एक फाइबर ग्लास की इकाई की स्थापना की जा रही है।

राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा 4000 एकड़ अतिरिक्त भूमि, विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों में, विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। निगम द्वारा अनेक प्रायोजनायें भी संयक्त क्षेत्र में स्थापित की जा रही हैं। इस वर्ष पांच और प्रायोजनाओं हेतु सहयोग के प्रस्ताव निर्णीत हो चुके हैं। इन प्रायोजनाओं द्वारा रेजर ब्लेड, ग्रेफाइट, इलक्ट्रोड्स, स्कूटर टायर एवं ट्यूब इलेक्ट्रोलिटिक मैगनीज डाई आक्साइड इत्यादि का उत्पादन किया जाएगा। आशा है वर्ष 1976-77 में इन पर कार्य आरम्भ हो जाएगा।

राज्य वस्त्र निगम तथा इसकी सहायक उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग मिल्स कम्पनी (नं0 1) लि0, द्वारा हथकरघा व शक्ति-चालित करघा बुनकरों की सूत की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आठ कताई मिलें स्थापित की जा रही हैं। रायबरेली की मिल में वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ हो गया है। मऊ, अकबरपुर तथा बाराबंकी में मिलों के निर्माण का कार्य काफी आगे बढ़ चुका है और आशा है कि इन मिलों में वाणिज्यिक उत्पादन 1976–77 में आरम्भ हो जाएगा। झांसी, काशीपुर, संडीला तथा मेरठ में निर्माण-कार्य प्रगति पर है और आशा है कि इन मिलों में उत्पादन कार्य 1977–78 में आरम्भ हो जावेगा।

चीनी उद्योग

भारत सरकार से कुल 21 आशय पत्र अथवा लाइसेन्स नई सहकारी चीनी मिलों की स्थापना के लिए प्राप्त हुए थे। इन में से तीन सहकारी चीनी मिलों कायमगंज (फर्रुखाबाद) रसड़ा (बलिया) तथा सठियांव (आजमगढ़) ने इसी सीजन (1975-76) में गन्ना पिराई कार्य आरम्भ कर दिया है। इसके अतिरिक्त आठ अन्य चीनी मिलों के लिए प्लान्ट एवं मशीनरी के आदेश दिए जा चुके हैं और उनका स्थापन कार्य प्रगति पर है। दस अन्य स्थानों पर मिल लगाने का प्रारम्भिक कार्य चल रहा है। नई चीनी मिलों के क्षेत्र में गन्ना विकास कार्य और तीव्रता के साथ इस वर्ष में किया जायगा। पन्तनगर में चुकन्दर तथा गन्ने से चीनी बनाने का एक कारखाना लगाने का प्रस्ताव है।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम द्वारा नन्दगंज (गाजीपुर), छाता (मथुरा); चांदपुर (बिजनौर) तथा दरियापुर (रायबरेली) में नई चीनी मिलें स्थापित की जा रही हैं। इन चारों के लिए भूमि प्राप्त कर ली गयी है तथा प्रथम तीन के प्लान्ट एवं मशीनरी के आदेश दे दिए गए हैं। चीनी निगम अपनी पुरानी इकाइयों एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य चीनी मिलों के पुनर्वासन एवं आधुनिकीकरण का कायक्रम बना रहा है।

शिक्षा

राज्य सरकार शिक्षा के सभी क्षेत्रों में सर्वतोन्मुखी विकास के लिए प्रयत्नशील है। इस उद्देश्य से वर्ष 1975–76 के दौरान 88 जूनियर बेसिक स्कूल, 30 सीनियर बेसिक स्कूल, 18 क्रमोत्तर कक्षायें, हरिजनों के लिए एक आश्रम पद्धति स्कूल, 46 नए राजकीय हाई स्कूल, 2 राजकीय डिग्री कालेज खोले गए। बुन्देलखंड में एक विश्वविद्यालय खोला गया। उपरोक्त के अतिरिक्त 219 अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान-सूची पर लाया गया।

हाई स्कूल और इन्टर कक्षाओं की हिन्दी की पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की दिशा में सफलतापूर्वक कदम उठाए गए। कक्षा 1 से 8 तक की राष्ट्रीयकृत पुस्तकों के उर्दू संस्करण उर्दू अकादमी के सहयोग से पुनरीक्षित करके प्रकाशित किए जा रहे हैं। छात्रों को नियन्त्रित मूल्य पर अभ्यास पुस्तिकायें उपलब्ध कराई गयीं। निर्बल वर्गों के छात्रों के सहायतार्थ तथा उनकी प्रतिभा को विकसित करने के उद्देश्य से विभिन्न स्तर के विद्यालयों में बुक-बैंक स्थापित किए जा रहे हैं। बुक-बैंक की योजना के निमित्त 1976–77 में 1 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रस्तावित है।

मुझे यह कहते हुए हर्ष है कि 1975–76 में शिक्षा संस्थाओं में अनुशासन उच्चस्तर का रहा है। विद्यार्थियों ने वृक्षारोपण और सामाजिक विकास की अन्य योजनाओं में भी रुचि-पूर्वक भाग लिया। कक्षा 12 तक के लिए खेल-कूद तथा कक्षा 6 से 8 तक स्काउटिंग का प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। राष्ट्रीय प्रायोजनाओं में युवाशक्ति को संयोजित करने के उपाय किए जा रहे हैं। ग्यारह वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक छात्र से यह अपेक्षा की जायगी कि वह कम से कम एक पेड़ लगाए। शिक्षा संस्थाओं को प्रेरित किया जा रहा है कि वे एक रचनात्मक प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले लें तथा प्राध्यापक व विद्यार्थी मिलकर उसे कार्यान्वित करें।

शासन ने यह निर्णय लिया है कि परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार हों तथा स्कूल व कालेज समय से शिक्षण सत्र आरम्भ करें। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उचित स्थान पाने के उद्देश्य से प्रत्येक मन्डल के एक जनपद में कक्षा 9 तथा 10 के प्रतिभावान् छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा की व्यवस्था हेतु प्राविधान किया गया है।

उत्कृष्ट पुस्तकों के लिखने एवं प्रकाशन कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए बजट में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जा रही है। यह भी निश्चय किया गया है कि प्रख्यात शिक्षकों को सम्मानित करने के उद्देश्य से दिए जाने वाले पुरस्कार की धनराशि बढ़ाकर 1,000.00 रुपए प्रति शिक्षक कर दी जाय; यह भी निर्णय लिया गया है कि सामूहिक जीवन बीमा योजना को अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों पर भी लागू कर दिया जाय। यह योजना बेसिक शिक्षा परिषद् के शिक्षणेतर कर्मचारियों पर 1 फरवरी, 1976 से लागू कर दी गई है।

चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य

प्रधान मंत्री जी ने अभी हाल में लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली में दिए गए अपने सम्भाषण में यह नीति घोषित की है कि भविष्य में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की सेवायें केवल अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था पर आधारित नहीं रहेगी बल्कि सम्पूर्ण समुदाय के लिए व्यापक चिकित्सा सेवा का प्रबन्ध आयोजित होगा। इसके लिए उन्होंने तीन स्तरीय चिकित्सा

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

सेवायें नियोजित किए जाने की बात कहीं, जिसके अन्तर्गत पहले स्तर पर ग्रामीण केन्द्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सामुदायिक सेवा, दूसरे स्तर पर तहसील एव जिला केन्द्रों पर परामर्श-क्लिनिक में चिकित्सा सेवा एवं तीसरे स्तर पर उच्च-स्तरीय अस्पतालों एव संस्थाओं के विशेषज्ञों द्वारा आवश्यक उपचार की व्यवस्था होगी। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हमने इस तीन-स्तरीय ढांचे को उत्तर प्रदेश में भी लागू करने का सिद्धान्ततः निर्णय ले लिया है।

इस दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध कराने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि मेडिकल कालेजों तथा जिला स्तर के चिकित्सा-विशेषज्ञों को सचल दल के रूप में नियमित रूप से क्षेत्रों में भेजा जाय।

के0 जी0 मेडिकल कालेज, लखनऊ में पोस्ट ग्रैजुएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज अतिशीघ्र प्रारम्भ करने के लिए 50 लाख रुपए की धनराशि की व्यवस्था की जा रही है। सरकारी अस्पतालों में औषधियों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्राविधान किया जा रहा है।

मेडिकल कालेजों में स्वैच्छिक रक्त दान योजना चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 1976–77 के आय-व्ययक में इस प्रयोजन के लिए 2 लाख रुपए का प्राविधान रखा जा रहा है। जिला मुख्यालय के अस्पतालों में रक्त बैंकों को सक्रिय करने का निर्णय लिया गया है।

राष्ट्रीय कुष्ठ नियन्त्रण कार्य क्रम के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 1976–77 में में 150 कुष्ठ नियन्त्रण इकाइयां, 200 एस0 ई0 टी0 केन्द्र, 16 शहरी कुष्ठ नियन्त्रण इकाई, एक रिकन्सट्राक्टिव सर्जरी यूनिट तथा 20 शय्यायुक्त 6 वार्डों की स्थापना व 2 कुष्ठ नियन्त्रण इकाइयों के उन्नयन का लक्ष्य रखा गया है। तीर्थ स्थानों पर कुष्ठ रोगी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अतएव वहां सर्वे-एजूकेशन तथा ट्रीटमेंट केन्द्रों की स्थापना विशेष रूप से की जाएगी।

खाद्य एवं रसद

शासन का यह निरन्तर प्रयास रहा है कि जनता को, विशेषकर अधिक कमजोर वर्गों और छात्रों का ध्यान रखते हुए, खाद्यान्न व अन्य आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर उपलब्ध करायी जायं। इस निमित्त खाद्यान्न की खरीद एवं वितरण प्रणाली को अधिकाधिक गतिशील बनाने तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियन्त्रण रखने की कार्यवाही की गई है। शासन ने दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं जैसे सब्जी, दूध, अन्डा, गोश्त, मछली, मिठाई व कपड़ों की सिलाई आदि के मूल्यों में भी कमी कराने के लिए सफल प्रयास किए हैं। जन वितरण प्रणाली में सहकारी समितियों को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए जनता शापके रूप में प्रयोग आरम्भ किया गया है।

तीन लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में स्थित औद्योगिक इकाइयों के श्रमिकों, विश्वविद्यालय एवं डिग्री कालेज के छात्रों तथा राजकीय कर्मचारियों की उपभोक्ता सहकारी समितियों को गठित करने के लिए विशेष बल दिया जा रहा है। एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में स्थित विश्वविद्यायों एवं डिग्री कालेज के छात्रों की दैनिक आवश्यकता वाली वस्तुएं तथा लेखन सामग्री की आपूर्ति उपभोक्ता भंडारों के माध्यम से की जा रही है। उपभोक्ताओं की विशेष सुविधा के लिए मिल्क बूथ खोले जाने का प्रस्ताव है जिसके प्रथम चरण में लखनऊ नगर में 30 मिल्क बूथों की स्थापना की जाएगी। दूध के अतिरिक्त इन बूथों में खाने की दैनिक उपयोग की कुछ अन्य वस्तुयें भी उपलब्ध करायी जाएंगी।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों व डिग्री कालेजों के 489 स्वीकृत छात्रावासों में रहने वाले लगभग 64,050 विद्यार्थियों को गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल, बनस्पति आदि उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा संस्थाओं के अध्यक्षों के माध्यम से विद्यार्थियों को मिट्टी का तेल वितरित कराया जा रहा है।

इस वर्ष उत्पादकों पर सीधे लेवी द्वारा गेहूं की खरीद की गयी। लेवी की खरीद के साथ-साथ सीधी खरीद भी की गयी। 3 मार्च, 1976 तक कुल 7.91 लाख मीट्रिक टन गेहू खरीदा गया। केन्द्रीय सरकार द्वारा चावल की खरीद के 6 लाख टन के लक्ष्य के विरुद्ध राज्य सरकार नें उक्त तिथि तक 6.26 लाख मीट्रिक टन चावल क्रय किया है। उत्पादकों को बिचौलियों द्वारा शोषण से बचाने के उद्देश्य से इस वर्ष भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान की सीधी खरीदारी की भी व्यवस्था की गयी है।

पुलिस

शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को यथासम्भव आधुनिक वैज्ञानिक साज संयत्रों से सुसज्जित करना आवश्यक है। प्रदेश में कुल 1016 थाने हैं जिनमें से अभी तक केवल 421 थानों में वायरलेस सेट्स थे। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि शासन ने अब सभी थानों को वायरलेस सेट्स उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अगले वर्ष 595 थानों में वायरलेस सेट्स की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इसी प्रकार पुलिस को अधिक सचल बनाने के लिए अगले वर्ष 100 अतिरिक्त जीपें भी उपलब्ध करायी जायेंगी। अभी तक प्रदेश के 19 जिलों के 26 नगरों में अग्नि शमन सेवायें (फायर ब्रिगेड) उपलब्ध हैं और आम तौर से यह मांग आती रही है कि यह सेवायें प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध करायी जायं। शासन ने यह निर्णय लिया है कि यन्त्रों की उपलब्धता को देखते हुए अग्नि शमन सेवायें उन जिलों में, जहां इस समय उपलब्ध नहीं हैं, यथाशीघ्र उपलब्ध करा दी जायं। अगले महीनों में अग्नि शमन सेवाओं की व्यवस्था 12 जिलों में किया जाना प्रस्तावित है। आगे चलकर यह व्यवस्था अन्य जिलों में भी उपलब्ध हो सकेगी।

पुलिस प्रशिक्षण की वर्तमान व्यवस्था का अध्ययन करके उसमें वांछित सुधार हेतु सुझाव देने के लिए भारत सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय कमेटी (गोरे कमेटी) गठित की गई थी। इस समिति ने भर्ती, प्रशिक्षण के संगठन तथा पाठ्य-क्रम एवं आवश्यक साज-सज्जा के विषय में संस्तुतियां दी हैं। इस कमेटी की संस्तुतियों के कार्यान्वियन के विषय में कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 1976–77 में इस प्रयोजन के लिए 42.39 लाख रुपए का प्राविधान किया जा रहा है।

सतर्कता, अभिसूचना तथा अपराध अनुसन्धान विभागों में कार्य के महत्व को देखते हुए इसमें तैनात पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों को कुछ अतिरिक्त प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है।

सड़क, पुल तथा परिवहन

किसी भी क्षेत्र के बहुमुखी विकास के लिए सड़कों का विशेष महत्व है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के ठीक पूर्व प्रदेश में केवल 15,113 कि0 मी0 लम्बी सड़कें थीं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रदेश में कुल 36,770 कि0 मी0 सड़कें हो गयीं। पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष में निर्मित सड़कों को मिलाकर मार्च, 1975 के अन्त में यह लम्बाई बढ़कर लगभग 38,000 कि0 मी0 हो गयी। वर्ष 1975-76 में अनुमान है कि कुल 722 कि0 मी0 सड़कों का निर्माण तथा 354 कि0 मी0 वर्तमान सड़कों का पुनर्निर्माण व सुधार पूरा किया जाएगा। इस वर्ष 20 पुलों का निर्माण भी पूरा होने की आशा है।

इस प्रसंग में यह उल्लेख करना चाहूंगा कि नई सड़कों के लिए 10 करोड़ रुपए व्यय किया जायगा।

राज्य सेतु निगम की स्थापना से पुलों के निर्माण में काफी प्रगति हो रही है तथा संस्थागत वित्त से पुलों के लिए ऋण प्राप्त किया जा रहा है। अब तक 16 पुलों के निर्माण के लिए 4.20 करोड़ रुपए के ऋण की स्वीकृति मिल चुकी है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

इस वर्ष जिला हमीरपुर (हमीरपुर-कानपुर मार्ग) में यमुना नदी पर, जिला फैजाबाद (मालीपुर-जलालपुर मार्ग) में टोंस नदी पर, जिला रायबरेली (लालगंज-बछरावां मार्ग) में सई नदी पर, जिला नैनीताल (बरेली-अल्मोड़ा मार्ग) में किच्छा नदी पर पुलों का तथा कानपुर में पनकी के निकट, सहारनपुर में सहारनपुर-अम्बाला मार्ग पर तथा वाराणसी में लहरतारा के निकट उपरिगामी पुलों का निर्माण पूरा किया जा रहा है।

ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने की शासन की नीति के अनुसरण में 1 मई, 1975 से उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की स्थापना की गयी है, जो राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, निगमों व स्थानीय निकायों आदि के निर्माण-कार्य स्वयं सम्पादित करेगा। निगम ने अब तक लगभग 925 लाख रुपए की लागत के कार्य अपने हाथ में लिए हैं।

प्रदेश के मुख्य शहरों में नगरीय बस-सेवाओं को बढ़ाने के लिए विशेष योजना बनाई गई है। इसके अन्तर्गत भारत सरकार ने 2.80 करोड़ रुपए की धनराशि की स्वीकृति दी है।

हरिजन तथा जनजाति कल्याण

शासन द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याणार्थ अनसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई है। मैदानी क्षेत्र में तराई भाग में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों के कल्याणार्थ अनसूचित जनजाति विकास निगम की स्थापना की गई है। ये निगम हरिजनों एवं जनजातियों के सर्वांगीण विकास कराने में सहायक होंगे। पलिया (जिला खीरी) में अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु एकीकृत क्षेत्र विकास परियोजना तैयार की गई है। इस योजना के अन्तर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन, उद्योग, यातायात इत्यादि कार्य किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त सहकारिता के माध्यम से ऋण तथा मार्केटिंग की भी व्यवस्था की जाएगी।

एक हरिजन हाउसिंग बोर्ड की स्थापना की जा रही है। यह बोर्ड संस्थागत वित्तीय संसाधन जुटाएगा और अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए मकान निर्माण का कार्य सम्पादित करेगा।

अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए सरकारी, सार्वजनिक उद्योगों तथा स्थानीय निकायों की सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था है। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अब पहली बार व्यक्तिगत क्षेत्र में भी इनके लिए सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए कानून बनाने का निर्णय लिया गया है।

मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र एवं छात्राओं के लिए लखनऊ नगर में विशेष पी0 एम0 टी0 कोचिंग की व्यवस्था वर्ष 1975-76 से की गई है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने में प्रगति लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये हैं जो भारत सरकार द्वारा अपनायी गयी प्रक्रिया पर आधारित हैं।

श्रम तथा समाज कल्याण

खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की दरों के अतिरिक्त कुक्कुट पालन, डेरी फार्मिंग, मधुमक्खी पालन आदि में लगे श्रमिकों की वेतन दर भी निश्चित की गई है।

प्रदेश में वृद्धावस्था पेन्शन योजना के अन्तर्गत वृद्ध एवं अनाश्रित व्यक्तियों को इस समय रु0 30 प्रति मास पेन्शन दी जाती है। अब पेन्शन की धनराशि बढ़ाकर 40 रुपए प्रति मास करने का निर्णय लिया गया है।

निराश्रित और बाधित (हैण्डीकैप्ड) व्यक्तियों तथा बच्चों की सहायता के लिए इलाहाबाद, रायबरेली और अलीगढ़ में इन्टीग्रेटेड चिल्ड्रेन्स डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोजेक्ट चलाये जा रहे हैं। अगले वर्ष इस योजना के लिए 10 लाख रुपए का प्राविधान किया जा रहा है।

आवास

आवास एवं विकास परिषद् ने विभिन्न नगरों में 3,773 गृहों का निर्माण पूरा कर लिया है और 3,293 गृहों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 1975-76 में जीवन बीमा निगम से आवास योजनाओं के लिए राज्य सरकार को 106 लाख रुपए का ऋण प्राप्त होगा। "हडको" ने आवास परिषद् तथा स्थानीय निकायों की 252.05 लाख रुपए की योजनायें स्वीकृत की हैं। नगर महापालिकाओं के अतिरिक्त ऐसे सभी स्थानीय निकायों को, जो अपने शापिंग सेन्टर्स तथा कमर्शियल कम्प्लेक्स के निर्माण हेतु बैंकों से संस्थागत वित्तीय सहायता प्राप्त करेंगे, प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार निर्मित भवनों के आवंटन में हरिजनों, कमजोर वर्गों, शिक्षित बेरोजगारों आदि को वरीयता देना प्रस्तावित है।

1972-73 में केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 8 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले कुछ शहरों के लिए पर्यावरण सुधार योजना (स्लम इम्प्रूवमेन्ट स्कीम) चालू की गई थी। पांचवीं योजना काल के अन्तर्गत आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, मेरठ और बरेली को भी शामिल कर लिया गया है।

राष्ट्रीय एकीकरण

राज्य में राष्ट्रीय एकीकरण परिषद् का गठन आपसी सद्भाव एवं राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ावा देने तथा पिछड़े वर्गों की सुरक्षा व विकास के उद्देश्य से किया गया है। हर जिले में राष्ट्रीय एकीकरण कमेटियां भी गठित की गई हैं।

राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने हेतु ऐसी अशासकीय संस्थाओं को अनुदान भी दिया जाता है जो राष्ट्रीय एकीकरण के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दें। राज्य के आठ शासकीय एवं तीन अशासकीय केन्द्रों में दक्षिण भारतीय भाषाओं के शिक्षण का भी प्रबन्ध किया गया है।

राष्ट्रीय तथा सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए अन्तर्जातीय अन्तर्धार्मिक विवाह काफी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इस प्रकार का विवाह करने वाले जोड़ों को एक हजार रुपया प्रति जोड़ा इनाम व एक मैडल तथा प्रमाण-पत्र दिया जायगा। इसके अतिरिक्त लघु उद्योग लगाने हेतु ब्याज रहित ऋण दिया जाएगा तथा मकान बनाने के लिए भूमि आबंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। पुरस्कार देने हेतु एक लाख रुपया तथा ब्याज-रहित ऋण देने हेतु डेढ़ लाख रुपया का प्राविधान किया जा रहा है।

उर्दू अकादमी, उर्दू के विकास एवं प्रचार हेतु महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। इस अकादमी को 5,10,000 रुपये वार्षिक अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है जिसे बढ़ाकर 8.50 लाख रुपये किया जा रहा है। उर्दू के विकास के लिए अन्जुमन तरक्किए उर्दू, यू0 पी0 को भी 95,000 रुपए का आवर्तक अनुदान दिया जाता है।

अभी तक केवल उन्हीं मकतबों का अनुदान दुगुना किया गया है जिन्हें 1,000 रु0 तक अनुदान मिलता था। अब उन मकतबों का अनुदान भी दुगुना किया जा रहा है जिन्हें 1000 रुपये से ऊपर अनुदान मिलता है।

इस समय उर्दू में दक्षता प्राप्त करने के लिए केवल राजपत्रित अधिकारियों को प्रमाण-पत्र दिए जाने की व्यवस्था है। अब यह उपयुक्त समझा गया है कि अराजपत्रित कर्मचारियों को भी उर्दू में दक्षता प्राप्त करने की सहूलियत दी जाय और नकद पुरस्कार दिया जाय। इस कार्य के लिए बजट में 50,000 रु0 का प्राविधान किया गया है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

इस समय सामान्यत: जूनियर हाई स्कूलों को मान्यता नहीं दी जाती है। लेकिन जो जूनियर हाई स्कूल उर्दू के माध्यम के शिक्षा देना चाहते हैं उनको मान्यता देने के विषय पर विचार किया जायगा। जो शिक्षक उर्दू में पढ़ाना चाहते हैं उनको एल0 टी0 तथा सी0 टी0 में जुलाई, 1976 से सुविधा दी जाएगी। इस कार्य के लिए जामिया मिलिया, दिल्ली तथा अलीगढ़ विश्वविद्यालय के सहयोग से व्यवस्था की जा रही है।

उर्दू के ख्याति प्राप्त शायर, मीरअनीस की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए अनीस स्मारक समिति, लखनऊ ने उनके निवास स्थान आदि के जीर्णोद्धार तथा पुनर्निर्माण करने, नके मर्सियों का विश्व की प्रमुख भाषाओं में अनुवाद करने तथा उनके प्रकाशन इत्यादि का कार्यक्रम बनाया है। उक्त प्रयोजन हेतु एक लाख रुपये अनावतक तथा पांच हजार रुपए आवर्तक अनुदान अनीस स्मारक निधि, लखनऊ को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

मौलाना अब्दुलकलाम आजाद अकादमी को इस वर्ष तथा अगले वर्ष अनुदान दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

पर्यटन

प्रदेश में पर्यटन के उद्योग के विकास हेतु बहुत कार्य होना है। मैदानी क्षेत्र में वर्ष 1975-76 में नवाबगंज, जिला उन्नाव की झील को पक्षी बिहार घोषित कर दिया गया है और इसके चारों ओर एक रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। झील के चारों ओर वनीकरण किया गया है और एक कैफेटीरिया का निर्माण भी किया जा रहा है। एक आधुनिक पर्यटक आवास गृह का निर्माण वर्ष 1976-77 में शुरू किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश दिल्ली सीमा पर पर्यटकों की सुविधा के लिए हिन्डन नदी के पास पर्यटन विकास की योजना बनाई जाएगी। इसी प्रकार मैक्फर्सन लेक, इलाहाबाद के लिए भी पर्यटक विकास योजना बनाए जाने का प्रस्ताव है। इन योजनाओं के लिए बजट वर्ष में 1.78 लाख रुपए का प्राविधान किया गया है।

ओखला में एक मनोहारी पर्यटन काम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित है। यहां पर वनीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

पर्वतीय क्षेत्रों में जो अनेकों रमणीक पर्यटन स्थल हैं उनके विकास का कार्य भी हाथ में लिया गया है वर्ष 1975-76 में डाक-पत्थर, जिला देहरादून में यमुना कैनाल के निकट एक आधुनिक पर्यटक आवास गृह का निर्माण किया जा रहा है। अल्मो ा में एक "हाली डे होम" का निर्माण हो रहा है व कौसानी में लाग कैबिन्स बनाए जायेंगे। नैनीताल यूथ हास्टल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। भीमताल (जिला नैनीताल) के चारों ओर विद्युतीकरण किया जा रहा है और इसे पर्यटन के लिए आकर्षक बनाया जायगा।

पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अन्य कई स्थानों में भी पर्यटन विकास के कार्य में तेजी लाई जा रही है। प्रदेश में एक पर्यटन विकास निगम की स्थापना भी की गई है।

खेल-कूद

खेल-कूद के विकास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान, और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) अधिनियम, 1975 पारित किया गया है। ग्राम मुरम्बा, जिला लखनऊ में स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना की गई है। मेयो हाल, इलाहाबाद में एक स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स की स्थापना की गई है, जहां लगभग 400 खिलाड़ियों को प्रतिदिन प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। ग्रीन पार्क, कानपुर में एक स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें लगभग 400 बालक तथा बालिकायें कार्य-क्रमों में भाग ले सकेंगी। पर्वतीय क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं एवं आठ क्री ड़ गनों हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया है। उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स मैन वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना की गई है ताकि वृद्ध तथा आर्थिक संकट से

प्रभावित खिलाड़ियों को सहायता प्रदान की जा सके और उदीयमान खिलाड़ियों को प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रोत्साहन किया जा सके।

पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी

प्रदेश में शहर के समीपस्थ विभिन्न उद्योगों की स्थापना और अव्यवस्थित भवन-निर्माण आदि से वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक साधनों के उपयोग तथा वातावरण की रक्षा के सम्बन्ध में नीति निर्धारण अत्यन्त आवश्यक है। इस उद्देश्य से शासन ने एक नया विभाग पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी विभाग (इनवाइरेनमेंट ऐण्ड इकोलोजी डिपार्टमेंट) स्थापित करने का निर्णय लिया है, जिसके द्वारा वायु एवं जल प्रतिशोधन रोकने, गन्दगी की निकासी, नये उद्योगों तथा नए नगरों की स्थापना आदि के सम्बन्धमें नीति निर्धारण की कार्यवाही की जाएगी।

वृक्षारोपण कार्य-क्रम सड़कों के टुकड़ों पर युवक संगठनों द्वारा कराने का प्रस्ताव है। वे न केवल वृक्षारोपण के बल्कि वृक्षों की देख-रेख के भी जिम्मेदार होंगे। वन एवं उद्यान विभागों के अतिरिक्त शैक्षिक संस्थाएं भी नर्सरी आरम्भ करके वृक्षारोपण के लिए वांछित पौधे योजनानुसार लगाने का कार्य करेंगी।

वन जन्तुओं को संरक्षण प्रदान करने तथा परिवेशीय सन्तुलन बनाए रखने के उद्देश्य से वर्ष 1976-77 में उत्तर खीरी वन प्रभाग में एक राष्ट्रीय पार्क की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। इसके लिए आय-व्ययक में 7.48 लाख रुपए का प्राविधान किया जा रहा है।

विविध

हमारा प्रदेश संस्कृत भाषा के वाङ्मय का ऐतिहासिक केन्द्र रहा है। इस भूमिका में संस्कृत भाषा के बहुमुखी विकास को समन्वित करने के लिए लखनऊ में संस्कृत अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। हिन्दी ग्रन्थ अकादमी के वार्षिक अनुदान में अगले वर्ष के लिए एक लाख रुपए का अतिरिक्त प्राविधान किया जा रहा है।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय अपने हीरक जयन्ती वर्ष में एक सभा-गृह का निर्माण प्रारम्भ कर रहा है। उसके लिए राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए का सहायक अनुदान देने का निर्णय लिया है।

कर्मचारियों का कल्याण

राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की सेवा-सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने तथा उनके हित के लिए उत्सुक है। इस हेतु विभिन्न विभागाध्यक्षों तथा महालेखाकार के परामर्श से कर्मचारियों के वेतन, पेन्शन व भविष्य निर्वाह की धनराशि के समय से न मिलने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं। पेन्शन के मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए वर्ष 1975 में एक विशेषअभियान चलाया गया जिसके फलस्वरूप जहां वर्ष 1973 में 4,888 तथा वर्ष 1974 में 6,895 पेन्शन के मामले निपटाए गए थे, वहां वर्ष 1975 में पेन्शन के 12,648 मामले निपटाए गए। पारिवारिक पेन्शन स्वीकृत करने के मामले अब अधिक तत्परता से निपटाए जा रहे हैं।

राज्य कर्मचारियों को शीघ्र वेतन भुगतान किए जाने के लिए ऐसे राजपत्रित अधिकारियों के मामलों में जिनके वेतनमान की अधिकतम राशि 1,200 रुपए प्रति माह से अधिक नहीं है, वेतन तथा छुट्टी का वेतन आहरित करने के लिए महालेखाकार द्वारा प्राधिकार-पत्र जारी करने की प्रथा समाप्त कर दी गयी है। इस व्यवस्था से लगभग 1,000 राजपत्रित अधिकारी लाभान्वित हुए हैं।

राज्य कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि के लेखों के समुचित रख-रखाव व शीघ्र अन्तिम भुगतान सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम उठाए गए हैं। कार्यालयाध्यक्षों तथा

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

आहरण वितरण अधिकारियों को यह निर्देश दे दिए गए हैं कि अपने अधीन कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि के लेखों का वार्षिक मिलान महालेखाकार के कार्यालय से कर लिया करें ताकि इस सम्बन्ध में कोई शंका अथवा गड़बड़ी न रहे। भविष्य निर्वाह निधि से अग्रिम की स्वीकृति देने की प्रक्रिया में यह सुधार कर दिया गया है कि एक से अधिक अग्रिमों की धनराशि को समेकित करके अग्रिम की स्वीकृति दी जावे। अस्थायी अग्रिमों पर ब्याज लेने की प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया है। निधि से अन्तिम निष्कासन की राशि को आहरित करने के लिए महालेखाकार के प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। अब तक केवल चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि के लेखों का रख-रखाव विभागाध्यक्षों व कार्यालयाध्यक्षों के कार्यालय में होता था। अब 185–265 रुपये तक वेतनमान वाले कर्मचारियों के लेखों का रख-रखाव भी उपरोक्त अधिकारियों को सौंप दिया गया है। इन कर्मचारियों को अब भविष्य निर्वाह निधि के लेखों से सम्बन्धित पास-बुक दी जाएगी। राज्य कर्मचारी अपनी सेवा निवृत्ति के एक वर्ष पूर्व ही उस समय तक जमा धन के भुगतान के लिए प्रार्थना-पत्र भेज सकते हैं। ऐसे प्रार्थना-पत्रों को एक महीने के अन्दर ही सक्षम अधिकारी द्वारा महालेखाकार को भेज दिया जायगा।

प्रदेश की पंच महानगरियों में राज्य के कर्मचारियों को जो नगर प्रतिकर भत्ता मिलता है, वह अभी तक कार्य पर उपस्थिति काल से अतिरिक्त 120 दिन तक अर्जित अवकाश में ही अनुमन्य होता है। अब यह निर्णय ले लिया गया है कि यह सुविधा चिकित्सा अवकाश की अवधि में भी दी जायगी किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि सम्बन्धित कर्मचारी ऐसे अवकाश की अवधि में उपरोक्त पंच महानगरों में ही निवास करें तथा अवकाश अवधि के समाप्ति के बाद उन्हीं नगरों में उनकी तैनाती की सम्भावना हो।

वेतन असंगतियां समिति की संस्तुतियों का परीक्षण करके राज्य सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। उक्त समिति के प्रस्तावों का लाभ सम्बन्धित राज्य कर्मचारियों को दिनांक 1 अक्तूबर, 1975 से अनुमन्य किए जाने का निर्णय लिया गया है। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप लगभग एक लाख राज्य कर्मचारियों को लाभ होगा और राज्य सरकार के ऊपर अन्ततोगत्वा अतिरिक्त औसत वार्षिक व्यय का भार लगभग 2 करोड़ रुपए का होगा।

शासन ने अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए एक कल्याणकारी कदम उठा कर जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना लागू करने का निर्णय लिया है। ऐसी ही योजना राज्य सरकार के अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों पर पहले से लागू है। प्रत्येक कर्मचारी व अधिकारी से 10 रुपए प्रतिमाह की दर से उसके वेतन से अभिदान लिया जायगा जिसके उपलक्ष में सेवारत मृत्यु होने की दशा में उसके परिवार को बीमा धन 12,000 रुपए प्राप्त होगा। बीमा धन का यह भुगतान मृतक कर्मचारी या अधिकारी पर लागू पेन्शन सम्बन्धी नियमों के अनुसार मिलने वाली मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति आनुतोषिक से प्राप्त होने वाली धनराशि के अतिरिक्त होगा। सेवानिवृत्त होने अथवा सेवा से अन्यथा पृथक होने पर कर्मचारी या अधिकारी द्वारा जमा की गयी धनराशि 6 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज सहित वापस की जाएगी।

सरकार तथा उसके अराजपत्रित कर्मचारियों के बीच सौहाद्र पूर्ण वातावरण रहे और जो समस्यायें उत्पन्न हों उनका आपसी विचार-विमर्श से हल निकाला जा सके, इस उद्देश्य से निकट भविष्य में ही संयुक्त परामर्श संगठन स्थापित किया जाएगा।

राज्य सरकार के पेन्शनरों की यह मांग रही है कि उनकी पेन्शन की दरों में वृद्धि की जाय। शासन ने यह निर्णय लिया है कि पेन्शन की विभिन्न वर्तमान दरों पर दस रुपए से बीस रुपए तक की पेन्शन में प्रतिमाह वृद्धि कर दी जाय। इस वृद्धि के परिणामस्वरूप लगभग 1.25 करोड़ रुपए अतिरिक्त वार्षिक व्यय होगा।

शासन ने सेवारत अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को जो सेवावधि के दौरान अन्ध या विकलांग हो जायें, पेन्शन देने का निर्णय लिया है। इसके लिए वर्ष 1976-77 में एक लाख रुपये का प्राविधान किया जा रहा है।

राज्य सरकार का यह निरन्तर प्रयास रहा है कि वह अपने कर्मचारियों को केन्द्रीय दरों पर समय-समय पर महंगाई-भत्ता स्वीकृत करती रहे। यह प्रसन्नता का विषय है कि इस बीच सभी प्रकार की जीवनोपयोगी मदों की कीमतें गिर जाने के कारण कर्मचारी वर्ग को राहत मिली है। संसाधनों की स्थिति को देखते हुए सरकार ने फिलहाल 1 मार्च, 1976 से महंगाई भत्ते की एक अतिरिक्त किस्त स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार के कम्पलसरी डिपाजिट (एडीशनल इमालूमेन्ट्स) ऐक्ट के प्रतिबन्धों के अधीन अतिरिक्त महंगाई भत्ते की आधी धनराशि कम्पलसरी डिपोजिट में जमा कर दी जायेगी। महंगाई भत्ते की इस अतिरिक्त किस्त के देने से राज्य के राजस्व कोष से लगभग 13 करोड़ रुपए का शुद्ध अतिरिक्त व्यय होगा। सरकार अर्थोपाय स्थिति का निरन्तर ध्यान रखेगी और उपर्युक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त महंगाई-भत्ता स्वीकृत करने के बारे में निर्णय लेगी। राज्य सरकार विषम आर्थिक परिस्थिति में भी अपने कर्मचारियों के बारे में अपने दायित्वों को निभाने की चेष्टा करती रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि वे राज्य सरकार के अभिन्न अंग होने के नाते संसाधन सम्बन्धी कठिनाइयों को समझते हुए पहले की भांति अपना भरपूर योगदान देते रहेंगे।

संस्थागत वित्त

विभिन्न व्यावसायिक बैंकों और आवधिक ऋण देने वाली संस्थाओं तथा विभिन्न राजकीय विभागों और वित्तीय सहायता चाहने वाले निगमों के मध्य सम्पर्क बनाने का सफल प्रयास किया गया है। इस रास्ते में कतिपय कठिनाइयों एवं रुकावटों को दूर करने के लिए वर्ष 1975-76 में कुछ प्रशासनिक एवं कानूनी उपाय किये गये हैं। पिछले वर्ष हमने उत्तर प्रदेश कृषि ऋण ऐक्ट में संशोधन किये हैं जिसके परिणामस्वरूप कृषि एवं अन्य कार्यविधियों में संस्थागत वित्त की गतिविधि बढ़ी है। उत्तर प्रदेश लोक धन (बकाया की वसूली) ऐक्ट, 1972 में संशोधन की कार्यवाही की गई ताकि व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋण की सुरक्षा हो सके।

सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि शासन ने साम्य बंन्धक की सुविधा प्रदेश के सभी जिलों में लागू करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त शासन ने प्रलेखों की पच्चीकारी (Embossing of Documents) के लिए अतिरिक्त केन्द्रों की विज्ञप्ति की और अब यह सुविधा सभी मन्डलों के मुख्यालयों तथा महत्वपूर्ण औद्योगिक नगरों में उपलब्ध है। राज्य सरकार ने कृषि एवं विविध कार्यकलापों तथा गोबर गैस संयंत्रों के लिए 10,000 रुपए तक के ऋण पर स्टैम्प ड्यूटी में छूट स्वीकृत की है। 4,000 रुपये तक के ऋण पर स्टैम्प ड्यूटी में छूट भी दी गई है ताकि लघु स्तर, कुटीर, ग्रामीण एवं हस्तकला उद्योगों के साथ-साथ लघु उद्योग बिना विलम्ब के ऋण प्राप्त कर सकें। राज्य सरकार ने पम्पिंग सेट एवं ट्यूबवेल स्थापित करने के लिए 20,000 रुपये तक के ऋण पर स्टैम्प ड्यूटी से छूट दी है।

वर्ष 1975 में राज्य में कार्यरत अनुसूचित बैंकों की 252 की शाखायें खोली गईं। इसमें से 188 ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खोली गईं। 81 विकास क्षेत्र मुख्यालय एवं 7 विकासशील केन्द्र, जहां अभी तक कोई शाखायें नहीं थीं, इन शाखाओं द्वारा आच्छादित किये गये।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो पुस्तक बैंक योजना बनाई है उसके अन्तर्गत व्यावसायिक बैंकों ने संस्थाओं को सहायता दी है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

जनवरी, 1975 के बाद कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम ने रुपये 62.43 करोड़ की 79 योजनायें स्वीकृत कीं। इसी प्रकार 29.76 करोड़ रुपए की 11 योजनायें विश्व बैंक की सहायता के रूप में उत्तर प्रदेश भूमि विकास बैंक को स्वीकृत की गयीं। यह पूर्व स्वीकृत 46.44 करोड़ रुपए की विश्व बैंक योजना के अतिरिक्त है जो 1973 में स्वीकृत की गयीं थीं।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने 1975-76 में राज्य के विभिन्न जनपदों की 15 नयी योजनायें स्वीकृत क जिनकी कुल लागत 10.04 करोड़ रुपये है।

वर्ष 1975 में राज्य के 11 बाढ़ प्रभावित जिलों में मकानों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु जीवन बीमा निगम 75 लाख रुपए स्वीकृत करने को सहमत हो गया है। इसके अतिरिक्त जीवन बीमा निगम ने 106 लाख रुपये राज्य की सामाजिक गृह निर्माण योजना, 13.92 करोड़ रुपए का अवधि ऋण राज्य विद्युत परिषद् को और 25 लाख रुपये सहकारी आवास संघ को स्वीकृत किया। जीवन बीमा निगम ने विश्व बैंक योजना के अन्तर्गत जल पूर्ति एवं जलोत्सारण के लिए 18 करोड़ रुपये और राज्य के दो बड़े नगर लखनऊ एवं कानपुर में आवासीय समस्या के हल के लिए सहायता देने पर सहमति दी है।

रिजर्व बैंक तथा व्यावसायिक बैंकों से विचार करने के बाद राज्य सरकार को समुदाय (consortium) के रूप में व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से रबी के लिए 45.00 करोड़ रुपये तथा खरीफ के लिए 30.00 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा स्वीकृत की गयी। इसी प्रकार व्यावसायिक बैंकों द्वारा उर्वरक खरीद हेतु वर्ष 1975-76 में 40.05 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया जबकि पूर्व वर्ष में 29.37 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया था।

सीमेन्ट की आवश्यकता की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सीमेन्ट निगम ने 72 करोड़ रुपये की पूंजी से कजारहट-चुनार सीमेन्ट योजना आरम्भ की है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जीवन बीमा निगम और भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोजन निगम सामूहिक (consortium) रूप में 37 करोड़ रुपये आवधिक ऋण देने को समहत हो गये हैं।

प्रदेश में सहकारी चीनी मिलों की स्थापना के लिए वित्तीय संस्थाओं में 1.45 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है। जनवरी, 1976 तक व्यावसायिक बैंकों ने भी इन मिलों के निर्माण के लिए 7.50 करोड़ रुपए का ब्रिजिंग ऋण स्वीकृत किया है।

चालू वित्तीय वर्ष में ग्रामों के ग्रहणीकरण के कार्यक्रम में बैंकों ने गहन ऋण वितरण के लिए लगभग 6021 ग्रामों का ग्रहणीकरण किया है। बैंकों ने 222 सहकारी समितियों को भी ग्रहण किया है और नवम्बर, 1975 के अन्तर्गत इनके माध्यम से रुपए 73.76 लाख वितरित किया है। लघु कृषक विकास एजेन्सी कार्यक्रम के अन्तर्गत 23 जिलों में कृषक सहकारी सेवा समितियां स्थापित की गयीं। इनमें से व्यावसायिक बैंकों द्वारा 17 समितियों को ग्रहण किया गया।

गन्डक, रामगंगा तथा शारदा सहायक सिंचाई परियोजनाओं के समावेश क्षेत्रों में क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इनका उद्देश्य सिंचाई के जल का समुचित उपयोग करके कृषि उत्पादन में अधिकतम वृद्धि प्राप्त करना है। पशुपालन, कुक्कुट पालन, डेरी और कृषि पर आधारित उद्योगों के विकास आदि पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। तीनों कमान्ड क्षेत्रों में 10,000 कि0 मी0 गूलों का निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। भूमि विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु 40 भूमि संरक्षण इकाइयां इन कमान्ड क्षेत्रों में गठित की गयी हैं। कमान्ड एरिया क्षेत्रों के समुचित विकास हेतु कृषि वित्त निगम से माडल प्रोजेक्ट बनवाये गये हैं। व्यावसायिक बैंकों द्वारा भी इन कार्यक्रमों के लिए संस्थागत वित्त प्राप्त किया जा रहा है। वर्ष 1976-77 में इन परियोजनाओं को विश्व बैंक से आर्थिक सहायता मिलने की सम्भावना है।

राज्य सरकार के अनुरोध पर बैंक भूमिहीन व्यक्तियों तथा दासत्व के बन्धन से मुक्त श्रमिकों, विशेषकर जिन्हें अतिरिक्त भूमि आवंटित की गयी है, के लिए वित्त पोषण हेतु योजनायें बना रहे हैं।

लोक धन (देयों की बकाया) ऐक्ट में संशोधन करने से व्यावसायिक बैंक बुनकरों, कारीगरों और स्वतः रोजगार में लगे व्यक्तियों को सहायता के लिए विशेष योजनायें लेकर सामने आये हैं। इन योजनाओं को राज्य पुरोनिधानित घोषित किया गया है। छः मास की अवधि में ही राज्य सरकार ने 66 योजनाओं को राज्य पुरोनिधानित घोषित किया है जिनसे 73230 व्यक्तियों को सहायता प्राप्त होगी। विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा रु0 23.13 करोड़ की राशि उपलब्ध होगी।

दो ग्रामीण बैंक सिन्डीकेट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से क्रमशः मुरादाबाद एवं गोरखपुर जनपदों में दिनांक 2 अक्तूबर, 1975 के कार्य कर रहे हैं। श्रृंखला में तीसरा बैंक आजमगढ़ में है जिसको यूनियन बैंक आफ इन्डिया के सहयोग से स्थापित किया गया और जो आजमगढ़ एवं गाजीपुर जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता की पूर्ति करेगा। भारत सरकार से 3 अन्य बैंकों को रायबरेली बाराबंकी तथा फर्रुखाबाद में स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है। ये बैंक विशेषकर लघु एवं सीमान्त कृषक, ग्रामीण कारीगर, भूमिहीन श्रमिक तथा स्वतः रोजगार में लगे व्यक्तियों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु स्थापित किये गये हैं।

यह उल्लेखनीय है कि फरवरी, 1975 से 31 जनवरी, 1976 के मध्य रु0 445.47 करोड़ की 338 नयी योजनायें विभिन्न वित्तीय संस्थाओं एवं व्यावसायिक बैंकों को राज्य के विकास के लिए अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित की गयीं। इसी अवधि में रु0 405.08 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त करने में हम सफल हुये हैं।

ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी दूर करने में तथा उसके त्वरित विकास में वित्तीय संस्थायें बहुत बड़ा योगदान दे सकती हैं। इसके लिए कृषकों की ऋण तथा अन्य सहायता प्राप्त करने की क्षमता में वृद्धि होनी चाहिये। ऐसी समन्वित नीति अपनाने की आवश्यकता है जिसके अन्तर्गत भूलेख, भूमि सुधार, भूमि विकास तथा भूमि से सम्बन्धित कराधान की प्रणाली तथा दरों में सुधार तथा समीचीनीकरण हो सके और कृषक तथा अन्य ग्रामवासी बगैर किसी असुविधा के वित्तीय संस्थाओं से अधिक से अधिक सहायता प्राप्त कर सकें। सामान्य तौर से ग्रामीण क्षेत्र की जनता की ऋण लेने की क्षमता उसके भूमि पर स्वामित्व के अधिकार तथा उसके द्वारा दिए जाने वाले भू-राजस्व एवं सम्बन्धित भूलेखों के उद्धरणों पर निर्भर है। भू-राजस्व की दरों में बहुत समय सी असमानतायें चली आ रही हैं। यह देखा जाता है कि प्रदेश के कतिपय भागों में एक ही किस्म की जमीन पर मालगुजारी की दर अलग-अलग हैं। ऐसी असमानतायें किसानों को बहुत खटकती हैं तथा इनको दूर करने की मांग शासन के सामने आती रही हैं। कुछ समय पूर्व शासन ने इस हेतु पुनः बन्दोबस्त करने का निर्णय लिया था और इस हेतु बन्दोबस्त आयुक्त की नियुक्ति भी की गई थी। अब शासन ने यह निर्णय लिया है कि बन्दोबस्त होने तक ऐसी कार्यवाही की जाये जिससे प्रचलित असंगतियां व असमानतायें दूर हो सकें, तथा भू राजस्व की दरों का संगत सिद्धान्त के आधार पर समीचीनीकरण किया जाय जिससे किसानों को उत्पादक ऋण लेने की क्षमता भी बढ़ सके तथा जिससे प्राप्त अतिरिक्त आय का कुछ अंश ग्रामीण विकास कार्यों के लिए गांव सभाओं को भी उलपब्ध कराया जाय। ऐसी आशा है कि उपरोक्त कार्यवाही से ग्रामीण विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थायें भी ग्रामीण क्षेत्र में अपनी गतिविधि तीव्रता से बढ़ा सकेंगी तथा गांव सभाओं को विकास तथा उत्पादक योजनाओं के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध हो पायेंगे।

1974-75 के वास्तविक आंकड़

वर्ष 1974-75 के बजट में यह अनुमान लगाया गया था कि राजस्व प्राप्तियों और ऋणों से होने वाली शुद्ध प्राप्तियों तथा ऋण और अग्रिमों की वसूलियों के अन्तर्गत कुल

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

मिलाकर 863 09 करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। किन्तु उस वर्ष के वास्तविक आंकड़ों के अन्तर्गत कुल प्राप्तियां बढ़कर 919.21 करोड़ रुपये हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण भारत सरकार से ऋणों की अपेक्षाकृत अधिक प्राप्तियां थीं। बजट अनुमानों के अन्तर्गत राजस्व एवं पूंजी लेखे पर (ऋणों को सम्मिलित करके) कुल व्यय का मूल अनुमान 903.37 करोड़ रुपए रखा गया था जिसके सम्मुख वास्तविक व्यय 1,021.32 करोड़ रुपये हुआ। व्यय में वृद्धि मुख्यतया राज्य विद्युत् परिषद् को अपेक्षाकृत अधिक ऋण देने तथा पूंजी व्यय के अन्तर्गत हुई वृद्धि के कारण हुई थी। इस प्रकार 1974-75 की संहत निधि में मूल अनुमानों के अन्तर्गत जो 40.28 करोड़ रुपये का बजट घाटा अनुमानित था, वह वास्तविक आंकड़ों में बढ़कर 102.11 करोड़ रुपये हो गया। इस प्रकार वर्ष के बजट अनुमानों में, बजट के अन्य भागों के अनुमानों को सम्मिलित करके जो 16.70 करोड़ रुपए के समग्र घाटे का अनुमान लगाया गया था, उसके समक्ष वास्तविक घाटा 67.11 करोड़ रुपये का रहा।

इसके फलस्वरूप वर्ष का ऋणात्मक प्रारम्भिक शेष 41.15 करोड़ रुपये से बढ़कर ऋणात्मक अन्तिम शेष 108.26 करोड़ रुपया हो गया। वर्ष के दौरान समय-समय पर अस्थाई अग्रिम रिजर्व बैंक/भारत सरकार से लिये गये।

1975-76 के पुनरीक्षित अनुमान

वर्ष 1975-76 के मूल आय-व्ययक में राजस्व प्राप्तियों, ऋणों से होने वाली शुद्ध प्राप्तियों तथा ऋणों और अग्रिमों की वसूलियों का अनुमान कुल मिलाकर 1,091.33 करोड़ रुपये रखा गया था जिसकी तुलना में पुनरीक्षित अनुमान 1,119.59 करोड़ रुपये का है। वृद्धि मुख्यत: केन्द्रीय करों में राज्य सरकार के अंश में अधिक प्राप्तियों के कारण है। राजस्व व्यय तथा पूंजी व्यय का मूल अनुमान ऋणों और अग्रिमों का संवितरण सम्मिलित करके 1,057.42 करोड़ रुपये का था। इनका पुनरीक्षित अनुमान मूल अनुमान से 74.25 करोड़ रुपए अधिक है जो मुख्यत: भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स को दी गई 45 करोड़ रुपये की धनराशि के भुगतान हेतु राज्य विद्युत् परिषद् को अधिक ऋण देने के लिए तथा परिषद् की अन्य आवश्यकताओं के लिए की गई व्यवस्था के कारण है। आय-व्ययक अनुमानों में वर्ष के समस्त लेन देनों का परिणाम 57.50 करोड़ रुपए की शुद्ध बचत रखा गया था जो पुनरीक्षित अनुमानों में घटकर 29.95 करोड़ रुपये रह गया।

वर्ष के ऋणात्मक प्रारम्भिक शेष 108.26 करोड़ रुपए को भी हिसाब में लेकर अन्तिम शेष ऋणात्मक 78.31 करोड़ रुपए अनुमानित है। चालू वित्तीय वर्ष में भी आवश्यकतानुसार अस्थाई अग्रिम प्राप्त किये गये।

1976-77 के बजट अनुमान

आय-व्ययक अनुमानों के अन्तर्गत कुल मिलाकर राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियां 1,262.46 करोड़ रुपये की होगी। इसमें से 950.42 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियां अनुमानित हैं जिसमें केन्द्रीय करों में राज्य के अंश के रूप में 262.15 करोड़ रुपये तथा राज्य के निजी करों से 361.55 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्तियां सम्मिलित हैं। पूंजीगत लेखे के अन्तर्गत 312.04 करोड़ रुपये की कुल प्राप्तियां अनुमानित हैं जिसमें केन्द्र से प्राप्त ऋण भी सम्मिलित है।

वर्ष के राजस्व व्यय का अनुमान 901.53 करोड़ रुपये रखा गया है जिसमें 103.32 करोड़ रुपये का व्यय आयोजनागत पक्ष में (जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं का व्यय सम्मिलित है) तथा 798.21 करोड़ रुपये का व्यय आयोजनेतर पक्ष में होगा। पूंजी लेखे में आयोजनागत व्यय 402.71 करोड़ रुपए अनुमानित है जिसमें केन्द्रीय आयोजनागत तथा केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाओं का व्यय भी सम्मिलित है। आयोजनेतर पक्ष में 5.91 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय को मिलाकर कुल पूंजीगत व्यय 408.62 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। इस प्रकार कुल राजस्व

व पूंजीगत व्यय 1,310.15 करोड़ रुपये अनुमानित है जिसके फलस्वरूप राजस्व और पूंजी लेखे में कुल मिलाकर 47.69 करोड़ रुपये का घाटा अनुमानित है।

लोक लेखे के अन्तर्गत 55.33 करोड़ रुपये की शुद्ध प्राप्ति अनुमानित है। इसे हिसाब में लेने पर अगले वर्ष के समस्त लेन-देनों का शुद्ध परिणाम 7.64 करोड़ रुपये की शुद्ध बचत होगी जिससे बजट वर्ष का 78.31 करोड़ रुपये का अनुमानित प्रारम्भिक घाटा वर्ष के अन्त में घट कर 70.67 करोड़ रुपए हो जाएगा।

मैं बजट के उपरोक्त घाटे को निम्न प्रकार पूरा करने का प्रस्ताव कर रहा हूं —

उत्तर प्रदेश में अनेक वस्तुओं पर बिक्री-कर की दरें आस-पास के राज्यों की अपेक्षा कम हैं और इस कारण ऐसी वस्तुओं पर कर की अपवंचना की संभावना रहती है। ऐसी तथा कुछ अन्य वस्तुओं पर बिक्री-कर की दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा बिक्री कर विभाग को पंजीयन एवं नवीकरण तथा कुछ अन्य शुल्कों तथा फार्मों की बिक्री से भी आय प्राप्त होती है जिनकी दरों में वृद्धि प्रस्तावित है। बिक्री कर संगठन को अधिक कार्यशील और चुस्त करने तथा सुदृढ़ करने का भी निर्णय लिया गया है जिससे कि बिक्री कर राजस्व में वृद्धि हो सके। कुछ वस्तुओं पर इस प्रदेश में बिक्री कर आस-पास के प्रदेशों से अधिक है। इस कारण उनकी बिक्री पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार प्रभावित कुछ वस्तुओं पर कर की दरों को कम करने का निर्णय लिया जा रहा है। यह आशा है कि बिक्री-कर में इस प्रकार कमी करने से ऐसी वस्तुओं का उत्पादन या टर्नओवर बढ़ जायगा व बिक्री-कर से मिलने वाली धनराशि में भी अन्ततोगत्वा वृद्धि होगी। भविष्य में जब पड़ोसी राज्य अपनी बिक्री-कर की दरें इन मदों पर बढ़ायेंगे तो पुनर्विचार कर लिया जायेगा। उपरोक्त सभी उपायों से बिक्री-कर की आय में आगामी वर्ष में लगभग 6.40 करोड़ रुपये की आय होने की सम्भावना है।

आबकारी विभाग के अन्तर्गत शासन द्वारा विदेशी मदिरा की दुकानों को नीलाम से तय करने के पहले लिये गये निर्णय को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। औद्योगिक एलकोहल पर क्रय कर लगाने का निर्णय लिया गया है। आबकारी प्रशासन को अधिक मजबूत करके मिलावट, तस्करी, छीजन तथा अवैध मद्य-निष्कर्षण तथा कर-अपवंचना से आबकारी राजस्व में होने वाली हानि को कम किया जायगा जिससे मद्य-निषेध कार्यक्रम को भी बल मिलेगा। ऐसी आशा है कि इस प्रकार आबकारी विभाग से लगभग 5.90 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय वर्ष 1976-77 में हो सकेगी।

विभागीय प्राप्तियों की विभिन्न मदों की शुल्क आदि की प्रचलित दरें काफी समय पूर्व निर्धारित की गई थीं और उनमें पिछले वर्षों से कोई संशोधन नहीं किया गया है जब कि इन विभागों से सम्बन्धित सेवाओं को उपलब्ध कराने पर व्यय बढ़ा है और विभागीय प्राप्तियां राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सेवाओं के अनुरूप नहीं है। अतः विभिन्न विभागों की विभागीय फीस व शुल्कों आदि में आंशिक वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। बजट वर्ष में इससे 5.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है।

कोर्ट फीस तथा निबन्धन शुल्क की दरों में वृद्धि की जायगी। इस मद से वर्ष 1976-77 में लगभग 2.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय अनुमानित है।

संसद ने अरबन लैण्ड (सीलिंग ऐण्ड रेगुलेशन) ऐक्ट, 1976 पारित कर दिया है। सीमारोपण के साथ-साथ नगरी क्षेत्र में खाली भूमि पर भी कर लगाये जाने का निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य वास्तविक सम्पत्ति के अवांछनीय सट्टे पर रोक लगाना तथा भूमि के सदुपयोग में गति लाना है। इस कर को लगाने के लिए कानून शीघ्र बनाया जायगा। इस कर से लगभग 2 करोड़ रुपये की आय सम्भावित है।

पशु मेलों, हाटों तथा अन्य स्थानों पर जहां बाजार में पशुओं की खरीद होती है, पशुओं की खरीद पर कर लगाने का निर्णय लिया गया है। इससे वर्ष में लगभग 1.85 करोड़ रुपये की आय अनुमानित है।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

उपरोक्त कायवाहियों से बजट का अन्तिम घाटा लगभग 24.15 करोड़ रुपये कम हो जायगा। इस घाटे को और कम करने के लिये वर्ष के दौरान कुछ अन्य वित्तीय एवं प्रशासनिक कदम उठाऐ जाने का प्रस्ताव है। उदाहरणार्थ, राजकीय व्यय में पूरी मितव्ययिता की जायगी ताकि अनावश्यक व्यय न हो और अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध हो सकें। कर तथा करेतर राजस्व एवं ऋणों के बकायों की अधिक तेजी से वसूली का भी प्रयास किया जायगा। कर राजस्व से प्राप्तियों में वृद्धि करने के लिए प्रशासन को सुदृढ़ और कार्यशील बनाया जायगा। भू-राजस्व के समीचीनीकरण के प्रस्तावों का उल्लेख मैं अन्यत्र कर चुका हूं। इस प्रकार कितनी अतिरिक्त आय होगी इसका मूल्यांकन किया जा रहा है परन्तु आशा है कि इससे लगभग 4 करोड़ या उससे अधिक की अतिरिक्त आय होगी।

यह आशा की जाती है कि उपरोक्त सभी प्रस्तावों से वर्ष के अन्त में अन्तिम घाटा 16.15 करोड़ रुपया रह जायगा। यह सम्भव है कि मैं वर्ष के दौरान इस सम्बन्ध में आपके सम्मुख कुछ अन्य प्रस्ताव भी रखूं।

बजट के 70.67 करोड़ रुपए के घाटे को इतनी हद तक पूरा करना एक कठिन कार्य है परन्तु हमारी चेष्टा इस घाटे को ऐसे प्रयासों से पूरा करने की है जिससे जन साधारण पर सामान्यतया अतिरिक्त भार न पड़े। प्रदेश की 1976-77 की 540 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी वार्षिक योजना तथा बीस-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेष प्रोग्राम कार्यान्वित करने के लिए अतिरिक्त परिव्यय आवश्यक है तथा मुझे पूर्ण आशा है कि इन्हें सफलता पूर्वक चलाने के लिए शासन द्वारा किए जाने वाले प्रयत्नों में माननीय सदस्यों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा।

आज हमारी आर्थिक व्यवस्था विकास के नये क्षितिज की ओर तेजी से अग्रसर हो रही है। हमें अपनी आर्थिक नीतियों तथा प्रशासनिक ढांचे को ऐसा रूप देना है जिससे कि हम इस गति को अधिक तीव्र कर सकें। हम यह भी स्मरण रखना है कि यदि हमें उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने, बचत को प्रोत्साहित करके उसका उपयोग पूंजी बढ़ाने वाली योजनाओं में करने तथा दीर्घकालीन सन्दर्भ में आर्थिक व्यवस्था के आधार को शक्तिमान बनाने में सफल नहीं हुए तो यह आशंका है कि मुद्रास्फीति, मन्दी व उत्पादन तथा खपत में असन्तुलन आदि तत्व जो इस समय नियन्त्रित है पुन: प्रकट न हो जाय। आज जनता की आकांक्षायें तथा आशायें प्रबल हो उठी हैं एवं हम सभी कृतसंकल्प हैं कि हमारी नीतियां, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक प्रबन्ध प्रणाली जनता की ऊंची आशाओं की कसौटी पर खरी उतरें। यदि हम अपनी अर्थ-व्यवस्था को जनवादी दृष्टिकोण से समाजवादी दिशा की ओर ले जाने में सतत तत्पर रहे, तो जनता की रचनात्मक मनोवृत्ति न केवल हमारे हाथ मजबूत करेगी बल्कि आर्थिक असन्तुलनों को काबू में रखने में भी पूरी तरह सहायक सिद्ध होगी। माननीय सदस्य देखेंगे कि इस बजट की रणनीति तथा दिशा-बोध इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति का एक वार्षिक प्रयत्न है। हमें अपनी नीतियां तथा योजनायें इसी दीर्घकालीन परिदृष्टि में कार्यान्वित करनी हैं। मैं माननीय सदन के सम्मानित सदस्यों से यह विनम्र अनुरोध करूंगा कि वह मेरे द्वारा इस बजट में इंगित योजनाओं तथा प्राविधानों का उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के आधार पर ही विश्लेषण करें तथा इसके पारणोपरान्त कार्यान्वयन में भी अपना सिद्धान्त: एवं व्यवहारमूलक योगदान दें।

भाषण समाप्त करने से पहले मैं वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव, श्री ऋषि कुमार कौल के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जो अपने गुरुतर कर्त्तव्यों का निर्वहन बड़ी योग्यता एवं दक्षता के साथ कर रहे हैं और जिन्होंने इस बजट के तैयार करने में मुझे बहुमूल्य सहायता दी है।

मैं वित्त विभाग के संयुक्त सचिव, श्री नरेन्द्रकुमार सब्बरवाल तथा उप सचिव, श्री सुशील कुमार गोयल व श्री ओम नारायण वैद्य को भी उनके कठिन परिश्रम तथा योगदान

के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। वित्त विभाग के संयुक्त सचिव, श्री अरविन्द वर्मा तथा श्री इन्दु प्रकाश ऐरन, उप सचिव, श्री श्रीलाल शुक्ल व अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बजट कार्य को पूर करने में जो कठिन परिश्रम किया है उसके लिए मैं उनको भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं सूचना विभाग के आयुक्त एवं सचिव, श्री त्रिलोकी नाथ धर तथा सूचना विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति उनकी सहायता के लिए आभार प्रकट करता हूं। मैं सरकारी मुद्रणालय के अधीक्षक, श्री अशोक दर, संयुक्त अधीक्षक, श्री जी0 पी0 मुकर्जी, तथा अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने दक्षता और सतर्कता के साथ बजट साहित्य का मुद्रण किया।

श्रीमन्, मैं 1976-77 का बजट प्रस्तुत करता हूं।

1976–77 के एक भाग के लिये लेखानुदान

मुख्य मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं वित्तीय वर्ष 1976-77 के एक भाग के लिए लेखानुदान को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब हम कल प्रात : 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
26 मार्च, 1976।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 7 का उत्तर पीछे पृष्ठ 435 पर)

जिले का नाम		भूमिहीनों को मकान बनाने के लिए जनवरी, 1975 से सितम्बर, 1975 तक आवंटित की गयी भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर्स में)	भूमिहीनों को मकान बनाने के लिए सितम्बर, 1975 के अन्त में आवंटन के लिए शेष भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर्स में)
1		2	3
1—इलाहाबाद	..	66.21	134.69
2—एटा	..	47.30	..
3—बलिया	..	9.285	152.029
4—पिथौरागढ़	..	0.25	..
5—नैनीताल	..	42.75	..
6—बरेली	..	7.06	..
7—वाराणसी	..	7.625	62.481
8—सीतापुर	..	39.00	..
9—मथुरा	..	60.95	13.03
10—मिर्जापुर	..	5.141	32.376
11—बिजनौर	..	6.55	71.24
12—चमोली	..	0.04	..
13—झांसी	..	0.437	..
14—बांदा	..	1.48	..
15—मैनपुरी	..	0.30	1.52
16—बस्ती	..	16.18	21.80
17—बदायूं	..	68.68	19.93
18—सहारनपुर	..	94.004	123.777
19—मेरठ	..	79.54	180.73
20—फर्रुखाबाद	..	3.48	15.58
21—गोरखपुर	..	48.123	91,493
22—जौनपुर	..	1.65	10.09
23—गोंडा	..	0.087	..
24—हमीरपुर	..	11.9092	11.14
25—टिहरी-गढ़वाल	..	1.45	0.10
26—देवरिया	..	168.180	0.350
27—मुरादाबाद	..	15.54	20.71
28—मुजफ्फरनगर	..	8.13	84.68
29—अलीगढ़	..	9.87	..
30—आगरा	..	43.57	33.82
31—इटावा	..	20.09	5.98

1		2	3
32—कानपुर	..	35.83	1.00
33—हरदोई	..	5.70	21.29
34—फैजाबाद	..	61.26	32.51
35—सुल्तानपुर	..	0.36	..
36—देहरादून	..	16.22	..
37—बुलन्दशहर	..	..	128.82
38—गाजीपुर	..	..	120.45
39—आजमगढ़	..	..	9.00

टिप्पणी—अन्य जिलों में 31 दिसम्बर, 1974 तक भूमि आवंटन का कार्य समाप्त हो चुका था।

उत्तर प्रदेश अभिलेखागार

तत्वी "ख"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 435 पर।)

क्रम सं0	जिले का नाम		निःशुल्क सहायता एवं गृह निर्माण अनुदान (कुल आवंटन) (रु0)	विशेष सहायता (प्रकीर्ण कार्यों हेतु) (कुल आवंटन) (रु0)	टेस्ट वर्क आवंटन (कुल आवंटन) (रु0)	सामान्य आपदा तकावी आवंटन (रु0)	बाढ़ग्रस्त जिलों में मकानों के निर्माण/पुनः निर्माण हेतु ऋण (रु0)
1	2		3	4	5	6	7
1	बस्ती	..	3,16,000	5,74,500	7,50,000	8,75,000	25,00,000
2	बहराइच	..	1,68,000	21,500	50,000	3,60,000	..
3	गोंडा	..	1,43,000	42,500	..	3,35,000	..
4	गोरखपुर	..	2,1 ,000	4,04,000	2,00,000	3,25,000	25,00,000
5	देवरिया	..	2,1 ,000	2,28,000	7,00,000	4,25,000	25,00,000
			4,40,250 (पौष्टिक आहार योजना हेतु)				
6	आजमगढ़	..	2,26,000	2,00,500	..	3,75,000	..
7	बलिया	..	3,13,000	1,25,500	1,00,000	4,63,000	..
8	बाराबंकी	..	1,13,000	16,000	..	1,60,000	..
9	खीरी	.	2,13,000	11,500	..	1,20,000	..
10	सीतापुर	..	88,000	6,500	..	90,000	..
11	फैजाबाद	..	1,26,000	16,000	..	1,85,000	..

अतर प्रदेश सभा

12	आगरा	..	83,000	5,500	..	1,35,000	..
13	मुरादाबाद	..	2,79,000	1,500	..	,98,000	..
14	मिर्जापुर	..	81,000	20,000	9,50,000	,23,000	..
15	बुलन्दशहर	..	2,83,000	71,000	.	4,10,000	37,50,000
16	अलीगढ़	..	43,000	5,500	..	2,00,000	..
17	पीलाभीत	..	1,13,000	5,500	12,000	1,50,000	..
18	मुजफ्फरनगर	..	43,000	500	..	1,50,000	..
19	सुल्तानपुर	..	38,000	5,500	..	1,85,000	..
20	इटावा	..	70,000	1,500	..	2,00,000	..
21	बदायूं	..	73,000	2,000	..	1,75,000	..
22	एटा	..	83,000	5,500	..	1,00,000	..
23	उन्नाव	..	51,000	6,500	..	1,45,000	..
24	फर्रुखाबाद	..	63,000	2,500	..	1,10,000	..
25	मेरठ	..	68,000	12,000	..	1,50,000	37,50,000
26	हरदोई	..	1,08,000	2,500	..	3,45,000	..
27	मथुरा	..	68,000	23,500	..	1,90,000	..
28	शाहजहांपुर	..	99,000	2,200	..	4,00,000	..
29	राय बरेली	..	91,000	1,000	..	1,35,000	.
30	बरेली	..	1,37,600	1,000	..	1,80,000	..
31	रामपुर	..	38,000	500	..	1,50,000	..
32	बिजनौर	..	38,000	3,518	..	1,00,000	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 436 पर।)

अनुसूची

क्रम सं0	जिले का नाम	आवंटित क्षेत्रफल (एकड़)
1	देहरादून	48
2	सहारनपुर	62
3	मुजफ्फरनगर	95
4	अलीगढ़	21
5	एटा	5
6	बरेली	646
7	बिजनौर	58
8	मुरादाबाद	476
9	शाहजहांपुर	38
10	रामपुर	1
11	फर्रुखाबाद	3
12	इटावा	3
13	कानपुर	32
14	इलाहाबाद	42
15	जौनपुर	45
16	गाजीपुर	112
17	बस्ती	160
18	आजमगढ़	130
19	देवरिया	188
20	उन्नाव	120
21	रायबरेली	207
22	खीरी	676
23	फैजाबाद	51
24	सुल्तानपुर	333
25	बाराबंकी	13
	योग ..	3565 एकड़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 436 पर।)

सूची

1 जनवरी, 1973 से 30 जून, 1975 तक नाजायज कटे पेड़ों की संख्या 5,770, मूल्य 2,06,275 रु0 17 पैसे।

(केस—682)

केस	काटे गये पेड़ों का मूल्य		वसूला गया धन		बरामद की गयी लकड़ी का मूल्य	टिप्पणी
1	2		3		4	5
	रु0	पै0	रु0	पै0		
329	60,419	42	60,419	42 पेड़ों का मूल्य तथा 48,051 रु0 90 पै0 प्रतिकर। (कुल 1,08,471 रु0 32 पै0)	..	अपराधियों से पेड़ों का मूल्य तथा प्रतिकर वसूल कर लिया गया है।
213	81,635	19	..		18,575 रु0	विभागीय जांच जारी है।
129	62,077	56	..		16,062 रु0	अपराधियों का पता न लग सका।
11	2,143		..		..	अपराधियों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमें दायर किये गये हैं।
योग 682	2,06,275	17	1,08,471	32	34,637 रु0	

वन कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही :—

1—दो वन रक्षकों को नौकरी से निकाला गया।

2—दो वन रक्षकों को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया गया।

3—एक वन रक्षक नौकरी छोड़कर चला गया।

4—एक वन रक्षक को वेतन मान में 5 वर्ष पीछे हटा दिया गया।

5—एक रेन्जर, एक डिप्टी रेंजर, एक फारेस्टर, आठ वन रक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है। इनमें से एक फारेस्टर एवं 3 वन रक्षकों को निलम्बित भी किया गया।

6—आठ वन रक्षकों को वोट के चार्ज से हटाया गया।

7—एक रेन्जर, एक डिप्टी रेन्जर, एक फारेस्टर, तेरह वन रक्षक से नाजायज कटान से हुई 6,949,रु0 की क्षति की वसूली की गयी/या की जा रही है।

8—एक डिप्टी रेन्जर, चार फारेस्टर, पन्द्रह वन रक्षक की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टियां अंकित की गयीं।

विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 437 पर।)

क्रम-सं०	नाम तहसील	नाम ग्राम	आवंटित भूमि का क्षेत्रफल
1	2	3	4
1	सलेमपुर	बन्धूछापर ..	0.45
2	..	दुबौली ..	0.16
3	..	छपिया ..	1.12
4	..	बतरौली ..	0.42
5	..	गजहड़वा ..	0.16
6	..	अमवा ..	0.36
7	..	पनकटा दिक्षित ..	0.35
8	..	बांस घाटी ..	0.68
9	..	विरमा पट्टी ..	0.26
10	.	गाढ़ा उर्फ कानूनगोई गांव ..	0.42
11	..	पिपरा बाबू पट्टी ..	0.12
12	..	बनकटा ..	0.45
13	..	छितौनी ..	0.55
14	..	हरपुर ..	0.13
15	..	धर्मखार करन ..	1.33
16	..	कोईठलवा .	0.35
17	..	जसुई .	0.18
18	..	रतनपुरा ..	0.31
19	..	पुरैनी ..	0.74
20	..	पटनैनी ..	0.14
21	..	पटलोलवा ..	0.26
22	..	नवापारखुर ..	0.12
23	..	पिपरा दिक्षित ..	0.58
24	..	जमरिया उर्फ ामपुर ..	0.58
25	..	नादघाट ..	1.16
26	..	गढ़हवा खाश ..	0.44
27	..	डुमरी बांगर ..	1.44
28	..	हदुआ उर्फ औरंगाबाद ..	0.20
29	..	करचो ..	0.32
30	..	छिन्तुपुर ..	0.57
31	..	कोखड़ु .	0.84
32	..	पिन्डी ..	0.64
33	..	भटवा ..	0.18
34	..	पिन्डी ..	0.58
35	..	भागलपुर ..	1.29
36	..	खेदूछपरा .	0.60
37	..	हठ्ठोचक .	0.25

सत्यमेव जयते

1	2	3	4
38 सलेमपुर	..	बंजरिया ..	0.19
39	..	खुरवसिया दक्षिण ..	0.50
40	..	बनोचक ..	0.18
41	..	राउतपार रथेन ..	0.69
42	..	सहिया ..	0.29
43	..	मोतोपुर टिकहन ..	1.58
44	..	पौनार ..	0.53
45	..	भरौली ..	0.32
46	..	खखनियां बांगर ..	0.61
47	..	पटना ..	0.40
48	..	निमा ..	2.85
49	..	सकटिया हनीफ चक ..	0.62
50	..	बनकटा मिश्र ..	2.19
51	..	खरोहरा ठाकुर ..	0.37
52	..	चनुकी ..	0.62
53	..	करमुआ ..	0.60
54	..	चकरा गोंसाई ..	0.86
55	..	ठाकुर गौरी ..	0.16
56	..	सेलहरापुर ..	0.44
57	..	लखना ..	0.22
58	..	पिपरा सरवन ..	0.10
59	..	बलिया दक्षिण ..	1.31
60	..	जिरासोन ..	0.65
61	..	चकबन्धू कलवात ..	0.35
62	..	मझवती ..	6.60
63	..	गौरा ..	0.88
64	..	तकिया धरहरा ..	2.02
65	..	बलिया उत्तर ..	1.88
66	..	परसिया देवार ..	2.10
67	..	बिजौली मैदा ..	0.66
68	..	लहछुआ ..	0.63
69	..	मेहरौन ..	0.56
70	..	बेलपार पंडित ..	0.40
71	..	मधउर ..	0.38
72	..	कलजनिया ..	0.69
73	..	अहिरौली बघेल ..	0.76
74	..	बरईपार पांडेय ..	0.42
75	.	बखरी ..	0.78
76	..	भरौली ..	0.54
		योग ..	54.88

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ब'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 437 पर।)

अनुसूची 'अ'

क्रम सं०	नाम तहसील	नाम ग्राम	आवंटित भूमि का क्षेत्रफल
1	2	3	4
1	सलेमपुर ..	भोपतपुरा ..	20.70
2	..	सिरसियां पवार ..	57.29
3	..	बनकटा दुबौली .	17.76
4	..	करजनियां ..	30.69
5	..	महालनदी स्याही ..	10.88
6	..	दिक्षितौली ..	58.11
7	..	राजपुर ..	3.89
8	..	बैकुन्ठपुर .	12.11
9	..	चकिया ..	172.24
10	..	पिपरा उत्तर पट्टी ..	4.26
11	..	पिपरा दक्षिण पट्टी ..	0.06
12	..	पकड़िया कुन्ड ..	0.61
13	..	कटिया भर ..	0.09
14	..	छपरा दुबौली ..	5.24
15	..	रामपुर ..	2.37
16	..	गरीब चक ..	2.11
17	..	बकरवा ढील प्रेमराय ..	1.57
18	..	भठहीसेवक चक ..	1.13
19	..	नवादा ..	0.48
20	..	पैना खादर ..	5.97
21	..	मोतीपुर मुआल ..	9.54
22	..	बलुआ अफगान ..	5.37
23	..	महुरांव ..	0.51
		योग ..	423.0

सत्यमेव जयते संसद सदस्य

क्रम सं०	नाम तहसील	नाम ग्राम	आविंटत भूमि का क्षेत्रफल
1	2	3	4
1	हाटा ..	मलहिया ..	46.36
2	..	सिरसिया ..	8.94
3	.	मिर्मली ..	8.19
4	..	पकड़ियार ..	6.11
5	..	पनिहंवा बोधी छापर ..	27.04
6	.	पगार ..	4.50
7	..	टकुआटार ..	4.39
8	..	थरुआडीह ..	1.56
9	..	अर्जुन डुमरी ..	1.23
10	..	अहिरौली ..	0.81
11	..	इन्दरपुर ..	0.86
12	..	देवरिया बाबू ..	4.78
13	..	पटखौली ..	6.52
14	..	परसौनी ..	6.66
15	..	पिपरा उर्फ तितला ..	0.56
16	..	पुरैनी ..	1.39
17	..	बड़हरा लक्ष्मीपुर ..	6.36
18	..	रामपुर बगहा ..	2.61
19	..	रामपुर सोहरौना ..	3.36
20	..	लक्ष्मीपुर ..	11.56
21	..	सिधावट ..	0.87
22	..	सपहा ..	0.40
23	..	बिहली निस्फी ..	0.61
24	..	इन्दरसेनवा ..	7.70
25	..	नरायनपुर ..	0.29
26	..	पगार ..	1.89
27	..	मलुकही ..	0.26
28	..	सिरसिया ..	2.26
		योग ..	169.07

अविभाजित सभा

अनुसूची 'ब'

क्रम सं०	नाम तहसील	नाम ग्राम	आवंटित भूमि का क्षेत्रफल
1	2	3	4
1	पडरौना	कन्ठोछपरा	4.77
2	..	किन्नरपट्टी	2.07
3	..	जरार	5.40
4	..	सपहा	226.80
5	..	दुर्गवलिया	0.98
6	..	सामपुर हतवा	2.48
7	..	नरकटिया बुजुर्ग	180.96
8	..	मठिया विसम्भर माधोपुर	41.16
9	..	मैनुपुर	28.07
10	..	खेसरारी गिदहा	8.85
11	..	मुन्नोपट्टी	23.32
12	..	गोसाईपट्टी	15.02
13	..	पकड़ियार पूरबपट्टी	34.87
14	..	पकड़ियार पश्चिम पट्टी	19.72
15	..	राजपुर बगहा	29.94
16	..	सागमपुर	26.62
17	..	भड़वा	22.85
18	..	बरवा राजा पाकड़	101.58
19	..	दोमाठ	114.91
20	..	बनरहा पूरब पट्टी	2.35
21	..	राज पुर बगहा	0.43
22	..	पकड़ियार पूरब पट्टी	0.49
23	..	पकड़ियार प0 पट्टी	1.40
24	..	मुन्नो पट्टी	1.48
25	..	सगावनपुर	1.66
26	..	भड़वा	2.53
27	..	निरहूगंज	2.02
28	..	डोमा	8.21
29	..	दनियाड़ी	0.76
30	..	कोटवा	1.36
31	..	परसा उर्फ सिरसिया	3.63
32	..	कितामन ताल	0.35
33	..	गड़ेहया चिन्तामन	4.08
34	..	भावपुर	6.83
35	..	अहिरौली दान	0.63
36	..	हफुआ बलराम	5.86

उत्तर प्रदेश अभिलेखागार

क्रम सं0	नाम तहसील	नाम ग्राम		आवंटित भूमि का क्षेत्रफल
1	2	3		4
37	..	बसडीला बुजुर्ग	..	0.07
38	..	सुमही संग्रावा	..	1.80
39	..	बरवा राजा पाकड़	..	0.20
40	..	रकबा राजा	..	1.47
41	..	सलेमगढ़	..	2.47
42	..	खुदरा अहिरौली	..	0.66
43	..	डुमरिया	..	0.93
44	..	तरया सुतान	..	1.61
45	..	गडिहिया मोहन	..	0.62
46	..	तिनफेदिया	..	0.38
47	..	बैकुन्ठपुर	..	190.32
48	..	अहिरौली	..	81.12
49	..	तिलक पट्टी	..	40.56
50	..	कोकिलपट्टी	..	90.48
51	..	अमवा खास	..	21.84
52	..	गुरवलिया	..	0.11
53	..	महुअवा	..	1.35
54	..	बलुआ शमशेर शाही	..	0.45
55	..	हरपुर	..	0.77
56	..	मलमहिया	..	0.59
57	..	पगरा प्रसाद गिर	..	6.24
58	..	पड़िपुर उर्फ बसन्तपुर	..	48.58
59	..	रकबा दुलमा पट्टी	..	31.20
60	..	सिसवा गोहटी	..	24.84
61	..	बिरबल छपरा	..	2.03
		योग	..	1493.61

बीरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी,
अतिरिक्त जिलाधिकारी, देवरिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 439 पर)

क्रम सं0	तरी ग्रामों का नाम	तरी ग्रामों का क्षेत्रफल	कितनी जमीन पर काश्तकारों का नाम		कितनी जमीन बची हुई है	क्या बची जमीन को भूमि हीन मजदूरों एवं कृषक मजदूरों में बांटी जा सकती है
1	2	3	4	5	6	7
1	बस्ती कलां तरी	79	22	57	..	
2	गंगापुरी तरी	54	16	38	..	
3	वनका तरी	113	0.60	112.40	..	
4	विहरोजपुर तरी	340	..	340	..	
5	दानी पट्टी तरी	99	32	67	..	
6	बदरी तरी	76	18	58	..	
7	इटवा तरी	324	..	324	..	
8	बरजी खुर्द तरी	69	19	50	..	
9	मूलापुर तरी	69	9	60	..	
10	जहांगीराबादा तरी	176	4	172	..	
11	गुलौरी तरी	128	1	127	..	
12	लेखा पहाड़पुर तरी	63	1	62	..	
13	केदारपुर तरी	99	39	60	..	
14	पुरवा तरी	638	9	629	..	
15	जगदीशपुर तरी	85	15	70	..	
16	वनकट तरी . ..	203	12	190	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम सं०	तरी ग्रामों का नाम	तरी ग्रामों का क्षेत्रफल	कितनी जमीन पर काश्तकारों का नाम		कितनी जमीन बची हुई है	क्या बची जमीन को भूमिहीन मजदूरों एवं कृषक मजदूरों में बांटी जा सकती है
1	2	3	4	5	6	7
17	फुलवरिया तरी	126	3	123	..	
18	नारपोर तरी	237	..	237	..	
19	डीघ तरी	475	115	360	..	
20	अतिवल शाहपटी तरी ..	67	7	60	..	
21	टेढ़ी तरी	28	3	25	..	
22	उरई तरी	161	0.60	160.40	..	
23	पूरेदुखा तरी	68	11	57	..	
24	लखनपुर भटरांव तरी	122	66	56	..	
25	मुरी तरी	52	11	41	..	
26	कोलाहलपुर तरी	204	..	204	..	
27	भवानीपुर तरी	62	6	56	..	
28	दूबेपुर तरी	24	4	20	..	
29	अमिलौर तरी	145	3	142	..	
30	मोहम्मदपुर तरी	249	5	244	..	
31	गजाधरपुर तरी	28	5.50	22.50	..	
32	कुठवा तरी	152	1	151	..	
33	खेमापुर तरी	129	0.10	128.90	..	
34	दुगुना तरी	267	9	258	..	
35	कूडीखुर्द तरी	132	39	93	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

36	मंमौरी तरी	..	..	139	16	123	..
37	बहपुरा तरी	..	..	101	21	80	..
38	बुलसीकलां तरी	..	..	93	65	28	..
39	छेछुआ तरी	..	..	1001	28	973	..
40	द्वारिकापुर तरी	..	..	405	..	405	..
41	वापुपुर तरी	..	..	23	3	20	..
42	पांडेपुर तरी	..	..	56	8	48	..
43	बेरासंपुर तरी	..	..	162	19	143	..
44	नगरद्द तरी	..	..	310	11	299	..
45	सेमराध तरी	.	..	553	11	592	..
46	इटहरा तरी	..	..	6	6	..	..
47	गोपालापुर तरी	..	.	87	..	87	..
48	वारीपुर तरी	..	..	106	..	106	..
49	करवाधिया तरी	..	..	69	..	69	..
50	कूड़ी कला तरी	..	..	252	19	233	..
51	मवैया दरकोती तरी	..	..	186	73	113	..
52	मटगवां तरी	..	..	120	1	119	..
53	कलीक मवैया तरी	..	..	341	12	329	..
54	गजाधरपुर तरी	..	..	51	0.60	50.40	..
55	डेरवा तरी	..	..	71	9	62	..
56	मिसिरपुर तरी	..	..	24	4	20	..
57	धमहापुर तरी	..	..	72	11	61	..
58	इब्राहिमपुर तरी	..	..	523	18	505	..
59	धनबुलसीपुर तरी	..	..	127	111	16	..
60	गोपालपुर तरी	..	..	85	14	71	..
61	कलिन्तारा तरी	..	..	44	..	44	..
62	समारा तरी	..	..	1067	230	837	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम सं०	तरी ग्रामों का नाम	तरी ग्रामों का क्षेत्रफल	कितनी जमीन पर काश्तकारों का नाम		कितनी जमीन बची हुई है	क्या बची जमीन को भूमिहीन मजदूरों एवं कृषक मजदूरों में बांटी जा सकती है
1	2	3	4	5	6	7
63	परसनी तरी	189	2	187	..	
64	मवैया बसगोती तरी	271	5	266	..	
65	शेरपुर तरी	68	5	63	..	
66	चकिया तरी	52	11	41	..	
67	हरीरामपुर तरी	84	45	39	..	
68	महरड़ तरी	28	27	1	..	
	कुल योग ..	12108	1272.40	10835.60	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिए पीछे पृष्ठ 441 पर ।)

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक 1976

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा ।

(2) यह 10 अक्तूबर, 1975 से प्रवृत्त समझा जायगा ।

घोषणा

2—एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39 के खण्ड (ख) तथा (ग) में विनिर्दिष्ट तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य की नीति को प्रभावी करने के लिए है ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1961 में शब्द "प्रतिकर अधिकारी" के स्थान पर शब्द "नियत प्राधिकारी" और शब्द "प्रतिकर निर्धारण तालिका" के स्थान पर शब्द "निर्धारण तालिका" का रखा जाना

3—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है :—

(क) शब्द "प्रतिकर अधिकारी" जहां कहीं आए हों, उनके स्थान पर शब्द "नियत प्राधिकारी" रखे जाएंगे, और

(ख) शब्द "प्रतिकर निर्धारण तालिका" जहां कहीं आए हों, उनके स्थान पर शब्द "निर्धारण तालिका" रखे जाएंगे ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1961 की धारा 2 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 2 में खण्ड (2) में, शब्द "उत्तरा खण्ड मण्डल और कुमायूं मण्डल (डिवीजन)" के स्थान पर शब्द "कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डल" रखे जाएंगे, और 20 दिसम्बर, 1968 से रखे गए समझे जाएंगे ।

धारा 3 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 3 में—

(क) खण्ड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात्:—

"(5) 'निगम' का तात्पर्य किसी संविधिक निगम, अर्थात् किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम या केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम से है;"

(ख) खण्ड (8) में, शब्द "पपीता, केला या अंगूर की लतायें" के स्थान पर शब्द "अमरूद, पपीता, केला या अंगूर की लतायें" रखे जाएंगे और 8 जून, 1973 से रखे गए समझे जाएंगे।

(ग) खंड (11) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जायगा और 8 जून, 1973 से रखा गया समझा जायगा, अर्थात् :—

"(11) 'सिंचित भूमि' का तात्पर्य धारा 4-क में निर्धारित रीति से उस रूप में अवधारित भूमि से है।"

धारा 5 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (1) में, उसके स्पष्टीकरण 2 में, शब्द "यदि कोई भूमि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मूलत: धृत थी जो वास्तव में उसके कब्जे में चली आ रही है किन्तु बाद में, वार्षिक रजिस्टरों में किसी अन्य व्यक्ति का नाम" के स्थान पर शब्द "यदि 24 जनवरी, 1971 को या उसके पूर्व कोई भूमि किसी व्यक्ति के पास थी, जिसका जोत कब्जा उस पर चला आ रहा है, और उक्त दिनांक के पश्चात् वार्षिक रजिस्टर में किसी अन्य व्यक्ति का नाम" रखा जायगा और 17 जनवरी, 1975 से रखा गया समझा जायगा।

(ख) उपधारा (6) में, उसके स्पष्टीकरण 1 में, वर्तमान खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जायगा, अर्थात् :—

"(क) किसी वाद या कार्यवाही में, 24 जनवरी, 1971 के पश्चात् किसी व्यक्ति को सह-खातेदार के रूप में घोषित किया जाना, भले ही ऐसा वाद या ऐसी कार्यवाही 24 जनवरी, 1971 को विचाराधीन थी अथवा उसके पश्चात् संस्थित की गयी थी।";

(ग) उपधारा (7) में, उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड का खण्ड (क) निकाला जायगा;

(घ) उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ायी जायगी, अर्थात्,—

"(8) उपधारा (6) तथा (7) में किसी बात के होते हुए भी, कोई खातेदार अपने विषय में अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने के लिए कार्यवाही पर्यन्त अपने खाते की किसी भूमि का अन्तरण नहीं करेगा और इस उपधारा के उल्लंघन में किया गया प्रत्येक अन्तरण शून्य होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनार्थ यह समझा जायगा कि अतिरिक्त भूमि के अवधारण की कार्यवाही धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन नोटिस के प्रकाशन के दिनांक को प्रारम्भ हुई और उस दिनांक को समाप्त हुई, जबकि ऐसे खातेदार के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन या, यथास्थिति, धारा 13 के अधीन आदेश दिया जाय।"

धारा 6 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 6 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जायगा और उसे सदैव उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन: संख्यांकित समझा जायगा, और —

(क) इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा (1) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ाया जायगा, और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात् —

"स्पष्टीकरण:—उपधारा (1) के खण्ड (च) का कोई बात उक्त उपधारा के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट गोशाला के सम्बन्ध में लागू न होगी।"

(ख) इस प्रकार पुन: संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ाई जाएंगी और सदैव से बढ़ाई गयी समझी जाएंगी, अर्थात् —

"(2) कोई व्यक्ति राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना उपधारा (1) के खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) या खण्ड (च) या खण्ड (छ) में निर्दिष्ट किसी भूमि का अन्तरण नहीं करेगा, और ऐसी अनुज्ञा के बिना किया गया प्रत्येक अन्तरण; तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, शून्य होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात धारा 5 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा या उसके पक्ष में किसी अन्तरण पर लागू न होगी।

(3) किसी भूमि को, जो किसी ऐसे अन्तरण का विषय हो, जो उपधारा (2) के आधार पर शून्य है, अतिरिक्त भूमि समझा जायगा, और वह दिनांक 10 अक्तूबर, 1975 या ऐसे तात्पर्यित अन्तरण के दिनांक से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, समस्त भार से मुक्त होकर राज्य सरकार को अंन्तरित और उसमें निहित हो जायगी, और उस भूमि में समस्त व्यक्तियों के समस्त अधिकार, आगम तथा स्वत्व समाप्त हो जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि भार, यदि कोई हो, अतिरिक्त भूमि के स्थान पर धारा 17 के अधीन देय राशि से सम्बद्ध हो जायगा।

(4) जहां कोई भूमि उपधारा (3) के अधीन अतिरिक्त भूमि समझी जाय—

(1) वहां धारा 14 की उपधारा (8) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन अधि सूचित भूमि हो;

(2) धारा 17 के अधीन उसके लिए देय राशि उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसके पक्ष में ऐसा अन्तरण करना तात्पर्यित हो।"

धारा 9 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(क) उपधारा (2) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ाया जायगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि 10 अक्तूबर, 1975 के पश्चात् किसी समय नियत प्राधिकारी नोटिस द्वारा किसी ऐसे खातेदार से जिसके पास उक्त दिनांक को उसके सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो, यह अपेक्षा कर सकता है कि वह नियत प्राधिकारी को ऐसी नोटिस की तामील के दिनांक से तीस दिन के भीतर उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण या उससे सम्बन्धित कोई सूचना प्रस्तुत करे।";

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ायी जायेगी, अर्थात् —

"(2-क) प्रत्येक खातेदार जिसके पास 24 जनवरी, 1971 को, या उसके पश्चात् किसी समय अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो और जिसने उपधारा (2) में निर्दिष्ट विवरण प्रस्तुत न किया हो और जिसके सम्बन्ध में 10 अक्तूबर, 1975 को इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही विचाराधीन न हो, उक्त दिनांक के तीस दिन के भीतर नियत प्राधिकारी को एक विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें—

(क) 24 जनवरी, 1971 को उसके और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा धृत,

(ख) 24 जनवरी, 1971 और 10 अक्तूबर, 1975 के बीच उसके द्वारा या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित या निस्तारित, समस्त भूमि का ब्योरा दिया जायगा।"

धारा 12-क का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 12-क में, उसके प्रतिबन्धात्मक खंड में,—

(1) खंड (ग) में शब्द "किसी बैंकिंग कम्पनी" के स्थान पर शब्द अंक, अक्षर और कोष्ठक "उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित किसी बैंक" रखे जायेंगे और 31 मार्च, 1975 से रखे गए समझे जायेंगे।

(2) खंड (घ) में, उपखंड (1) में शब्द "प्रतिकर" के स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा।

धारा 13-क का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 13-क में, उपधारा (2) में, शब्द और अंक "और 15" के स्थान पर शब्द और अंक "15 और 16" रखे जायेंगे।

धारा 14 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 14 में—

(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी। अर्थात् :—

"(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के दिनांक के प्रारम्भ से एसी समस्त अतिरिक्त भूमि समस्त भार से मुक्त होकर राज्य सरकार को अन्तरित तथा उसमें निहित हो जाएगी और उस दिनांक से उस भूमि में समस्त व्यक्तियों के समस्त अधिकार, आगम तथा स्वत्व समाप्त हो जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि भार, यदि कोई हो, अतिरिक्त भूमि के स्थान पर धारा 17 के अधीन देय राशि से सम्बद्ध हो जायगा।"

(ख) उपधारा (3); (4), (5); (6) तथा (7) निकाल दी जायगी;

(ग) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायगी अर्थात् :—

"(8) कलेक्टर उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी समय अतिरिक्त भूमि पर और किसी असंगृहीत फसल या वृक्षों के फल पर भी, जो ऐसी फसल या फल न हो जिन पर धारा 15 की उपधारा (1) लागू होती हो, खातेदार या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसके अध्यासन में वह भूमि हो, बेदखल करने के पश्चात् कब्जा कर सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो :

प्रतिबन्ध यह है कि खातेदार किसी समय कलेक्टर को अपने द्वारा धृत सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग का कब्जा स्वेच्छा से दे सकता है, जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन और अनुसार अतिरिक्त भूमि घोषित किया गया हो या घोषित किए जाने की सम्भावना हो, और तदुपरान्त ऐसी भूमि पर उपधारा (2) के उपबन्ध वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी अतिरिक्त भूमि पर लागू होते हैं।"

धारा 15 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (1) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद 'असंगृहीत फसल या वृक्षों के फल' का तात्पर्य किसी ऐसी फसल या फल से है जो धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के दिनांक को विद्यमान हो और इसमें कोई अनुवर्ती फसल या वृक्षों के फल सम्मिलित नहीं हैं।"

13—मूल अधिनियम के अध्याय 2 में, धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ाई जायगी, अर्थात् :— नई धारा 16 का बढ़ाया जाना

"16—यदि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम 1972 के प्रारम्भ होने के दिनांक पर या उसके पश्चात् किसी खातेदार के पास उस पर प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो तो वह खातेदार जुलाई, 1973 के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली अवधि से धारा 14 की उपधारा (8) के अधीन कलेक्टर द्वारा उक्त अतिरिक्त भूमि का कब्जा लिए जाने के दिनांक तक, या उस दिनांक तक जब खातेदार उक्त उपधारा के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन कलेक्टर को स्वेच्छा से कब्जा दे, जो भी पहले हो, उसके उपयोग और अध्यासन के लिए राज्य सरकार को उस प्रतिकर का देनदार होगा, जो नियत किया जाय।" अतिरिक्त भूमि के उपयोग तथा अध्यासन के लिए क्षति-पूर्ति

14—मूल अधिनियम की धारा 17 में— धारा 17 का संशोधन

(क) अध्याय 3 के शीर्षक सहित पार्श्व शीर्षक में, शब्द "प्रतिकर" के स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा ;

(ख) उपधारा (1) में, शब्द "प्रतिकर" के स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा और सदैव से रखा समझा जायगा ;

(ग) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात् :—

"(2) खातेदार का शिकमी काश्तकार या असामी, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई0 की धारा 11 में उल्लिखित असामी न हो, खातेदार को देय राशि में से एक भाग पाने का हकदार होगा और उसे वह दिया जायगा। शिकमी काश्तकार या असामी को देय राशि का भाग उसके अधीनवर्ती स्वत्व की अव्यतीत अवधि के लिए मौरूसी दरों पर आकलित मालगुजारी की पूरी राशि के बराबर होगी, परन्तु शिकमी काश्तकार या असामी किसी भी दशा में खातेदार को देय के एक चौथाई भाग से अधिक पाने का हकदार न होगा। वह राशि खातेदार तथा शिकमी काश्तकार या असामी के बीच नियत प्राधिकारी द्वारा विभाजित की जायगी।"

(घ) उपधारा (3) में शब्द "प्रतिकर" जहां कहीं भी आया हो, उसके स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा।

15—मूल अधिनियम की धारा 17-क में— धारा 17 क का संशोधन

(क) उसके पार्श्व शीर्षक सहित खंड (1) और (2) में शब्द "प्रतिकर" जहां कहीं आया हो, उसके स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा ;

(ख) खंड (3) में, शब्द "प्रतिकर धारा 17 के अनुसार दिया जायगा" के स्थान पर शब्द "राशि धारा 17 के अनुसार दी जायगी" रखे जायेंगे और सदैव से रखे गय समझे जायेंगे।

धारा 17-ख का संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 17-ख में —

(क) पार्श्व शीर्षक में शब्द "कतिपय मामलों में प्रतिकर लौटाया जाना" के स्थान पर शब्द "कतिपय मामलों में राशि का लौटाया जाना" रखे जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ;

(ख) उपधारा (1) में शब्द "दिए गए प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि या जैसी भी दशा हो, आनुपातिक धनराशि" के स्थान पर शब्द "उसको दी गयी सम्पूर्ण राशि या, जैसी भी दशा हो, उसका आनुपातिक भाग" रखे जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 18 का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 18 में शब्द और अंक "धारा 17 के अधीन देय प्रतिकर" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 17 के अधीन देय राशि" रखे जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 19 का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 19 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "धारा 17 के अधीन प्रतिकर" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 17 के अधीन देय राशि" रखे जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 22 का संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 22 में—

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "प्रतिकर" के स्थान पर शब्द "राशि' रखा जायगा और सदैव से रखा समझा जायगा ;

(ख) उपधारा (1) में, शब्द "प्रतिकर की धनराशि" के स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा ;

(ग) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात् :—

"(2) राशि उस दिनांक से देय होगी, जिस दिनांक को धारा 14 की उपधारा (8) के अधीन भूमि पर कब्जा किया जाय, और जब राशि पाने के हकदार व्यक्ति की विभिन्न भूमि पर कब्जा विभिन्न दिनांकों पर किया जाय तो ऐसे दिनांकों में अन्तिम दिनांक से देय होगी, और वह उस राशि के अवधारण के दिनांक से देय होगी।";

(घ) उपधारा (3) में—

(1) शब्द "इस अधिनियम के अधीन अवधारित प्रतिकर की धनराशि" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 17 के अधीन अवधारित राशि" रखे जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ;

(2) शब्द "प्रतिकर दातव्य होने के दिनांक से" के स्थान पर शब्द "ऐसी राशि देय होने के दिनांक से" रखे जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ;

(ङ) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात् :—

"(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त राशि का भुगतान राज्य सरकार को अतिरिक्ति भूमि के सम्बन्ध में सम्पूर्ण दायित्व से पूर्णतः उन्मुक्त करेगा, किन्तु उस व्यक्ति के प्रति जिसे इस प्रकार भुगतान किया जाय, उक्त राशि के सम्बन्ध में किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।"

धारा 23 का संशोधन

20—मूल अधिनियम की धारा 23 में —

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "प्रतिकर की धनराशि" के स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा ;

(ख) शब्द "प्रतिकर" के स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा।

धारा 27 का संशोधन

21—मूल अधिनियम की धारा 27 में —

(1) उपधारा (3) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "उपधारा (1) और (2) "के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक "उपधारा (1) तथा (3)" रखे जायेंगे ;

(2) उपधारा (6) में—

(क) शब्द "ऐसे प्रारम्भ के दिनांक के एक वर्ष के भीतर" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक "उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ से पांच वर्ष के भीतर" रखे जायेंगे;

(ख) शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष" रखे जायेंगे;

(3) उपधारा (7) में शब्द "गजट में अधिसूचना द्वारा" के स्थान पर शब्द "विहित रीति से प्रकाशित किये जाने वाले सामान्य या विशेष आदेश द्वारा" रखे जायेंगे।

धारा 29 का संशोधन

22—मूल अधिनियम की धारा 29 में, शब्द "और तदनुसार इस प्रकार पुन: अवधारित अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि जो उसके द्वारा धृत होगी, अतिरिक्त भूमि के रूप में व्यवहरित की जाने योग्य होगी" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द तथा अंक रखे जायेंगे, अर्थात् :।—

"और तदनुसार इस अधिनियम के उपबन्ध, धारा 16 को छोड़कर आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।"

धारा 35 का प्रतिस्थापन

23—मूल अधिनियम की धारा 35 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् : —

"35-(1) कोई भी जो —

(क) धारा 9 की उपधारा (2) या उपधारा (2-क), या धारा 30 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार विवरण या धारा 38-क की उपधारा (1) के अधीन शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट विवरण देता है या प्रस्तुत करता है या दस्तावेज में कोई सचना देता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने के बारे में विश्वास करने का कारण उसके पास है, या

(ग) इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश का अन्यथा उल्लंघन करता है, या

(घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी भूमि का कब्जा लेने में किसी व्यक्ति को रुकावट पहुंचाता है, या

(ङ) धारा 5 की उपधारा (8), या धारा 6 की उपधारा (2) के उल्लंघन पूर्वक किसी भूमि का अन्तरण करता है,

तो वह कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकता है या अर्थ-दन्ड से या दोनों से दन्डनीय होगा।

(2) जहां कलेक्टर ने धारा 14 की उपधारा (8) के अधीन किसी अतिरिक्त भूमि पर कब्जा किया है और कोई व्यक्ति तत्पश्चात् किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर अध्यासन करता है वहां वह व्यक्ति कारावास से ऐसी अवधि के लिए, जो तीन वर्ष तक की हो सकती है, या अर्थ-दन्ड से या दोनों से दन्डनीय होगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्ध-दोष ठहराने वाला कोई न्यायालय उस व्यक्ति को सरसरी तौर पर ऐसी भूमि से बेदखल करने का आदेश दे सकता है, और ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती है, बेदखल कर दिया जायगा।

(4) उपधारा (2) और (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी भूमि का पुन: कब्जा ले सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो किसी व्यक्ति को जिसका उस पर अध्यासन पाया जाय, बेदखल करने के लिए आवश्यक हो।"

नयी धारा 35-क का बढ़ाया जाना

24—मूल अधिनियम की धारा 35 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ायी जायगी, अर्थात् :—

अपराध का संज्ञान

"35-क—कोई न्यायालय, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना, इस अधिनियम के अधीन दन्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।"

धारा 38 का संशोधन

25—मूल अधिनियम की धारा 38 में, उपधारा (2) में, शब्द "किसी व्यवहार न्यायाधीश (सिविल जज)" के स्थान पर शब्द "किसी अपर जिला न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश या अपर व्यवहार न्यायाधीश" रखे जायेंगे और सदैव से रखे गए समझे जायेंगे।

नई धारा 38-क और 38-ख का बढ़ाया जाना

26—मूल अधिनियम की धारा 38 के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ाई जायेंगी, अर्थात् :—

खातेदार से भूमि का विवरण मांगने की शक्ति

"38-क-(1)—जहां नियत प्राधिकारी या अपील न्यायालय इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन के लिए यह आवश्यक समझे, वहां वह इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही में किसी प्रक्रम पर किसी खातेदार से अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने या अपने परिवार के सदस्यों द्वारा धृत भूमि के सम्बन्ध में ऐसा विवरण, जैसा नियत किया जाय, शपथ-पत्र द्वारा प्रस्तुत करे।

(2) खातेदार की अतिरिक्त भूमि के अवधारणार्थ उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत भूमि के विवरण पर विचार किया जा सकता है।

पूर्व न्याय का वर्जन

38-ख—इस अधिनियम द्वारा नियन्त्रित किसी विषय के सम्बन्ध में किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकारी द्वारा किसी कार्यवाही में या किसी वादपद पर (जिसके अन्तर्गत कोई आदेश, डिक्री या निर्णय भी है) इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व दिये गये किसी निष्कर्ष या विनिश्चय से इस अधिनियम के अधीन ऐसी कार्यवाही या वादपद पर समय-समय पर यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पुन: विचारण में कोई रुकावट न होगी।"

धारा 40 का संशोधन

27—मूल अधिनियम की धारा 40 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जायगी, अर्थात् :—

"40—यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार को कोई धनराशि देय हो, तो उसे वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्याय 3 के अधीन ऐसे व्यक्ति को देय राशि से, यदि कोई हो, काटकर या मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।"

धारा 41 का संशोधन

28—मूल अधिनियम की धारा 41 में, शब्द "प्रतिकर की धनराशि" के स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा।

29—मूल अधिनियम की धारा 44 में — धारा 44 का संशोधन

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायगी, अर्थात् :—

"(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।";

(ख) उपधारा (2) में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ाया जायगा, अर्थात् —

"(खख) शर्तें जो धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन भूमि का अन्तरण करने की अनुज्ञा देने से सम्बन्धित हो ; " ;

(ग) उपधारा (3) निकाल दी जायगी।

30—मूल अधिनियम की अनुसूची में— अनुसूची का संशोधन

(ग) भाग 1 में, द्वितीय स्तम्भ में—

(i) मद (क) के सामने शब्द "अथवा देय मालगुजारी का अस्सी गुना, इसमें जो भी अधिक हो", निकाल दिए जायेंगे और सदैव से निकाले गए समझे जायेंगे ;

(ii) मद (ख) के सामने, शब्द "प्रतिकर की धनराशि", जहां कहीं भी आए हों, उनके स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा ;

(iii) मद (घ) में, शब्द "गांव समाज" के स्थान पर शब्द "गांव सभा" रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा ;

(iv) मद (ङ) के सामने, शब्द "प्रतिकर की धनराशि", जहां कहीं भी आये हों, उनके स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा ;

(ख) भाग 3 में—

(i) मद (क) में, शब्द "प्रतिकर" जहां कहीं भी आया हो, उसके स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा ; ";

(ii) मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जायगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी अर्थात् :—

"(ख) धारा 3 के खण्ड (9) में उल्लिखित सरकारी पट्टेदार के शिकमी पट्टेदार को देय राशि उस राशि का 7/8 भाग होगी, जिसकी गणना ऊपर दी हुई मद (क) के अनुसार की गई हो, और शेष राशि सम्बद्ध सरकारी पट्टेदार को दी जायगी" ;

(ग) भाग 4 में —

(i) मद (क) के नीचे टिप्पणी के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पणी रखी जायगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात् :—

"टिप्पणी—इमारत की राशि के अन्तर्गत उस भूमि की राशि भी होगी जिस पर इमारत स्थित हो।" ;

(ii) मद (ग) में—

(1) उपमद (1) के नीचे की टिप्पणी निकाल दी जायगी और सदैव से निकाली गयी समझी जायगी ;

(2) उपमद (3) के सामने द्वितीय स्तम्भ की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात् :—

"ऐसे वृक्षों के वार्षिक उचित औसत मूल्य का आठ गुना" ;

(3) उपमद (3) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ाया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—मद (ग) के प्रयोजनार्थ, किसी वृक्ष के सम्बन्ध में पद 'औसत मूल्य' का तत्पर्य ऐसे वृक्ष से होने वाले बीस वर्ष के लाभ के अंकगणितीय औसत से है।"

संक्रमण कालीन उपबन्ध

31—(1) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1976 के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व यथा विद्यमान मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) से (7) के अधीन सभी कार्यवाहियां जो ऐसे प्रारम्भ होने के दिनांक के ठीक पूर्व किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हों, ऐसे दिनांक को उपशमित समझी जायेंगी। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11, 1976

(2) यदि मूल अधिनियम के अधीन किसी खातेदार के सम्बन्ध में अतिरिक्त भूमि अवधारित करने का आदेश दिनांक 17 जनवरी, 1975 के पूर्व दिया गया हो और नियत प्राधिकारी से उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 9 के अधीन अतिरिक्त भूमि का पुन: अवधारण करने की अपेक्षा की जाय तो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 19 की उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत और 10 अक्तूबर, 1975 के ठीक पूर्व विचाराधीन मूल अधिनियम की धारा 13 के अधीन प्रत्येक अपील या ऐसी अपील के सम्बन्ध में अन्य कार्यवाहियां उक्त दिनांक को उपशमित समझी जायेंगी। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973

(3) यदि 10 अक्तूबर, 1975 के पूर्व मूल अधिनियम के अधीन किसी खातेदार के सम्बन्ध में अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने का आदेश दिया गया हो, तो चाहे ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत की गयी हो या नहीं और अतिरिक्त भूमि के अवधारण के मूल आदेश के विरुद्ध किसी अपील के होते हुए भी (चाहे वह विचाराधीन हो या निर्णीत हो), नियत प्राधिकारी (जैसा कि मूल अधिनियम में परिभाषित है) उक्त दिनांक से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अनुसार अतिरिक्त भूमि का पुन: अवधारण कर सकता है।

(4) इस धारा की उपधारा (3) के अधीन या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 9 के अधीन अतिरिक्त भूमि का पुन: अवधारण करने के प्रत्येक आदेश के सम्बन्ध में मूल अधिनियम की धारा 13 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 9 में निर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध अपील की दशा में, तीस दिन की अवधि की गणना ऐसे आदेश के दिनांक से या 10 अक्तूबर, 1975 से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, की जाएगी।

(5) मूल अधिनियम की धारा 13-क के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित, इस धारा के अधीन या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 9 के अधीन अतिरिक्त भूमि के प्रत्येक पुन: अवधारण पर लागू होंगे।

(6) यदि कोई निर्धारण सूची 16 फरवरी, 1976 के पूर्व धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन अन्तिम हो गयी हो, तो इस अधिनियम द्वारा, अनुसूची के साथ पठित मूल अधिनियम के अध्याय 3 में किए गए किसी संशोधन के होते हुए भी, उस पर पुन: विचार नहीं किया जायगा।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1976

निरसन और अपवाद

32—(1) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (सशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन या 1976 के उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उद्देश्य और कारण

पिछले दो वर्षों में उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम के कार्यान्वयन के दौरान कुछ कठिनाइयों का अनुभव किया गया जिन्हें दूर करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने भी यह इच्छा व्यक्त की है कि इस अधिनियम के उपबन्धों को राष्ट्रीय मार्ग-शंक के समतुल्य लाने के लिए संशोधित किया जाय।

2—इन परिस्थितियों में, उपर्युक्त अधिनियम के उपबन्धों को संशोधित करना आवश्यक समझा गया था। चूंकि राज्य विधान मन्डल सत्र में नहीं था, अतएव 10 अक्तूबर, 1975 को एक अध्यादेश (संख्या 31, 1975) प्रख्यापित किया गया था। उक्त अध्यादेश की विशिष्ट बातें निम्नलिखित हैं :—

(क) सीमा क्षेत्र अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए अमरूद के बागों को अब साधारण भूमि माना गया है न कि बाग;

(ख) अधिनियम के अधीन सीमा-क्षेत्र सम्बन्धी कार्यवाहियां जारी रहने के दौरान भूमि का अन्तरण प्रतिषिद्ध कर दिया गया है;

(ग) किसी विमुक्त श्रेणी की भूमि के अन्तरण के लिए राज्य सरकार की अनुज्ञा प्राप्त करना अपेक्षित होगा;

(घ) धारा 9 की उपधारा (2-क) में उल्लिखित खातेदारों द्वारा 24 जनवरी, 1971 के पश्चात् उनके और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा भी धृत, अर्जित और निस्तारित भूमि का विवरण प्रस्तुत करना बाध्यकर कर दिया गया है;

(ङ) कलेक्टर द्वारा अतिरिक्त भूमि का कब्जा लिए जाने से सम्बन्धित प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है;

(च) उन खातेदारों को, जो अतिरिक्त भूमि पर अध्यासन बनाय रखते हैं, ऐसी भूमि के उपयोग और अध्यासन के लिए राज्य सरकार को ऐसी दर पर जो विहित की जाय, क्षति-पूर्ति देना होगा;

(छ) विवरण, दस्तावेज या सूचना प्रस्तुत न करने या मिथ्या विवरण, दस्तावेज या सूचना देने को दो वर्ष तक कारावास से दन्डनीय कर दिया गया है। बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के किसी अतिरिक्त भूमि के अध्यासन को भी अधिनियम के अधीन दण्डनीय कर दिया गया है।

3—इस बीच 30 नवम्बर, 1975 को राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित किया गया और 5 जनवरी, 1976 को संसद का सत्र प्रारम्भ होने के कारण उपर्युक्त अध्यादेश 16 फरवरी, 1976 के पश्चात् प्रवृत्त न रह जाता। इसलिए उक्त अध्यादेश को 16 फरवरी, 1976 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1976 द्वारा निरसित और प्रतिस्थापित किया गया।

4—1976 के उक्त अध्यादेश संख्या 11 का स्थान ग्रहण करने के लिए यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

स्वामी प्रसाद सिंह,
राजस्व मन्त्री।

नत्थी 'झ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 442 पर)

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 3 अक्तूबर, 1975 से प्रवृत्त समझा जायगा।

2—उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, उपधारा (3) में, खण्ड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खन्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :— — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1974 द्वारा पुन: अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973 की धारा 4 का संशोधन

"(च) उत्तर प्रदेश जल-सम्भरण तथा सीवर-व्यवस्था अधिनियम, 1975 के अधीन स्थापित जल-निगम का प्रबन्ध निदेशक, पदेन ;"।

3—मूल अधिनियम के अध्याय 3 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :— — अध्याय 3-क का बढ़ाया जाना

"अध्याय 3—क

विकास क्षेत्रों में मुख्य सड़कें

मुख्य सड़कों से संसक्त कतिपय भवनों के अग्रभाग का अनुरक्षण और सुधार

12-क—(1) जहां किसी विकास क्षेत्र में पूर्णत: अनावासिक प्रयोजनों के लिए या अंशत: आवासिक और अंशत: अनावासिक प्रयोजनों के लिए अधिभुक्त कोई भवन किसी मुख्य सड़क से संसक्त हों, वहां ऐसे भवन का अधिभोगी अपने खर्च पर उस निमित्त बनाई गई किन्हीं उपविधियों के अनुसार ऐसे भवन के अग्रभाग की मरम्मत, पुताई, रंगाई या पेंटिंग कराने के लिए बाध्य होगा।

(2) जहां प्राधिकरण किसी रंग-व्यवस्था या उस निमित्त अन्य विनिर्दिष्टियों की समरूपता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, या जहां कोई अधिभोगी उपधारा (1) के अनुसार किसी भवन के अग्रभाग की मरम्मत, पुताई, रंगाई या पेंटिंग कराने में असफल रहता है, वहां प्राधिकरण आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकता है कि उक्त कार्य स्वयं प्राधिकरण द्वारा या उसके निर्देशाधीन किया जायगा, और तदनुसार अधिभोगी द्वारा प्राधिकरण को ऐसे कार्य के खर्च का भुगतान करने की भी अपेक्षा कर सकता है।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी कार्य के खर्च की गणना बिना किसी लाभ-हानि के आधार पर की जायगी, और जमा किए जाने के लिए अपेक्षित धन-राशि की युक्तियुक्तता के बारे में कोई विवाद होने की दशा में, उसका विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जायगा, और उसके अधीन रहते हुए, प्राधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी कार्य का सम्पूर्ण खर्च या उसका भाग अधिभोगी द्वारा भुगतान न किए जाने की दशा में, उपाध्यक्ष के प्रमाण-पत्र पर अधिभोगी से भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा में—

(क) पद 'मुख्य सड़क' का वही अर्थ होगा जो उसके लिए उपविधियों में दिया जाय ;

(ख) किसी भवन के सम्बन्ध में, पद 'अधिभोगी' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके वास्तविक अधिभोग या उपयोग में भवन हो, और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :—

(i) स्वामी (जिस पद के अन्तर्गत अभिकर्ता या न्यासी या न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर, अधिकर्ता या प्रबन्धक या भवन का भोगबन्धकी भी है) जिसका अधिभोग हो ;

(ii) किरायेदार जो तत्सम्बन्धी किराया स्वामी को तत्समय दे रहा हो या देने का उत्तरदायी हो ;

(iii) उसका माफीदार या लाइसेंसी ;

(iv) वह व्यक्ति जिसका दायित्व उसके अप्राधिकृत उपयोग और अधिभोग के लिए स्वामी को क्षतिपूर्ति देने के लिए है।"

धारा 14 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 14 में, शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर, जहां कहीं वह आया हो, शब्द "उपाध्यक्ष" रख दिया जायगा, और दिनांक 15 अगस्त, 1975 से रखा गया समझा जायगा।

धारा 18 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 18 में,—

(i) उपधारा (2) में, शब्द "बन्धक या प्रभार" निकाल दिये जायेंगे;

(ii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण या सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकारी ऐसी भूमि पर (जिसके अन्तर्गत उस पर स्थित कोई भवन भी है) भारतीय जीवन बीमा निगम, हाउसिंग एन्ड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन या उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, 1972 में यथा परिभाषित "बैंकिंग कम्पनी" या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अनुमोदित किसी अन्य वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक या प्रभार का सृजन कर सकता है।"

धारा 37 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 37 में, शब्द "प्रत्येक विनिश्चय" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 41 में उपबन्धित का अपवाद करते हुए, प्रत्येक विनिश्चय" रख दिये जायेंगे।

धारा 41 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 41 में,—

(i) शब्द "प्राधिकरण" के स्थान पर, जहां कहीं वह आया हो शब्द "प्राधिकरण, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष" रख दिये जायेंगे और दिनांक 15 अगस्त, 1975 से रखे गये समझे जायेंगे ;

(ii) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी और दिनांक 15 अगस्त 1975 से बढ़ाई गई समझी जायगी, अर्थात् :—

"(4) इस अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में दिया गया राज्य सरकार का प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी।"

धारा 55 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 55 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ख) में, शब्द "अधिकरण" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष" रख दिया जायगा और दिनांक 15 अगस्त, 1975 से रखा गया समझा जायगा।

धारा 57 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 57 में, खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(ङङ) मुख्य सड़क की परिभाषा और रंग-व्यवस्था और अन्य विनिर्दिष्टियां जिनके अनुसार ऐसी सड़क से संसक्त भवनों के अग्रभाग की मरम्मत, पुताई, रंगाई या पेंटिंग धारा 12-क के अधीन की जायगी ;"।

धारा 59 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 59 में,—

(i) उपधारा (1) में, खण्ड (क) में, निम्नलिखित शब्द और अंक अन्त में बढ़ा दिये जायेंगे और दिनांक 15 अगस्त, 1975 से बढ़ाये गये समझे जायेंगे, अर्थात् :—

"और उत्तर प्रदेश (निर्माण-कार्य विनियमन) अधिनियम, 1958 के अधीन कार्यवाहियों के जारी रहने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिनियम के अधीन नियत प्राधिकारी और नियन्त्रक प्राधिकारी की शक्ति क्रमश : उपाध्यक्ष और अध्यक्ष में निहित होगी।"

(ii) उपधारा (13) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ाई जायेगी और सदैव से बढ़ाई गई समझी जायगी, अर्थात् :—

"(14) उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 365 में किसी बात के होते हुए भी, किसी सुधार स्कीम के लिए, जिसके सम्बन्ध में कृत्य उपधारा (13) के अधीन विकास प्राधिकरण को सौंपे गये कृत्य समझे जायेंगे, भूमि और भूमि में हित के सभी अर्जन, 31 दिसम्बर, 1977 को या उसके पहले, कम से कम अधिनिर्णय देने के स्तर तक, पूरे किये जायेंगे।"

वैधीकरण

11—किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व जो कार्य किया गया हो या कार्यवाही की गई हो, जिसके अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (14) में, जिस रूप में वह इस अधिनियम द्वारा बढ़ाया गया है, निर्दिष्ट सुधार स्कीम के लिए भूमि या भूमि में हित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई अधिसूचना जारी करना या आदेश पारित करना या अधिनिर्णय देना या कब्जा करना भी है, यह समझा जायगा कि वह उसी प्रकार विधिमान्य है और सर्वदा रहा है, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त रहे हैं और अग्रेतर कार्यवाही, यदि कोई, जो अपेक्षित हो, तदनुसार की जायगी।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 4, 1976

निरसन और अपवाद

12—(1) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन या उपधारा (1) में उल्लिखित अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी, मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

उद्देश्य और कारण

स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग, उत्तर प्रदेश के मुख्य अभियन्ता उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन गठित विकास प्राधिकरण के एक पदेन सदस्य थे। चूंकि उक्त विभाग का विलयन उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 के अधीन स्थापित जल निगम में कर दिया गया, अतएव प्रथम उल्लिखित अधिनियम का संशोधन करना आवश्यक हो गया जिससे कि यह व्यवस्था की जा सके कि निगम का प्रबन्ध निदेशक विकास प्राधिकरण का पदेन सदस्य होगा।

2—विकास क्षेत्र में मुख्य सड़कों से संसक्त भवनों के उचित अनुरक्षण तथा मरम्मत की आवश्यकता है। ऐसे भवनों के वाह्य रूप का सुधार करने और ऐसे क्षेत्रों का नवीकरण सुनिश्चित करने की दृष्टि से विकास प्राधिकरण को ऐसे भवनों के अधिभोगियों से उनकी मरम्मत, पुताई, रंगाई या पेंटिंग कराने की अपेक्षा करने के लिए शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव है। किसी रंग-व्यवस्था की समरूपता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, प्राधिकरण अधिभोगी के खर्च पर स्वयं यह काम करा सकता है।

3—अधिनियम की धारा 18(2) के अधीन विकास प्राधिकरण को किसी भूमि अथवा भवन को प्रभारित करने या बन्धक रखने की शक्ति नहीं थी। यह उपबन्ध करने के लिए कि एसा प्राधिकरण मान्यताप्राप्त वित्तीय संस्थाओं के पक्ष में प्रभार या बन्धक का सृजन कर सके, उक्त धारा को संशोधित करना आवश्यक समझा गया।

4—अधिनियम में पाई गई कतिपय अन्य छोटी-मोटी कमियों को दूर करना भी आवश्यक समझा गया।

5—चूंकि राज्य विधान मन्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करना आवश्यक था, इसलिए 30 नवम्बर, 1975 को उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1975 को प्रख्यापित किया गया।

6—इस बीच 30 नवम्बर, 1975 को राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित किया गया और 5 जनवरी, 1976 को संसद का सत्र प्रारम्भ होने के कारण उक्त अध्यादेश 16 फरवरी, 1976 के पश्चात् प्रवृत्त न रह जाता। अत: एक नये अध्यादेश द्वारा उक्त अध्यादेश को निरसित और प्रतिस्थापित करना आवश्यक था। तदनुसार 16 फरवरी, 1976 को इस प्रयोजन के लिए उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1976 प्रख्यापित किया गया।

7—विकास योजनाओं के जिनकी समयावधि, 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हो गयी है, सम्बन्ध में चल रही कतिपय भूमि अर्जन की कार्यवाहियों को विधिमान्य करने के लिए यह आवश्यक है कि इन योजनाओं की समयावधि को 31 दिसम्बर, 1977 तक बढ़ा दिया जाय। तदनुसार यह भी प्रस्ताव है कि उक्त अधिनियम की धारा 59 को इस प्रयोजन के लिए संशोधित किया जाय।

8—1976 के उक्त अध्यादेश संख्या 4 के स्थान को ग्रहण करने के लिए यह विधेयक पुर: स्थापित किया जाता है, और उपर्युक्त पैरा 7 में उल्लिखित प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए एक उपबन्ध इसमें सम्मिलित कर लिया गया है।

राजेन्द्र कुमारी बाजपेई,
स्वायत्त शासन मन्त्री।

पी0एस0यू0पी0—एल 31 वि0 सभा (51)—1976—840।